राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 25 वां दिवस [संख्या 17

सोमवार,

दिनांक 12 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, सहकारिता, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद, सिंचाई, विद्युत, यातायात, राजस्थान नहर परियोजना, खादी एवं ग्रामोद्योग, विकास, पंचायत एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामलाल !

क्रय विक्रय संघ, बाड़ी का ऑडिट

415. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) [श्री रामलाल (बाड़ी) की अनुपस्थिति में] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बाड़ी क्रय-विक्रय संघ की ऑडिट की गई है ? यदि हां, तो कब और क्या जिस समय ऑडिट की गई उसमें कोई गबन पाया गया ? यदि हां, तो कितना और दोषी व्यक्ति व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : जी हां, ऑडिट कब कब हुआ, की सूची सदन की मेज पर रख दी है। ऑडिट रिपोर्टों में बताये गये गबन के मामलों की भी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। श्री केवलराम मुनीम के विरुद्ध 14,800) रुपये का मामला पुलिस में दिया जा चुका है। शेष मामलों में अधिनियम के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची तो माननीय सदस्य के पास चली गई और मैं महरूम रह गया। मैं यह जानना चाहता था कि श्री रामगोपाल, अध्यक्ष, श्री केवलराम, मैनेजर और श्री बाबूलाल इनके विरुद्ध भी कोई गबन के मामले है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि है तो कितने रुपयों के ?

श्री जुझारसिंह : बाबूलाल के विरुद्ध तो करीब 8 मामले हैं और केवलराम के खिलाफ भी काफी मामले हैं और जैसा मैंने निवेदन किया कि एक सदस्य श्री केवलराम मुनीम के विरुद्ध मामला पुलिस को दिया जा चुका है और बाबूलाल के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाबूलाल और रामगोपाल और जो दूसरे इसमें मुलजिम साबित हो रहे हैं—कार्यवाही का अर्थ आपका डिपार्टमेन्ट से है या पुलिस को सीधा दे देने का है ? क्योंकि इसको देखते हुए करीब करीब एक लाख का गबन है और उस आधार पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्जूर करता हूं कि इस मामले के सम्बन्ध में काफी गड़बड़ें हैं और ऐसा लगता है कि यह बहुत दिनों से निगलेक्टेड है इसलिए इसके लिए ए. आर. को आदेश दे दिये गये हैं कि जल्दी जांच करें और जो जल्दी पुलिस में देने के हैं उनको पुलिस में दिया जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह जानना चाहता था कि यह काफी अर्से से पड़े हुए हैं, आप इसकी क्या सीमा बांध सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्यवाही हो सकेगी ? और यदि आप सीमा बांध दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र, अतिशीघ्र और शीघ्रातिशीघ्र–इन तीनों की परिभाषा महीनों में बांध दें। शीघ्र एक महीना, अतिशीघ्र 2 महीना और शीघ्रातिशीघ्र 3 महीना–इस तरह की परिभाषा आप बांध दें।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या रामगोपाल अब भी उस सोसाइटी में अध्यक्ष हैं जब कि उनके खिलाफ अब भी गबन के मामले हैं ?

श्री जुझारसिंह : यह तो जानकारी नहीं है।

श्री मोहरसिंह : गबन के मामले हैं और जानकारी नहीं है फिर जानकारी का क्या प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : गबन की सूची 1960-61 से लेकर 1972-73 तक की है। इसके बीच में कई सदस्य मैनेजर भी रहे हैं और कोई अध्यक्ष रहे हैं। तो किस समय कौन रहा इसकी जानकारी नहीं है। इस समय कौन अध्यक्ष है यह मैं कह नहीं सकता। यह जरूर है कि मामला संगीन है और इसके ऊपर बहुत शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउण्ड बता दूं.......

श्री मोहरसिंह : क्या यह अभी अध्यक्ष हैं तो कार्यवाही उनको हटाने की करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : सारे बोर्ड को ही हटाने की कार्यवाही है। जांच के बाद ही हटाया जा सकता है लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसमें काफी गड़बड़ियां हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो गबन हुए हैं वह कर्मचारियों द्वारा हुए हैं। ए. आर. ने इनको 22-2-70 को गलत कार्यवाहियों की वजह से सस्पेण्ड कर दिया था.......

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह ए. आर. साहब सही रिपोर्ट देंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि इनकी गलत कार्यवाहियों की वजह से 2[illegible]-2-70 को इन व्यक्तियों को सस्पेण्ड किया जिनमें

Page No 3

(3)

(सहकारिता मंत्री)
केवलराम और बाबूलाल थे। यह सस्पेण्ड रहे और फिर जो बोर्ड है उस बोर्ड ने बाबूलाल को 8-5-72 को और केवलराम ...-9-72 को वापिस सर्विस में ले लिया। यह काफी गम्भीर मामला है और जनरल बॉडी ने रेज्योल्यूशन पास कर दिया था कि 4-4-72 को इन व्यक्तियों को हटा दिया जाए। जनरल बॉडी में रेज्योल्यूशन के बाद भी जो संचालक मण्डल था उसने अनियमिततायें की हैं और सामने आया तो जैसा मैंने निवेदन किया कि बहुत संगीन मामला है और हम भी इसको सीरियस्ली लेते हैं और आदेश दे दिए गए हैं कि वह सख्त कार्यवाही करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने अब तक यह सारी बातें बताई हैं उससे प्रमाणित है कि यह फंक्शन करने के योग्य नहीं है तो कब तक आप इसको डिजाल्व कर देंगे ?

श्री जुझारसिंह : रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को कह दिया गया है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन लें और उनके आदेश शायद आज जारी हो जाने चाहिएं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : यह मामले गबन के कब डिटेक्ट हुए और आपकी एडवाइजरी कैपेसिटी है या इफेक्टिवली आप एक्ट भी कर सकते हैं ?

श्री जुझारसिंह : जांच तो होगी कम से कम। बिल्कुल आरबीट्रेरिली एक्शन नहीं होता है। कानून का मामला है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब आप खुद गम्भीर मामला समझते हैं तो आपके एक्ट करने की जरूरत है।

श्री जुझारसिंह : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में कोई बात हाइड करने की होती तो डिटेल तो मैंने खुद ने बताई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाइड करते तो हम बता सकते थे।

श्री मोहरसिंह : आप सीमा बांध दें।

श्री जुझारसिंह : जल्दी से जल्दी।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसी एक ही जगह नहीं है बल्कि सभी जगह ऐसी गड़बड़ियां हैं। क्या आप सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्चाधिकार समिति बनाने का विचार रखते हैं जो ऐसे मामलों को देखे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ? श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसका क्या जवाब देंगे। श्री गहलोत !

गांधी नगर स्थित सरकारी क्वार्टर्स

416. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर गांधी नगर में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सरकारी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
क्वार्टर्स बने हुए हैं, क्या सरकार द्वारा कभी उनकी मरम्मत और सफाई कराई गई है ? यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितना पैसा व्यय हुआ है ?

(2) क्या सरकार इन क्वार्टर्स को वर्षों से इसमें ही रहते आ रहे कर्मचारियों को ही इन्हें आवन्टित करने का विचार रखती है ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री हरिदेव जोशी) : (1) उपलब्ध धनराशि के अनुसार मरम्मत व सफेदी कराई जाती है।

वर्ष 1971-72 में 23,108) रु.।

वर्ष 1972-73 में 23,234) रु.।

मास दिसम्बर तक रुपया व्यय किया गया है।

(2) यह प्रश्न जी.ए.डी. से सम्बन्धित है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है निश्चित तौर से उसके अन्दर पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा 23 हजार रु. खर्च करने का प्रावधान शायद बजट में रखा होगा लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनके क्वार्टर्स के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अभी हो सकता है महिने दो महिने में दस, बीस क्वार्टर्स पर सफेदी का काम हो गया हो। लेकिन इसके पहले कोई काम नहीं हुआ। मैं स्वयं मौका देख कर आया हूं और मैं समझता हूं कि पांच साल में कोई सफेदी नहीं हुई है। हो सकता है आपके पैसे का उपयोग बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों पर हो गया हो लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर्स पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको व्यक्तिशः देखूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष मोहदय, माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग 2 में कहा है कि यह जी.ए.डी. से सम्बन्धित हैं, चूंकि मंत्री महोदय इस सदन के उपनेता भी हैं और मन्त्रिमण्डल में भी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इन क्वार्टर्स का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मालिक बनाने के बारे में जिस प्रकार से सारी जगह कार्यक्रम बना कर सरकार चल रही है क्या सरकार यहां भी सोच रही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का इन क्वार्टर्स का मालिक बना दिया जावे ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि इस विभाग को मैं डील नहीं करता हूं इसलिए यह विभाग इस बारे में क्या सोचता है यह जानकारी डे टू डे वर्किंग में नहीं आती और इस बारे में मैं ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी राज्य सरकार के सम्मुख आ चुका है और राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आश्वासन दे दिया था कि राज्य सरकार सोच रही है। अब जब कि इस विभाग से सम्बन्धित नहीं

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत) है तो मैं निवेदन करूंगा कि या तो इसको जी. ए. डी. विभाग को पुनः भेज दिया जाये.........

श्री हरिदेव जोशी : मेरी आपको सलाह है कि आप जी. ए. डी. से पूछें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न एक मन्त्री से ही संबंधित पूछें यदि दो मन्त्रियों से सम्बन्धित होता है तो वह अधूरा रह जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसको जी. ए. डी. को ट्रांसफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आधा सवाल तो ट्रांसफर कर नहीं सकते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्रिमण्डल की सम्मिलित जिम्मेदारी है, इसलिए हम ऐसे पूछ लेते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न का उत्तर देने में अलग अलग जिम्मेदारी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : दो तीन विभागों से सम्बन्धित हो तो उप मन्त्री महोदय से पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह भी सम्भव नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : मेरा निवेदन यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर हैं उनकी वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है और उन पर सफेदी तक नहीं की गई है। इधर आप गरीबों को, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान नहीं देते हैं तो क्या राज्य सरकार इनको हायर परचेज सिस्टम के आधार पर मकान देने के बारे में क्या विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : He has already replied to that.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हायर परचेज पर देने से जो वापस पैसा आवे उससे आप नए मकान बना लें इससे लोगों को मकान भी मिल सकेंगे.........

श्री अध्यक्ष : It is the same supplementary which has already been asked and he has replied to that.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हायर परचेज के बारे में क्या विचार है देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। मन्त्री महोदय का व्यक्तिगत क्या विचार है ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ भी विचार नहीं मेरा इस सब्जेक्ट पर।

(प्रश्न सं. 417)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 418

श्री राजेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 419

श्री भगराज चौधरी !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है अथोरिटी ।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास तो नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : देकर गए थे । जिस दिन गए थे देकर गए थे ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का नम्बर गलत लगा दिया गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जैसे हैं वैसा ही नम्बर मिला है ।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : इनकी सीट का नम्बर भी ऐसा ही होना चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य का भी नम्बर वही लगेगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस नम्बर की मानोपाली कर दीजिए, साहब, हमको कोई ऐतराज नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : 420 के नम्बर का निर्णय तो सदन ही करेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं चाहता हूं कि व्यवस्था अध्यक्ष द्वारा हो जाए इस नम्बर के बारे में तो यह नम्बर खत्म हो जाए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो निर्णय दे दिया कि इसका निर्णय सदन ही करेगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह कह रहे हैं कि गिरधारीलालजी नहीं तो भानुकुमारजी को कर दिया जाय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस नम्बर के बारे में श्री गोटेवालाजी और जनार्दनसिंहजी की बहुत दिलचस्पी है तो वे ही ले लें, उनकी मोनोपोली कर दी जावे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खतरनाक नम्बर है, न मालूम किस पर गिर पड़े । इसको खत्म करने से कम से कम एक जुर्म तो कम होगा ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इस नम्बर को माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव को देकर उनका सम्मान किया जाय क्योंकि ये प्रथम बार इस विधान सभा में आए हैं ।

श्री जुझारसिंह : एक·······

श्री मीठालाल : नम्बर नहीं पुकारा है साहब ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप ही कह दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : If you don't call the number, I will ask another Member to ask his question.

राज्य क्रय विक्रय सहकारी समिति, फतहनगर

420. गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल) : फोर टू जीरो । क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., फतहनगर की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
एजेन्सी के माध्यम से सन् 1971-72 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने गेहूं खरीदा ?

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों से गेहूं खरीदा गया उनसे उक्त समिति ने अलग से दलाली के नाम से प्रति बोरी 50 पैसा वसूल किया ? कृपया जिन किसानों से उक्त समिति ने अनाज खरीदा उसकी सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने किसानों से उक्त तरीके से 13,500) रुपया वसूल किया किन्तु उक्त धन राशि को रिकार्ड में जमा खर्च नहीं किया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नाजायज कार्यवाही पर तत्कालीन सहकारी इन्स्पेक्टर श्री सोमानी के ऐतराज करने पर राजनैतिक दवाब से उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ?

(5) क्या विभाग द्वारा उक्त घोटाले की कभी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाय ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने गेहूं की खरीद का कमीशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से भी वसूल किया जिस धन राशि को भी समिति के रिकार्ड में जमा नहीं किया गया ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., फतहनगर द्वारा।

(2) जी नहीं। सूची उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। खाद्य निगम से प्राप्त की गई कमीशन को राशि समिति के रिकार्ड में जमा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, यह जिस प्रकार का प्रश्न है उसी प्रकार का माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दोनों में बटवारा कर लो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस राज्य क्रय विक्रय सहकारी समिति ने फर्जी किसानों के नाम पर, जो किसान नहीं थे, उनके नाम पर गेहूं लिया और गेहूं लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया को दिया और मैंने आपसे सूची मांगी है कि जिन जिन किसानों से इस राज्य क्रय विक्रय सहकारी समिति ने 50 पैसे बोरी के हिसाब से पैसा वसूल किया है उनको सूची मिलनी चाहिए। तो वह सूची क्यों नहीं मिलती है ?

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न कुछ दिन पहले भी पूछा गया था और इसका जवाब इस हाउस में पहले भी दे चुके हैं। एक तो उन्होंने पचास पैसे प्रति बोरी के हिसाब से हमाली और दलाली ली है। इस प्रश्न के बारे में कहा है उसके

(श्री जुझारसिंह)

बारे में निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता कि उन्होंने हमाली या दलाली का कोई पैसा लिया हो। लेकिन उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है और आज भी वही रिपीट की है। दूसरा आपने सूची के बारे में कहा है और आपने सूची मांगी है। इसके जवाब में मुझे सूचना मिली है कि यह सूची वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से प्राप्त किया जा रहा है। सूची वास्तव में पिछले साल मई के महिने में जब कि यह प्रश्न पूछा गया था और यह इन्सपेक्टर, जिनके बारे में कहा है उनको किसी पोलिटिकल रीजन्स से यहां से हटा दिया गया है, तो इसका तो कोई प्रश्न नहीं है लेकिन वे स्वयं इस सूची को लेकर उस समिति से आए थे और उसके बाद सूची वापिस समिति के पास नहीं पहुंची। किस व्यक्ति ने किस को दी, एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को दे दी लेकिन वह समिति के पास नहीं पहुंची। सारा मामला इससे गम्भीर बन जाता है कि क्या समिति के द्वारा कुछ गड़बड़ की गई। इस सारे मामले की जांच डिप्टी रजिस्ट्रार, उदयपुर द्वारा कराई जा रही है। उसकी जांच रिपोर्ट आने पर आगे कुछ कहा जा सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, सूची होनी चाहिए। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने पचास पैसा प्रति बोरी के हिसाब से वसूल किया और वह भी अमाउण्ट थोड़ा नहीं है, 13,500) रु. का अमाउण्ट है, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से पैसा और लिया और जो मनमाने ढंग से किसानों से हमाली के रूप में पैसा वसूल किया उसके रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से जो पैसा लिया उसको भी दर्ज नहीं किया और आपने इन्सपेक्टर को सस्पेंड कर दिया। आप कहते हैं कि सूची मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी जांच कराई, मैं जानता हूं कि आपके पास जांच रिपोर्ट मौजूद है। मैं समझता हूं कि मन्त्रिमण्डल ने एक घोषणा की थी कि राजस्थान के अन्दर से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : What is your supplementary?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो जांच आप करवा रहे हैं उसकी जांच रिपोर्ट इस सदन में इसी सत्र में पेश हो सकेगी, या नहीं, यह आश्वासन आप देते हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है कि मनोहरलाल जी सोमानी के बारे में यह कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रज्यूडिस होकर उनका ट्रांसफर किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूची श्री मनोहरलाल जी कोठारी (सोमानी) द्वारा प्राप्त की गई और यहां पर असेम्बली प्रश्न के सिलसिले में मंगाई थी तो मनोहरलाल जी सोमानी स्वयं लेकर आए थे और जो सूची गायब हुई है यह किनकी वजह से हुई है इसकी जांच करने के बाद ही रेसपोंसिबिलिटि फिक्स अप की जा सकती

(श्री जुझारसिंह)

है। जहां तक दलाली हमाली किसानों से लेकर उनको रिकार्ड में दर्ज करने का सम्बन्ध है किसी तरह की दलाली हमाली नहीं ली है। जो उनको ऐजेन्सी के रूप में राशि प्राप्त हुई है कर्दा और ट्रान्सपोर्टेशन और वेरियस सीगे में वह समिति के खाते में जमा है। इसलिए जो प्रश्न सूची के बारे में उठाया गया है और रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने की बात है तो जांच से पाया गया और जो प्रश्न आपने उठाया है उसमें सच्चाई पाई गई तो जांच करने के बाद भी उस बारे में कुछ निवेदन कर सकूंगा।

प्रश्न सं. 421

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल कोठारी!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल आर्य!

नागानी ग्राम सेवा सहकारी समिति

422. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में नागानी ग्राम सेवा सहकारी समिति डिफॉल्टर है? यदि हां, तो किस किस सदस्य में कितनी रकम अवधिपार है और कुल कितनी रकम बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि सदस्यों में रकम अवधिपार है तो विभाग ने वसूली के लिए क्या कार्यवाही की? क्या डिमाण्ड नोटिस जारी करके कुड़की वारण्ट निकाले हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जीरावत जंगल कामदार सोसायटी जो कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बनी हुई है, का कार्य क्षेत्र क्या है? सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जीरावत जंगल कामदार सोसायटी में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अलावा भी सदस्य हैं जिनका पेशा यह नहीं है? यदि हां, तो वह कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जोधपुर निवासी श्री माधोसिंह नियमों के विरुद्ध उक्त समिति के फर्जी सदस्य बन कर सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि हैं? यदि हां, तो श्री माधोसिंह को बैंक के संचालक मंडल से हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की सहकारी समितियों से इस वर्ष सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के साधारण अधिवेशन में आने वाले अधिकतर प्रतिनिधि 3 वर्ष से अधिक समय से अपनी सोसायटी में डिफॉल्टर थे? यदि हां तो, कौन कौन किस किस सहकारी समिति से है? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कुल 42,202.95 बकाया है जिसमें 28,319.04 अवधिपार है।

(10)

(राज्य मन्त्री, सहकारिता)

(2) राजस्थान संस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिनमें से अभी तक निम्न 11 सदस्यों के विरुद्ध डिमाण्ड नोटिस व आदेश जारी कर दिये गये है।

1. श्री माला
2. श्री धूला
3. श्री रताराम
4. श्री परबतसिंह
5. श्री कालिया
6. श्री मंगलसिंह
7. श्री भोपालसिंह
8. श्री मोटा
9. श्री राबू
10. श्री हरीसिंह
11. श्री बलवन्तसिंह।

(3) जी हां। कार्य क्षेत्र ग्राम जोरावत है, सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। निम्न तीन सदस्य हैं

1. श्री अबला पुत्र माला जाति लोहार।

2. श्री मोतीलाल पुत्र श्री मंगलचन्द जैन।

3. श्री माधोसिंह पुत्र श्री सूरजसिंह राजपूत।

(5) श्री माधोसिंह समिति के रिकार्ड के अनुसार ग्राम जीरावत के निवासी हैं और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में प्रतिनिधि हैं फर्जी सदस्य बनने के सम्बन्ध में जांच कराई जाकर अधिनियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सेठमल आर्य : मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि यह जीरावल सोसायटी का कार्यक्षेत्र क्या है।

श्री जुझारसिंह : जीरावल बताया मैंने।

श्री सेठमल आर्य : कार्यक्षेत्र क्या है?

श्री जुझारसिंह : जीरावल।

श्री सेठमल आर्य : माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि माधोसिंह जी कहां के निवासी हैं ?

श्री जुझारसिंह : मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया कि उन्होंने जैसा बताया कि वे जीरावल के निवासी हैं वह मैंने आपको बताया है। आप जोधपुर का बता रहे हैं तो उनकी सूचना के अनुसार वे जीरावल के निवासी हैं।

श्री सेठमल आर्य : मतदाता सूची के अनुसार वे जोधपुर के निवासी हैं और जोधपुर में ही रहते हैं।

श्री जुझारसिंह : मैंने इतनी जांच नहीं की है। आपने प्रश्न किया है तो इसकी जांच करवा ली जायगी। जो कुछ बताया गया है इस प्रश्न के जवाब में उस हिसाब से वे जीरावल के निवासी हैं।

श्री अध्यक्ष : 423।

मांडल तहसील के सीडीयास और राजपुरा ग्रामों के कृषकों द्वारा ऋण लेने हेतु आवेदन-पत्र

423. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : क्या यह सही है कि माण्डल

((श्री विजयसिंह राठौड़)
तहसील के सीडियास और राजपुरा ग्राम के सीमान्त कृषकों ने ऋण लेने हेतु आवेदन-पत्र पस्तुत किये हैं ? उनके राजस्व खाते होते हुए भी सम्बन्धित पटवारी ने आवेदन-पत्रों पर खाता नहीं होने को तस्दीक लिखी है जिसके लिये जिलाधीश को निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : तहसील मांडल के ग्राम सीडियास व राजपुरा के काश्तकारों में से जिन काश्तकारों ने कुए गहरे करने हेतु ऋण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे उन प्रार्थियों में से जिनके नाम का खाता नहीं था उनके बारे में खाता नहीं होने की तस्दीक की गई और जिन व्यक्तियों के नाम खाते थे उनके लिए खाते में जमीन होने की तस्दीक की गई थी। अलबत्ता 6 काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, भीलवाड़ा के कार्यालय में इस आशय के प्रस्तुत हुए हैं कि पटवारियों ने प्रार्थियान के खातों में भूमि होने के उपरान्त भी यह रिपोर्ट कर दी है कि उनके नाम खाते नहीं हैं। उन छः प्रार्थना-पत्रों को तहसीलदार माण्डल, को जांच करने हेतु भेजे हैं। जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजयसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकारी कर्मचारी माननीय मन्त्री महोदयों को प्रश्नोत्तर काल मे इतना झूठ क्यों बुलवाते हैं ? मेरे खयाल से चुनावों में भी इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना यहां पर बोलते हैं। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके खाते नहीं हैं। उनके सबके खाते हैं और मेरे पास उनके खातों की नक्लें हैं और मेरे पास उनकी लिस्ट भी है जिन लोगों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें लिखा है कि पटवारी ने इन्द्राज नहीं किये हैं। मेरे गांव के पटवारी ने मेरे गांव के लोगों के खाते नहीं लिखे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स नहीं होगा फिर भी पटवारी एम. एल. ए. के कहने के उपरान्त भी यह करता है। जिनको एम. एल. ए. जानता है कि इनके खाते हैं या नहीं हैं उनके बारे में भी गलत तस्दीक करता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया है कि 6 ऐसी दरख्वास्तें आई हैं कि उनके नाम जमीनें हैं लेकिन खाते में इनके नाम पटवारी ने जमीनें नहीं दिखाई हैं। यह प्रार्थना-पत्र मिलने पर ए. डी. एम. ने दस्ती तहसीलदार को 15-20 दिन पहले वे प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि इनकी जांच करके फिर रिपोर्ट भेजो। जमीन होते हुए भी ऐसा लिखा है कि उनके नाम खातों में जमीन नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या एक्शन लेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने तहसीलदार को आदेश भेजा है वह पटवारी के पास जायेगा और पटवारी जैसा करेगा वैसा करेगा। जब एम. एल.

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
ए. कह रहे हैं तो एक्शन गुड बी टेकन एट दी गवर्नमेंट लेवल।

श्री खिम्मनसिंह भाटी (भीम): माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके गांव के रहने वाले हैं और जानते हैं कि उनके पास जमीनें हैं या नहीं फिर क्या सबूत चाहते हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी: मेरे खयाल से सब बोल रहे हैं तो किसी को कत्ल तो नहीं किया जा सकता इमीजियेटली। जवाब पूछे बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। नोटिस का जवाब तो लेंगे वैसे सिवाय चक में बहुत से कुए लगे हुए हैं तो उनको खातेदार के नाम नहीं मान सकते हैं। तो पहले जवाब ले लें। जवाब पटवारी का आने के बाद कोई कार्यवाही कर सकते हैं। पहले कैसे कर सकते हैं?

श्री विजयसिंह: यह सिवाय चक का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: मैंने नहीं कहा। पटवारी का जवाब आने दें।

श्री विजयसिंह राठौड़: 2-3 दिन हुए कलेक्टर के पास कागजात आये हैं। वापिस वहीं की वहीं कार्यवाही होने की है जो कि हम उम्मीद करते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उस पर एक्शन नहीं ले सकेंगे, यह मैं आज सदन में निवेदन कर रहा हूं। वह पटवारी इतना पावरफुल है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: ऐसी मजबूरी नहीं है कि गवर्नमेंट किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपके लिए कहा है गवर्नमेंट के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष: 424।

अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क परियोजना द्वारा रामगढ़ स्थित भवन में बिजली फिटिंग

424. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 70-71 में अधिशासी अभियन्ता सीमा सड़क परियोजना, जैसलमेर खण्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के तथा रामगढ़ में स्थित एक भवन में लगभग 30 हजार रुपये का बिजली फिटिंग का कार्य करवाया गया? यदि हां, तो इस खर्च की स्वीकृति कब ली गई?

(2) क्या इस सम्बन्ध में निविदा आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो कब और इसकी विज्ञप्ति कब प्रकाशित की गई?

(3) उपरोक्त रकम का भुगतान किस प्रकार से तथा कब किया गया?

(4) क्या यह सही है कि रामगढ़ में कोई बिजली की लाइन नहीं जाती है? यदि हां, तो यह अपव्यय क्यों किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि इस खर्च के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरि देव जोशी : (1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 8-2-71 को निविदा आमन्त्रित की गई थी तथा दिनांक 8-2-71 को ही विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

(3) कार्य का माप करवा कर 31-3-71 को भुगतान किया गया।

(4) जी हां। इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(5) अलग से प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या इस कार्य का कोई बजट में प्रोवीजन्स रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : बजट में जब किसी का वर्क ऑर्डर होता है तो अलग से इलेक्ट्रिफिकेशन ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या एक्स्ट्रा-मनी जो कान्ट्रैक्टर को दिया गया है, सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर से इसके सम्बन्ध में सेंक्शन ली गई है?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इसकी जांच की जा रही है। दरअसल में वह विलेज तो इलेक्ट्रिफाइड है ही नहीं और मैं समझता हूं कि कुछ अर्से तक वह इलेक्ट्रिफाई होने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति के अन्दर उसने उसका वायरिंग क्यों करवाया है। यह मूल प्रश्न पैदा करता है। ऐसी स्थिति में इस सारे की जांच करवा कर उसके खिलाफ में एक्शन लेने की बात सोचता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जब आस-पास बिजली है ही नहीं तो वायरिंग क्यों करवाया है?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा भी आब्जेक्शन यही है। मैंने कहा है कि गलत किया है।

श्री पी. के. चौधरी : कोई मिली भगत है।

श्री हरिदेव जोशी : Might be that I cannot say.

श्री निरंजननाथ आचार्य : आरम्भ होने और अन्त होने इसके समय की अवधि क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : 8-2-71 को आरम्भ हुआ मान लिया जाना चाहिये क्योंकि उस दिन टेन्डर मांगे हैं और 31-3-71 को उन्होंने पेमेन्ट किया है इसलिए उसको अन्त समझ लिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक प्रश्न और है। क्या इसके मुताबिक इसको पर्याप्त समझ लिया गया टेन्डर के लिए? क्या यह डीलर को दिया गया या एसोसियेशन को दिया गया?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस चीज को उतनी इम्पार्टेन्स अटेच नहीं करता हूं कि किसको दिया, क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। इसमें एक चीज तो यह है कि एक्स. ई. एन. ने यह काम हाथ में क्यों लिया जबकि उस मुकाम के ऊपर बिजली कुछ वर्षों तक आने वाली ही नहीं थी और इस तरह से राज्य सरकार का

(श्री हरिदेव जोशी)
30 हजार रुपया व्यर्थ खर्च क्यों किया ? दूसरी चीज यह है कि उसने 30 हजार रुपये के वर्क को तीन हिस्सों में बांट दिया 10-10 हजार के और उसका स्लिप्ट करके टेन्डर्स इन्वाइट किये अपनी कम्पीटेन्स में लेने के लिए, क्योंकि अगर 30 हजार का वर्क देता तो उसको अपने सीनियर ऑफिसर से सेंक्शन लेनी होती। यह दो चीजें ऐसी हैं कि जो वाकई में काफी सिरियस हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या गवर्नमेंन्ट को यह मामला पहले ही डिटेक्ट हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मुझे आपके प्रश्न से डिटेक्ट हुआ। केवल अपनी कामनसेन्स से कह रहा हूं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब आप यह बतलाते हैं कि अलग अलग तीन हिस्सों में बांटकर टेन्डर इन्वाइट करके उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया तो जानबूझ कर यह क्यों किया है तो सस्पेन्ड क्यों नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : कल मेरे पास में क्वेश्चन का रिप्लाई एप्रूव कराने के लिए आया तो सारी चीज को मैंने देखा और देखकर मैं ऐसा समझा हूं कि एक्स. ई. एन. ने ठीक एक्शन नहीं लिया, काम नहीं किया है। इसलिए मैने फाइल पर इसकी एन्क्वायरी करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 31-3-71 को आपने बताया कि काम पूरा हुआ तो क्या दो साल तक गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई मसले हैं जो कि अपने को पता लगाने हैं।

श्री अध्यक्ष : 425।

यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर की उन्नति एवं मान्यता के संबंध में कार्यवाही।

425. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के हकीम स्नातक जो उम्दतुल हुक्मा पंचवर्षीय पाठ्यक्रम उतीर्ण हैं, को विभाग के रिक्त पदों पर क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

(2) भिषगाचार्य के समान उम्दतुल हुक्मा को राज्य एवं केन्द्र को चिकित्सा अधिनियम में समानाधिकार हैं तो निदेशक आयुर्वेदिक उन्हें समान नियुक्ति एवं पदोन्नतियां क्यों नहीं दे रहे है ?

(3) क्या यूनानी कॉलेज को जो धनराशि अनुदान में दी जाती थी वह अब भी दी जाती हैं या नहीं ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर की उन्नति एवं मान्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) राजस्थान तिब्बया कॉलेज के स्नातकों को राज्य सेवा में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है ? क्या यह सही है

Page No 15

(15)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कि 12-6-72 को सहारनपुर के विद्यार्थी की हकीम पद पर नियुक्ति की गई है जब कि उसकी राजस्थान सरकार में कोई मान्यता नहीं है ? यदि हां, तो नियुक्ति क्यों दी गई ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) उम्दतुल हुक्मा राजस्थान की भिषगाचार्य समकक्ष मान्य नहीं है।

(2) उम्दतुल हुक्मा राजस्थान की भिषगाचार्य समकक्ष अभी तक मान्य नहीं होने से नियुक्ति, पदोन्नति हेतु मान्य नहीं है। रजिस्ट्रेशन हेतु अवश्य मान्य है।

(3) जी नहीं। कॉलेज व्यवस्थित नहीं होने से अनुदान बन्द कर दिया गया।

(4) कॉलेज के शैक्षणिक साधनों के अभाव तथा अव्यवस्था को देखते हुए मान्यता किस प्रकार दी जावे इस पर विचार करना होगा।

(5) यूनानी कॉलेज, जयपुर की परीक्षा राजस्थान सरकार की भिषगाचार्य समकक्ष मान्य नहीं है। नियुक्ति अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश से पंचवर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने से दी गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मान्यता के आपने कुछ आधार बना रखे हैं या आर्बीट्रेरी तौर पर आप तय करते हैं ?

श्री नारायणसिंह : मान्यता के आधार हैं। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार की आवश्यकता की चीजें होना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या आप यह बता सकते हैं कि उन आधारों के अनुसार यह इस केटेगरी में नहीं आता है कि इसको रिकगनाइज किया जाय।

श्री नारायणसिंह : केटेगरी में नहीं आने के कारण मान्यता नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं जानना चाहता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं ताकि वह नाकाबिल है और मार सके आसानी से और सहूलियत से लोगों और आप एपाइन्टमेंट के लिए उसको कम्पीटेन्ट नहीं मानते हैं। आप यह फर्क क्यों करते हैं यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय 1968-69 तक इसको मान्यता प्राप्त थी तब तक इनको अपॉइंटमेन्ट दे दिया गया। उस वक्त के जो लोग है उनको मान्यता देने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जबतक मान्यता रही तब तक तो अच्छा रहा किन्तु मान्यता विदड्रा करने का क्या कारण रहा है ? अब आप इस पर चिन्तन कर रहे हैं तो आपके उस चिन्तन के आधार पर क्या राय बनी है। क्या राज्य सरकार वापिस मान्यता देने का विचार रखती है ?

श्री नारायणसिंह : इसमें तकनीकी विशेषज्ञों के सुझाव लेने होंगे कि मान्यता का आधार क्या हो और उनको स्वीकार कर के इसमें भी संशोधन किया जाए। इसी प्रकार से यू. पी. और दूसरी जगहों पर इस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है, यह उनके अनुरूप है या नहीं है अगर नहीं है तो उनको वैसा एडवाइज करेंगे कि इसको भी इसके अनुरूप बनाने की कोशिश करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तक तथ्य आपके पास आ गये होंगे और उस पर आपका चिन्तन चल रहा होगा और उसके सन्दर्भ में आपकी राय क्या बनती है। यह बताने का कष्ट करें।

श्री नारायणसिंह : अभी तक इस पर कोई राय नहीं बनी है। वैसे मेरी इच्छा है कि मान्यता जरूर मिल जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिलमडोल चल रहा है....

श्री नारायणसिंह : इस बारे में विचार चल रहा है और मैं आपको विश्वस्त कर सकता हूँ। मान्यता का मापदण्ड, यू. पी. और दूसरी जगह पाठ्यक्रम है, उनके विषय को देखकर, उनके आधार पर एडवाइज किया जाएगा कि इस तरह से इसको करने का प्रयास करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो उनको मान्यता रही यह कितने वर्षों तक चलती रही-25 साल, 50 साल या 40 साल ?

श्री नारायणसिंह : यह अभी नहीं बता सकता हूं। परन्तु यह मान्यता 1969 तक चलती रही है। अभी तो यही मेरी जानकारी में है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था को केवल मात्र 8 हजार रुपये की सहायता मिलती है। इसको दुबारा कब तक चालू करवा देंगे। मंत्री महोदय यह बता देने की कृपा करें।

श्री नारायणसिंह : इस बात को जांच करके ही कहा जा सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस बात की जांच कब तक पूरी करली जावेगी ? जांच का समय कितना होगा ? वर्षों से यह संस्था चल रही है।

श्री नारायणसिंह : यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई !

रायपुर लूणी बांध

426. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रायपुर-लूणी बांध किस सन् में कितना खर्चा किया जाकर बनाया गया तथा इससे कितना बीघा जमीन की सिंचाई होती है? कृपया सन् 1967 से वर्ष-वार ब्यौरा बताया जावे।

(2) क्या यह सच है कि इस बांध के पानी को नजदीक के गांवों को नहीं दिया

Page No 17

(१७)

(श्री रामसिंह विश्नोई)
जाकर दर स्थिति गांव को दिया जाता है जिससें काफी पानी फालतू जाता है ?

(3) क्या यह सच है कि इस बांध के बंध जाने से इस नदी पर बसे हुए सारे गांव जहां सेवज गेहूँ, चने होते थे व इन गांवों के कुए जिनका जल स्तर ऊपर था अब उजड़ गए हैं ?

(4) राज्य सरकार को (सिचाई विभाग) क्या आपत्ति होगी यदि इस बांध का ओटा (ओवर फ्लो) कुछ नीचे करा दिया जाए ?

(5) क्या यह सच है कि इसी नदी पर इसी बांध के ऊपर बगड़ी कलालियान गांव की सरहद पर एक बांध फिर बधवाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

राज्य मंत्री, सिचाई श्री मूलचन्द : (1) रायपुर लूनी बांध सन् 1968-69 में 21,72 629 रुपये की धनराशि से बनाया गया। सन् 1968-79 से 1971-7 तक के आंकड़े इस प्रकार है:—

	नहरी काश्त	पेटा काश्त	योग
1968-69	96 एकड़	220 एकड़	31? एकड़
1969-70	?57 एकड़	210 एकड़	1067एकड़
1970-71	1082एकड़	एकड़180	1262एकड़
1971-72	1129 एकड़	145	1274 एकड़

(2) रायपुर लूनी बांध की मुख्य नहर जो 0 चेन से 240 चेन तक है कन्टूर नहर है जिससे केवल बांई ओर के गांवों के खेतों को ही पानी दिया जा सकता है। दाहिनी तरफ के गांवों को नजदीक होते हुए भी ऊंचे होने के कारण पानी देना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं बांध के बनने से आस पास के क्षेत्र के कुओं का जलस्तर ऊंचा ही होता है।

(4) इस बांध के पूर्ण भराव पर कुल आय 31650 रुपये वार्षिक होगी। ओटा नीचा कराने से उसकी केपेसिटी में कमी हो जावेगी जिसके कारण सिंचाई कम हो जाएगी व राज्य सरकार को आय कम हो जाएगी।

(5) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली तहसील के खोड व खैरवा गांवों का विद्युतीकरण

427. श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) [श्री शंकरलाल (पाली) की अनुपस्थिति में] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांव खोड़ व खैरवा के लिए विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां तो कब और कितनी लागत की ?

(2) इन गांवों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(3) अब कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्री श्री हरिदेव जोशी : (1) जी हां ग्राम खोड, खेरवा व चंगवा को

(विद्युत मंत्री)
4.175 लाख रुपये को लागत की एक ग्रुप स्कीम के रूप में 1 मई 1971 को स्वीकृत किया गया था।

(2) इस क्षेत्र में विद्युतीकरण में कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण इन गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं किया जा सका।

(3) 1973-74 में इनको विद्युत उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस वर्ष विद्युत उपलब्ध करा दी जाएगी जबकि पहले ही इनके तखमीने बन गये हैं और अब जो तखमोने होंगे उनमें अन्तर आएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : बोर्ड की।

श्री दिनेश राय डांगी : क्या बोर्ड में जनता का धन नहीं है।

श्री हरिदेवजोशी : पहले तकनीकी कारणों से प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जा सका।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि इन गांवों से दो तीन मील को दूरी पर बिजली आ गई है और पाली जिला ऐसा है जहां कि एक एक ही नहीं तीन तीन निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस के एम.एल.ए. आते रहे हैं और उन एम एल ए के गांवों को अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसा मंत्री महोदय का आदेश होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 428

सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क का निर्माण कार्य

428. श्री मोहनराज (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली क्षेत्र की सादड़ी पिंड़वाडा सड़क जो करीब 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी अभी तक अधूरी ही पड़ी है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के बनने से उदयपुर अहमदाबाद वाया आबू का रास्ता बहुत नजदीक व टूरिस्ट के लिए सुविधाजनक हो जाता है ?

(3) क्या सरकार इस अत्यन्त उपयोगी और आदिवासी इलाकों को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को प्राथमिकता देकर इस कार्य को शीघ्र पूरा कराएगी ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री हरिदेव जोशी) : (1) कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां।

(3) उपलब्ध धनराशि अनुसार कार्य प्रगति पर है।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है और दो महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने वाली है उसके बावजूद भी इसके लिए इतनी कम धनराशि को क्यों स्वीकृत किया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : फंमीन में काम हो रहा है।

श्री मोहनराज : अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो कार्य प्रारम्भ किया गया है परन्तु वहां पर जो नाले हैं उस पर कार्य नहीं कराया जा रहा है इसलिए बरसात के अन्दर यह सड़क फिर बह जाएगी।

श्री हरिदेव जोशी : अभी मैं यह सड़क देख कर आया हूं और इसके बारे में व्यवस्था करके आया हूं।

श्री दिनेश राय डागी : जिस दिन आप निकले थे इन्जीनियर ने सड़क को ठीक कर दिया था इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं आयी। अब फिर से देखिये क्या हालत है।

श्री हरिदेव जोशी : आपका अनुभव पुराना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा।

प्रश्न संख्या 429

भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जन जाति के परिवारों द्वारा कृषि भूमि पर नाजायज कब्जे

429. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने परिवारों का कितने अर्से से कितनी कितनी कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा है?

(2) इस कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के नाम रेगुलराइज क्यों नहीं कर दिया जाता जबकि गांवों की अनाधिकृत भूमि को रेगुलराइज किया जा रहा है?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 69 परिवारों का 176.00 बीघा कृषि भूमि पर 4 से लगायत 10 वर्षों से नाजायज कब्जा है?

(2) नगरपालिका की सीमा में कृषि योग्य भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नियमन करने की रोक होने से इन्हें नियमन नहीं किया जा सकता है। गांवों के लिए ऐसे नियमन में रोक नहीं है।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : कृषि योग्य भूमि पर उनका अनाधिकृत कब्जा है। काश्त के लिए उनको बाहर भूमि नहीं मिल सकती है तो क्या उनको यहीं पर रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए क्या कोई विचार रखती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : म्युनिसिपल बोर्ड की लिमिट में जो भूमि आ गई है उन पर हम नियमन नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि म्युनिसिपलिटि एरिया में आ गई है और उस पर कब्जा है तो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
क्या आप उसको नाजायज कब्जा मानते हैं। दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एरिया में जिनका ऐसा कब्जा है उनके 1971 के अन्त तक हैं उनके कब्जे को बहाल कर के दूसरी जगह जमीन दी जाएगी या रेगुलराइज किया जाएगा। आपका यह ऐलान है। तो उसके होते हुए भी आप इसको इर्रेगुलर मानते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम उनको ट्रंसपासर मानते हैं।

श्री भंवरलाल भावादा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृषि योग्य भूमि पर कब्जा है, काश्त करते हैं। उसको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमैंन्ट क्या सोचती है ? क्या उसे रेगुलराइज करने का विचार करती है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहूंगी। जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है म्युनिसिपल सीमा में होने के कारण वे इसका नियमन नहीं कर सकते हैं। यदि कृषि योग्य भूमि है, और सिवाय चक है और वह एक अनुसूचित जाति, जन जाति के कब्जे में है, तो उसको रेजीडेन्शल परपज के लिए कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने, आपने एक सक्यूंलर जारी कर रखा है कि नवम्बर, 70 या 71 तक जिसका जहां पर कब्जा है, उसको सरकार द्वारा रेगुलराइज कर दिया जाएगा। यह सरकार का निर्णय है। तो क्या यह सक्यूंलर, सरकार का निर्णय यहां पर लागू नहीं होता है। म्युनिसिपल एरिया की जो जमीन है वह सरकार की जमीन है। तो क्या वहां पर आप इस सक्यूंलर के तहत रेगुलर नहीं कर सकते हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि इस सक्यूंलर के तहत आप रेगुलराइज नहीं कर सकते तो क्या आप उस नगरपालिका को इन्स्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे। क्योंकि यह नगरपालिका के नजदीक जमीन है। सरकारी जमीन है। बोर्ड का प्रस्ताव लाकर कर सकते हैं। उन लोगों को जमीन मिलती नहीं है। म्युनिसिपल में भू-खण्ड मिलते नहीं हैं। इसलिए जो जमीन उनके पास होती है, उसी पर वह लोग कब्जा कर लेते हैं।

श्री मनोहरलाल कोठारी : जिस वक्त कब्जा किया था, उस वक्त वहां पर गांव था या गांव नहीं था। तो फिर रेगुलराइज करने का अर्थ क्या प्रश्न है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो नगरपरिषद् में नहीं था ऐसा ही गांव चकसपुरा है, उसके निवासी हैं। आपका सक्यूंलर है कि 21 अप्रेल, 71 तक जो वहां रहा हो, उनको वहीं बसा दिया जायेगा। तो अब क्या राजस्थान सरकार गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को राहत पहुंचायेगी ?

श्री अध्यक्ष . राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय यह दुर्भाग्य की स्थिति माननीय सदस्य ही पैदा करते हैं। क्योंकि यही जमीन को कार्पोरेशन में मिलाते हैं। म्युनिसिपल के बजाय कार्पोरेशन बना दिया। उसमें फिर जमीन मिला दी जाती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह किया नहीं आपने।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो यह किसानों पर भार पड़ता है। उनके मिलाने पर किसानों को फायदा नहीं होता। इन किसानों को बिजली और पानी नहीं पहुंचता है। वह म्युनिसिपलिटी से कार्पोरेशन के एरिया में मिलते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : राजस्थान में कार्पोरेशन कोई नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरा मतलब कौंसिल।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : क्या माननीय मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर नियमित करने लगेंगे तो फिर लॉ लैसनेस बढ़ने लगेगी। कुछ रह नहीं जायगा। कोई भी होगा, जमीन पर कब्जा कर लेगा। म्युनिसिपल लिमिट में आबादी के लिए बढ़ाई होगी। तो म्युनिसपल जमीन का उनको नियमन नहीं कर सकते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे कहने से जाड़ी गई है तो हमारे कहने से ही हटा दी जाये। अब नगरपरिषद् में आपको कानून का परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह तो पहले के बसे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : No speech. Supplementary question.

श्री रामचन्द्र चौधरी : 9 साल पहले से, सम्वत् 2000 से आकर बस गये हैं। अगर ऐसे ही कब्जा करते जायेंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो इसने ही बसे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : रेवेन्यू रिकार्ड में 3 साल का मिले तो आप मान लेंगे।

प्रश्न संख्या 430

श्री अध्यक्ष : अजीतसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न। श्री शंकरलाल। पंचायत मंत्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न 446 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप आवश्यक समझें तो इसको देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा ही कहा करते हैं। कौनसा है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 446 है।

श्री अध्यक्ष : शंकरलाल ।

एनीकट और शौचालय के लिए दी गई राशि

6. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विभिन्न पंचायतों को एनीकट और शौचालय के लिए अनुदान व ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम पंचायतों को दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन ग्राम पंचायतों को शौचालय और एनीकट के लिए अनुदान दिया गया वह अभी तक खर्च नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ग्राम पंचयतों में ?

(3) क्या यह सही है कि जो अनुदान की राशि एनीकट और शौचालय के लिए दी गई है वह राशि न तो किसी पोस्ट ऑफिस में जमा है न किसी बैंक में ही जमा है ? यदि हां, तो वह राशि कहां है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(2) जिन जिन पंचायतों द्वारा एनीकट व शौचालय के लिए दी गई राशि का उपयोग नहीं किया गया, उसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में दी गई है ।

(3) जिन जिन पंचायतों को राशि दी गई है वह पंचायत को रोकड़ में जमा है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय सूची में जो बताया गया है, वह बिल्कुल गलत उत्तर दिया है ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने बता ही दिया था इसके सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

जिला झालावाड़ से गांवों एवं शहरों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के मोहल्लों में विद्युत् लाइन

63. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) जिला झालावाड तहसील झालरापाटन के किन किन ग्रामों एवं शहरों में इस वर्ष (72-73) में हरिजनों व पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में विद्युत् लाइन लगाई गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या झालावाड़ व झालरापाटन नगर के सभी पिछड़े वर्गों के वार्डों में बिजली लगादी गई है जो लगाना आवश्यक था ? यदि नहीं, तो कौनसी जगह बिजली नहीं लगाई गई और वहां अब कब लगाई जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जिला झालावाड़ में तहसील झालरापाटन के जिन ग्रामों एवं शहरों में 1972-73 में हरिजनों व पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में विद्युत् लाइन लगाई गई है उनको सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। जिन वार्डों में बिजली लगादी गई है, उसकी सूची 'ब' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ठ 3 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, झालरापाटन में कस्बा बंकानी है। उसमें एक भी खम्भा नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कस्बे में 100 परिवार रहते हैं। उसमें उन्होंने बिजली की मांग की है। वहां कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा आप इसकी जांच करा लें।

श्री हरिदेव जोशी : बकानी कस्बे को इसी वर्ष काम में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

सांख्यिकीय सहायक पद पर चयनित कर्मचारी

219. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी ने 1965 की बैठक में सांख्यिकी सहायक पद पर कितने व्यक्तियों को चयनित किया? क्या डी. पी. सी. द्वारा चयनित सभी कर्मचारियों को सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी किया गया ?

(2) डी. पी. सी. द्वारा चयनित सूची में से छः को सांख्यिकी सहायकों को स्थायी घोषित कर फिर अस्थायी कैसे कर दिया ?

(3) डी. पी. सी. द्वारा चयनित कर्मचारियों की निर्धारित प्रोबेशन का समय समाप्त होने के बाद सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थायी क्यों नहीं किया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया था कि 1965 में बैठी डी. पी. सी. द्वारा चयनित सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी करने में भेद न किया जाये ?

सांख्यिकी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : डी. पी. सी. द्वारा वर्ष 1965 में सांख्यिकी सहायक पद के लिये 13 व्यक्तियों का चयन किया गया जिन में से केवल 7 को सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी किया गया है।

(2) डी. पी. सी. को सूची में जिन 13 व्यक्तियों के नाम थे उन में से केवल पहिले 7 ही स्थायी किये जा सके क्योंकि इतने ही स्थायी पद उपलब्ध थे। जो 6 व्यक्ति बचे थे उनको निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी ने बाद में 6 स्थायी सांख्यिकी सहायकों के लियन को सस्पेण्ड करके उन पदों पर स्थायी किया। चूंकि 1965 में डी. पी. सी. की सिफारिश के समय इन

Page No 24

(24)

(सांख्यिकी मंत्री)
व्यक्तियों के लिए स्थायी पद उपलब्ध नहीं थे अतः 1965 में डी. पी. सी. द्वारा इन का चयन स्थायी नियुक्ति हेतु नहीं माना जा सकता और इनका स्थायीकरण डी. पी. सी. द्वारा स्थायी पदों पर चयन के पश्चात् ही किया जा सकता है। अतः निदेशक को इन छः व्यक्तियों के स्थायी नियुक्ति के आदेश वापस लेने को कहा गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी एक और है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : (3) जैसा कि प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में बताया जा चुका है कि जिन व्यक्तियों की डी. पी. सी. स्थायी नियुक्ति के लिए चयन करती है उनको तो नियमानुसार स्थायी कर दिया जाता है। अन्य व्यक्तियों के स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सदन को मिसगाइड-करने के लिए गलत उत्तर दिया है। मेरा चौथा प्रश्न यह था, क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य सचिव ने यह निदेश दिया था कि 1965 में बैठी डी. पी. सी. द्वारा चयनित सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी करने में भेद न किया जावे। उत्तर दिया है जो नहीं।

मैं चीफ सेक्रेटरी पत्र पढ़ कर माननीय मन्त्री महोदय को सुना दूं—

"I agree with S. S. A. that deconfirmation of these 6 Statistical Assistants will not be proper.

The crucial point in the case is that these persons were selected by D. P. C. in 1965 and agreed to by the Rajasthan Public Service Commission, and one list was prepared as per rules. No distinction can be made from amongst the persons included in the same list irrespective of the nature of the vacancies. These persons therefore cannot be forced to appear again before the D. P. C."

और माननीय मन्त्री महोदय, जो पास में विराजे हुए हैं, मसूदा साहब उन्होंने इस पर लिखा है I agree to it यह सब होने के बाद यह कौनसी ताकत नियमों के विरुद्ध सरकार के पास थी जिसके तहत डाइरेक्टर के द्वारा, आर. पी. एस. सी. के द्वारा एप्रूवल प्राप्त करने के बाद डी. पी. सी. द्वारा चयनित लोगों को डीकन्फर्म कर दिया गया? क्या कोई अन्य राजस्थान सरकार के इतिहास में ऐसी घटना घटी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इनमें से 52 पद सहायक सांख्यिकी के थे.......

श्री भानुकुमार शास्त्री : पहले बताइये, चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर है और माननीय मन्त्री, जो पास में विराजे हुए हैं, ने सहमति दी— यह सही है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास सूचना है, 52 पद थे जिन पर सहायक सांख्यिकी को अपाइन्ट करना था और इनमें से 1/3 पर डाईरेक्ट रिक्रूटमेंट के थे, बाकी पद प्रमोशन से भरने थे.... ...

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेडा) : दो तिहाई डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के थे और 1/2 प्रमोशन के थे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1965 में डी. पी. सी. की पहली बार बैठक हुई और सारे के सारे पद एक में ले लिये, जब कि दो लिस्ट बननी चाहिए थीं, एक कन्फर्म्ड की लिस्ट, दूसरी काम करने की टेम्प्रेरी। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बना दी, जो आदमी 1965 से डाइरेक्ट पी. एस. सी. से रिक्रूट हो चुके थे वह कन्फर्म थे, उनकी एक सूची बना दी गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 13 लोग चयनित किये गये, आर. पी. एस. सी. से एप्रूव्ड थे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आर. पी एस. सी. से इस मायने में एप्रूव्ड थे, डी. पी. सी. बैठी, उसने उनको प्रमोशन दिया। जो पोस्ट डी. पी. के अख्तियार की होती है, पी. एस. सी. के अख्तियार की होती है और डी. पी. सी. की प्रोसीडिंग्स वह देते हैं और पी. एस सी वह एप्रूव कर देती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : डी. पी. सी. की प्रोसीडिंग्स में यह उल्लेख है, जो बात आप कह रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह कायदा है, नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक प्रश्न मेरा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक मिनिट में मैं कह दूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप कह दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्होंने एक लिस्ट बनाने के बजाय एक बना दी, पी. एस. सी. ऐप्रूव्ड, सलेक्टेड केन्डीडेट सात पहले हैं, 8 से 14 जो हैं वह डी. पी. सी. से हुए, वह थे बाकी पोस्ट हुई प्रमोशन की, इन्हें लीयन के बगैर कन्फर्म कर दिया था, इसलिए उनको डी-कन्फर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा निवेदन है, यह सात एप्रूव्ड थे, ऐसा न होकर 13 लोग चयनित थे डी. पी. सी. के और आर. पी. एस. सी. से एप्रूव्ड कराये, उनको रखा है और छः को कन्फर्म किया है, यह अलग रखे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो पत्र पढ़ कर सुनाया, चीफ सेक्रेटरी का उसको एडमिट करते हैं क्या? क्या मिनिस्टर के आदेश को एडमिट करते हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह पत्र मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो सूचना आई है वह दे रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारा मामला पत्र के संदर्भ में उठता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सारी पत्रावली लेकर आप जवाब दीजिए। आपने कहा वह इसलिए गलत है कि सात आर. पी. एस. सी. से एप्रुव्ड थे वह नहीं हैं, 13 व्यक्तियों की एक सूची है वह डी. पी. सी. द्वारा चयनित है, उनके द्वारा एप्रुव्ड होने के बाद, सारे व्यक्तियों को कन्फर्म करने के बाद गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी ने, ब्यूरोक्रेटस ने, अपनी किसी व्यक्ति में इन्ट्रेस्टेड होने के कारण बाकी छः की लिस्ट थी, उनको डी-कन्फर्म कर दिया, जब कि सेक्रेटरी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के आदेश हैं कि नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, डी. पी. सी. से चयनित हो जाने के बाद में अधिकार दिया गया है कि डाइरेक्टर कन्फर्म या डीकन्फर्म कर दे। डाइरेक्टर आथोराइज्ड है, डाइरेक्टर की सारी पावर को लांघ कर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के आदेश को लांघ कर, मन्त्री महोदय के आदेश को लांघ कर डीकन्फर्म कर दिया, यह गलत है। मैं मांग करूंगा कि डी-कन्फर्म करने के आदेश को केंसिल कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन कर दिया, यह रूल्स के खिलाफ है, डी. पी. सी. की मीटिंग हुई उसमें 1/3 होते हैं प्रमोशन से और 2/3 डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से, डाईरेक्ट रिक्रूटमेंट की जगह न रख कर जितनी पोस्ट थीं उनको एक पोस्ट मान कर लिस्ट बना दी। वह दो लिस्ट होनी चाहिये थी, एक तो स्थाई, जिन पर स्थाई कर सकते हैं और दूसरी अस्थाई, जो एडहोक बेसिस पर जगह खाली हो जायें तो उनको रख दें। दो लिस्ट बननी चाहिएं, लेकिन एक बना दी, बिल्कुल गलत वह हुई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बात गलत है, एक ही लिस्ट है, लियन की पोस्ट थी, लियन की पोस्ट के अगेन्स्ट इन सब लोगों का चयन किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक प्रश्न मैं पूछना चहता हूं एक ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक पूछिये, दो पूछिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो नहीं। लम्बा भी नहीं पूछूंगा।

सस्पेन्डेड लियन खत्म होने के बाद डी-कन्फर्म किया गया, यह कहा है तो किसका सस्पेन्डेड लियन था जिससे इनको हटाना पड़ा, पांच पांच साल पद पर रहने के बाद 1967 में..........

श्री भानुकुमार शास्त्री : 1965 में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 1965 में अपाइन्टमेंट हुआ और 1970 में डी-कन्फर्म किया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले निवेदन किया, जो आदमी फर्स्ट सेविन अपाइन्ट हुए हैं वह पी. एस. सी. से डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में सलेक्ट हुए थे, उनको किया, बाकी पोस्ट.....

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसा नहीं है, 13 व्यक्ति एक साथ चयनित हुए, यह सात व्यक्तियों की बात कहते हैं, यह अलग नहीं हैं।

Page No 27

(27)

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं इसे री-एक्जामिन करा लूंगा, अब तक पोजिशन, मैंने जो बतायी, वह है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! एक प्रश्न और हो जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कागजात इनके पास पूरे नहीं हैं. चीफ सेक्रेटरी का पत्र नहीं है। इसलिए इसको पोस्टपोन करा कर कागजात ला कर उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनके पास कागज नहीं है........

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जवाब क्या, कागजात नहीं हैं। आप स्थगित करवायें और चीफ सेक्रेटरी का पत्र और दूसरे कागजात ला कर उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि

243 श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रेश प्रोग्राम योजना के लिये केन्द्र द्वारा दी गई राशि का राज्य सरकार ने समुचित उपयोग नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों तथा कितनी राशि केन्द्र द्वारा दी गई थी और उसमें से कितनी खर्च हुई और कितनी बाकी रही ?

(2) जिन अधिकारियों के कारण उक्त राशि का उपयोग नहीं हुआ क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

(3) यदि नहीं तो क्यों ?

(4) उक्त रोजगार योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कितनी राशि किन किन तहसीलों में खर्च की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

उत्तर

(1) जी नहीं। इस वर्ष सन् 72-73 के लिए 3.25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई उसमें से 31 जनवरी, 1973 तक 253.99 लाख खर्च किया जा चुका है शेष राशि का उपयोग हो जायगा।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) तालिका सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मीठालाल : तालिका तो प्राप्त नहीं हुई।

Page No 28

(२८)

(श्री मीठालाल)

केन्द्रीय मंत्री शेरसिंह का स्टेटमैंट 8 फरवरी की राजस्थान पत्रिका में छपा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत साल स्टेटमैंट था कि गत साल क्रेश प्रोग्राम की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और इस साल भी राशि खर्च नहीं हो पा रही है। मेरा निवेदन है जो राशि जिन जिन जिलों में अलॉट की है, उन जिलों में उस राशि का पूरा उपयोग नहीं कर सकें तो जिन जिलों में आवंटित राशि का पूरा उपयोग कर लिया है उसको ट्रान्सफर कर दें, एक महीने की बात है, जिन जिलों में उपयोग हो चुका है उनमें यह हस्तान्तरित कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे प्रोफेसर शेरसिंह के स्टेटमैंट का इल्म नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इस वर्ष एक करोड़ रुपये ज्यादा मांगे थे, उसके बदले हमें कुछ रुपया मिलेगा। 3 करोड़ 25 लाख रुपये से निश्चित रूप से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इसी प्रकार जयपुर के बारे में पूछा है, तो जयपुर को 24.25 लाख कैसे मिले, दूसरों से काट कर ही मिले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि क्या अलवर जिले से आपने 3 लाख रुपये ट्रान्सफर किये हैं, जबकि अलवर जिले में अभी काम चल रहा है और पेमेन्ट पेंडिंग है लेबर का, जो लेबर इस वक्त काम कर रहा है। आपने रुपया ट्रान्सफर कर लिया, 16 फरवरी के बाद वहां लेबर लगी हुई है, उस लेबर का पेमेन्ट नहीं हुआ है और काम बन्द पड़े हैं क्योंकि मनी ट्रान्सफर कर दिया। कलेक्टर का कहना था कि वहां पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आपने बिना पूछे ट्रान्सफर कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न।

श्री मीठालाल : माननीय मंत्री जी ने बताया कि जयपुर में किया है.......

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-73)

गांधी शताब्दी वर्ष में (पंचायत समिति वाइज) ग्रामों का चुनाव

264. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में दो दो ग्राम हर पंचायत समिति पर चुने गए थे ? यदि हां, तो चूरू जिले में कौन कौन सी पंचायत समिति से दो दो ग्राम चुने गए थे? कृपया पंचायत समिति वाइज ग्रामों के नाम बताने का कष्ट करें।

(2) इन दो दो चुने गए ग्रामों में पूर्व में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध थी और गांधी शताब्दी वर्ष पर उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गई और अब तक कितनी सुविधाएं देनी बाकी रही है या पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ?

(3) बाकी सुविधाएं कब तक उन ग्रामों को उपलब्ध करा दी जावेंगी ?

विकास मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) गांधी शताब्दी के संदर्भ में गांवों का चयन नहीं किया गया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 446 का हमें पता लगा है कि पोस्टपोन हो गया है! कृपया मंत्री महोदय से पूछ लें, कब उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बता दीजिये, कब उत्तर देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 446, चौधरी साहब।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 446 की क्वेश्चन है, उसके बारे में, उसके बारे में? आप ही से संबंध है प्रश्न का, उसका उत्तर कब देंगे?

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं आया।

श्री मोठालाल : 446, राजस्थान में काश्त योग्य कितनी भूमि है ?

श्री अध्यक्ष : मालूम नहीं है, उत्तर कहां से देंगे। आगे आ जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह स्थगित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब भिजवा दिजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्थगित कर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमें सूचना है कि पोस्टपोन कर दिया है, सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष : इसका रिप्लाई आपके पास भिजवा देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस अधिवेशन में इसका उत्तर देंगे क्या? इसके लिये मंत्री महोदय आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष : अभी तो उसका प्रश्न ही नहीं लिया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भू-राजस्व पर अधिक भार की राशी

417. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भू-राजस्व पर जो अधिक भार की राशि ली जाती है उसे अकाल वर्ष में माफ करना का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

भू-राजस्व की वसूली के स्थगित रहने के साथ सरचार्ज की वसूली भी स्थगित रहती है परन्तु भू-राजस्व की वसूली माफ किये जाने पर सरचार्ज की वसूली माफ नहीं की जाती।

Page No 30

(30)

आयुर्वेदाचार्य व भिषगाचार्य वैद्य

418. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में आयुर्वेदाचार्य व भिषगाचार्य वैद्य कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के द्वारा वैद्यों की नियुक्ति के लिए भिषगाचार्यों को आयुर्वेदाचार्यों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या इसके मुताल्लिक वैद्यों का रिप्रजेन्टेशन सरकार के पास आया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) आयुर्वेदाचार्य (राजस्थान विश्वविद्यालय) तथा भिषगाचार्य (राजस्थान) की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला विकास अधिकारी जालौर द्वारा दिया गया ठेका

419. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री श्यामसुन्दर भटनागर तत्कालीन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जालौर ने दिनांक 4-5-72 एवं 12-5-72 को 39 पैसे प्रति बोरी व 9 पैसे प्रति बोरी प्रति किलोमीटर की दर से सी. एस. एम. ठेके की मन्जूरी मन चाहे व्यक्ति को दी थी जिसमें 3,300 रुपयों का भुगतान तुरन्त कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश को इस मामले की जानकारी मिलने पर यह ठेका पुन: नीलाम किया गया और पूर्व के उसी ठेकेदार ने केवल 18 पैसे व डेढ़ पैसा प्रति बोरी किलोमीटर की दर से वही ठेका लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री भटनागर ने उक्त ठेके की नीलामी के लिए समाचार पत्रों एवं गजट में किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी ? यदि हां, तो श्री भटनागर द्वारा उक्त तरीके से अवैध कार्यवाही करने पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कब तक कर दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

सिरोही जिले में बांध का निर्माण कार्य

421. श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि इस वर्ष सिरोही जिले में राज्य सरकार कोई बांध के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

जी नहीं।

जिला टौंक की बहुद्देशीय सहकारी समितियों के हिसाब की जांच

430. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला टौंक में किन किन बहुद्देशीय सहकारी समितियों के हिसाब की जांच हो चुकी है ? किस किस समिति पर कितना कितना बकाया रहा तथा बकाया राशि वसूल क्यों नहीं हो रही है ?

(2) तहसील टौंक में सहकारी समिति मेहदवास पर कृषि विभाग की खाद की कितनी रकम बाकी है और उसका कौन देनदार है तथा वसूली क्यों नहीं हो रही है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु समाज सेवी संस्थायें

191. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुल कितने कुष्ठ रोगी है ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त रोग के निवारण के लिए राज्य सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

(3) कुष्ठ रोगियों की सेवा में कितनी समाज सेवी संस्थायें कहां कहां कार्य कर रही हैं ?

(4) उक्त संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से गत पांच सालों में क्या आर्थिक मदद पहुंचाई गई है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) कुष्ठ रोग निवारण हेतु राजस्थान में दो चिकित्सालय क्रमश: जयपुर व जोधपुर में कार्यरत है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ रोग के निवारण हेतु निम्नांकित 25 कुष्ठ रोग सर्वे-

(चिकित्सा एवं स्वास्थय मंत्री)
क्षण शिक्षा एवं निवारण केन्द्र स्थापित कार्य है:—

क्रमांक	नाम	जिला
1.	मानपुर कलां	जयपुर
2.	बनार	जोधपुर
3.	पोकरण	जैसलमेर
4.	देह	नागौर
5.	खिनवासर	नागौर
6.	श्रीनगर	अजमेर
7.	नीम का थाना	सीकर
8.	सलवारा	बांसवाड़ा
9.	मालाखेड़ा	अलवर
10.	तिजारा	अलवर
11.	सेवर	भरतपुर
12.	तालेरा	बूंदी
13.	बरवादा	चित्तौड़गढ़
14.	राजाखेड़ा	धौलपुर
15.	पुन्जपुर	डूंगरपुर
16.	असनावर	झालावाड़
17.	सूरजगढ़	झुन्झुनू
18.	कैथून	कोटा
19.	मथानिया	जोधपुर
20.	खैरवा	पाली
21.	खन्डवा	चूरू
22.	फागी	जयपुर
23.	जसवन्तगढ़	नागौर
24.	नोखा	बीकानेर
25.	भगवतगढ़	करौली

(3) जानकारी नहीं है।

(4) इस विभाग द्वारा इस कार्य के लिए किसी संस्था को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

ट्रैक्टरों पर लगाये गये टैक्सों की वसूली

192. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ट्रैक्टरों पर लगाये गये टैक्स के कारण जो टैक्स पिछले वर्ष वसूल नहीं हो सका उस पर जुर्माने के रूप में कितनी रकम वसूल की जा चुकी है ?

(2) जिला गंगानगर में जुर्माने की कितनी राशि वसूल हुई है ?

(3) क्या यह सच है कि आज से पहले ऐसा बढ़ाया हुआ टैक्स बकाया के रूप में वसूल होता रहा है और उस पर कभी कोई जुर्माना वसूल नहीं हुआ ?

(4) क्या राज्य सरकार इस जुर्माने की राशि को किसानों को वापिस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वसूल की गई पेनेल्टी की कुल रकम 31,064-46 पैसे है।

(2) जिला गंगानगर में पैनेल्टी की राशि 8,958-20 पैसे वसूल हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। यह कानूनी प्रावधान है।

Page No 33

(33)

देवगढ़ पंचायत समिति का कृषि फार्म

193. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की देवगढ़ पंचायत समिति के पास कुल कितने बीघे के कृषि फार्म किस स्थान पर है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देवगढ़ के कृषि फार्म को कुछ व्यक्तियों को बेच दिया गया है या अलॉट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जिनके नाम अलाॅट किया गया या बेचा गया वे व्यक्ति भी भूमिहीन या अनुसूचित जाति के थे ?

(3) क्या यह कृषि फार्म जिलाधीश, उदयपुर की स्वीकृति से बेचा या अलॉट किया गया था ?

(4) क्या पंचायत समिति, देवगढ़ जिलाधीश, उदयपुर की स्वीकृति लिये बिना अपने कृषि फार्म को बेच सकती थी या अलॉट कर सकती थी ?

(5) क्या पंचायत समिति ने अपने कृषि फार्म को बेचते समय व अलॉट करते समय नियमानुसार सारी कार्यवाहियां पूरी कर ली थीं ?

उत्तर

(1) देवगढ़ पंचायत समिति का एक सौ बीघा भूमि का कृषि फार्म गांव कलालों की भाती में है।

(2) जी नहीं। कृषि फार्म न तो बेचा गया है न किसी को आवंटित किया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जयपुर-आगरा रोड स्थित ग्राम मोहनपुरा के डाक बंगले की भूमि

194. श्री जयकिशनलाल सोसावड़ा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-आगरा रोड पर 26 किलोमीटर पर ग्राम मोहनपुरा के ठीक उत्तर की ओर डाक बंगला बना हुआ है ?

(2) इस डाक बंगले के अन्तर्गत कितनी बीघा जमीन है तथा वह किस विभाग के अन्तर्गत आती है ? क्या इस भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकार नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि इस डाक बंगले के अहाते में जो भूमि है उसको किराये पर दी जाती रही है ? यदि हां, तो सूची निम्न तालिका में प्रस्तुत की जाय:—

किराये पर दिये गये व्यक्तियों का नाम व पता	अवधि जिसके लिए किराये पर दी	किराये की कीमत	किराये पर देने वाले विभाग का नाम

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(4) क्या इसभूमि तथा डाक बंगले को सरकार किसी एक विभाग के नाम पर करने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डाक बंगले के अन्तर्गत 23।) 2 गैर मुमकिन जमीन है। यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। पंचायत समिति बस्सी का अनाधिकृत अधिकार है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि किराये पर नहीं दी गई है।

(4) भूमि तथा डाक बंगला सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है।

कालन्द्री पंचायत की भूमि का बेचान

195. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की कालन्द्री पंचायत में कोई सरपंच नहीं है ? यदि हां, तो श्री भीमराज खण्डेलवाल ने किस अधिकार से गांव की मूल्यवान भूमि नाम मात्र के मूल्य में अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम लिख फर्जी पट्टे बना दिये हैं ? क्या इसको रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ? गत वर्ष किस किस नाम से कितनी कितनी किस किस कीमत पर भूमि बेची गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील के मण्डार गांव में वर्तमान कार्यवाहक सरपंच श्री चुन्नीलाल चौधरी को सिरोही मुन्सिफ न्यायालय द्वारा सजा हो गई थी ? यदि हां, तो वार्ड मेम्बरों द्वारा बार बार जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी दोषी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद् सिरोही में उपप्रमुख का चुनाव आठ वर्ष बीतने के पश्चात् भी आज तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां। कालन्द्री पंचायत के सरपंच का एवं उप सरपंच का स्वर्गवास हो जाने से वहां सरपंच व उप सरपंच नहीं है। श्री भीमराज पंचायत का पंच है और पंचायत के पंचों की अनुमति से पंचायत की बैठकों की राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 21 (6) के अन्तर्गत अध्यक्षता कर सकता है। श्री भीमराज के विरुद्ध शिकायत जिलाधीश को प्राप्त हुई थी और उन्होंने विकास अधिकारी सिरोही को जांच के आदेश दिये हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि शिकायत सही पाई जायेगी तो जिलाधीश अनियमित रूप से किये गये भूमि विक्रय को रद्द करने के लिए कार्यवाही करेंगे। भूमि जो विक्रय की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है।

(2) जिलाधीश, सिरोही को शिकायत प्राप्त होने पर पब्लिक प्रोसीक्यूटर से

(पंचायत मंत्री)

जिलाधीश ने सम्मति मांगी है कि जिन जुर्मों में श्री चुन्नीलाल को न्यायालय ने दण्डित किया है क्या वे जुर्म नैतिक पतन युक्त से सम्बद्ध है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर के उत्तर के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। उप प्रमुख का निर्वाचन नहीं हुआ है। समय समय पर विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हो सका है और इसमें किसी का दोष नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नांवा तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

196. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नांवा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि नांवा तहसील के कई ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है? अगर हां, तो उनको बिजली लाईन क्यों नहीं दी जा रही है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों की जनता द्वारा सहायक अधिशासी अभियन्ता मकराना के कार्यालय में विद्युत् कनेक्शन देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं? यदि हां, तो वे कितने दिनों से पेंडिंग पड़े हैं तथा क्यों व अब कब तक उक्त ग्रामों को बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे? पूर्व विवरण ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। नांवा तहसील के 27 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है और 24 गांवों में कनेक्शन भी दिये जा चुके हैं। ग्राम बीजापुरा में जिसका विद्युतिकरण 1966 में किया गया था एक भी कनेक्शन नहीं है और न ही कोई प्रार्थना-पत्र पेंडिग है। चारणवास व लूनवा का विद्युतिकरण अभी हाल ही (दिसम्बर 72 व जनवरी 73) में हुआ है। चारणवास में केवल एक प्रार्थना-पत्र आया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इन ग्रामों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न ग्रामों में पेंडिग प्रार्थना-पत्रों की गिनती संलग्न सूची 'अ' में दी गई है। इन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत करने के लिये कुचामन सिटी में 33/11 के. वी. ट्रान्सफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। अस्वीकृत गांवों में कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जिला बूंदी की सड़कें

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में अब तक कहां से कहां तक और कितनी सड़कें डामर की बनाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि इस जिले की समस्त डामर की सड़कें खराब होकर गढ्ढे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी कब कब रिपेयर करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि तालेड़ा से बून्दी रोड-लाखेरी लवान-बून्दी रोड सड़कों के टेण्डर दिये गये थे ? यदि, हां, तो कब किस किस के नाम और क्या मियाद के अन्दर कार्य पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उन ठेकेदारों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार केशवराय पाटन सहकारी मिल को गन्ना पहुंचाने के लिये सड़क बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कें कब तक बनवाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' प्रस्तुत है।

(2) सडकों के कुछ मीलों की दशा अच्छी नहीं है। उपलब्ध धन राशि अनुसार साधारण मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है।

(3) जी हां, सूची प्रस्तुत है।

(4) केशोराय पाटन तालेड़ा रोड के सुधार की स्वीकृती दी गई है। स्टेट प्लान में कोई नवीन रोड़ स्वीकृत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में विद्युतिकरण

198. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले 2 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के मौहल्लों में विद्युतिकरण हेतु कितना बजट रक्खा गया तथा उस बजट में से कितना व्यय किया गया ? जिलेवार व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के मोहल्लों मे वर्ष 1970-71 में विद्युतिकरण पर 945,738 रुपये खर्च किये गये ? वर्ष 1971-72 में इस पर 22,49,298 रुपये व्यय किये गये। जिलेवार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1970-71 वर्ष में समाज कल्याण विभाग में 2,25,000 रुपये उपलब्ध कराये थे। वर्ष 1971-72 में अपने बजट में किये गये 25,00,000 के प्रावधान से उपरोक्त धन राशि व्यय की।

सिवाय चक व सीलिंग से प्राप्त भूमि

199. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी सिवाय चक भूमि है ? हर तहसील वार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

Page No 37

(37)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(2) हर तहसील में सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी कितनी जमीन मिलेगी ? तहसील वार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) सिवाय चक व सीलिंग से मिलने वाली भूमि कब तक भूमिहीनों में अलॉट कर दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

जिला कोटा में पटवारियों की नियुक्तियां

200. श्री रामचरण (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश कोटा ने सन् 1971-72 व 1972-73 में कितने पटवारियों की नियुक्ति की ? कृपया नाम, तिथि तथा जाति दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें :

(2) क्या उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार लिया गया ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

उत्तर

(1) इस जिले में वर्ष 71-72 व 72-73 में क्रमशः 15 व 12 कुल 27 पटवारियों की नियुक्ति की गई है। सूची संलग्न है।

(2) हां। वर्ष 71-72 में 4 व 72-73 में 4 कुल 8 व्यक्तियों को लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

उदयपुर-निम्बाहेड़ा स्थित कसाई कुइंया की आराजी भूमि

201. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निम्बाहेड़ा में उदयपुर-निम्बाहेड़ा रोड़ पर निम्बाहेड़ा से दो माइल दूर कसाई की कुइया नाम कोई आराजी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कुइया के सम्बन्धित आराजी 78 बीघा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि टोंक स्टेट के समय नवाब टोंक ने 35 बीघा आराजी मुआफी की दी थी, वह इसी 78 बीघा में शरीक है ?

(4) क्या इसके सम्बन्ध में श्री गुलाम रसूल, श्री इब्राहीम, श्री बूंदू मनीता आदि में मुकदमें बाजी चल रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि मुआफी जप्त होने पर सरकार ने आराजी मुतालिका की मुआवजा तय किया ?

(6) क्या यह सही है कि मुआवजे की रकम में से एक हिस्सा श्री गुलाम रसूल को चुका दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। आराजी किता 30 रकबा 90 बीघा 18 बिस्वा है।

(राजस्वमंत्री)

(5) जमाबन्दी सेंटिलमेन्ट में उपरोक्त 90 बीघा 18 बिस्वा भूमि का ब्योरा निम्नप्रकार है:-

(1) 47 बीघा 19 बिस्वा माफी चाकराना थी।

(2) 5 बीघा 1 बिस्वा माफी शागनिक थी।

(3) 37 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी भी है।

यह माफी किसने कब अता की इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) मुकदमें बाजी की बाबत कोई जानकारी नहीं है ?

(5) जी हां, माफी दिनांक 1-7-58 को रिज्यूम हुई। जिसका दावा सं. 2228 तरतीब पाकर रुपये 1775-79 मुआवजा एवं रुपये 346-52 नेहरू अवार्ड तय हुआ।

(6) उक्त दावा संबंधी मुआवजा व नेहरू अवार्ड की रकम श्री नत्थन खां पिसर दिलदार खां के वारिस श्री गुलाम रसूल पिसर अब्दुल्ला को क्रमशः दिनांक 27-3-68 व 27-12-68 को चुकायी गई। व श्री नत्थन खां के वारिस गुलाम रसूल को इसलिये इस माफी का मुआवजा चुकाया गया कि श्री नत्थन खां का काम माफीदार की हैसियत से सेटिलमैंट रेकार्ड में दर्ज था और रेवेन्यू बोर्ड से मातमी संबंधी निर्णय दिनांक 23-3-67 के अनुसार श्री गुलाम रसूल श्री नत्थन खां के वारिस होने से उन्हें मुआवजा आदि की रकम चुकाई गई।

दौसा क्षेत्र में सिंचाई कार्य

202 श्री मूलचन्द सामरिया(दौसा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता, दौसा के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से गांव व तहसीलें आती है?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने सिंचाई कार्य चल रहे हैं? तहसीलदार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत बरसात के मौसम में उक्त अभियन्ता द्वारा अपने क्षेत्र में कितने स्थानों पर पानी रोकने के लिए कितना कितना कार्य किस किस बांध पर करवाया गया? कितने कितने मजदूरों ने कितने कितने रोज कार्य किया? अलग अलग बांध को सूचना पृथक से सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) उक्त बांधों पर कितना कितना मैटेरियल बरसात का पानी रोकने के लिए काम में लिया गया और उस पर कुल कितनी राशि खर्च हुई? बांध वाइज खर्चे को सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त कार्यों में आये सामान खरीद नियमानुसार की गई? कितना सामान काम आया, कितना स्टाक में पड़ा है उसका क्या किया गया तथा सीमैन्ट के खाली कट्टे कहां गए।

(6) मस्टरोल नियमानुसार रखे गए व उनके अनुसार कितने रूपये खर्च हुए? नकल सदन की मेज पर रखें।

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(1) सूचि "क" संलग्न हैं।

(2) सूची "ख" संलग्न है।

(3) सूची "ग" संलग्न है।

(4) उपरोक्त बांधों पर 1825 खाली कट्टे व 530 खाली बोरियां काम में लाई गई जिन पर 2 143-53 का खर्चा हुआ। बांध वार सूची 'घ" संलग्न है।

(5) जी हां, 1825 खाली कट्टे व 530 खाली बोरियां काम में आई। बाकी 1175 खाली कट्टे व 5 खाली बोरियां स्टोर में है।

(6) जी हां, कुल 44677/- रूपये खर्च हुए।

(कृपया परिशिष्ठ 11 देखिये)

राजस्थान नहर व गंगनहर क्षेत्र में आबपाशी

203 **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर, गंगनहर और भाखरा नहर क्षेत्र पर 1970-71, 1971-72 एवं 1972-73 में कितनी आबपाशी हुई कितना रकबा पुखता हुआ और कितनी सिंचाई दर वसूल हुई ? नहरवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

तहसील पदमपुर में कोटवाल की माफी की भूमी का अलाटमेन्ट

204. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 420 आर. बी. तहसील; पदमपुर जिला, गंगानगर में कोटवाल को माफी की भूमि किसको व किस आधार पर अलाट की गई है और वर्तमान में यह किसके कब्जे में है ?

(2) उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री अलॉट होने के कितने समय बाद की गई और आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) चक 42 आर. बी. में कोटवाल को माफी की भूमि जरनैलसिंह वल्द संतापसिंह को गंग कैनाल भूमि आवंटन नियमों के तहत आवंटित की गई। वर्तमान में भक्तराम वल्द अमरचन्द काश्त करता है।

(2) 6 माह बाद। रेकार्ड बन्दोबस्त विभाग के पास होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। अब राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 व 14 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:

(1) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने झाडोल तहसील में सिंचाई अधिकारियों द्वारा खेतों में बोये हुई गेहूँ को पानी पिलाने से इन्कार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री निरन्जन नाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा, ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 35 अभियन्ताओं की व्यास परियोजना में प्रति नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा 27 मार्च से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अनाज के थोक व्यापारियों द्वारा अनाज के राष्ट्रीयकरण की नीति के विरूद्ध हड़ताल करने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्व श्री सुरेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र कुमार भारतीय और श्री श्रीराम गोटेवाला सदस्य विधान सभा ने कोटा महाराव श्री भीमसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि को कुछ सहकारी समितियों को बेच देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक 1-3-73 को दी थी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री सदन में कल दिनांक 13-3-73 को एक वक्तव्य देंगे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूँ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : किस मामले पर ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने आचार्य जी के स्थगन प्रस्ताव पर सदन में व्यवस्था दी थी कि गलियाकोट के कांड के बारे में सरकार स्टेटमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम प्रश्न है। वहां पर अभी भी टेन्शन बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसका क्या अभी ही प्रश्न उठाना है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिये। वहां पर बहुत टेन्शन है। वहां पर पुलिस का घेरा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जल्दी ही उत्तर देंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वहां पर इतना भयंकर कांड हुआ है जैसा कि पाकिस्तान ने बंगला देश के साथ भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आपकी हो तो तामील कर रहा हूं। उनसे कह रहा हूं कि जल्दी जवाब दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में सारे हिन्दुस्तान के बड़े अनाज के थोक व्यापारियों ने इकट्ठा होकर रिजोल्युशन पास किया है कि 21 मार्च को सभी हड़ताल रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज अनाज के बारे में थोक व्यापार के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई जा रही है, तब बड़े थोक व्यापारियों की तरफ से उसको सबोटेज करने, उसका विरोध करने पर तुले हुए हैं। वह किसानों को गलत और भ्रामिक बातें बता कर भड़काना चाहते हैं। खुदरा व्यापारी, जिन पर कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनसे भी गलत बातें कह कर भ्रम में डाला जा रहा है। और आम जनता को खुले तौर से कहा जा रहा है कि अभी तो सरकार से केवल दो किलो अनाज ही मिला है, और अगर सरकार ने थोक व्यापार हाथ में ले लिया तो तुम लोग मारे मारे फिरोगे। उन लोगों के पीछे कुछ ऐसी भी पार्टीज हैं जो राष्ट्रीय नीति का विरोध करना चाहती हैं। तो उन्होंने जो इस तरह का रिजोल्यूशन पास किया है, जो राजनीति से प्रेरित है, और जो लोग देश की राष्ट्रीय नीति के साथ राजनीति खेल रहे हैं, उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि जो पार्टीज थोक व्यापार सरकार के हाथ में लेने का समर्थन कर रही हैं, उनको समर्थन नहीं देना चाहिये और उनको वोट नहीं देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे व्यापारी, जिनका अनाज के थोक व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं, वह भी इस हड़ताल में शामिल हों।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी मैं चार-पांच रोज देहातों में से निकला हूं। वहां पर उपभोक्ता जनता इस बात का स्वागत करती है। उनका कहना है कि थोक व्यापारियों ने उनको हमेशा लूटा है, पिछले साल 24 रुपये मन गेहूं लेकर 60 रुपये बेचा है। वह सरकार के थोक व्यापार हाथ में लेने का स्वागत करते हैं, लेकिन इस भ्रामक प्रचार का असर उन पर भी पड़ रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई कि वह किस तरह का इन्तजाम करेंगे, गेहूं के पैसे कैसे दिये जायेंगे, उपभोक्ताओं को किस भाव से मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे निवेदन करना है कि इस तरह लोगों में संदेह पैदा हो रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जो थोक व्यापारी इस राष्ट्रीय नीति को सेबोटेज करने का प्रयत्न कर रहा है, वह राष्ट्र घातक नीति अपना रहा है। सरकार को कानून बना कर भी ऐसी राष्ट्र विरोधी नीति का प्रचार करने वालों को दंडित करना चाहिये, अगर जरूरी हो, तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अन्दर भी उन लोगों को डिटेन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में सरकार जल्द कल ही उत्तर दे ताकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कोई काउन्टर ऐक्शन लिया जा सके और इस तरह की राष्ट्र विरोधी नीति को मौका नहीं मिले।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने एक और स्थगन प्रस्ताव राजस्थान शिक्षक संघ के 27 मार्च से इनडेफीनेट स्ट्राइक पर जाने के बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष : उस पर जानकारी चाही गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बारे में मेरा निवेदन है कि बच्चों के इम्तहान होने वाले हैं। उन्होंने यह तय किया है कि हम परीक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने पिकेटिंग भी किया था और 22 मांगें रखी थीं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनका कोई हल नहीं निकाला, कोई उचित जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें आगे का कदम उठाना पड़ रहा है। यहां पर पहले भी प्रश्न आया था और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जिसमें टीचर्स को हड़ताल पर जाना पड़े और बच्चों का शिक्षण खराब हो, उसके पहले सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिये। क्यों नहीं सरकार उनसे बातचीत करके हल निकाले? उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जावे। शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मैं निवेदन करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। उस दिन चेम्बर में सभी विरोधी दलों के नेता मौजूद थे और वहां पर यह तय हुआ था कि स्थगन प्रस्ताव पर कोई भाषण नहीं होगा। उसके बावजूद भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय नेता इतना लम्बा भाषण दें तो अनुचित है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था पेय जल व्यवस्था के बारे में। यह समस्या विषम, विपरीत और विकट है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसमें भी मुझे दिलचस्पी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें, उसमें भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो केवल एक तोहफा, जो जनता से मिला है, वह पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ संकेत करना चाहता हूँ। मैं इस पर आपकी व्यवस्था नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से राज्य सरकार को संकेत मात्र करना चाहता हूं कि आज जयपुर में किस तरह से पेय जल में कीड़े पड़ रहे हैं। ये कीड़े ऐसे हैं जो कि भूख से नहीं मरने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आ गया है। जानकारी चाही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मैं तो सिर्फ यह संकेत मात्र करना चाहता हूँ कि पानी कितना दूषित हो गया है जयपुर का। और इसमें इस तरह से कीड़े पैदा हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सफेद कीड़े हैं जो कि मैं सदन की पटल पर रखना चाहता हूँ। मै आपके साथ साथ माननीय सदस्यों को दिखाने हेतु सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कहां से आया है यह।

Page No 43

(43)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जयपुर के दूषित पानी में से आया है। यह भूख से नहीं मरने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा क्या बात है। आप विराजिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है। मेरे पास आने पर देख लूंगा। मैं कार्यवाही कर लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिर्फ संकेत मात्र है। यही पर्याप्त है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा और आचार्य जी का एक ही के बारे में स्थगन-प्रस्ताव रखा हुआ है।

(एक साथ तीन चार सदस्य बोलने पर अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में भी इस तरह से मैंने इस सदन की मेज पर कोको कोला और गोल्ड स्पॉट की बोतलें रखी थीं जिसमें कीड़े थे। पर खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय कि इस दूषित पेय जल के बारे में कोई कार्यवाही अभी तक राज्य सरकार द्वारा उसे साफ करने की नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, अब गरमी का मौसम आ गया है और फिर इसी प्रकार जो जयपुर में पानी आता है उसमें नल जगह जगह पर टूट गये हैं और उसमें लीकेज होता है जिससे जो गटर में मल मूत्र वगैहरा बहता है उसमें से कीड़े वगैरह इस पानी में सम्मिलित हो जाते हैं तथा साथ में जो गटर में मल मूत्र होता है वह भी इसमें शामिल हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज इस दूषित पेयजल की वजह से राज्य सरकार की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज जयपुर की जनता को मल मूत्र और यह कीड़े वगैरह पीने में आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यह मेरे निर्णय के विरुद्ध बोल रहे हैं। बेकार ही डिसकस कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर में जयपुर की जनता के अलावा राजस्थान के 184 माननीय सदस्य भी रह रहे हैं और पानी में इस प्रकार कीड़े आ रहे हैं। इसके पीने से माननीय सदस्यों को नुकसान होगा इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार एक चौपड़ पर वाटर टैन्क है उस पर एक महीने में साढ़े तीन हजार रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन फिर भी आज उसमें भी पानी·······

श्री अध्यक्ष : आपको मुझे बताने की क्या जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो आपने स्थगन प्रस्ताव रखा है उसका एडवान्टेज क्या हुआ जब आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव श्री रामानन्द जी ने रखा है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं आप विरोध प्रगट करना चाहते हैं या समर्थन करना चाहते हैं। आप जो करना चाहें करें लेकिन वह भी समय आने पर करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनके निवेदन करने का समय तो समाप्त हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर राज्य सरकार अनाज का व्यापार हाथ में लेना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह खुले रूप में व्यापारियों से कम्पीटीशन करे। अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीराम गोटेवाला, श्री मोठालाल, व श्री भार्गव के एक साथ बोलने पर अश्रव्य

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक को बोलने दें ताकि सुनायी तो दे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं करे। मेरा निवेदन है कि अब भी समय है राज्य सरकार को चाहिये कि इस पर पुनः विचार करे। राज्य सरकार को चाहिये कि बाजार में अनाज के खुले व्यापारी की हैसियत से आये।

श्री अध्यक्ष : After this it need not be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने एक व्यवस्था दे दी है फिर भी माननीय सदस्य श्री भार्गव साहब बोल रहे हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य....

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से इस ध्यान आकर्षण पर शासकीय वक्तव्य मन्त्री महोदय, द्वारा साढ़े तीन बजे दिया जायेगा

अनुदान की मांगें
मांग सं. 16, 17, 18
व 38 की प्रस्तुती

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है अनुदानों की मांगों पर कांग्रेस विधायक कटौती प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मांगें ही पेश नहीं हुई कटौती प्रस्ताव की बात कहां से आगयी।

श्री चिकित्सा मन्त्री !

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के संबन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(चिकित्सा मन्त्री)
14,31,03,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,29,75,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद !

श्री चन्दनमल बैद : (जन स्वास्थ्य मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30, जन स्वास्थय के संबंध मे 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 14,70,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94, जनस्वास्थ्य सुधार पर पून्जी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,48,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग सं. 16, 17, 18 एवं 38 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव(हवामहल, जयपुर):

1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की उचित देख रेख के अभाव व असंतुलित आहार पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी क्षय एवं कुष्ट चिकित्सालयों में बेंडेजेज की कमी व प्रशासनिक दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में होम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक भेषजशालाओं व रसायनशालाओं में आधुनिक उपकरण उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद में रिसर्च के अभाव पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैद्यों की वेतनमान डॉक्टरों के समकक्ष किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के जनाना अस्पताल में जांच के उपकरणों के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के जनाना अस्पताल में पैथोलोजिकल लेब्रोरेटरी के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के जनाना अस्पताल की प्रशासनिक दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उचित पर्यवेक्षण के नहीं होने से पेयजल की उपलब्धि के लिये उचित प्रेशर के अभाव पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के सुपरवीजन के अभाव में पेयजल के स्टोरेजों की समय पर सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अनुपात में प्रसूतिगृह व शिशु कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अनुपात में पेयजल की उपलब्धि के लिये पुरानी पाइप लाइनों को बड़ी पाइप लाइनों में परिवर्तित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का अनुसंधान कर उनको स्वास्थ्य के लिये उपयोगी बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन अनिवार्यत: लागू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

19. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं से हस्तांतरित जलप्रदाय योजनाओं की अक्षमता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

20. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा, मलसीसर, महूपासर, झुन्झुनू, राजकीय चिकित्सालयों में दवा की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूड़ी, अजीतगढ़, जिला झुन्झुनू में राजकीय चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपमा कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की ग्राम अलसीसर की राजकीय डिस्पेन्सरी में दवाओं के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के 3000 सी. ए. एस. डॉक्टरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रेज्यूएट डॉक्टर्स एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डॉक्टर्स को समान स्तर पर रखने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में डॉक्टरों की तरक्की के लिए डी. पी. सी. के निर्णयों पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पोस्ट ग्रेज्यूएट डॉक्टर्स को सीधी नियुक्ति के समय उचित स्थान नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पोस्ट ग्रेज्यूएट डॉक्टर्स में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डी. एम. एण्ड एच. ओ.) का कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम

(श्री रामनारायण चौधरी)
टाँई जिला, झुंझुनू के लिए जल प्रदाय योजना स्वीकार करने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नुआ जिला, झुंझुनू की वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत ग्राम हेतमसर, भारु को शामिल कर इन गांवों के लिए वाटर सप्लाई चालू कराने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम महणसर, जिला झुंझुनू के लिए पाइप वाटर सप्लाए स्कीम बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू के खारे पानी के गांवों के लिए क्षेत्रीय जलयोजना लागू करने पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले के मण्डावरा तहसील, उदयपुर वाटी में जल योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा के लिये)

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

35. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलमगरा तहसील के बड़े गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

36. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्ष 29- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन आयुर्वेदिक औषधालय न खोलने पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए- परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अनुपात में प्रसूति तथा कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये)

श्री अमृतलाल गलोहत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

39. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साधनों के अभाव से जोधपुर नगर के महात्मा

(श्री अमृतलाल गहलोत)
गांधी एवं उम्मेद अस्पतालों में फैली हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर व बीकानेर डिवीजनों के अस्पतालों की तुलना में जोधपुर डिवीजन के अस्पतालों में जन संख्या के अनुपात में 50% कम रोगी शैय्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस से अस्पतालों में फैली हुई अव्यवस्था की चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एन. मैडिकल कॉलेज, जोधपुर, के 1000 रोगी शैय्याओं के टीचिंग हॉस्पीटल को चालू करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एन. मैडिकज कॉलेज, जोधपुर को इंडियन मैडिकल कौंसिल द्वारा रिकगनाइज न होने से छात्रों को हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नलों की कमी से जल प्रदाय योजनाओं के ठप्प होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के मेन्स के इम्प्रूवमेन्ट व अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में पानी के नलों के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

46. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के खारे पानी वाले गांवों में मीठे पेय जल की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

48. मांग सख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के कार्यों में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के अभाव से मनुष्यों की

(श्री लूणाराम)
गिरती हुई दशा के सुधार पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

50. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (आयुर्वेदिक प्रणाली को अधिक प्रोत्साहन देने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

51. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली बांगड़ अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रमणशील सर्जिकल यूनिटों में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (खाने पीने की वस्तुओं के मिलावट को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

54. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर में जल प्रदाय योजना की सुव्यवस्था कराने व नल संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में गति लाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं की क्रियान्विति शीघ्र करने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के अकालग्रस्त गांवों में आवश्यकतानुसार जवाई से पीने का पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

59. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम कर दिये जायें (परिवार नियोजन कार्यक्रम में फिजूल खर्ची को बन्द करने की मितव्ययता)।

60. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पाली में संचेती परिवार के

Page No 51

(51)

(श्री शंकरलाल पाली)
दानदाताओं द्वारा प्रसूतिगृह बनाने की योजना शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

61. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की नियुक्ति करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में 1000) रुपये कम कर दिये जायें (ग्रामीण जल योजना में मितव्ययता बरतने के बारे में मितव्ययता)।

63. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए- परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में 1000) रुपये कम कर दिये जायें (परिवार नियोजन के प्रचार में फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में मितव्ययता)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) :

64. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुनेल, जिला झालावाड़) चिकित्सालय में ट्रेंड नर्स न होने के कारण उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा, जिला झालावाड़ में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के भवन का कार्य विभाग की शिथिलता के कारण पूरा न होने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पिड़ावा, जिला झालावाड़ में दूसरे डॉक्टर की खाली जगह में लेडी डॉक्टर भेजने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायपुर ग्राम, जिला झालावाड़ में नल योजना का कार्य पूरा न होने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा ग्राम, जिला झालावाड़ में नल योजना का कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

69. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन के चिकित्सालय में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।)

70. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ के चिकित्सालय में अव्यवस्था एवं रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार न होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में गत वर्ष में डॉक्टरों के तबादले होना व हाथोहाथ कैंसिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईमरी हैल्थ सेन्टर असनावर (जिला झालावाड़) के भवन का कार्य विभागीय शिथिलता के कारण पूरा न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय शिथिलता के कारण प्राईमरी हैल्थ सेन्टर बकानी (जिला झालावाड़) के भवन का कार्य शुरू न होने की चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के वार्डों में नये पानी के कनेक्शन न दिये जाने को चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ व झालरापाटन शहर में पानी के नलों में समय पर पानी पूरा न आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असनावर व बकानी प्राईमरी हैल्थ सेन्टर (जिला झालावाड़) पर परिवार नियोजन के डॉक्टर भेजने की चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर चीतलवाना डिस्पेन्सरी में समुचित दवाओं की व्यवस्था करने की चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; सांचोर, पंचायत समिति, सांचोर में एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम लागू करने में सरकार की उदासीनता को चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मैडीकल इंचार्ज डॉक्टर को इंचार्ज न बनाने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खारे पानी वाले गांवों में पीने का मीठे पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील की पीने के पानी की क्षेत्रीय नल योजनाओं को शीघ्र पूरा कर पानी सप्लाई शुरू कराने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाव-गुडाहेमा क्षेत्रीय जल योजना के तहत भादुओं की ढाणी में पीने के पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में ग्राम डूंडवा, डावल, सांगड़वा व पालडीसोल कि जान में जल योजना द्वारा पीने के पानी की योजना स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में गादोली, गोलासण, भड़वल, अचलपुर, छजारा आदि गांव में पीने के पानी की योजना स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाडेचा क्षेत्रीय जल योजना को शीघ्र पूरा करवाया जाकर पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड़, सरनाऊ, पूर वगैरह ग्रामों की क्षेत्रीय जल योजना के तहत सेड़िया ग्राम (बास मेदादा) में पीने के पानी को टंकी बना कर पानी सप्लाई करने की व्यवस्था कराने की चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर ग्राम पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना के तहत वांणियों के वास एवं रेवारियों के गोरलिया में पीने के पानी की व्यवस्था करने को चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के नेपड़ क्षेत्र में पीने के मीठे पानी की स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन का पूरा स्टाफ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

91. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन कार्य-क्रम के तहत टारगेट्स पूरा करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिए लेडी डॉक्टर की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुराने अनुभवी डॉक्टर्स को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वाटर वर्क्स को मेनटेन करने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

95. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले के पंचायत समिति, जसवंतपुरा एवं रानी वाड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं का कतई अभाव होने के बारे में चर्चा हेतु)।

96. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में पेय जल का भयंकर अभाव होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास):

97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास सवाई माधोपुर की डिस्पेंसरी की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामन-वास तहसील में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर न होने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामन वास, सवाई माधोपुर की वाटर सप्लाई गर्मी के मौसम में पानी के अभाव में बन्द हो जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री फारूक हसन (सवाई माधोपुर):

100. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधो-पुर हॉस्पिटल में पूर्ण स्टाफ न होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री फारुक हसन)

101. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आलनपुर, नगर सवाई माधोपुर की पेय जल योजना को शीघ्र चालू कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

102. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी टाइम में मौजूद नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय औषधालय में दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक ढिलाई से अस्पतालों की बिगड़ती हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पेयजल के भीषण संकट का निराकरण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अनुपात में प्रसूति तथा कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के प्रचार एवं प्रसार का उचित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरीय जल योजनाओं को उचित रूप से कार्यरूप नहीं देने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री फारुक हसन)

112. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औजार और संयत्र के क्रम में होने वाले घोटालों के कारण स्थान स्थान पर मेन्त के खराब हो जाने व फट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवर्तित स्थापना पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलोत्सारण योजनाओं को व्यापक बनाने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जल योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) :

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी टाइम में मौजूद नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय औषधालय में दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक ढिलाई से अस्पतालों की बिगड़ती हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

120. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के चिकित्सालयों में समय पर दवाइयां नहीं पहुँचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन एवं कापरेन, लाखेरी के चिकित्सालयों में जनसंख्या के अनुपात से दवाइयां नहीं भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री नन्दलाल बैरवा)

रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अस्पतालों में समय पर मेडिसन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी शहर में संक्रामक रोगों की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन के नाम से धन के दुरुपयोग होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवरायपाटन के परिवार नियोजन केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

126. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मुंडारा व ग्राम सेवाड़ी में डॉक्टरों की नियुक्ति न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादड़ी व बाली में रोगियों की संख्या देखते हुए प्रत्येक स्थान पर दो डॉक्टरों की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकृत न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय बाली (जिला पाली) व सादड़ी, फालना, बेड़ा व चामुंडेरी व मुंडारा की जलप्रदाय योजनाओं के बाद भी पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों की अभी तक स्थापना न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

131. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा के चिकित्सालय को सी. श्रेणी से बी. श्रेणी में करने हेतु चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्रान्तर्गत भालता ग्राम के अस्प-

(श्री भैरूलाल)

ताले को बी. श्रेणी में कर भालता ही कायम रखने हेतु की चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) की नल योजना का निर्माण कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु की चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा मनोहरथाना की पेयजल नल योजना में टैंक दूसरे स्थान पर निर्मित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वाथ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्र के ग्राम सरड़ा में पेयजल नल योजना को कार्यरूप में परिणित न किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

136. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(मेडीकल कॉलेज, बीकानेर में पेडोएट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स रेडियोलोजी व एनासथेसिया में स्नातकोत्तर कक्षाऐं प्रारंभ करने पर चर्चा हेतु)।

137. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय लूणकरणसर क्षेत्र में खारे पानी की विषम समस्या होते हुए कोई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन उपकेन्द्र, केला, मोटोलाई, जैतपुर, सतासर व जयमल सर में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) :

139. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा से जनता को जितना लाभ प्राप्त होना चाहिये उतना लाभ प्राप्त न होने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने के पानी की जो कठिनाइयां गर्मी के दिनों में खासतौर पर और दिनों में आमतौर पर होती है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

141. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डॉक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पानों की जो कठिनाइयां हैं उन पर चर्चा के लिये।

143. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

144. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर की अमृतकौर हास्पिटल को 'बी' श्रेणी की हास्पिटल बनाने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री बी. डी. बागला अस्पताल, चूरू में दवाइयां व पट्टी की कमी पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल, चूरू में मैकेनिक, बागवान तथा अन्य स्टाफ की कमी, रोशनी व्यवस्था के अभाव, सामान की चोरी पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ के लिये आवास का प्रबन्ध करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री हेडराज भरतिया अस्पताल, चूरू में दवाइयों व पट्टियों की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल, चूरू में एक्सरे मशीन द्वारा फोटो उतारने की व्यवस्था न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल, चूरू में शैय्याओं तथा ई सी. जी. मशीन तथा उपकरणों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

152. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर शहर के सरकारी अस्पताल को 'अ' ग्रेड में न करने पर सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के योग अनुसंधान केन्द्र के कार्य को अधिक गतिशील करने पर सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के हरसोरा व हमीरपुर कस्बों के वाटर वर्क्स को बिजली की व्यवस्था कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (अलवर जिले की बहरोड़ पंचायत समिति के स्वास्थ्य केन्द्र (पी. एच. सी.) के सब सेन्टर गूंनी व बूढ़वराज में 6 साल से खोलने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए- परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग के कार्य को गतिशील करने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता रामगढ़) :

157. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने तथा वर्तमान औषधालयों में दवाओं की कमी पर चर्चा के लिए)।

श्री करणसिंह (डीग) :

158. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (सरकारी चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन एवं अन्य सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्टों का अभाव पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

159. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (धौलपुर शहर अस्पताल को 'बी' ग्रेड में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (धौलपुर शहर में जल संकट को दूर करने के लिए शीघ्र जलप्रदाय योजना को पूरा कराए जाने के बाबत चर्चा के लिए)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

161. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (छबड़ा कस्बे में जनता द्वारा निर्मित जच्चा खाने में अभी तक स्टाफ की नियुक्ति न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में

(श्री जगमोहनसिंह)
से 100) रुपया कम दिया जाय (छबड़ा कस्बों की पेय जल योजना जो दोष पूर्ण बनाई गई है, उस पर चर्चा के लिए)

163. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैपला, तहसील छबड़ा के भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

164 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (रतनगढ़ तहसील के ग्रामों में बीमारी के समय बरती गई विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिए) ।

165. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

166. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (बाड़मेर राजकीय अस्पताल में रोगियों की व्यवस्थित तरीके से इलाज नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

167. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (बाड़मेर जिले के प्राइमरी हैल्थ केन्द्रों पर माकूल दवाइयों की व्यवस्था न होने के कारण जिले की ग्रामीण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए) ।

168. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (नींबला नल कूप से जायड्र ग्राम तक जल प्रदाय योजना, जिसमें निम्नलिखित ग्राम लाभान्वित होते हैं, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कभी सर्वे कर तैयार की हुई है परन्तु स्वीकृति करने में देरी न होने पर निम्नलिखित ग्रामीण जनता में असंतोष उत्पन्न होने के विषय पर चर्चा के लिए) ।

(1) सोनड़ी, बैसाला, आगोर, सुरा, कनोड़ा, करावा, नांद, दुधाबैरो, सोखर, मलवा एवं जायड्र) ।

169. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए बाड़मेर को जल संकट की समस्या को हल करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजना बनाई गई है उसे स्वीकृत करने में विलम्ब करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

170. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (भीमड़ा नल कूप (नया खुदवा कर) से नौसर ग्राम तक जल प्रदाय योजना जिससे नरसाली नाड़ी (कोलू), बावतू, चिमनजी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

काहेमजी का तला, माटासर तला (बावतू भोपजी), भोजासर, नोसर, सेवनियाला आदि ग्रामों में पानी पहुँचाने की योजना को अभी तक जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे करने में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

171 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (अस्पतालों में चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की अकुशलता पर चर्चा के लिए) ।

172. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग से से 100) रुपया कम दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन पर चिकित्सा की अपर्याप्त, अव्यवस्था एवं स्टाफ की अकुशलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) :

173. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर से स्थित एस. एम. एस. अस्पताल में चिकित्सा की लापरवाही से बिगड़ रही स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

174. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कार्यकुशलता में कमी पर चर्चा के लिए) ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

175. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद रसायन शालाओं द्वारा खरीदी गई औषधियों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

176. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

177. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा ग्राम मिलोदिया, खनवाड़ी, कलाव खुर्द, गुमानपुरा, जैतपुरा, आदि में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री विजयसिंह (मांडल) :

178. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (वृद्ध, कुंवारे एवम् निःसंतान आदमियों की नसबन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16, 17, 18 व 38 पर विचार

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व में माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध मे गत वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर से आकर्षित करना चाहूंगा । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह रूप में प्रस्तुत की जावेंगी। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक माननीय सदस्य को 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा सकेगा। इस हेतु पहली घन्टी बजते ही माननीय सदस्य अपना भाषण यथाशीघ्र समाप्त करने की कृपा करें। जैसा कि पहले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जांय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ ही समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता, या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे, अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय, द्वारा उसी दिन दिये जावेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा । जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों का लिखित उत्तर मिल जाय ऐसा मेरा निवेदन है ।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को तीन घन्टे का समय दिया जायेगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा । अन्य दलों के लिये समय निम्न प्रकार होगा :—

स्वतन्त्र दल	चालीस मिनिट
जनसंघ दल	पैंतीस मिनिट
साम्यवादी दल	बीस मिनिट
संसोपा दल	बीस मिनिट
संगठन कांग्रेस	दस मिनिट
निर्दलीय	पांच से दस मिनिट प्रति वक्ता।

यह जब तक डिमान्ड्स चलेंगी तब तक के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस दल के लोगों ने जब राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका भी समर्थन किया, इसके बाद वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट रखा उसका भी स्वागत किया तो उसके पश्चात् उनको कटौती प्रस्ताव रखने की क्या जरूरत आ गयी है । उन्होंने तो पहले उसका समर्थन कर दिया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपको सूचना कहां से आयी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यही है कि इस पर सिर्फ विरोधी पक्ष वालों को बोलने दिया जाना चाहिये ताकि वे जो भी समय मिले उसका विरोधी पक्ष वाले सदुपयोग कर सकें ।

श्री शंकरलाल : ये आप कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा तो यही निवेदन है कि वे कोई भी बात सरकार के विरोध मे नहीं कह सकते है क्योंकि उन्होंने सभी का समर्थन किया है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठे हों या खड़े हों इनके लिये कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि कांग्रेस दल को स्थगन प्रस्ताव पर, कटौती प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह अभी से कटौती प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, मैं यह भार्गव साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह कौनसे नियम से यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होने इसको जोरो ग्रावर समझ रखा है

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो कि दिन में दो दो, चार चार विभाग ले लिये गये हैं उनकी मांगों पर विचार हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। चिकित्सा और आयुर्वेद और इसके साथ साथ जन स्वास्थय विभाग को ले लिया है। एक ही विभाग पर काफी बातें कहने को हैं इस प्रकार तो हम कुछ कह ही नहीं सकेंगे। यह तो एक प्रकार से ठीक नहीं है कि जल्दी जल्दी मांगे पास करा ली जांय। लेकिन एक प्रकार से मैं पूछता हूं कि कटौती प्रस्ताव पहले देने का अर्थ क्या निकला चार इम्पोटेन्ट विभाग को एक साथ लेना और फिर टाइम में भी कटौती कर देना इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य बोल ही न सकें और घंटी बजे और बैठ जांय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 145 ने समर्थन किया है। अपोजिशन को फिर क्यों टाइम दिया गया ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक एक मांग रखने से....

(दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आसन ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सारी मांगों को रख कर ही पास करा दें। अच्छी बात तो यह होगी कि एक एक विभाग लिया जाय और सब को एक साथ न लिया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : चलो यह बात तो ठीक है।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य को रूल्स ऑफ बिजनिस का ज्ञान नहीं है। आपके नेता हैं वे बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं। उनके सामने कौन 2 से डिपार्टमेन्ट किस किस तारीख को लेने चाहियें यह निश्चय हुआ था। आपको इस

(श्री खेतसिह)
पर बोलना नहीं चाहिये था। जितने कटौती प्रस्ताव हैं उनके अनुसार समय का बंटवारा हो गया है। माननीय सदस्य गिरधारीलालजी भार्गव का एक कटौती प्रस्ताव है और बाकी सब हमारे दल के माननीय सदस्यों के हैं।

श्री अध्यक्ष : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे, आपत्ति उठायी। पहला मुद्दा यह है अथवा पहली आपत्ति उनकी यह है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनको कटौती प्रस्ताव नहीं भेजने चाहियें और भेजे गये हों तो उन पर वाद विवाद अथवा उनको मूव करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान हमारे यहां के जो बिजनिस रूल्स हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बिजनिस रूल्स में यह कहीं नहीं उल्लेखित है कि कांग्रेस वाले कटौती प्रस्ताव रख सकेंगे या नहीं। हर एक माननीय सदस्य को, चाहे वह किसी दल के हों, गवर्नमेन्ट की नीति के सम्बन्ध में कोई कट मोशन मूव करना चाहें और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अतः नियमों के विरुद्ध उनकी यह आपत्ति होने से मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

नम्बर दो, उनकी आपत्ति यह है कि चार डिमान्ड्स आज रखी गयी हैं और वे सब एक साथ नहीं रखी जानी चाहिये थीं। एक एक डिमान्ड एक एक दिन के लिये रखी जानी चाहिये थी जिससे कि ज्यादा बोलने का समय मिल सके। उसके लिये भी नियम हैं कि यह डिमान्ड कौन रखता है और कौन समय इसके लिये फिक्स करता है। यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अन्तर्गत निहित है। पहले वर्षों की डिमान्ड्स को देख कर वह नियत करती है कि अगले वर्ष कौन कौन सी डिमान्डस् ली जावेंगी और कब कब ली जावेंगी और किस 2 आर्डर में ली जावेंगी। उसी के अनुसार प्राथमिकता रखी जाती है। यह बिजनिस एडवाईजरी कमेटी में जाती है और वहां पर सब ही माननीय सदस्य जो अभी निर्धारित की गयी हैं, उस पर सहमत थे। यह कभी सम्भव नहीं है कि एक दिन में एक ही डिमान्ड को लेकर पास किया जाय और समय पर बजट को पास कर दिया जाय। इस के अनुसार तो बजट 30 मार्च को पास ही नहीं हो सकता। इसलिये उनकी यह आपत्ति भी नियमानुकूल नहीं होने से स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मांगें जिस आर्डर में फिक्स की गई हैं उसी रूप में सरकुलेट की गयी हैं और उन पर उसी रूप में वाद विवाद होगा और उनको लिया जावेगा। जैसा सचेतक साहब का कहना था कि समय का विभाजन किया गया है उस दृष्टि से किया है और उन्होंने यही कहा है, कांग्रेस वालों के ज्यादा कटौती के प्रस्ताव हैं और विपक्ष की ओर से सिर्फ एक माननीय सदस्य का कटौती प्रस्ताव है जो विपक्ष की ओर से आया है। समय का विभाजन जो किया है और मैंने जो व्यवस्था दी है वह 29 तारीख तक के लिये है। जब तक कटौती प्रस्ताव होंगे तब तक के लिये है। कभी उनके कम हों और कभी आपके ज्यादा हों। समय उसी अनुसार ही विभाजित होगा।

एक माननीय सदस्य : वह हमें मंजूर है।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे मंजूर नहीं है। जो समय की व्यवस्था दी गई है उसी के अनुसार बोलेंगे। कटमोशन्स को रखने का और बोलने का जो रिवाज है उसी के अनुसार रखा है। कटमोशन नहीं है और न बोलना चाहें तो नहीं बोला जाय ऐसा नहीं है, लीगली कोई डिफिकल्टी नहीं है, वह बोल सकते हैं। लेकिन आम रिवाज यही है कि जो कट मोशन रखते हैं वे ही बोलते हैं वैसे कट मोशन्स इतने अधिक होते हैं कि मूव करने वालों का भी नम्बर नहीं आ पाता है। फिर भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नियमों में ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते। बोल तो सकते हैं आमतौर पर प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है जिनके कट मोशन्स हैं। इसलिये भी यह प्रोसीजर रखा है कि कट मोशन्स मूव समझे जावेंगे ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अपना कट मोशन मूव करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि माननीय सदस्य के आग्रह पर जबाब भेज दिया जावेगा कट मोशन्स का। कट मोशन न लिये जा सकें समयाभाव के कारण तो स्वतः ही सरकार की ओर से उनका उत्तर भेज दिया जाय। आग्रह का सवाल नहीं होना चाहिये। पहले भी यही तरीका था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को अपने कट मोशन्स पर बहस करने का अवसर न मिले तो सरकारी पक्ष से माननीय सदस्यों को उत्तर भिजवा दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन....

श्री अध्यक्ष : आप मूव नहीं करना चाहें और नहीं बोलना चाहें तो....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बोलना चाहता हूं इतना ही निवेदन है कि पहले चिकित्सा पर विचार हो जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर वही रखा है जो मैंने कहा है। सन् 52 से आज तक यही प्रथा रही है। पार्लियामेन्ट में भी यही है। यहां कोई नयी नहीं है। आप चूंकि नये हैं इसलिये इससे अनभिज्ञ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक एक दिन में एक एक डिमान्ड होती....

श्री अध्यक्ष : मैं कहना नहीं चाहता था। गये साल की डिमान्ड हैं उनको देख लीजिये। इससे पहले साल की भी देख लीजिये। उससे पहले साल की भी देख लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सबसे पहले चिकित्सा विभाग पर बोलूंगा और इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जयपुर शहर में केवल एक ही होस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल। सदन में यह कहा गया था और आश्वासन भी दिया गया था कि जयपुर शहर की जनसंख्या के मुकाबले में सवाई मानसिंह अस्पताल अपर्याप्त है और जयपुर शहर में सवाई मानसिंह होस्पिटल के पास ही में 13 लाख रुपया सेठ सिंहानिया ने दे रखा है जनाना अस्पताल के लिये भवन बनाने के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिये और मौजूदा जो जनाना अस्पताल है उसको डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल बनाने का है।

आज सवाई मानसिंह अस्पताल में ईथर, जो बेहोशी लाने के लिये काम में लायी जाती है, वह नहीं है। ओक्सिजन गैस अस्पताल में नहीं मिलती और ओक्सिजन गेस के न मिलने से डॉक्टर्स को ओपरेशन करने पड़ते है वह भी कई दिन तक सस्पेन्ड रखने पड़ते है मेटिरियल भी वहां नहीं मिलता। पट्टिया नहीं मिलती, एक्सरे की फिल्म नहीं मिलती। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा लाइट अलकोहल, जो ब्लड को साफ करने के काम में आता है वह भी नहीं मिलता। सोडियम सल्फेट इ.एस.आर., जो ब्लड के लिये काम में आता है वह नहीं मिलता। एन्टी रेबिक ट्रीटमेन्ट नहीं मिलता है। एक्सरे की भी एक ही मशीन है।

12.30 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी एक्स-रे मशीन बीकानेर में पड़ी है। दोनों खराब पड़ी हैं बरसों से पड़ी है। इसके कारण वहां को स्ट्रेंग्थ कम हो गई। लोगों को परेशानी है सो तो है हो। किडनी की मशीन भूतपूर्व मन्त्री नन्दवानाजी के लिये लाई गई थी, एक्सपर्ट डाक्टर भी उसके लिये रखा गया। पर वह मशीन किसी के भी काम में नहीं आई। पेशाब की नलिका में बल्ब लगा होता है वह नहीं लगा होने के कारण पेशाब टेस्ट कराने के लिये लोगों को प्राइवेट डाक्टरों को सौ सौ रुपया देना पड़ता हैं। गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। स्टोर में कई तरह की दवाईयां, जो होनी चाहिये, नहीं हैं। इसके कारण भी मरीजों की हालत खराब है।

इसी तरह जितने मरीजों के पीछे जो अनुपात नर्सिंग स्टाफ का होना चाहिये उतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है। यह सरकार आज भी तै नहीं कर सकी है कि कितने मरीजों के पीछे कितना नर्सिंग स्टाफ जरूरी है।

इसके साथ साथ कई मशीनें खराब पड़ी हैं। प्लास्टर काटने की मशीन थी वह खराब पड़ी है। इससे अधिक शोचनीय दशा इस सवाईमानसिंह अस्पताल की और क्या हो सकती है। यह व्यवस्था है आज वहां पर।

पट्टियां चाहिये तो बाहर से लाओ, खून पिशाब आदि की जांच करवानी है तो बाहर से करवा कर आवेंगे। एक्स-रे प्लेटे वहां नहीं हैं। एक्स-रे लोग बाहर से करवा कर लाते हैं।

इसी प्रकार डिस्टिल्ड वाटर की, ग्लूकोज वाटर की हालत है। इसका प्लान्ट लगा हुआ है अस्पताल का खुद का। इसके अन्दर आठ सौ बोतलें प्रतिदिन बनाने की क्षमता है। पर इसका भी भगवान मालिक है, आज यह भी लोगों को, बीमारों को बाहर से लेकर आना पड़ता है। इसके खरीदने में एक-एक बीमार को छः छः रुपया देना पड़ता है, जबकि अस्पताल में बनाने में एक रुपया खर्च आता है। आज यह सामान्य बात है कि एक एक बीमार को छः छः, सात सात बोतलें बाजार से लेकर आनी पड़ती

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। 4800 रुपया रोज का जहां बीमारों का बच सकता था वह सरकार की व्यवस्था करने में अयोग्यता के कारण और सरकार की मशीन बन्द होने के कारण वह व्यर्थ मे बीमारों को खर्च करना पड़ रहा है। सरकार की अव्यवस्था का दण्ड जनता को इस रूप में कदम कदम पर भुगतना पड़ रहा है।

इसी पकार से एन्टी वायर का इन्जेक्शन है, सीरियस केसेज में काम आता है, वह नहीं मिलता । एन्टी टिटेनस का नहीं मिलता । एण्टी वोटस का इन्जेक्शन स्टोर में मौजूदा है। पर इण्डेण्ट काटने के बाद भी स्टोर से इश्यू नहीं किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार उस वक्त तक चालीस ऐसे इन्जेक्शन स्टोर में थे। इस प्रकार के एक एक इन्जेक्शन को कीमत बीस बीस रुपया कम है। बी कम्पलेक्स के इन्जेक्शन भी बाहर से लाने पड़ते हैं। आज हालत यह है कि एक डॉक्टर हैं जी. पी. सेठी । वे इसकी व्यवस्था करते हैं. वे जिनको चाहेंगे उसी को यह मिलेगी, नहीं तो मजबूरन लोगों को बाहर से खरीद कर लाना होगा। वे अपनी यूनिट के अलावा किसी दूसरी यूनिट वालों को देते नहीं, तो आज हालत यह बनी हुई है।

एडमिशन में कठिनाई। एडमिशन डॉक्टर की चिट के आधार पर होता है। यह नियम है। अब यह चिट वही ले सकता है जो डॉक्टर के घर जाकर उसकी फीस देकर उससे चिट लिखवा कर ला सकते हैं। जो गरीब बीमार फीस देकर चिट नहीं ला सकता उसका एडमिशन नहीं हो सकता। आज हालत यह है कि प्राइवेट चिट को व्यवस्था का विरोध किया गया तो अस्पताल की छपी हुई पर्ची डॉक्टर लोग अपने घरों पर रखने लगे और उस पर लिख कर देने लगे। घर पर उन परचियों का उपयोग करने लगे। यहां तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है।

किसको खाट मिलनी चाहिए किसको नहीं, और किसकी खाट पंखे के नीचे होनी चाहिए इसमें रिश्वत का बोलबाला है। आज आपको जनरल वार्ड में जो भी बीमार पलंग पर और पंखे के नीचे वाले पलंग पर मिलेगा आप समझ लीजिए पक्की तरह में कि भ्रष्टाचार वहां पनपा है और रिश्वत देकर ही बीमार वह खाट प्राप्त कर सका है। किसी गरीब को खाट नहीं मिलेगी क्योंकि इसका पैसा वह नहीं दे सकता। यह स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है।

इसी प्रकार टी. बी. के बारे में निवेदन करूंगा। टी. बी. का मरीज भी डॉक्टर की फीस देकर अगर चाहेगा तो सवाई मानसिंह अस्पताल में एडमिशन पा सकेगा वरना नहीं। हालांकि टी. बी. का अस्पताल अलग से है, पर डॉक्टर को फीस अगर दे दी है तो वहां भी एडमिशन मिल जावेगा। चूंकि भेंट पूजा उसने कर दी है इसलिए वहां भी भरती कर लेंगे। इसकी भी वे परवाह नहीं करेंगे कि उसके थूक में कितने कीटाणु हैं, कितना रोग बढ़ा हुआ है। उससे पासके दूसरे बीमार को क्या नुकसान होने वाला है। इसकी चिन्ता नहीं। चिन्ता केवल भेंट पूजा की है। वह कर दी है तो कैसा भी मरीज हो एडमिशन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिल जावेगा। वरना नहीं। एडमिशन के बाद कहा जावेगा कि तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास जाना है। फिर वह दूसरे डॉक्टर को रेफर करेगा। उसको उस दूसरे डॉक्टर को फिर अलग से रकम देनी पड़ती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह गरीबों को आउट डोर में एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से।

मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ तो मुख्य मन्त्री जी और स्वास्थ्य मन्त्री जी हरिदेव जोशी जो दीपावली के पहले पहले प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कहा कि इसे बन्द कर देंगे। पर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। आज भी प्राईवेट प्रैक्टिस चालू है। जब कि यू. पी., मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी गई है।

दूसरी मेरी अर्ज है डॉक्टरों को रोजगार देने की बात कही गई। उन्होंने आन्दोलन किया। आपने कहा रोजगार देंगे, मैं पूछता हूं कितने बेरोजगार डॉक्टरों को आपने रोजगार दिया है अब तक और आने वाले समय में तैयार होने वाले डाक्टरों के रोजगार के वास्ते आपके पास क्या योजना है। वह बताएं।

इसी प्रकार से रिएम्बर्समैन्ट के बारे में निवेदन करना है। जो गजेटेड अफसर वहां प्राइवेट वार्ड में भर्ती होंगे, सैक्रेटरी भर्ती होंगे, या मन्त्री लोग भर्ती होंगे तो डॉक्टर लोग उनकी चमचागिरी करने के नाते अस्पताल से महंगी महंगी सभी दवाइयां उनको सप्लाई करेंगे। इससे यह तो ठीक है कि मन्त्री और अधिकारीगण का तो भला हो जावेगा, पर ये जो दवाइयां गरीब लोगों के लिए वहां होती हैं वे गरीबों को नहीं मिल पावेंगी। इन सरकारी अधिकारियों को तो रिएम्बर्समैन्ट में भी मिल सकती थी। पर ऐसा नहीं होगा। स्टोर से इनके लिए दवाइयां आ जावेंगी पर गरीबों को नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े मन्त्रियों और अधिकारियों को ही वे मिलेंगी। इन सारी बातों की जांच करवाई जानी चाहिए और वहां स्टोर से जो दवाइयां बड़े बड़े अधिकारियों को दी जाती हैं वह उनको नहीं दी जानी चाहिए।

प्रोमोशन के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां आज प्रोमोशन भी भ्रष्टाचार के आधार पर दिया जाता है। एक डॉक्टर श्री दूगड़, जो क्वालिफाइड नहीं है, उस पोस्ट के लिए पर फिर भी लगा दिए गए हैं। बोर्ड ने और प्रोमोशन करने वालों ने यह भी कह दिया कि फाइनेन्स से इसकी स्वीकृति ले ली गई है, पर वास्तव में फाइनेन्स वालों से भी स्वीकृति नहीं ली गई। इनकी नियुक्ति 64 में की गई। जबकि फाइनेन्स विभाग का सक्यूलर इस बारे में स्पष्ट है। फाइनेन्स डिपार्टमैन्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई स्वीकृति नहीं दी गयी और इस प्रकार से नान-क्वालीफाइड होने के बाद भी हास्पिटल में लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार के परिपत्र राज्य सरकार के मेरे पास मौजूद हैं और कई एम.एल.एज. ने भी सरकार का ध्यान दिलाया है वह भी मौजूद है। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पर प्रावीजनल सीनियोरिटी के आधार पर एक लिस्ट निकली और उसमें फोरमेन्स मेडीशन्स के आधार पर एक प्रकार का विभाग नहीं, कोई लेना देना नहीं और सीनियोरिटी की लिस्ट निकली। उसमें रीडर हैं, डॉक्टर एस. डी. माथुर वह सस्पेण्ड हैं, लेक्चरार में डॉक्टर आर. के. शर्मा वह सस्पेन्ड हैं—फिर वह सीनियोरिटी की लिस्ट में कहां से आ गये।

श्री हरिदेव जोशी : किस डिपार्टमेन्ट का कहा आपने।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नोटीफिकेशन है 4 जनवरी, 1973 का फ्रोम दी सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट, मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट, राजस्थान जयपुर।

श्री हरिदेव जोशी : किस डिपार्टमेन्ट का है, किस फैकल्टी में ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेडीकल डिपार्टमेन्ट में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो किसी अधिकारी ने दे दिया और पढ़ रहे हैं। फैकल्टी कौनसी है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट, मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट, राजस्थान।

श्री हरिदेव जोशी : Go on.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कापी निकालते हैं टू आल दी प्रिन्सिपल्स ऑफ मेडीकल कालेजेज, राजस्थान। तो इसमें डॉक्टर एस. डी. माथुर सस्पेन्ड हैं, डॉक्टर आर. के. शर्मा सस्पेन्ड हैं। डॉक्टर एस. डी. माथुर दीगर डिपार्टमेन्ट में हैं नहीं डॉक्टर जगमोहनलाल हैं नहीं, गोआ में हैं। फिर यह जो सारी सूची प्रावीजनल सीनियोरिटी के आधार पर निकाली गयी यह गलत है, बेसलेस है। जब आदमी है नहीं तो सूची निकालने से कोई अभिप्राय नहीं निकलता। इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी अनियमिततायें हुई। आज आप वहां मेडीकल जूरिस्ट के विभाग में जायें और जब आप वहां जांच करायेंगे तो देखेंगे लोग पैसा देते हैं। जनवरी, 72 से लेकर फरवरी 72 तक 2000 रुपये की आय हुई, जनवरी, 73 से फरवरी, 73 तक याने एक महीने में 8000 रुपये की आय हुई लेकिन वह सारा का सारा पैसा खजाने में जमा नहीं होता है। उसके बारे में भी गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान के मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट जी. आर. II का एक सरकुलर है। G. R. II—Director Medical and Health Services, Rajasthan dated 22 Nov., 72.

इसमें लिखा है :

"........All such fees and charges realised on account of such cases should be deposited into the Government account and charges are to be allowed to the Medical Jurist and the staff. This position will be clear after a checking is carried out of the revenue receipts from the

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

S.M.S. It is understood that revenue has been increased during the past few monts....

जो भी मेडीकल जूरिस्ट के पास फीस जमा होनी चाहिए वह सारी फीस जमा होकर वहां नहीं जाती और उसका परिणाम यह है कि डॉक्टर आर. के. शर्मा सस्पेन्ड हैं, माथुर सस्पेन्ड हैं, डाक्टर जगमोहन और डॉक्टर के. पी. भटनागर भी इस प्रकार मे नहीं है और डॉक्टर दुग्गड जो कि भार्गव वाला किस्सा था वहां से किये गये। तो मेरा निवेदन यह है कि आज वहां पर पोस्टमार्टम करने वाला एक ही व्यक्ति है, ओल्डऐज पेंशन को देने वाला भी व्यक्ति है और फिर डॉक्टर का आधा समय पोस्टमार्टम करने में निकल जाये, फिर वही डॉक्टर अदालत में घूमता फिरेगा। तो फिर मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस प्रकार से घूमने वाला व्यक्ति और विडोज को सर्टीफिकेट, ओल्ड एज पेन्शन देने वाला व्यक्ति भी यदि एक ही व्यक्ति होगा हास्पिटल में आप चले जायें तो मेडिकल जूरिस्ट के बाहर लम्बी कतार मिलेगी। इसलिए आपको जांच करानी चाहिए कि पैसे अधिक आते हैं लेकिन वह राज्य के खजाने में जमा नहीं होते हैं अतः वहां पर अन्य अधिकारियों को भी आपको लगाना चाहिए।

मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि रीजनल मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको भारत सरकार ने लिखा था कि जयपुर की एस. एम. एस. मेडीकल कॉलेज भारत सरकार को दे दें। आपने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि आप एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज को भारत सरकार को दे देते तो भारत सरकार उसका सारा खर्चा वहन करती और उसके बाद हालत यह होती कि जो बचा हुआ आपका पैसा है उसका आप दूसरे कॉलेज के स्टुडेन्ट्स के लिए उपयोग करते, पर आपको उपयोग करने का मौका नहीं मिला।

फिर माननीय मंत्री महोदय आपके यहां पर डी. पी. सी. है। यह कमेटी कभी समय पर नहीं बैठती. इसकी मीटिंग प्रति वर्ष नहीं होती। इसकी मीटिंग चार-चार साल में होती है जब कि यह प्रति वर्ष होनी चाहिए।

इसी प्रकार से ट्रान्सफर्स के बारे में कहूंगा। आपने सदन में कहा कि मैंने बहुत सारे ट्रान्सफर्स कर दिये और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने भी दिल्ली में जा कर और अन्य कई स्थानों पर जा कर कहा कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनका मैंने मेरे समय में ट्रान्सफर कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ट्रान्सफर्स कर दिये लेकिन उससे ज्यादा कैंसिल भी किये हैं-तो मैं समझता हूं कि खाका बिलकुल बराबर है। जो ट्रान्सफर्स किये उन्हीं को आपने कैंसिल कर दिया। फिर ट्रान्सफर करने वाला कहे कि हमने ट्रान्सफर कर दिये तो यह भली प्रकार की बात नहीं है।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हास्पिटल की हालत बिलकुल खराब है इसलिए आप उसको संभालें। पागलखाने में मशीनरी खराब पड़ी है उसको भी ठीक कराने की व्यवस्था करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
आपने कहा था कि प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कर देंगे उसको भी आप करें....

श्री रामानन्द अग्रवाल: पागलखाने में कोई दिक्कत आई है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : पागलखाने में होकर आये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पागलखाने आप होकर आये हैं। आपने गलत ढंग से प्रमोशन्स किये हैं उनको ठीक कीजिए....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप पागलखाने नहीं गये तो मशीन का आपको क्या पता ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हास्पिटल की हालत खराब है उसको ठीक किया जाये आपने आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही सवाई मानसिंह हास्पिटल के पास दूसरा हास्पिटल बनाने वाले हैं। उसका निर्माण कार्य आपको शीघ्र कराना चाहिए। हास्पिटल में आज जो भोजन मिलता है उसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए और यदि आप हास्पिटल में चले जायें और पीने के पानी की आवश्यकता हो तो वहां आपको हास्पिटल की प्रिमिसेस में पानी नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था करने के बारे में पिछली बार कार्यवाही की थी, काफी नोट्स बनाये थे और उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीने के पानी की मशीनें लगने वाली थीं वह नहीं लगीं। हास्पिटल में गोली की कोई व्यवस्था नहीं, बन्डेज की व्यवस्था नहीं और प्रत्येक चीज बाहर से लानी पड़ेगी। इसी प्रकार से जयपुर में आप किसी भी डिस्पेन्सरी में चले जायें वहां भी हालत यही है। डॉक्टर सात, एक सात दवाइयां लिख देगा और यदि कोई व्यक्ति उनको बाहर से लायेगा तो 35-40 रुपया खर्च करने पड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। इस सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जिस प्रकार की घोषणायें की हैं, जो गलत ढंग से प्रमोशन्स हुए हैं उन पर आप विचार करें, मेडीकल टूरिस्ट का विभाग है उस पर विचार करें, हास्पिटल में अव्यवस्थायें हैं उन पर आप विचार करें, और जयपुर शहर में नया हास्पिटल बने उसको बनवाने की व्यवस्था करें और जनाना हास्पिटल, जो कि चांदपोल के बाहर है आपने कहा था कि हम शीघ्र ही उसको जिला हास्पिटल में परिवर्तित करने वाले हैं, उसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

अब आपके पास जो दूसरा विभाग आयुर्वेद का है उसके बारे में निवेदन करूंगा आयुर्वेद में चेयरमैन इन्डियन मेडीशन्स बोर्ड कौन है ? यह प्रेमशंकर जी हैं। यह रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उन्होंने अन्य जगह नौकरी की और उनको वहां से हटा दिया गया और उसके बाद आपने भत्ता देने के नाते, पालने के नाते उनको बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। वह भत्ता लेते हैं, उनके यहां टेलीफोन लगा हुआ है और जो अन्य इन्डियन मेडीशन्स बोर्ड के मेम्बर्स हैं उनको टेलीफोन नहीं मिला हुआ है। प्रेमशंकर जी को टेलीफोन

Page No 73

(73)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिलेगा, भत्ता मिलेगा, टी. ए. डी. ए. मिलेगा। इस प्रकारसे एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने जो व्यवस्था कर रखी है वह अच्छी नहीं है। इसके बाद एक जर्मन दल आने को था। सारे विद्यार्थियों को बुला लिया और खेद के साथ सूचना दे दी गयी कि बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जर्मन दल नहीं आया और उसका कार्यक्रम स्थगित हो गया। इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और आज हालत यह है कि उनके साथ चपरासी आता है, घूमने के लिए आता है और वह वही व्यक्ति है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद उस व्यक्ति को हटाया गया और आज घूमने फिरने के लिए····

यदि कोई व्यक्ति आयेगा तो वही व्यक्ति होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आचार्य भिषगाचार्य की योग्यता एक सी है। 270 की ग्रेड आचार्य की है और 170 की भिषगाचार्य की है जबकि क्वालिफिकेशन एक सी है तो वेतन में अन्तर क्यों? इनकी नियुक्ति के समय भी भेदभाव नहीं करना चाहिये। आज आप आयुर्वेदिक कॉलेज चले जायं वहां पर राजनैतिक षडयन्त्र बना हुआ है। मुहर्रम की छुट्टी को केन्सिल कर दिया गया। उसके बाद अरविन्द को जयन्ति की छुट्टी। 17-18 तारीख को वहां युवक कांग्रेस का अधिवेशन लगा। विद्यालय में भयंकर राजनीति और इस तरह········

श्री श्रीराम गोटेवाला : युवक कांग्रेस का वहां कोई अधिवेशन नहीं हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा वहां इन सारे कारणों के आधार पर छात्रों की पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्रों को विवश होकर आन्दोलन करना पड़ा है। अब मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के संचालन की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं—श्री दुर्गा प्रसाद को 1959 में कन्फर्म कर दिया गया जबकि पोस्ट 1961 में क्रियेट की गई है। इसी प्रकार रमाकान्त जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, कहीं पर फिजिकल इन्स्ट्रक्टर रहे होंगे, लेकिन इस पद के लिए तीन साल का जो ज्ञान होना चाहिये वह नहीं है। उन बातों पर ध्यान नहीं देकर नियुक्ति कर दी गई है।

अब यह दूसरा काम किया है निदेशक आयुर्वेद विभाग कॉलेज से छीन कर सचिवालय के नीचे कर दिया गया है। सेक्रेटरी साहब आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं हैं। उनको इसका इन्चार्ज बना दिया गया है। मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि कितनी बार वे आयुर्वेदिक कॉलेज को देखने के लिये गये? वही हालत है। कॉलेज के स्टाफ की रकम सरकार से ले ली लेकिन जो अध्यापक हैं, उनको वह वेतन नहीं मिला, जो वहां के कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला। मैं इसमें प्रकाश नारायण श्री वास्तव का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। निदेशक आयुर्वेदिक के नीचे ही इस प्रकार की सारी व्यवस्था होनी चाहिये। ड्रग कौन खरीदे, क्या सेक्रेटेरियट खरीदे, डायरेक्टर मेडीकल एण्ड हैल्थ खरीदे? ड्रग खरीदने का अधिकार निदेशक आयुर्वेद को होना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहिये। आज जनता गांवों में आयुर्वेद डिस्पेन्सरी भवन बनाती है लेकिन वहां खोली नहीं जाती है और वहां पंचायत समिति का दफ्तर खोल दिया जाय। जिस जनता ने योगदान से भवन का निर्माण किया उसको अन्य प्रकार का केन्द्र बना दिया जाता है। जनता आयुर्वेदिक हॉस्पीटल चाहती है, जनता आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी चाहती है और उनको इस प्रकार काम में लिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कई गांवों में, जयपुर में, राजभवन में आयुर्वेदिक औषधालय था। माननीय राज्यपाल महोदय आये तो वहां को व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिये थी। सिविल लाइन की कच्ची बस्ती, सोड़ाला, चक सीतारामपुरा आदि के लोग इस राजभवन की आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी में इलाज के लिये आते थे और वहां के इलाज से लाभ उठाते थे। राज्यपाल महोदय के आते ही यह हुआ कि वह आयुर्वेदिक औषधालय समाप्त कर दिया गया।

आज गांवों में भी यही हालत है, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे और इसका परिणाम यह हो रहा है कि आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां बन्द कर रहे हैं और स्वास्थ्य केन्द्र चालू कर रहे हैं। मेरा निवेदन है स्वास्थ्य केन्द्र खोलें लेकिन जो आयुर्वेद डिस्पेन्सरियां हैं उनको बन्द नहीं करना चाहिये। जो हालत मैंने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की बताई वही की वही हालत आयुर्वेदिक औषधालयों की है। न फर्नीचर है, न वैद्यों के रहने के लिये मकान की व्यवस्था है, न मीठी खट्टी गोलियां हैं। वैद्यों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी और फिर मैं निवेदन करूंगा आपकी मार्फत इन वैद्यों ने आपका क्या बिगाड़ा? वैद्यों की वेतन शृंखला डॉक्टरों के समान होनी चाहियें।

श्री गुप्ता समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। गुप्ता समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर वैद्यों और डॉक्टरों को बराबर की वेतन शृंखला देना चाहिये। गांवों में वेतन दिया जाय बैंक ड्राफ्ट के आधार पर दिया जाय। बैंक ड्राफ्ट जायगा तब जाकर वैद्यों को वेतन मिलेगा। पहले मनी आॅर्डर के आधार पर वेतन मिलता था। उसी प्रकार की व्यवस्था आपको फिर से करनी चाहिये। काम बहुत पेन्डिंग पड़ा है शिकायतों की कोई कार्यवाही होती नहीं।

मैं निवेदन करूंगा जो कर्मचारी सीमा पर काम करते हैं और जो कर्मचारी बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करते हैं उनको भी इस प्रकार की सुविधा, जो अन्य लोगों को दी जाती है, दी जानी चाहिये। वह आयुर्वेदिक विभाग को भी दी जानी चाहिये आयुर्वेद की चिकित्सा धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती चली जाय, इस ओर माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं दूसरा जो विभाग है उस ओर निवेदन करूंगा—आज जो सारी हालत है, उसी प्रकार की हालत हो रही है। आयुर्वेदिक लेक्चरार्स के प्रमोशन में, लेक्चारार्स की नियुक्तियों में बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में दुर्गाप्रसाद का उदाहरण पेश करना चाहूंगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर शहर के पीने के पानी की जो व्यवस्था दूषित होती जा रही है उसका अन्यत्र कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। पानी में कीड़े निकलते हैं, पानी का कोई नलों में प्रेसर नहीं है, पुरानी जो लाइन डली हुई है—गटर की लाइन के बीच में होकर गई है वह सारे पानी को और दूषित कर देती है। सुबह शाम पानी नलों में आता ही नहीं है। दो पहर में पानी आता है। प्रत्यक्ष में उदाहरण है धाभाई जी की हवेली। वहां प्रातःकाल 8 बजे पानी बन्द हो जाता है। सायंकाल भी नलों में पानी नहीं आता है। आप जनता को समय पर पानी दे नहीं सकते, जनता को स्वच्छ पानी पिला नहीं सकते तो आपकी यह कौनसी व्यवस्था है ? मिट्टी मिली हुई है और कीड़े पड़े हुये पानी को जनता को आप पिलाते हैं। आप बड़ी बड़ी बस्तियों में चले जायं, जनता कालोनी में चले जायं, बापू नगर में चले जायं, बस्ती सीतारामपुरा में चले जायं, बजाज नगर में चले जायं, कहीं भी चले जायं। सम्पूर्ण ब्रह्मपुरी में आप घूम जायं कहीं एक बूंद भी पानी नहीं आता है। ब्रह्मपुरी के निवासी पानी की एक एक बूंद के लिये तरसते है। और फिर आप यह कह दें कि नल कूप खुदवाये हैं।

मेरा निवेदन है जितने आप नल कूप खुदवायेंगे उतना ही पानी का स्रोत कम होगा। जोधपुर का उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया था। मैंने प्रार्थना की थी कि जयपुर शहर में पानी की समस्या का समाधान करना है तो केवल बनास योजना ही पानी का समाधान कर सकती है। अब चाहे इस बनास योजना में 24 करोड़ लगे या कितने ही करोड़ लगें।

इस बनास योजना से अजमेर की जनता भी लाभ उठा सकेगी, चित्तौड़ की जनता को भी लाभ होगा और जो इस प्रकार से सिंचाई योजना बनाई गई आखिर उसका क्या हुआ ? क्या इस योजना से सिंचाई होगी और इसके साथ पीने का पानी भी मिलेगा ? आपने यह योजना नहीं बनाई, जयपुर स्टेट के समय यह योजना बनी और आपने बताया था कि आपने यह योजना भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी थी। भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने के बाद इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार विचार करेगी, सरकार इसको टालेगी नहीं। बनास योजना निश्चित रूप से लागू की जायेगी।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज जयपुर शहर की पीने के पानी की यह हालत है। दूषित पानी मिलता है। दूषित पानी भी मिलता नहीं है। आठ बजे नल बन्द हो जाते हैं। दूसरी मंजिल में पानी पहुंचता नहीं है। गर्मी के दिन अभी शुरू नहीं हुए हैं अभी से यह हालत है तो आगे क्या हाल होगा ? इस तर्क पर मैं आंकड़ों में नहीं जाकर जो जयपुर की स्थिति है, जो जयपुर स्टेट के समय योजना बनी थी और उस योजना के नक्शे बनाने में चार पांच हजार रुपये खर्च कर दिए तो जब आपको यह योजना लागू नहीं करनी थी तो मैं समझता हूं कि आपने ये रुपये क्यों खर्च किए ? आपने इसी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सदन में माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय सुखाड़ियाजी, ने आश्वासन दिया था, जिस समय बाहर जनसंघ के द्वारा 'मटका फोड़ा' आन्दोलन हुआ तो आश्वासन दिया था और पांच लाख रुपया स्वीकार हुआ था। वह रुपया भी अगले वर्ष जाकर मिला। कुछ लाइनें बदली गई, कुछ नहीं बदली गई। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार बनास योजना को एक्जीक्यूट करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये यह बनास योजना लागू की जाय। बनास योजना लागू नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में जयपुर शहर की पीने के पानी की हालत खराब होगी और इस प्रकार के आन्दोलन करने पड़ेंगे। [illegible] लोग प्यासे मर जायेंगे और उनके प्यासे मरने में इस सदन के 184 सदस्य भी साक्षी होंगे। यह हो सकता है कि सिविल लाईन्स में चौबीसों घण्टे पानी चलता है लेकिन आम जनता पीने के पानी के लिए त्रस्त है।

अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक बिल के बारे में जो 3296 रुपये का है। इसका नम्बर ए ए 35 है। यह त्रिपोलिया बाजार में एक खेली का बिल है। यहां जानवर पानी पीते हैं। इसका बराबर बिल जमा कराते रहे। कभी 15 रुपये का बिल, कभी पांच रुपये का बिल, कभी 8 रुपये का बिल, कभी 10 रुपये का बिल बराबर देने के बावजूद भी एक बार में ही वह बिल 3043.75 का बिल कैसे आ गया, यह बिल मैं आपके सामने पेश करता हूं। पिछले बिल सारे दे दिए गए हैं, पिछला बिल बकाया नहीं। खेली का बिल है जिसमें मूक जानवर पानी पीते हैं उनका इस प्रकार का बिल आया है। मैं समझता हूं कि यह वाटर वर्क्स की हालत हो रही है। यही हालत है टंकियों की, टंकियों की सफाई होती नहीं, प्रेशर रहता नहीं, पानी आता नहीं (समय समाप्ति सूचक घण्टी) समय पर पानी की सप्लाई होती नहीं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

मैं अभी खत्म करता हूं दो मिनिट में।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का ही समय खत्म हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे निवेदन करना है कि जयपुर शहर के लिए बनास योजना को लागू किया जाय।

चौथी मांग है परिवार नियोजन की।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनिट का समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है, आपके लिए जो समय निर्धारित था वह समाप्त हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चौथा विभाग परिवार नियोजन का है जिसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर रमन वर्मा जो पुरुष हैं उन्होंने 800 लूप लगाये हैं और इसके लिए उनको 26 जनवरी को प्रथम पुरस्कार मिला। आप इसका फिजिकल चैकिंग तो

Page No 77

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) कर नहीं सकते। मैं भी इसके लिए मजबूर हूं और आपकी भी मजबूरी है कि फिजिकल चैकिंग तो कर नहीं सकते लेकिन व्यक्ति लूप लगाये। पुरुष महिलाओं के लूप लगाए इससे बढ़ कर अपमान जनक बात हो नहीं सकती। पुरुष ने लूप लगाए और 26 जनवरी को पुरस्कार मिला। इसी प्रकार से 60-70 वर्ष के बूढ़ों की नसबन्दी की गई। इस प्रकार से हजारों की नसबन्दी की गई। रमेश नामक व्यक्ति को, कुंवारे की नसबन्दा की गई और वह भी गरीबी के आधार पर। वहां पर बोर्ड लगा रखे हैं कि इस प्रकार की नसबन्दी के इतने रुपये, जो प्रेरणा देगा उसको इतने पैसे, डॉक्टर को इतने पैसे। यह सब गरीबी के आधार पर नसबन्दी की गई है।

इसी प्रकार से कई महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर चली जाती हैं। जयपुर में 8 सेंटर लूप लगाने के हैं। एक सेंटर पर लूप लगाया और निकाल दिया, फिर दूसरे सेंटर पर, फिर तीसरे चौथे सेंटर पर जाकर लूप लगा लिया और पैसा बटोरने का साधन बना लिया। इस प्रकार यह परिवार नियोजन की योजना गरीबी मिटाने वाली नहीं, गरीबी बढ़ाने वाली योजना है। यह एक आर्टिकल मुक्ता सामयिक पत्रिका में निकलता है जिसमें लिखा है कि मुसलमानों की उन्नति कब होगी। उन्नति जब होगी कि इस प्रकार से लूप लगाने के लिए कुंवारे लड़कों को लेकर आएगा। मुक्ता सामयिक पत्रिका का यह कार्टून मैं आपको बताता हूं। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) कुंवारे हैं उनके लूप लगाए जाते हैं और इस प्रकार से कुंवारों के लूप लगाने की कार्यवाही की जाती है।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)
(व्यवधान-अश्रव्य)

आप लोगों को प्रमोशन....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुंवारों के लूप लगाने का नया आविष्कार कौनसा हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए यह परिवार का नियोजन का महकमा सारा फिजूल खर्ची का महकमा है। इसके साथ ही इस महकमे के सारे लोग परेशान हैं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)
(अश्रव्य)

जो पैसा आज परिवार नियोजन के नाम पर खर्च किया जा रहा है वही पैसा अगर दूसरे कामों में खर्च किया जाता। बाग-बगीचे बनाए जाते जिनमें लोग जाकर कसरत करते, व्यायाम करते तो उनका स्वास्थ्य बनता तो यह परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था हेतु समुचित बजट प्रावधान नहीं है। बजट को देखने से जाहिर होता है कि चिकित्सा की तरफ बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान बहुत कम है और जो है उसका समुचित उपयोग नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

हो पा रहा है। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान कुछ विशेष चिकित्सालयों की तरफ आकर्षित किया है। वहां पर आज तक जब कि पूरा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने को जा रहा है बजट का एक पैसा भी नहीं पहुंचा है। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र की डिस्पेंसरी, अलसीसर, जहां का प्रावधान 1800) रुपये का है आज तक कोई पैसा साल भर में नहीं पहुंचा है। झुंझुनूं, जिले का केन्द्र स्थान है जहां पर अच्छा हास्पिटल है, लाखों रुपया खर्च करके जन सहयोग से वहां पर चिकित्सालय बनाया गया। लेकिन गांवों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां एक्स-रे मशीन है जो पिछले छः महीने से आउट आफ आर्डर पड़ी है। लोगों को कोई सुविधा, कोई फायदा उससे नहीं मिल रहा है।

इसके अलावा लेबोरेट्री है जहां कोई टेक्निशियन नहीं है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वह वहां पर नहीं है, यह देख कर बड़ा अफसोस होता है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट, जो 10 लाख की आबादी का जिला है, जहां पर कि डी. एम. एच. ओ. का कार्यालय सबसे पहिले 1953 में वहां पर था उसके बाद वह सीकर ट्रांसफर कर दिया गया। आज दस लाख की आबादी वाले स्थान पर डी. एम. एच. ओ. का कार्यालय नहीं है जब कि उससे छोटे जिले, चूरू, बूंदी में डी. एम. एच. ओ. के आफिसेज हैं। मैं आपके द्वारा मांग करना चाहता हूं कि कि जिला झुंझुनूं के लिए डी. एम. एच. ओ. का कार्यालय हो ताकि राजकीय तथा गैर राजकीय जो डिस्पेंसरीज हैं उनका लुक आफ्टर, सुपरवीजन ठीक प्रकार से हो सके।

आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर करीब तीन हजार सिविल असिस्टेन्ट सर्जन हैं। उनके अन्दर काफी असंतोष है। इस असन्तोष का कारण यह है कि इन सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स् के लिए प्रोमोशन के लिए बहुत कम चान्सेज रहते हैं। यह बताया गया है कि तीन हजार सिविल असिस्टेन्ट सर्जन के लिए 30 ऐसे स्थान हैं जो कि जूनियर स्पेशेलिस्ट के होते हैं। इसके अलावा उन्हें जीवन भर सिविल असिस्टेन्ट सर्जन के पद पर ही कार्य करते रहना होता है जबकि उनके मुकाबले में जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनके लोगों को इन लोगों से अपेक्षाकृत ज्यादा चांसेज प्रमोशन के लिए दिये गये हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अन्दर सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, सुपर टाइम स्केल को पोस्टें दी गई हैं जबकि सिविल असिस्टेन्ट सर्जन के लिए कोई ऐसे पद नहीं हैं जो कि अधिक उनके लिए अट्रेक्टिव हों। इसलिए तीन हजार सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स में इस बात के लिए गहरा असन्तोष व्याप्त है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह बताया गया है कि एम.बी., बी.एस. करने के बाद एम. एस. या एम. डी. करने के लिए रेगुलर स्टूडेन्ट के लिए तीन साल का कोर्स है। जो स्टूडेन्ट एम. बी. बी. एस. करने के बाद सर्विस में आ जाते हैं और जो स्टूडेन्ट एम. एस. एम. डी. करने

(श्री रामनारायण चौधरी)
करने के बाद सर्विस में आते हैं ये लोग एम. बी., बी. एस. वालों से सीनियर हो जाते हैं। मैं इसलिए सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जो लड़के एम. एस., एम. डी. करके आवें उनकी सर्विस के अन्दर इस बात की गारन्टी नहीं होनी चाहिए और उनकी सीनियोरिटी कायम नहीं होनी चाहिए और किसी भी हालत में एम. बी., बी. एस. से पहले, जो कि सर्विस में पहले आ चुका है, नहीं होना चाहिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो एम. एस. या एम. डी. करके सर्विस में आते हैं उनके लिए अलग पोस्टें कायम हो ताकि एम. बी., बी. एस. वालों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झूंझनूं जिले में डी. एम. एच. ओ. का कार्यालय स्थापित हो ताकि हमारे अस्पताल का ठीक तरह से सुपरवीजन हो सके।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं झूंझनूं जिले की जल समस्या की तरफ भी जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले बजट अधिवेशन में भी झूंझनूं जिले की खारे पानी की समस्या की तरफ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और संभवत: उनको स्मरण होगा कि उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वे इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, झूंझनूं जिले में करीब 50 गांव ऐसे हैं जिनका पानी खारा है और पानी पीने के लायक नहीं है। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय ने सन् 1965 में पंचायत समिति, अलसीसर को यह आश्वासन दिया था कि इनका सर्वे होगा और सर्वे करा कर इनको मास्टर प्लान में नहीं तो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इन गांवों को पानी की सप्लाई की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जानकारी मिली है, मंत्री महोदय के एक पत्र से मालूम हुआ है कि इस स्कीम की स्वीकृति दे दी गई है और वे मुख्य अभियंता को लिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या प्रगति हुई है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है 42 लाख की सर्वे हो चुकी है और अब वह राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में पड़ी हुई है।

दूसरा मेरा एक कटौति का स्ताव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव महणसर, जिला झूंझनूं में पेय जल की स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम है और वहां पर करीब 110 आदमी कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मैंने इसके लिए स्पेसिफिक कटमोशन दिया है ताकि मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान दे सकें। मुझे यह बताया गया है कि वाटर सप्लाई विभाग का यह नियम है कि जहां पर 50 से ज्यादा आदमी कनेक्शन लेने वाले हों वहां पर वाटर सप्लाई डिपार्टमेन्ट पाइप्ड स्कीम के जरिए कनेक्शन दे सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यह कटौती प्रस्ताव दिया गया है और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामनारायण चौधरी)
कि इस गांव में 110 आदमी कनेक्शन के लिए तैयार हैं और उनके आवेदन-पत्र आपके कार्यालय में विधिपूर्वक प्रेषित किए जा चुके हैं।

दूसरा मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वाटर सप्लाई स्कीम अलसीसर में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 14 हजार रुपयों की स्वीकृति दी थी। मुझे अफसोस के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि यह 14 हजार रुपये की राशि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में खर्च नहीं की गई है। तथ्य यह है कि यह राशि और ही मोहल्लों में खर्च कर दी गई है और इस कम्युनिटि को कोई राहत नहीं पहुँचाई गई है। इर्रेगुलेरिटी की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आशा है मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम टाई, जिला झूंझुनूं के लिए जल योजना की स्कीम बने तीन साल हो गए हैं। परन्तु यह योजना अभी तक कार्यालय के अन्दर विचाराधीन है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, नुआ, जिला झूंझुनूं की वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह स्कीम पी. एन. डी. पी. में है। यह बताया गया है कि 50 से अधिक आदमियों द्वारा कनेक्शन लेने पर वाटर सप्लाई विभाग कनेक्शन देता है। यह गांव एक फौजियों का गांव है। इसकी 90 प्रतिशत आबादी राजपूत, डोम जाति के लोगों की है। इस गांव में अधिकांश परिवार फौजी हैं और ये सब पर्दानशीन है, इसलिए इनको काफी तकलीफ होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गांव की वाटर सप्लाई स्कीम पाइप्ड लाइन स्कीम में कन्वर्ट को जाए। यहां पर भी 155 आदमियों की दरख्वास्तें हैं जो कि कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इनकी एप्लीकेशन वाटर सप्लाई डिपार्टमेन्ट में पेश हो चुकी है। इसलिए इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा स्पेसिफिक कटमोशन मैंने दिया है जिला झूंझुनूं के गांव नुआ। इसके पास ही गांव है भाह इसको आदर्श गांव घोषित किया गया है। आदर्श गांव का जो पेटर्न है उसके अन्तर्गत उस गांव को रोड, बिजली और वाटर सप्लाई स्कीम से जोड़ा जाता है। मैं निवेदन करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव को भी इस नुआ वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत जोड़ने की मंत्री महोदय कृपा करेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं झूंझुनूं जिले की जो अजीतगढ़-चूड़ी वाटर सप्लाई स्कीम है उसकी ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन मोहल्लों का सर्वे हो गया है वहां पर अधिकारियों द्वारा लाइन नहीं खींची जाकर दूसरे मोहल्लों में पाइप लाइन खिंचवा दी गई है। इसलिए मैं इन कटौती प्रस्तावों के जरिए मंत्री महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)

का ध्यान आकर्षित करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग पर मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वह है धौलपुर का सदर अस्पताल। इस अस्पताल के बारे में पिछले सदन में भी मैंने मांग की थी और जब जब भी मुख्य मंत्री महोदय वहां पधारे थे तो वहां की जनता की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिए हैं। सदन में बार बार मैंने धौलपुर के सदर अस्पताल को 'बी' ग्रेड में करने के लिए मांग की है और यह मांग जायज है। यह करके सरकार हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही है। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं फिर भी हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार इस बात को पूरी तौर से जानती है। पिछले सदन में भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री दामोदर जी व्यास ने यह आश्वासन दिया था कि धौलपुर अस्पताल को 'बी' ग्रेड में क्रमोन्नत करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। परन्तु पता नहीं यह आश्वासन कहां रह गया? क्या आश्वासन आश्वासन ही रह गया है। कृपया इस आश्वासन को क्रियान्वित करने की कृपा करें। भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया जब वहां पधारे थे और जब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में यह अनाउन्स किया था। लेकिन उनका आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद वर्तमान मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब वहां पर आये उन्होंने भी यह आश्वासन दिया कि 15 अगस्त तक धौलपुर के अस्पताल को 'बी' श्रेणी में कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यह नहीं हो सका। आखिर हम लोग कब तक आप पर ऐतबार करते रहेंगे। जनता को आप आश्वासन देते आ रहे हैं। पब्लिक मीटिंग में मुख्य मंत्री ने अनाउन्स किया है आखिरकार जनता कहां तक आपकी विश्वास करेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि धौलपुर के सदर अस्पताल को 'बी' श्रेणी में करने के आदेश दिए जाएं। यह हमारी वाजिब मांग है। आपके नियमों के अनुसार भी यह होना चाहिए। पहले वहां पर पी. एम. ओ. रहता था परन्तु आज चिकित्सा स्तर गिरता जा रहा है। अब सुना गया है कि पी.एम.ओ. को हटा कर सी.एम.ओ. को नियुक्त कर दिया गया है और अब राज्य सरकार सी. एम ओ. को भी हटाने का विचार कर रही है। चौबेजी छब्बे जी होने जा रहे थे लेकिन ऐसा लगता है कि दूबे जी भी रहेंगे या नहीं। वहां पर सी. एम. ओ. की पोस्ट के बजाय आर. एम. ओ. सुपरिन्टेन्डेन्ट या सुपरवाइजर ही रखा जाय ऐसा सोचते हैं। राजस्थान सरकार इस पालिसी की तरफ विचार कर रही है। इसका इफैक्ट अगर कहीं होगा तो धौलपुर सब-डिवीजन पर होगा, क्योंकि और जगह तो सी. एम. ओ. राजस्थान में केवल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर ही

Page No 82

(82)

(श्री बनवारीलाल)

हैं और केवल धौलपुर सब-डिवीजन ही एक ऐसा सब-डिवीजन है कि जहां पर सी. एम. ओ. की पोस्ट है। अगर आपने यह पालिसी बनाई कि केवल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर ही सी. एम. ओ. रहेगा और बाकी सब जगह आर.एम.ओ. रहेगा तो और जगहों पर तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। धौलपुर का ही एक अस्पताल ऐसा है कि जहां का अलग बजट जाता है और जिसका अलग एड-मिनिस्ट्रेशन है। उससे लोगों को दिक्कत होगी। भरतपुर जाने में लोगों को परेशानी होगी क्योंकि वह 150 मील दूर पड़ता है। हमें केवल एक अस्पताल की ही सुविधा दी गई है उसको भी आप भरतपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर में रखना चाहते हैं तो बड़ी परेशानी आ जायेगी। आज अलग से दवाइयां नहीं जाती हैं तो दिक्कत आयेगी।

तो मेरा निवेदन है कि आप जो इस पालिसी की तरफ विचार रहे हैं तो उससे धौलपुर इफेक्टेड होगा। आप धौलपुर से सी. एम. ओ. की पोस्ट हटाना चाहते हैं, जबकि हम मांग कर रहे हैं कि उसको 'बी' ग्रेड का अस्पताल बनाया जाय। वहां पर 150 बेड्स हैं, जो कि आपके नियमों के अनुसार है। धौलपुर सदर अस्पताल में 90 बेड्स हैं और 60 बेड्स जनाना अस्पताल में हैं जो कि सी. एम. ओ. के अन्दर में आता है, तो दोनों को मिला कर 'बी' ग्रेड अस्पताल बनाने में क्या आपत्ति हैं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर अस्पताल को 'बी' ग्रेड का अस्पताल बनाया जाय। अगर इस मांग को मन्जूर नहीं किया गया तो जनता में ऐसी भावना बनती जा रही है कि वाजिब मांग को भी मन्जूर नहीं करते हैं, तो फिर जनता आन्दोलन करती है, तोड़ फोड़ करती है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कदम लेने के बजाय कि वहां पर सी. एम. ओ. की पोस्ट को हटायें उसके बजाय उसको 'बी' ग्रेड बनाया जाय, अन्यथा वहां की जनता आन्दोलन करेगी, और फिर आप ध्यान दें इससे पहले ही आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर दवाइयों के लिए फण्ड्स बहुत कम जाते हैं अन्य अस्पतालों के अलावा धौलपुर सदर अस्पताल के लिए बिल्डिंग की भी काफी परेशानी है। हम चन्दा कर रहे हैं और भवनों की व्यवस्था कर रहे है, लेकिन इसके बावजूद, जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें काफी टूट-फूट है। उसके लिए भी फन्डस की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फन्डस नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि वहां पर दवाइयों के लिए और भवनों के लिए फण्डस की व्यवस्था की जाय।

इसके बाद मैं जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि धौलपुर जल-प्रदाय योजना को चालू किये हुए करीब 7 वर्ष हो गये हैं। वहां पर पानी की बड़ी समस्या है लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जल-प्रदाय योजना को पूरा नहीं किया गया। कहीं पैसों की परेशानी आ जाती है, कहीं नेशनल हाई वे पर पाइप डालने की समस्या आ जाती है। बड़ी

(श्री बनवारीलाल)

मुश्किल है। 7 वर्ष हो गये हैं और हर वर्ष हम पूछते हैं तो यही जवाब आता है कि शीघ्र ही इसको पूरा किया जायगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गर्मियां आ रही हैं तो पानी की समस्या को देख कर वहां पर जल-प्रदाय योजना की दिक्कत को दूर किया जाय और इस समस्या को दूर किया जाय।

इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर फण्डस अलॉट किये जाय ताकि बिल्डिंग की परेशानी को दूर किया जा सके यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य के लिए जो सरकार ने 14,34,00,000 का प्रावधान रखा है मैं समझता हूं कि उससे अगर अस्पतालों की दवाइयों की ही पूर्ति करें तो यह फण्ड काफी कम महसूस होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालो की जो व्यवस्था इस समय दवाइयों के मामले में है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज गिरधारीलाल जी भार्गव कह रहे थे कि बड़े अस्पतालों में यह होता है उससे ज्यादा न कह कर मैं अस्पतालों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले अस्पताल में जाने का मेरा भी काम पड़ा। हमारे गांव का एक मरीज यहां पर भर्ती हुआ। उसके लिए दवाईयां बाजार से लाई गई। वह ठीक नहीं हुआ और वहां से चला गया तो कम्पाउन्डरों ने जो उसकी दवाइयां काम में नहीं आई थीं उनको रख लिया। दवाईयां वहां से देना तो दूर लेकिन जो दवाईयां वह बाजार से खरीद कर लाया उन दवाइयों को कम्पाउन्डर ने रख लिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के अस्पताल के मामले हैं। यह बड़े अस्पतालों की बात है और अगर गांवों के अस्पतालों को बात करूं तो गांवों में जो आपकी तरफ से दवाइयां जाती हैं वह डाइरेक्ट मैडिकल स्टोर्स को बिकवा दी जाती है और जनता से पैसा लेकर मेडिकल स्टोर्स वाले देते हैं। जो दवाईयां फ्री देते हैं उसमें 10 पर्सेन्ट जनता को उपलब्ध नहीं होती है।

लालसोठ क्षेत्र में जो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो उनके लिए आपका यह नियम है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत दो चिकित्सालय होना आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि लालसोठ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर केवल एक चिकित्सालय है। उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़-पचेवर का एक मामला है। वहां पर काफी दिन से चिकित्सालय के लिए सरकार विचार कर रही है। उसके लिए जन सहयोग देने को तैयार है लेकिन इसके बावजूद रामगढ़-पचेवर में नया चिकित्सालय बन्द है। एक हैल्थ सेन्टर के अन्तर्गत दो चिकित्सालय होने चाहिए। इसकी स्थिति यह है कि जनता का पूरा सहयोग होते हुए भी आज तक चिकित्सालय नहीं खोला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राईमरी हैल्थ सेन्टर मंडावर में चिकित्सालय को बनते हुए कई साल हो गये। हर साल विधान

Page No 84

(84)

(श्री मीठालाल)

सभा में इसके बारे में प्रश्न रखा जाता है। ज्योंहि प्रश्न जाता है तार से खबर ले ली जाती है तो एक फुट निर्माण कार्य आगे बढ़ जाता है। इस तरह दूसरे साल एक फुट आगे बढ़ता है। इस तरह से कई साल उसको हो गये लेकिन आज तक वह भवन पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बैठने का और चिकित्सालय चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम इस बिल्डिंग को तो जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, औषधालयों के मामले में गत वर्ष मैंने निवेदन किया था कि लालसोट क्षेत्र में औषधालयों की बहुत कमी है। जनता पूर्ण सहयोग देना चाहती है। इधर वैद्य बेकार हैं और जनता अस्पतालों की वजह से परेशान है। अगर सरकार केवल वैद्य भी दे दे तो जन सहयोग से हम दवाइयां प्राप्त कर लेंगे। केवल वैद्य की तनख्वाह दे दे। दवाईयां जन सहयोग से हम प्राप्त करवा देंगे। जो औषधालय पहले गांवों में थे वहां पर चिकित्सालय खोल दिये गये हैं लेकिन जहां पर चिकित्सालय भी चल रहे हैं और आयुर्वेदिक औषधालय भी चल रहे हैं। कम से कम जहां पर चिकित्सालय खोल दिये हैं वहां से आयुर्वेदिक औषधालय हटा कर दूसरे गांवों में खोलने का प्रावधान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय को जब मैंने दो तीन गांवों के नाम बतलाये थे—लालसोट, खडमरा, देलाना, छानपुर और निवेदन किया था कि उनमें बड़ी ही आवश्यकता है औषधालयों की तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जिला परिषद् से ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं हुआ सिफारिश का। तो इस बार जिला परिषद् से प्रार्थना-पत्र आपके वास्ते भेज दिया गया है। जनता और मेरी तरफ से निवेदन करके प्रार्थना-पत्र भेजा है कृपा करके इस साल तो यह औषधालय जरूर खोलने पर का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना के मामले में मेरी शिकायत यह है कि शहरों और देहातों में इससे बड़ा भारी भेदभाव है। कई जगह रीजनल स्कीम्स बन रही हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। उससे मुझे ऐतराज नहीं है. लेकिन कम से कम इस क्षेत्र में जहां पर योजनाएं बना भी ली हैं, उन योजनाओं को पास भी कर दिया, किन्तु काम शुरू नहीं हुआ, या कई जगहों पर पानी नहीं पहुँच रहा है और आप बिल भी पेश कर रहे हैं। लालसोट में पोजीशन यही है। वहां पर जल प्रदाय योजना की स्कीम भी पास कर दी, लेकिन अभी तक चालू नहीं की गई है। लालसोट कस्बे में आधे कस्बे में तो पानी पहुंचता है और आधे कस्बे में नहीं पहुँचता है पानी, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारी इतने सतर्क जरूर हैं जिनको पानी भी नहीं पहुँचता है उनसे भी आप पैसा वसूल कर रहे हैं। पानी नहीं पहुँचता है वहां पर बिल तो वसूल न करें, लेकिन आपके विभाग द्वारा जबरदस्ती वसूली के आर्डर जा रहे है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवे-

(श्री मीठालाल)

दन है कि इस लालसोट कस्बे में जो बड़ी परेशानी है, उसको दूर किया जाये। क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में विचार करें। जल प्रदाय योजना की जो स्कीम आपने की है, जिसमें ढ़ाई गुना पैसा लेते हैं, उसमें अनेक ऐसे लोग हैं, जिनका ढ़ाई गुना पैसा जमा हो गया है। अधिकांश आदमी ऐसे हैं जो कि पैसा लिए दफ्तरों में फिर रहे हैं। अधिकारी लोग उनको कहते हैं कि यह उसको जमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ में जिलाधीश का सर्टिफिकेट चाहिए। जिन गांवों में यह समस्या है, वह गांव रामगढ़, पचवारा, मण्डावती और डडवाना हैं। वहां पर पेय जल योजना की व्यवस्था करें। दूसरा मैं निवेदन यह करूंगा कि सवाई माधोपुर के लिए पैसे के बारे में जो कहा गया था, इस बारे में निवेदन है कि टोंक आपके पास है। वहां पर बनास नदी है। 20 लाख रुपया जो आप जयपुर, उद्योग को ऋण दे रहे हैं। वह आप महंगे रेट पर दे रहे हैं। उससे आपको नुकसान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 20 लाख रुपया का ऋण रद्द कर दिया जाये। 20 लाख की आप अच्छी योजना कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आप एक पार्टी को 20 लाख रुपया दे रहे हैं। वह दूसरे गांवों में कार्य कर सकते हैं। नादोती गांव में आपने 20 लाख रुपया की योजना की थी। उसमें से आप 11,60,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। 20 लाख में से 11 लाख खर्च हो चुके हैं। अभी भी पानी का पता नहीं है। वास्तव में जो पानी दे सकते हैं वह ढंग से पानी दें। जिन गांवों में पानी नहीं है, उनको निश्चित रूप से पानी दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर, इन्हीं शब्दों के साथ दोनों माननीय मन्त्रियों से निवेदन करता हूं कि इस बारे में कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल।

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल मोर !

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 4 कटौती प्रस्ताव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की एक रिपोर्ट है, जिसके 27-28 पेज पर यह उल्लेख किया है कि राजस्थान में प्रति 12 हजार व्यक्तियों पर एक डाक्टर है। राज्य में 2,000 डॉक्टर हैं। प्राइवेट डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। यह 1968 की परिस्थिति है। इसके पश्चात् से, मेरे ख्याल से, परिस्थिति नहीं सुधर पाई है। एक तरफ सैंकडों डाक्टर बेकार हैं। दूसरी तरफ हम डाक्टरों के अनुपात में देश में सबसे कम हैं। अर्थात् प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें न्यूनतम हैं। एक लोकतन्त्रीय सरकार, जो अपने को समाजवादी कहती है, उसके लिए शोभनीय नहीं है। एक समाजवादी सरकार, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान में मेडिकल में 16707 रोगी शैयायें हैं। अपना बजट 14 करोड़ का है। आगे हालत सुधरती नजर नहीं आती है। कोई

(श्री अमृतलाल गहलोत)
जादू का डन्डा नहीं है जो स्थिति सुधर जाये।

14 करोड़ का सदुपयोग हो जाये, इसका प्रयास करना चाहिए। अनुपात देश के बराबर तो आ जाए यह प्रयास करना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय है, जो कि प्राथमिक शालाएं खोलने के लिए अनुदान देता है। हमारा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मन्त्रालय है, वह हमें भी अनुदान देने के लिए विचार कर सकता है। अभी 14 करोड़ के बारे में क्या हो रहा है। अस्पतालों के बारे में मैं अपने नगर के बारे में कहूंगा। जोधपुर नगर है जो राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर है। हमारे यहां 2 होस्पिटल हैं। 1947 से पहले महाराजा के जमाने में 300 शैया की संख्या थी। अब वह 618 हो गई है। परन्तु वहां पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, कम्पाउन्डर हैं, उनकी सख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहां पर एक रोगी को एक नाश्ता और एक भोजन दिया जाता है, उसका 75 पैसा दिया जाता है। दवाई के लिए 60 पैसा दिया जाता है। आज की हालत में 75 पैसे में यह कैसे सम्भव है कि उसको कुछ दिया जा सके। आज यह हाल हो गया है। बरामदे में मरीज पड़े हुये हैं। कमरों में भेड़ बकरी की तरह से भरे हुए हैं। चिल्डन्र्स वार्ड हैं, जिस समय जोधपुर की 80 हजार की जनसंख्या थी। वहां 54 बेड हैं। 54 उनके अटेण्डेण्ट हैं। उनको अटेण्ड करने के लिए 10 स्टाफ के हैं। 118 व्यक्तियों के लिए वहां पर एक लैट्रीन है। यह कौनसा स्वर्ग है, यह कौनसा नर्क है। हमारे यहां एक नया हॉस्पिटल निर्माण होने जा रहा है। उसकी नींव पड़ गई है। इस वर्ष यहां साढ़े 5 लाख का प्रावधान रखा गया है। लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया है। जयपुर में 1328 पर एक, बीकानेर में 132 पर एक. और जोधपुर में 1937 पर एक हॉस्पिटल बैड है। यानी 1335 बैड और चाहिए। 5 साल पहले एक योजना बनाई गई थी कि 1000 बैड पर एक टीचिंग होस्पिटल बनाया जायगा। उसका कोई पता नहीं लगा है। जन संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 4½% के प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि यह अन्याय है। हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। स्टेट के टाइम में 80 हजार की आबादी जोधपुर नगर की थी। आज जब 3.5 लाख जन संख्या है, तब डिस्पेन्सरीज की केवल सात। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर नगर के फिदसर खनिज क्षेत्रों में जहां पर 25 हजार मजदूर कार्य करते हैं। पत्थरों का काम होता है। वहां पर अनेक बार विस्फोट होते हैं। वहां पर एक केवल मैडिकल एन्ड पोस्ट हॉस्पीटल है। उसको भी आप डिस्पेन्सरी स्तर तक नहीं क्रमोन्नत कर पाये।

अबमैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, डाक्टरों का मरीज के साथ में क्या सम्बन्ध हैं। मेरे ख्याल से भारतीय संविधान में एक आर्टिकल और जोड़ दिया जाय, राजस्थान में डाक्टरों के तबादले और उनका ट्रासफर सरकार नहीं कर सकती हैं। डाक्टर जिस दिन से ड्यूटी जोइन करते हैं,

(श्री अमृतलाल गहलोत)
उस दिन से लगा कर बीस बीस साल तक एक ही जगह बैठे हैं, उनका ट्रान्सफर नहीं हो सकता है, दूसरे किसी भी अधिकारी का ट्रान्सफर हो सकता है। दूसरा वैधानिक अधिकार दिया जाय, प्राइवेट प्रेक्टिस से डाक्टर कितना ही कमा ले। मैं प्राईवेट प्रेक्टिस को लीगेलाइज ब्राइबरी कहता हूं, लीगेलाइज घूस कहता हूँ। कैसे, वह मैं बताऊं....

श्री शंकर लाल : संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. यह राज्य सरकार ही कर सकती है।

श्री अमृतलाल गहलोत : ऐसा है, डाक्टर सरकारी नौकरी में आता है। जब वह हास्पिटल में प्रवेश करने का अधिकारी होता है उस वक्त उसकी प्राइवेट प्रेक्टिस कितनी होती है और जिस समय रिटायर होता है उस समय प्राइवेट प्रेक्टिस कितनी रहती है, मैं समझता हूं, उसमें बहुत बड़ा फर्क रहता है। मैं जोधपुर शहर में देख रहा हूं, प्राइवेट डाक्टरों की प्रेक्टिस कहां से कहां पहुंच गई है। मरीजों का गरीब आदमियों का जहां तक प्रश्न है, उनको कैसे फायदा हो, जो चौदह करोड़ की राशि रखी गई है, वह गरीब और बीमारी से त्रस्त व्यक्तियों के उपयोग में नहीं आ सकती है। मैं आपको बताऊं, जैसा अभी गिरधारीलाल जी ने बताया, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द हो गई है, और आपने भी इस सदन में ऐलान किया था कि ऐसा आदेश होने वाला है कि प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते। मुझे बताइये, ऐसा आदेश क्यों नहीं निकाला गया? प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द नहीं की गई तो क्यों नहीं? जो इंजिनीयर्स हैं, और दूसरे लोग जो सरकारी नौकरी मे काम करते हैं उनको प्राइवेट काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है? उनको विशेष रियायत क्यों दी गई है। मेरा निवेदन है कि आप ट्रान्सफर के लिए नियम बनायें कि इतनी अवधि के बाद डाक्टर एक जगह पर बिल्कुल नहीं रह सकता है। आप प्राईवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायें। आपने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया था कि नियम बनायेंगे और नियमों के अनुसार ही ट्रान्सफर करेंगे। यह इस सदन में, इस पवित्र सदन में आश्वासन दिया था, हमें उम्मीद है कि वह जरूर पूरा होगा। लेकिन आपने जो लिस्ट दी, उसमें ऐसे ट्रान्सफर न करें कि 'अश्वथामा हतो नरो वा कुंजरा'। बदली हुई – यह मालूम नहीं होता। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में कर दी, इस विभाग से उस विभाग में भेज दिया। मैं बदली तब मानूंगा जब कि जोधपुर या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर आप बाहर करदेंगे, नहीं तो नाम मात्र को कागज में हुई बदली को मैं बदली नहीं मानता।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री जी यहां पर नहीं, जितना इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का काम अच्छा रहा है उतना किसी का नहीं। शायद इस विभाग का काम सर्वोत्तम है – यह मेरा अनुमान है। परन्तु इस विभाग की भी कुछ सीमायें हैं, उन सीमाओं के बाहर इनका अधिकार नहीं है। इस साल दस करोड़ की लागत का काम करने का अनुमान है और अगली

(श्री अमृतलाल गहलोत)

साल चौदह करोड़ का काम करने का अनुमान है। मुझे बताइये, इस डिपार्टमेन्ट के पास नल नहीं है और नल की कोई फैक्ट्री आपने नहीं लगाई है, तो इस चौदह करोड़ की जगह आप चवालीस करोड़ कर लें लेकिन जब तक नल नहीं मिलें तब तक यह विभाग क्या कर पायेगा। इसके अलावा सीमेंट आपके पास नहीं है, लो.ा आपके पास है नहीं तो फिर आप थ्योरीटिकली आप बतला देते हैं, नल आपके पास नहीं है तो कैसे लगायेंगे। केवल यह कह देने से कि फाइनेंशियल मंजूरी आ गई लेकिन नल नहीं दे सकते – इससे जनता को पानी नहीं मिलेगा।

दूसरा मैं निवेदन कर दूं, अभियांत्रिक विभाग का यह भी कर्त्तव्य बनता है कि शहर में से गन्दा पानी निकालने के लिए पर्टीक्यूलरी ड्रेनेज का प्रबन्ध करे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान इसके लिए नहीं है मेरे क्षेत्र जोधपुर शहर के लिए। अगली साल के लिए भी नहीं है जबकि जयपुर की गुलाबी नगरी के लिए एक करोड़ रुपया लिया जा रहा है। यह बड़ा नगर है, यह मंत्रियों के बंगले बने हुए हैं, यहां सचिवों के बंगले बने हुए हैं। जोधपुर के अन्दर गरीब लोग हैं लेकिन बम्बों का प्रहार हम लोगों ने सहा है, सीमा के प्रहरी हम बने हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : गन्दगी नहीं है इसलिए ही बम्बों को बर्दास्त कर लेते हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है।

इसका नतीजा क्या हुआ, दुर्भाग्य है, हमारे मुख्य मंत्री की हवेली के पास से मुस्लिम लीग पैदा हुई, जो राजस्थान में स्विंग करेगी, इसी तरह से जोधपुर में नक्सेलाइट पैदा होंगे और आपके पापों का प्रायश्चित हम लोग करेंगे – यह आप सुन लीजिये। तो क्यों नहीं आप गन्दी नालियों का पानी निकालने का प्रबन्ध करते हैं। यह अन्यायपूर्ण चीज है। बुराई करना पाप है लेकिन बुराई को बर्दाश्त करना उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है। मेरा निवेदन है, विभाग कैसे काम कर सकते हैं यदि आप उसे फिजीकल चीजें नहीं देंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं, आपने पचास लाख रुपये अलॉट किये हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पेय जल की व्यवस्था के लिए। मेरे ख्याल में मेरे क्षेत्र में मार्च में 15 हजार रुपये दिये हैं। एक लाख की जनसंख्या है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जोधपुर के अन्दर, तो फिर पचास लाख में से 15 हजार मेरे हिस्से में कैसे आये जबकि आलरेडी कई कामों का एस्टीमेट आपके पास पड़ा है। इसके अलावा आपने पुरानी नालियों को ठीक करने के लिए भी पैसा नहीं दिया है। मैं निवेदन करता हूं अगली साल पर्याप्त मात्रा में इस मद में पैसा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूनाराम !

श्री लूनाराम (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में आज कई प्रकार की चिकित्सायें चालू हैं—एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, प्राकृतिक

(श्री चूनाराम)

चिकित्सा आदि नामों से, पर देखा जाय तो इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का अधिकतर लाभ जो मिल रहा है वह शहरी जनता को मिल रहा है। आज गांवों में नाम मात्र की चिकित्सा सुविधा भी लोगों को मिलना कठिन है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो अनुमानित आंकड़े चिकित्सा सेवाओं के दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और आयुर्वेदिक औषधालय—इन दो तरह की चिकित्साओं के द्वारा अधिक मात्रा में सेवा की जाती है। आयुर्वेदिक औषधालयों का जहां तक सम्बन्ध है उनके अन्दर वर्षों से मांग के बावजूद भी कोई औषधालय नहीं खोले जाते हैं, जिस किसी साल में थोड़े बहुत औषधालय खोलने की घोषणा सुनते हैं तो उसके साथ यह होता है कि यह बोर्डर एरिया में खोल दिये गये हैं। दूसरी तरफ अधिक जनसंख्या जहां है, वहां खोलना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार से बीच के जो जिले हैं, नो दस जिले हैं, जिन्हें हर प्रकार से रेगिस्तानी जिला कहा गया है उन जिलों में बोर्डर एरिया को छोड़ कर, यद्यपि वहां दूर दूर पर गांव बसे हुए हैं, उन गांव के लोगों को आयुर्वेदिक औषधालय की सेवा प्राप्त नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक पंचायत हैड क्वार्टर पर आयुर्वेदिक औषधालय की सेवा उपलब्ध करवा दी जाय जिसमें विशेष खर्च भी नहीं है क्योंकि एक वैद्य और एक उप वैद्य और महरवानी करके चार सौ, पांच सौ रुपये की दवाई देते हैं। कम से कम इतना तो मान लें कि एक आयुर्वेदिक औषधालय एक पंचायत क्षेत्र में कम से कम रहे।

दूसरी तरफ औषधालय स्थापित करने की बात आती है तो उनके लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, जो एलोपैथिक आदि की डिस्पेंसरी के लिए प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए, उनका खर्चा सरकार वहन करती है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधालय के लिए कोई रकम नहीं दी जाती है, जब कि गांव वाले अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होते हैं, पीड़ित हैं और मकान बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं। मैं यह चाहूंगा कि जहां पर भी आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किये जायं तो जिस तरह प्राईमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग और डाक्टरों के क्वार्टर बना कर गवर्नमेंट सुविधा देती है उसी प्रकार वैद्य और आयुर्वेदक औषधालय की बिल्डिंग बनाने में सरकार सहयोग करे।

इसके साथ ही आज दवाई का यह हाल है कि चार सौ, पांच सौ रुपये की दवाई मुश्किल से औषधालय में पहुंचे पाती है और वह भी एक तरह होती है आवश्यकता किसी दवा की है और उसके बजाय दूसरी दवा आ जाती है। दूसरे प्रकार की दवा वहां नहीं मिलती है, और एक ही प्रकार की दवा वर्षों तक पड़ी रहती है और उसका उल्टा परिणाम पुरानी दवा होने से निकल जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में सुधार करना नितान्त आवश्यक है।

इसके साथ आयुर्वेदिक पद्धति की दवा को आयुर्वेद वाले कम बरतते हैं। अक्सर गांवों में देखते हैं कि अधिकतर

(श्री लूनाराम)

वहां एलोपैथिक दवाइयों को काम में लेते हैं। वैद्य डॉक्टरों की तरह एलोपैथिक दवा लिख देते हैं, यह रोगी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। आज एलोपैथी की बढ़ती हुई तरक्की के दौरान यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा नहीं कराई जाय, लेकिन जो आदमी इसका ज्ञान नहीं रखता है एलोपैथी का, वह आदमी इस एलोपैथी के इन्जेक्शन लगाये या मेडीशन बतलाये तो हो सकता है कि उसका उल्टा परिणाम हो जाय। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसलिए आयुर्वेद मन्त्री यह स्पष्टतया इस चीज के लिए आदेश दें और इस तरह की कार्यवाही करायें कि वैद्य किसी प्रकार एलोपैथिक इन्जेक्शन या औषधियां काम में नहीं लेंगे। या फिर समस्त वैद्यों को समय की मांग के अनुसार कम से कम छः महीने की ट्रेनिंग दी जाय जिससे अज्ञान और अजानकारी के कारण एलोपैथी के इन्जेक्शन और दवा गलत रूप से काम में न लें। यह मेरा निवेदन है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर औषधालय की बात करूं, औषधालय की सुविधा एक तरह से नगण्य है। मेरे क्षेत्र जैसा मैं निवेदन करूं, कल्याणपुरा पुरोहितान आदि गांव वालों की तरफ से आज से दो तीन साल पहले से औषधालय की बिल्डिंग और वैद्यों के मकान आदि बने हुए पड़े हैं लेकिन वहां औषधालय खोलने की उनकी मांग आज तक सरकार स्वीकार नहीं कर रही है मैं तो मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि जहां पर इस प्रकार के बड़े गांव हैं और भवन तैयार पड़े हैं, कई वर्षों से, तो ऐसे गांवों के लिए कम से कम अगर इस साल गुंजाइश हो तो औषधालय स्थापित करने की प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अब मैं एलोपैथिक प्राईमरी हैल्थ सेंटर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ सरदार-शहर में प्राईमरी हैल्थ सेंटर हैं। गांव में हैल्थ सेंटर की व्यवस्था करने का नियम होते हुए भी वह सेंटर म्यूनिसपल सीमा में और सरदार शहर के अन्दर स्थापित है जिसके बारे में पंचायत समिति और गांव की पंचायत समय समय पर मांग करती रही है। अब की बार मैंने इस बारे में प्रश्न किया तो मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया कि सरदार शहर का प्राईमरी हैल्थ सेंटर को गांव में ले जाने का विचार करेंगे। जैसे कि मुझे जानकारी है, पंचायत समिति सरदार शहर ने प्राईमरी हैल्थ सेंटर ग्राम शिमला में स्थापित करने के लिए और परिवार नियोजन सेंटर दूसरे ग्राम सोलपालसर में स्थापित करने के लिए विभाग के पास प्रस्ताव भेजे लेकिन जैसा मुझे मालूम हुआ है जहां प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोलने के लिए शिमला गांव के लिए प्रस्ताव भेजा है, वहां परिवार नियोजन खोलने की मंजूरी भेजी है। जो पंचायत समिति ने मांगा था हैल्थ सेंटर उसके बिल्कुल विपरीत किया है और दूसरे गांव सोलपालसर का कोई जिक्र नहीं है। प्राई-मरी हैल्थ सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि पंचायत समिति ने

Page No 91

(९१)

(श्री लूनाराम)

प्रस्ताव भेजा है कि ग्राम शिमला हैल्थ सेंटर में वह स्थापित किया जाए, ऐसी मैं मंत्री महोदय से आशा रखूंगा।

इसके साथ साथ जो गांवों में दवाइयों के लिए व्यवस्था है, एक प्राईमरी हैल्थ सेंटर वाले गांव के क्षेत्र में या अन्य गांवों में जिस रूप से सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। इस बारे में मैं बुराई के रूप में नहीं कहता और यह भी नहीं कहता कि वे लोग अपना काम पूरी तरह से करते हैं। अनेक प्रश्न हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों में सुचारू रूप से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए हर अस्पताल के साथ एक कमेटी का गठन हो। जिला स्तर पर जिलाधीश, जिला प्रमुख, जिला चिकित्सा अधिकारी और विधायक। इसी प्रकार पंचायत समिति ......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जरूरी जरूरी बातें निवेदन कर रहा हूँ। इसी प्रकार पंचायत समिति क्षेत्र में प्रधान, विकास अधिकारी, नगरपालिका चेयरमैन और स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य अधिकारी। पंचायत क्षेत्र में सरपंच आदि। कम से कम एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के अगर हर महीने का हिसाब व प्रोग्राम रखा जाए तो हर्ज नहीं होगा। और इससे, जहां तक मैं समझता हूं, स्वास्थ्य सेवा के अन्दर सुधार होगा, अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। विभाग को अधिक खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी कमेटी स्थापित की जाए तो सुधार हो सकता है।

इसके साथ साथ आज गांवों में खास तौर से दाइयों की व्यवस्था कठिन है। इस काम को अख्तयार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पुराने जमाने में एक विशेष जाति की औरतें दाई का काम करती थीं पर आज हर कौम अपने समाज का सुधार चाहती है, इस कारण उन लोगों ने इस पेशे को छोड़ दिया है तो हर गांव में चाहे सरकार अनुदान देकर, चाहे ट्रेनिंग देकर किसी भी प्रकार से कम से कम दाइयों की व्यवस्था गांवों में करना आवश्यक है। इसी प्रकार प्राईमरी हैल्थ सेंटर के जो सब-सेंटर्स हैं उनमें कुछ दवाइयों की अधिक व्यवस्था की जाए जिससे वे छोटी डिस्पेन्सरी का रूप धारण कर सके और उस क्षेत्र में लोगों को सेवा हो सके। आज गांवों बहुत भवन ऐसे हैं जो बिना डिस्पेन्सरी के पड़े हैं। 5-5 मील तक डिस्पेन्सरी नहीं है, मैं चाहता हूं कि वहां डिस्पेनसरी की व्यवस्था करनी चाहिए।

आज डूंगरगढ़ के अन्दर मन्त्री महोदय, ने इसी वर्ष मातृ सदन (प्रसूति गृह) सेवा संघ मंजूरी दी है। उस संस्था की मंजूरी देकर बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, इतना बड़ा कस्बा होते हुए भी अस्पताल के अन्दर बेडस की संख्या एक है जो पर्याप्त नहीं है। 16 बेड्स की मंजूरी के लिए बहुत लम्बे समय से कागजात सरकार के विचाराधीन पड़े हैं और कम से कम 15 वर्ष से कागजात चल

(श्री लूनाराम)
रहे हैं उस बारे में भी मन्त्री महोदय का आश्वासन है और उन कागजात पर भी अगर मंजूरी इसी वर्ष दी जाए तो उस क्षेत्र की जनता के लिए अच्छी सेवा होगी ।

आज बढ़ते हुए परिवार नियोजन अभियान के कारण डॉक्टरों को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और प्राईमरी हैल्थ सेंटर्स बिना डॉक्टरों के पड़े रहते हैं। इस बारे में विभाग को सोचना चाहिए जहां परिवार नियोजन का अभियान चलता है वहां अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता होती है पर कम से कम ऐसी जगहों से डॉक्टरों को लेना चाहिए जहां बराबर दो डॉक्टर काम करते हैं लेकिन जहां एक ही डॉक्टर हो, ऐसे स्थान से डॉक्टर को भेज दिया जाता है तो पीछे काम सारा ठप्प हो जाता है ।

इसी तरह से जो आज गांवों में केरल से आई हुई लड़कियां हैं, वे गांवों में काम करती हैं, उनके लिए कोई मकान आदि न होने से उनको बड़ी असुविधा रहती है जहां भी ऐसे सब-सेंटर्स खोले जायं तो कम से कम वहां क्वाटर्स की पहले व्यवस्था हो ताकि उनके रहने में दिक्कत न हो ।

अब मैं पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पीने के पानी की खास तौर से समस्या है। आज गांवों में जगह जगह जल प्रदाय योजना चालू हो रही है। खास तौर से कई माननीय सदस्य चूरू जिले वालों के लिए कहते हैं कि सारे के सारे पानी के रुपए उस जिले के अन्दर चले गए। यह दोष शायद क्योंकि जन स्वास्थ्य मन्त्री हमारे जिले के हैं, इसलिए हम पर थोपा जाता है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। अगर आंकड़े देखे जायं तो दूसरे जिलों के आंकड़े हमारे जिले से अच्छे निकल सकते हैं। इतना भी निवेदन कर दूं कि जितनी पीने के पानी की समस्या चूरू जिले में है शायद और कहीं नहीं होगी क्योंकि पहली बात प्रायः सभी गांवों का पानी खारा है, दूसरी बात जिन गांवों का पानी मीठा है, उन गांवों का पानी इतना गहरा है कि 400-400 500-500 फीट गहरा होने से पानी निकालने में कठिनाई है। जितना चूरू जिला इस मामले में पीछे है उतना शायद कोई और जिला नहीं। हमारी कठिनाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मन्त्री महोदय, हमारा होने से कहा जाता है कि सारा पैसा चूरू जिले में आ गया। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि चूरू जिले के बारे में कहने के पहले कम से कम यह बात तो सोच विचार कर कहें कि वहां पर खूब काम हुआ है। सबको चाहिये कि पहले वहां कि स्थिति का मेरे साथ चल कर अध्ययन करने की कोशिश करे ।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय तो दिया जाय। मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ पीने के पानी की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पानी की बहुत ही समस्या है। मैं निवेदन करूंगा पर वहां कि जलदाय विभाग में जो योजनायें बनाई हैं वह दोषपूर्ण है। आज

(श्री लूनाराम)

वहां पर जो भी आपने ट्यूबवैल बनाने, योजनायें संक्सन की हैं वहां पर ऐसी स्थिति है कि पहले लाखों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं। और जब ट्यूबवैल लगाने की बात आती है तो पैसा ही नहीं रहता। दूसरी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले पैसा जो खर्च किया जाय वह ट्यूबवैल के लिये किया जाय न कि दूसरे आइटम्स पर। इसके अलावा मैं कुछ रीजनल स्कीम्स के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जो रीजनल स्कीम सैक्शन होती है उसमें एक स्कीम में काफी गांव आ जाते हैं उसमें कुछ गांव ऐसे भी आते हैं जिसमें कि कुओं का पानी मीठा होता है लेकिन काफी गहरा होता है जिससे अगर पानी निकालने की कोशिश करें तो काफी गहरा पानी होने की वजह से निकालने में काफी कठिनाई होती है। उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि विद्युत् विभाग को यहां रकम दे दी जाय तो ऐसा होगा कि वहां पर कुए को गहरा करके बिजली की मशीन उसमें लगा दी जाय तो पानी काफी सुविधा से आ सकता है क्योंकि पाइप लाइन के लिए मिलते नहीं हैं. विद्युत् पाइप से सस्ती भी रहेगी।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। दो मिनट में ही खतम करने जा रहा हूं; बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में होज बनाय जाते हैं। एक गांव के लिये एक ही होज वह काफी नहीं होता है यह होज मेरा निवेदन है कि बड़े गांव के लिये दो तीन बनाये जाने चाहिये और बड़े भी बनाये जाने चाहिये। क्योंकि आज जो होज बनाये गये हैं वह वहां के लोगों के हिसाब से गैलनों का हिसाब लगा कर बनाये गये हैं उसमें गांव के जो जानवर हैं उनकी गिनती उसमें नहीं की गई है। तो उपाध्यक्ष महोदय, गांव के होज से वहां जानवर भी तो पानी पीते ही हैं, अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें बड़ा बनाया जाना चाहिये। इस बात के लिये मेरी बातचीत मुख्य अभियन्ता और माननीय मन्त्री से भी हुई थी उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि गांवों में और खासतौर से बड़े गांवों में दो, तीन होज बनायेंगे मेरा निवेदन इसके अलावा यह है कि वहां पर हरिजनों को पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है इसलिये उनके लिए भी एक होज की व्यवस्था उनके मोहल्ले में होनी चाहिए। अगर राज सरकार ऐसा करती है तो मैं उसके लिए विभाग का बड़ा ही ऋणी रहूंगा। इसके अलावा मैं एक तीसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जिन गांवों में बिल्कुल मीठा पानी नहीं है और खारा पानी ही है उन गांवों की योजनाओं को पहले हाथ में ली जाय। उन इलाकों में पहले मीठा पानी मिलने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय। जैसे उदासर से और उसके आस पास के लोगों को पीने के पानी के लिये जल्दी से जल्दी योजना को हाथ में ले कर व्यवस्था की जाय। इसी तरह राजासर के आस पास के कई गांव ऐसे हैं वहां पर, जो योजनायें हैं उनको प्राथमिकता दी जाय।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह

(श्री लूनाराम)
है कि हमारे चूरू जिले से डूंगरगढ़ बड़ा कस्बा है वहां पर बरसात के दिनों में पानी बरसने से शहर के अन्दर चारों तरफ पानी भर जाता है उसके निकलने की कोई व्यवस्था नही है। इससे जनता को काफी तकलीफ होती है मैंने पिछले सत्र में भी माननीय मन्त्री जी से निवेदन किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि इस साल तो धन का अभाव है अतः यह योजना हाथ में नहीं ली जा सकती। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी इस साल तो इस योजना को हाथ में लेंगे और जो डूंगरगढ़ कस्बे के लोग इस समस्या से काफी पीड़ित हैं उनकी तकलीफ को आप मिटाने की कृपा करेंगे। अब मैं एक बार और पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एक तोलियासर गांव है मेरे क्षेत्र में, उसके अन्दर एक योजना जलदाय विभाग द्वारा स्वीकृत की हुई थी। इस तोलियासर गांव में एक ट्यूबवेल खोदा गया उसमें बाद में पाइप भी लगाया वहां पर कुओं को गहरा भी किया गया लेकिन कुछ ऐसा डीफेक्ट रह गया कि वह ट्यूबवेल फेल रहा उसके लिये हमने बार-बार लिखा पढ़ी की लेकिन कोई काम अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ और वह अधूरा ही पड़ा है इसलिए मेरा निवेदन है कि उस अधूरे काम को ठीक कराया जाय। अब विभाग वाले यह कह रहे हैं कि इसके लिये आप दुवारा आदेश दूसरे ट्यूबवेल के लिए करायें। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो ट्यूबवेल खोदा गया था उसमें विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से ट्यूबवेल फेल रहा और उससे पानी नहीं आया इसके लिये दोषी तो विभाग के लोग हैं अतः मेरा निवेदन है वहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, गांव तोलियासर के आस पास करीब 15 गांव हैं जहां से अगर यह ट्यूबवेल चालू हो जाय तो पानी पीने को मिल सकता है। अतः इसे प्राथमिकता दी जाय। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं ग्राम आउसर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां पर एक ट्यूबवेल खोदा गया जिसमें पानी काफी है। यह ट्यूबवेल योजना के गांव से काफी दूर है अगर इस योजना के अन्दर तो उसके गांव भी ठुकरियासर, लाठडिग्या में बोर किया जाय जहां काफी पानी है। मेरे गांव बिग्गा की अधूरी जलदाय योजना है, टंकी बनी हुई है जगह टूंटियां लगी हुई हैं पर पानी नहीं इसलिए शीघ्र बोर करवा कर व्यवस्था की जाय या प्रेमसिंहपुरा जो थोड़ी 3 मील दूर है, से दिया जाय जहां पानी भी अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद गफ्फार अली!

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे पास आपके कटौती प्रस्ताव नहीं आये हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत: मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपने दिये हैं तो हो सकता है वे अस्वीकार हो गये होंगे।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं यह जानकारी लेना चाहती हूँ कि वे अस्वीकार क्यों हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी आप अध्यक्ष महोदय से लें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हमें भी तो बोलने का मौका दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : आपको बोलने का बहुत मौका मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में राज्य सरकार द्वारा कुछ विभागों की मांगों को स्वीकार करने के लिये रखा है। मैंने एक प्रश्न भी चिकित्सा विभाग के बारे में उसके अन्दर जो त्रुटियां थीं, उसके बारे में दिया था उस वक्त यह कहा गया था कि बजट के वक्त जब मांगे पेश हों तब मौका और मिलेगा चिकित्सा विभाग के बारे में बोलने का। यह बात जरूर है कि उसके बाद में कुछ परिवर्तन आये हैं, एक कमेटी भी राज्य सरकार ने बनायी है और उसकी एक दो मीटिंग नहीं करीब तीन मीटिंग्स हुई हैं मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं। इसलिये मुझे भी उस मीटिंग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पर जो कमेटी निर्माण हुई है वह मेरे ख्याल से एक फण्ड कलेक्शन कमेटी की तरह ही है। इस कमेटी का खुद का कोई करेक्टर नहीं है। उसका काम सिर्फ फण्ड कलेक्शन तक ही सीमित है। और जो वह कमेटी सिफारिशें करें उसे राज्य सरकार माने या नहीं माने यह उसकी मर्जी है। इसके लिये मैंने चेयरमैन जो इस कमेटी के थे उन्हें कुछ निवेदन किया और कुछ फैक्ट्स और फीगर्स के बारे में पूछा तो उनकी बातों से ऐसा पता चलता है कि हम न तो इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं और न कुछ और कार्य विशेष रूप से इसमें कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब हम सुझाव नहीं दे सकते हैं तो यह एक प्रकार से फण्ड कलेक्शन कमेटी ही है तो मैंने उन्हें यह कहा कि मैं तो फण्ड्स वगैरह लाकर दे नहीं सकता मैं तो सिर्फ कोई अच्छे सुझाव चाहे दे सकता हूं। हां यह बात जरूर है कि वहां के जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें अस्पताल का मुआयना वगैरह कराया और जो जो भी वहां पर काम होता है वह बताया इससे तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो कमेटी विधायकों की बनायी गयी है वह अगर इस अस्पताल की व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव नहीं दे सके तो क्या फायदा ऐसी कमेटी का। दूसरी बात जो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं वह एक अहम मसला है कि डॉक्टरों की जो प्राईवेट प्रेक्टिस है उसे समाप्त की जाय। यह जब तक बन्द नहीं होगी तब तक अस्पताल की हालत नहीं सुधर सकती। अगर आप अस्पतालों का सही इन्तजाम करना चाहते हैं तो डॉक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द की जानी चाहिये। आज सैंकड़ों शिकायतें इस बात की प्राप्त होती हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वे आउटडोर में बीमारों को एवेलेबल नहीं होते हैं। इससे जनता बहुत ही परेशान होती है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो ऐसा होता है कि

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आउटडोर में बड़े बड़े डॉक्टर एक एक हफ्ते तक एवेलेबल नहीं होते हैं। और उनकी एवज में छोटे छोटे डॉक्टर्स या जो ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर्स होते हैं वे ही उनको देखते हैं। तो मेरा कहना है कि इस प्राईवेट प्रेक्टिस को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। अगर आप इस प्राईवेट प्रेक्टिस को बन्द नहीं करेंगे तो आप बड़े डॉक्टरों की सेवायें आम जनता को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इसलिये कि जो टाइम प्राईवेट प्रेक्टिस का है वही टाइम आउटडोर पेशेन्ट्स के देखने का है। यह तसद्दीक होता चला जा रहा है। पहले भी इस ओर तवज्जह दिलायी थी और आज फिर इस ओर चिकित्सा मन्त्री जी की तवज्जह दिलाना चाहूंगा।

दूसरा गहरा ताल्लुक है प्राईवेट प्रेक्टिस का डॉक्टर्स की बेरोजगारी के सवाल से। जो डॉक्टर्स बेरोजगार हैं हमारे पास आंकड़े तो हैं नहीं कि आज तक कितने बेरोजगार डॉक्टर्स रोजगार पा सके हैं, लेकिन यह सही है कि बहुत से डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। प्राइवेट प्रेक्टिस जो शफाखाने में काम कर रहे हैं उनकी बन्द कर दी जाय तो जो बेरोजगार डॉक्टर्स हैं उनको बड़ी सहायता मिल सकेगी और उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बढ़ सकेगी।

तीसरी चीज जो गुजारिश करनी है वह यह है कि कुछ अर्से पहले, मेरा ऐसा ध्यान है, चिकित्सा मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि हम सिद्धान्त रूप से यह मानते हैं कि प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिये। क्या मैं यह जान सकूंगा कि इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं? जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या जो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या उन पर भी कोई पाबन्दी लगाना सम्भव नहीं है। हकीकत यह है कि इस दिशा में गवर्नमेन्ट कोई कदम नहीं उठा रही है।

इसके अलावा जो मैंने गुजारिश की थी कि फोर्मर जयपुर स्टेट के वक्त एक बड़ा जनाना शफाखाना था और एक बड़ा मरदाना शफाखाना था। उस समय जयपुर शहर की आबादी 2 लाख 75 हजार थी। आज जयपुर शहर की आबादी 6 लाख 13 हजार हो चुकी है लेकिन दो के दो ही शफाखाने मौजूद हैं। यह जरूर है कि उसमें थोड़ा एक्सटेन्शन किया गया है। जितना प्रपोर्शनेटली होना चाहिये वह तो नहीं किया गया है।

कुछ इस सिलसिले में रचनात्मक, कन्स्ट्रक्टिव सुझाव रखना चाहता हूँ। कमेटी के सिलसिले में बिल्डिंग को देखा। यह देखा कि बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हैं कि जिनमें ऑपरेशन थियेटर्स बनाये जा सकते हैं। आज तीन चार ऑपरेशन थियेटर्स हैं। इतनी जगह उपलब्ध है कि तीन चार ऑपरेशन थियेटर्स और बनाये जा सकते हैं और हमारे यहां के सर्जन जिनको दो दो रोज ऑपरेशन के लिये मिलते हैं उनको चार चार पांच पांच रोज उपलब्ध हो सकते हैं ताकि उन पर बोझ कम हो और मरीजों के ज्यादा ऑपरेशन किए जा सकें। अक्सर यह होता है कि ऑपरेशन के लिये मरीज पड़े रहते हैं और उनकी टर्न इसलिये नहीं आती है कि आज दो रोज फलां डाक्टर करेगा, कल दो रोज फलां डॉक्टर करेगा और

(श्री गफ्फार अली)

परसों फलां डाक्टर करेगा। इसलिये चिकित्सा मंत्री से गुजारिश है कि आप खुद देखें। मेरा सुझाव है कि ऐसे ओपरेशन थियेटर्स मुकर्रर किये जा सकते हैं। सिर्फ दिवारें उठा कर छतें डालने की आवश्यकता है। बड़े सर्जन आपके पास उपलब्ध हैं। वे कहते हैं कि हमें इस बात की खुशी होगी कि यदि कम्पाउन्डर्स और नर्सेज एड कर दिये जांय तो एक बहुत बड़ा फर्क इसमें आ सकता है और हम अपनी केपेसिटी दुगनी कर सकते हैं। यह रेशनेलाइजेशन मिलों वगैरा में किया जाता है। जहां इसकी तरक्की होनी चाहिये वहां नहीं की जाती है।

एक तवज्जह दिलायी थी कि दवाओं का बजट कम है। किसी वेलफेयर स्टेट में पुलिस का बजट ज्यादा हो और चिकित्सा का बजट कम हो यह मेरी समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे जो महक्मे हैं उनका पैसा घटा कर चिकित्सा के स्टाफ और छोटी क्लास की बढ़ौतरी के एक्सटेन्शन के लिये दिया जा सकता है।

इसके अलावा हमको एक मशीन उपलब्ध हुई है अमेरिका से युरिनल इन्फेक्शन और किडनी ट्रबल होती है उसके बारे में एक यूनिट बनाने का प्रोपोजल था कि ओपरेशन थियेटर अलग बनाया जाय क्योंकि इस मर्ज से बहुत से मरीज मुब्तिला होते हैं, जो बूढ़े हो गये हैं और उनके लिये लाजमी तौर पर चाहे मंत्री हो या और कोई हो, बुढ़ापे में एक बीमारी हो जाती है। नाम तो मुझे आता नहीं शायद गाल ब्लेडर कहते हैं, और उसका ओपरेशन कराना होता है। एक डाक्टर को मिली है। अमेरिका की मशीन है। डाक्टर खुद कहता है कि यूनिट, थियेटर बन जाय तो मैं दे दूं ताकि युटिलाइज हो जाय। मैंने इसके लिये जगह देखी थी, वह मौजूद है।

कुछ प्रोब्लेम्स एक्स-रे की रखी है। मैंने वहां पर एक मशीन देखी है जिसमें छोटे 2 एक्स-रे एक एक दो दो इन्च के हो सकते हैं। प्लेट्स दो-चार रुपये में बनती हैं वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से उपलब्ध होती है। यह कोस्टली अफेयर है और यह प्रोब्लेम सोल्व हो सकती है। छोटे 2 एक्स-रे काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। बडों को बड़े केसेज में काम में लेने होंगे। छोटे छोटे प्लेट्स उपलब्ध हो जांय तो मैं समझता हूं कि बहुत से मरीज, जो एक्सरे के अभाव में पड़े रहते हैं, जिनको प्राईवेट सोर्सेज से एक्स-रे कराना पड़ता है, उनका मसला हल हो जाय।

चिकित्सा मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो कोटा मिलता है वह कम मिलता है इसको अधिक बढ़ाया जाय।

इसके अलावा कठिनाइयां रखी थीं। आर्टिफिशियल लिम्ब्स आदि चीजें बनाने की जो एक फैक्टरी है उसको एक्सटेन्ड किया जाय। चिकित्सा मंत्रीजी तशरीफ ले जांय तो देखेंगे कि वह किस तरह से चलती है। आर्टिफिशियल लिम्ब फैक्टरी का जहां तक प्रगति का सवाल है, कामयाबी का सवाल है, हमारी बहुत कामयाब फैक्टरी है। बदकिस्मती है कि सैपरेट

(98)

(श्री गफ्फार अली)

बजट नहीं है। इसका सैपरेट बजट होना चाहिये और जो पैसा आप बजट में मंजूर करेंगे चाहे कन्टिनजैन्सी से करें, वह उपलब्ध हो जायेगा और उन रिसोर्सेज से हो जावेगा जिनसे आप आज हासिल कर रहे हैं या दूसरे प्राईवेट सोर्सेज से हासिल हो सकेगा। एक सेठ 12 हजार, 13 हजार रुपया अपने पास से दे रहा है। बूढ़ा आदमी है वह कब समाप्त हो जाय। लड़के देने वाले नहीं हैं। तो फिर यह फैक्टरी बन्द हो जावेगी। मेरा सुझाव है कि परमानेन्ट रेमेडी सोचें।

एक सुझाव सवाल की शक्ल में भेजा था वह यह है कि जो एक्स-रे किये जाते हैं ऐसे केसेज में जैसे कोई एक्सीडेन्ट का केस है और उसका एक्स-रे जो किया जाता है वह होस्पिटल के खर्च मे किया जाता है। यह पुलिस के डिपार्टमैन्ट का काम है उसके लिये सैपरेट बजट होना चाहिये, सैपरेट स्टाफ होना चाहिये। हमारे चिकित्सा के स्टाफ पर बर्डन पड़ता है। पुलिस वाले पैसे देते नहीं और कामयाबी और नाकामयाबी उस पर निर्भर करती है। मैडीकल ज्यूरिस्ट का जो स्टाफ है वह हमेशा कम रहता है। इस कन्टिनजैन्सी को मीट करना है। इसलिये पुलिस में शहादत देनी पड़ती है इसलिये स्टाफ की कमी से अपने फरायज को अन्जाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसके लिये अलग से डिपार्टमैन्ट बन जाय और पुलिस वाले अपने फन्ड्स से उस यूनिट को चलायें और मैडिकल ज्यूरिस्ट से सम्बन्ध रखा जाता है तो पुलिस डिपार्टमैन्ट से पैसा देना चाहिये और स्टाफ की कमी की पूर्ति की ओर ध्यान देना चाहिये।

एक चीज है जो मैं अफसोसनाक समझता हूं और वाकई कभी 2 गलत रुचियां पैदा कर देती हैं। हमारे हास्पिटल में कुछ फैक्शनेलिज्म चल रहा है। हम फैक्शनेलिज्म को बड़ा दुश्मन समझते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी फैक्शनेलिज्म को बड़ा भयंकर दुश्मन समझती है। वहां फैक्शनेलिज्म चल रहा है और नफरत पैदा की जाकर कोई चीज पाकर उस पर वार किया जाता है। मैं यह समझता हूं कि डाक्टरों के आपसी मन मुटाव का गम्भीर परिणाम निकल सकता है बीमारों के हक में। यह बहुत खतरनाक चीज है। हमारे अस्पतालों में यह नहीं होना चाहिये। इसमें चिकित्सा मन्त्रीजी खास तौर से दिलचस्पी लें और उनका मन मुटाव दूर करें। यह सेक्शनेलिज्म दूर होना चाहिये। जिसके कारण प्रशासन बहुत खराब हो रहा है। एक डाक्टर दूसरे डाक्टर के बीमार के लिये यह सोचे और कोशिश करे कि उसका मरीज मर जावे तो अच्छा है। इस तरह से अगर डाक्टर सोचने और करने लग जावेगा तो फिर वह अस्पताल, अस्पताल नहीं रहेगा, कस्साबखाना हो जावेगा।

मुझे ऐसा भी लगता है कि वहां सीनियोरिटी तय करने में भी पक्षपात किया जाता है। डाक्टरों और वहां के कर्मचारियों के प्रमोशन वगैरह में सिनियोरिटी वगैरह तय करने में भी गड़बड़ियां होती हैं। इसके लिये मैं चाहूंगा कि इसके लिये स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाने चाहियें और उनकी पालना सख्ती और पूरी ईमानदारी के साथ की जानी चाहिये। उसमें किसी को फेवर और डिसफेवर नहीं किया जाना चाहिये। बहुत से इस तरह के केस मेरे

(श्री गफ्फार अली)

सामने भी आये। पर मैं उनमें जाना नहीं चाहता। क्योंकि एक तो इसके लिये समय मेरे पास नहीं, समय का अभाव. दूसरे, मैं किसी एक में और किसी दूसरे में इन्टरेस्टेड नहीं हूं। न मैं किसी से नफरत करता हूं। यह जरूर चाहूँगा कि इस तरह की कोई चीज अस्पताल के वातावरण में नहीं रहनी चाहिये। हारमोनियस तरीके से सारा काम चले ऐसी व्यवस्था और ऐसा शुद्ध वातावरण रहना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं फिर से निवेदन करूंगा, पहले भी कहा था। राज्य सरकार अस्पतालों के अपने बोझे को कुछ कम करने के लिए प्राईवेट लोगों को अस्पताल बनाने के लिये जमीनें देती है मुफ्त में या नाम मात्र की कीमत पर इस उम्मीद पर कि इससे गरीबों को लाभ मिलेगा, उनका चिकित्सा सम्बन्धी बोझा, जो सरकारी अस्पतालों पर पड़ रहा है, वह कुछ कम हो। और पूंजीपतियों के पैसे का कुछ इस तरह से भी सदुपयोग होगा। इस बात को ध्यान में रख कर लाखों रुपया कीमत की जमीन दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल को दी गई। मेरी मान्यता है है कि इस अस्पताल में हालांकि लाखों रुपया लगाया गया है, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें मुफ्त में इण्डोर पेशेन्ट रह सकते हों और गरीब आदमियों को भी आउटडोर पेशेन्ट के रूप में मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इतनी बड़ी जमीन और इतनी अन्य बड़ी रियायतें इस अस्पताल के लिये इसलिये तो नहीं दी गई कि उसे कमर्शियलाइज कर दिया जावे और उससे कमाई की जावे। जिस प्रकार से एजूकेशन में संस्थाई कमाई के साधन बन गये हैं इसी तरह से अस्पताल के मामलों में भी होने लगे तो सिवाय इसके कि कुछ बड़े आदमियों को इससे लाभ हो गरीब बीमारों के लिये इनसे कोई लाभ नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसके प्रबन्धकों के साथ क्या कान्ट्रक्ट किया है, यह मुझे मालूम नहीं, पर मेरी यह निश्चित राय है सरकार को कि वह इस अस्पताल के प्रबन्धकों से कहे कि निश्चित रूप से इस अस्पताल के पचास प्रतिशत वार्ड ऐसे होने चाहियें जो फ्री हों और गरीब लोगों को, गरीब बीमारों को वे दिये जावें। बाकी पचास प्रतिशत में अगर मालदार बीमार रहें तो इसमें फिलहाल मुझे एतराज नहीं है। इस तरह से हम गरीब बीमारों को कुछ राहत देने का काम कर सकेंगे। अन्य अस्पतालों के बारे में जो बातें रखीं उससे भी लगता है यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आज की व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हूं। इन्तजाम की खामी चल रही है। इसे दूर करना चाहिये। दवाइयों का अभाव है, उनका पूरा पूरा इन्तजाम करना चाहिये। पट्टियों का अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमारी तरफ से मैं ही बोलूंगा।

दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

ये मैंने सुझाव इसलिये रक्खे हैं कि इन पर गौर किया जावे।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह पानी की समस्या

(श्री गफ्फार अली)
के मुतल्लिक है। जन स्वास्थ्य विभाग के हैडिंग में है। गर्मी का समय अभी दूर है, पर इससे पहले ही जयपुर में पानी की समस्या शुरू हो गई है, दूसरी जगहों का भी यही हाल है। इसलिये वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो समस्या कई शहरों में गम्भीर हो जावेगी। यहां से ज्यादा और शहरों में होने की अधिक सम्भावना है। मैं ध्यान दिलाऊं मेरे साथी किशनगढ़ से आने वालों ने आपका ध्यान दिलाया उसके अनुसार वहां की समस्या गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। इसी तरह अजमेर और ब्यावर में भी पानी की समस्या बहुत खराब शक्ल अख्तियार कर चुकी है। तो मेरा कहना यह है कि पानी की समस्या की तरफ आप तवज्जु दिलावें और पहला जो बनास का प्राजेक्ट था ब्यावर-अजमेर का जिससे पानी मिलने की सम्भावना थी, उसको आपने छोड़ रखा है। इसके बाद छोटे खर्चे का सुझाव यह आया था कि बनास में से एनीकट कायम करके अजमेर और ब्यावर को पानी दिया जा सकता है। इस दिशा में भी कदम नहीं उठाये गये।

गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है इसके बावजूद भी सिविल लाइन्स में रहने वाले को भले ही अफसोस न हो क्योंकि उनको 24 के बजाय 36 घंटे पानी आता है, शहर में रहने वालों को पानी की किल्लत होनी शुरू हो गई। यह ध्यान में रखा जाना चाहिये। इस समय भी समस्या गम्भीर है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो सी स्कीम में रहता हूं।

श्री गफ्फारअली : सी स्कीम भी वैसी ही है। मैं रेगरों की कोठी, घाट दरवाजा आदि इन छोटी बस्तियों की बात कर रहा हूं। यहां की पानी की समस्या गम्भीर है।

ब्यावर, अजमेर की समस्या सबसे गम्भीर हैं। इसे खास तौर से अपने हाथ में सबसे पहले लेकर सरकार को चलना चाहिये वरना वहां के लोग व्याकुल हैं इस समय भी, गर्मियों में न जाने उनका क्या हाल होगा। मैं अजमेर जा चुका हूं। वहां पानी की बड़ी किल्लत है। एक लोटा पानी मिलना भी दुश्वार हो जाता है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि क्रिटिसाइज तो बहुत किया जा सकता है, पर कन्स्ट्रक्टिव सुझाव इसलिए दिये हैं कि इन पर अमल किया जावे तो मैं समझता हूं हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कट मोशनों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर ग्यारह कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में सर्व प्रथम आयुर्वेद पद्धति के तहत राज्य में बढ़ोतरी करने के लिए और इस चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है।

देश के आजाद होने के बाद हम उम्मीद तो यह करते थे कि हमारी परम्परागत जो आयुर्वेद की पद्धति है जो गांवों

(श्री शंकरलाल)
में एक मात्र जरिया है अभी तो उसका विकास होगा, आविर्भाव होगा, और उसके अन्दर बहुत तेजी के साथ प्रगति की जावेगी।

(2.29 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आज प्रगति की बात धूमिल पड़ गई है। आज पच्चीस बरस आजादी के बीतने के बाद भी यह कहा जाता है कि बजट में प्रावधान नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए नये औषधालय चलाने के लिये भी कोई प्रावधान नहीं रखा है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों गांव हैं जहां न कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है, न वे अस्पताल से जुड़े हैं, न शहरी क्षेत्र से जुड़े हैं और जहां के निवासी बिना इलाज और बिना औषधियों के ही अपना जीवन बिता रहे हैं। उनका जीवन बड़ा दुःखमय है। आजादी के पहले भी उनका यही हाल था, आज भी यही है।

तो निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इस बात का सर्वेक्षण कराया जावे कि किसी प्रकार की चिकित्सा से जो गांव नहीं जुड़े हुए हैं और जहां एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति नहीं हैं और निकट भविष्य में जिसके पहुंचने की सम्भावना नहीं है वहां अवश्य आयुर्वेद के औषधालय खोले जावें और कम से कम वहां तक इस पद्धति का विकास किया जावे, विस्तार किया जावे और लोगों को यह चिकित्सा पद्धति तो कम से कम उपलब्ध कराई जावे। सभापति महोदय, आयुर्वेद के विषय के अन्दर बहुत अधिक बजट देने की जो बातें मैंने कही हैं, लेकिन आज एक जनपद नाम का अखबार जो जयपुर से निकलता है, आज की तारीख में निकला है। उसमें आयुर्वेद में लाखों रुपयों का घोटाला लिखा हुआ है। इसमें सभापति महोदय कई बातें ऐसी कही गई है जिसकी जांच होना आवश्यक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहूंगा—चतुर्वेदी जी को तुरन्त निलम्बित किया जाय यह बात तो मैं नहीं कहता लेकिन दवाओं में जहर आदि कई ऐसी बातें कही है। माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करायें। मैं इस सम्बन्ध में यह भी नहीं कहता कि कितनी सत्यता है लेकिन कई ऐसी बातें कही गई है 10 वर्ष के अन्दर दो करोड़ की राशि खर्च हुई है, उसका ऑडिट नहीं हुआ। फिर राज्य के सचिव के आदेश से थोड़ी बहुत जांच हुई। इसमें 18 वैद्यों को चिकित्सा करने से वंचित रखा है। यह जो ऑथोराइज्ड मैडीकल अटेन्डेन्ट्स हैं उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। जो औषधालय उदयपुर भरतपुर, जोधपुर आदि कई स्थानों पर हैं उनमें मरीजों को दी जाने वाली जो औषधियां हैं वह नहीं मिलती है। जबकि औषधालयों में स्वर्ण भस्म, केसर कस्तूरी और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां खरीदी जाती हैं। ये सब औषधियां, जो नियमित रूप से कमेटी के मार्फत नहीं खरीदी जाती है। जो चार्जेज हैं. वह प्रमाणित नहीं होती है। सभापति महोदय, ये चार्जेज बहुत गंभीर हैं। इसकी मैं माननीय मंत्री महोदय से जो इस विभाग के हैं उनसे निवेदन करूंगा। वे स्वयं अब जांच करें और आयुर्वेद जैसा पवित्र विभाग जिससे हम उम्मीद करते हैं, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करे।

(श्री शंकरलाल)

अगर वहां इस प्रकार का पक्षपात होता है और गंभीर घोटाले हैं और इनमें तनिक भी सत्यता है तो सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिये। जबकि हमारी सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाय। सभापति महोदय, मैंने पाली के बांगड़ आयुर्वेदिक कालेज के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है पाली शहर, जो 50 हजार से अधिक की आबादी का शहर है, वहां केवल 100 बेड्स हैं। वहां के आस पास के गांवों के जो लोग आते हैं जिनकी संख्या को देखते हैं तो यह जो (सी) केटेगरी का हास्पिटल है, मैं समझता हूं पी. एम. ओ. होना चाहिए और यह संख्या 150 के करीब होनी चाहिये--जो डिविजनल हॉस्पिटल की केटेगरी होती है, उसमें आना चाहिये। बांगड़ जी ने इस हॉस्पिटल को बनवाया इसकी बाउण्डरी वाल है इसमें काफी लोगों का कन्ट्रीब्यूशन है, कुछ गवर्नमेंट का भी है। मुझे इस बात का दुख है एक तरफ हमारे यहां यह कहा गया है कि दान दाताओं ने दान दिया एक लाख और 11 हजार का लेकिन पाली में एक दान दाता जो 60-70 हजार प्रसूति गृह के देने के लिए तैयार है--जो ऑफर की है उसको आज डेढ़ दो साल हो गये हैं। मैंने स्वयं माननीय मन्त्री महोदय को पत्र लिखा है। संचेति परिवार है, लाल चन्द भंवर लाल संचेति उन्होंने ऑफर कर रखी है। प्रसूति गृह के लिए 60-70 हजार देना चाहते हैं लेकिन आपके विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

एक तरफ पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो दान दाता हैं उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनका जो ऑफर है, उसको स्वीकार किया जाय। भले ही बंगाल में कोई अलग स्थान पर हो, उसको उससे जोड़ दीजिए मैं जानता हूं आपको बजट की समस्या है लेकिन जो 60-70 हजार का डोनेशन आ रहा है, उसको अवश्य स्वीकार कर कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, बन्सी सर्जिकल यूनिट है उसमें बढ़ोतरी करने के लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो दूसरे अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं इससे ज्यादा उपयोगी, जो गांवों में ज्यादा उपयोगी होगा वह भ्रमणशील इकाई का है। उसका उपयोग आया है.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो प्रतिवेदन मिला है 72-73 का किस प्रकार इसने कितने कितने ऑपरेशन किये। किस प्रकार 300 बेड्स का फुल फ्लेज्ड यह होना चाहिए और इसको रखने का इतने रुपयों का प्रावधान था लेकिन आपने अब आपके विस्तार का प्रावधान नहीं रहा बल्कि जयपुर से जो पत्र गया एफ. 9 (बी.) 72, दिनांक 1-8-72 इसमें 100 शैय्या की कटौती करते हुये लिखा है। मैं समझता हूं कटौती की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि जो इकाई है एक-एक डिविजन में एक एक अवश्य होनी चाहिये जब तक गांव गांव में चिकित्सा की सुविधा न हो जाय। जितने भी एक वर्ष में सर्जिकल

(श्री शंकरलाल)
केम्प्स लगे हैं वहां आस पास के गांवों की जनसंख्या भी इसका काफी लाभ उठाती है।

सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य की जो बात कही है उसके अन्दर मैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी घण्टी बज चुकी है हालांकि मेरे 11 कटौती के प्रस्ताव हैं और एक-एक पर पांच पांच मिनिट का समय भी लूं तो भी काफी समय होता है, फिर भी मैं आपके आदेशानुसार संक्षेप में कहूंगा।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जितना जो खर्चा हो रो रहा है और जैसा हम देखते हैं और सुनते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है, जितने आंकड़े आते हैं, हमारे सामने और जितनी शिकायतें आती हैं उस हिसाब से ये आंकड़े सही नहीं हैं। परिवार नियोजन में जो वर्कर्स रखते हैं, इसका आप टार्गेट रख देते हैं कि इतने आॅपरेशन तो करने ही हैं और अगर नहीं करते हैं तो नौकरी से निकाल देते हैं। अब जब इतने आॅपरेशन नहीं होते हैं तो अपनी नौकरी के डर से गलत आंकड़े बताते हैं और जब उनसे पूछा गया कि तुम गलत आंकड़े क्यों बताते हो तो जवाब दिया मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जायगा।

झुंझुनू जिले के दो एक वर्कर्स हैं जिनके आंकड़े पूरे नहीं हुए तो उनको निकाल दिया गया। मेरा निवेदन है, यह आंकड़े की बात आप न रखें और उनसे कहें पूरी कोशिश करें। जब वे अपना टार्गेट पूरा नहीं करते हैं तो आप उनको गलत आंकड़े देने के लिए बाध्य करते हैं, इसको तुरन्त रोका जाना चाहिये। जो दूसरी फिजूल खर्चियां हैं, मोबाइल यूनिट है वह एक गांव में जाती है और वापिस आती है। 100-200 रुपयों का पेट्रोल खर्च होता है और जब उनसे पूछा जाता है क्या करके लाये तो बताया जाता है एक आदमी को आॅपरेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करके आये हैं तो सभापति महोदय, इस तरह की फिजूल-खर्ची भी बन्द करनी चाहिए। एज्यूकेटिव बात होनी चाहिये। फेमिली प्लानिंग आवश्यक है लेकिन यह इस तरह का होना चाहिए कि लोग स्वयं आकर आॅपरेशन करवायें न कि उन पर किसी तरह का प्रेशर डाला जाय। सभापति महोदय, टार्गेट फिक्स करने के बनिस्पत उनको कार्य करने का अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। जबरदस्ती जाकर आंकड़े गलत बताने को बाध्य न किया जाय। फेमिली प्लानिंग के एज्यूकेशन में ज्यादा पैसा खर्च कीजिये और जो दूसरी फिजूल-खर्चियां है मोटर गाड़ियों की, पेट्रोल की वह बन्द कीजिये……

सभापति महोदय, जलप्रदाय और जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनमें सर्व प्रथम तो पाली तहसील में जो ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर कि सेलाइन वाटर है, खारा पानी है, मीठे पानी के कुएं नहीं हैं और जहां सिर्फ वर्षा से तालाबों में पानी आता है और उनमें पानी सूख जाने के बाद एक मात्र तरीका है वह जवाई बांध से तालाबों में पानी देने का है, इस बात की तो खुशी

(श्री शंकरलाल)

है कि जो अभी विवरण मिला है उसमें देखा है कि पाली तहसील में जवाई नहर के पास खारे पानी के गांवों के लिए 67.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है....

श्री चन्दनमल बंद : ताली मैं बजाऊं या आप ?

श्री शंकरलाल : मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यह धनराशि भारत सरकार से मन्जूर करवाई लेकिन मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि खर्चा अभी तक कितना हुआ तो दूसरी जगह खर्चा हुआ और यहां एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ दो महीने हो गए इसकी स्वीकृति आये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस योजना को तुरन्त से तुरन्त चालू कीजिए जिससे कि वहां पर फैमिन है और लोगों को मजदूरी मिले और इतने लाखों की योजना है अगर आप इसको लेकर बैठ जायेंगे कागजों में तो मैं समझता हूं कि इससे फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा इस योजना का फायदा तो आगे जाकर होगा, अभी जो फैमीन चल रहा है और अभी कुछ दिनों के बाद जो पेयजल का गम्भीर संकट हमारे गांवों में आने वाला है उसके लिए सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री, जो उदारता से इस समस्या को डील करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप जवाई के बांध का पानी जोधपुर मत ले जाइये। जोधपुर के लिए पीने का पानी आप यहां से ले जाते हैं तो ले जाइये लेकिन इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जवाई बांध हमारे पाली जिले का एक अंग है और पाली जिले के अन्दर अगर पीने के पानी की जरूरत है तो यह कहां तक बर्दाश्त होगा कि पाली जिले के अन्दर रहने वालों को आप जवाई बांध से पानी नहीं दें और दूसरी जगह आप पानी ले जाओ। इसलिए हम कहते हैं कि जोधपुर को भी पानी दो लेकिन हमारी प्राथमिकता को भी देखो। आपने कहा कि हम टंकियों से पानी देंगे लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टंकियों से गांवों को पानी देना सम्भव नहीं होगा। अगर आपने नाम मात्र के लिए टंकियां गांवों में पहुंचानी शुरू कर दीं तो कम से कम वहां के पशुओं का निष्क्रमण करना पड़ेगा, पशुओं को बाहर ले जाना पड़ेगा और लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा। टंकियों से छोटे काम हो सकते हैं लेकिन तालाबों के लिए परम्परा रही है कि अकाल के अन्दर इन गांवों के तालाबों को पानी जवाई नहर से देते हैं तो उनको पानी देना

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पड़ेगा। यह खुशी की बात है कि इस योजना से पानी बहुत वेस्ट हो जाता है तो यह तो कार्यान्विति हो जायेगी तब मालूम होगा लेकिन आगामी साल के लिए प्रावधान आप रखिये कि जहां भी जरूरत होगी वहां आप पानी देंगे। सभापति महोदय, केवल पाली शहर के लिए इस सम्बन्ध में एक बात और कहूंगा और वह यह है कि अभी पाली शहर के अन्दर मैं यह चाहता था कि समाज कल्याण के तहत पैसा आये या दूसरा पैसा आये उससे बस्तियों में नल लगाये जायें। जब

(श्री शंकरलाल)
विभाग से यह उत्तर मिला कि पाली शहर में जितनी संख्या नलों की होनी चाहिए उससे ज्यादा संख्या है इसलिए जो अनुसूचित जाति और जन जाति के मोहल्ले हैं उसके अन्दर नल लगाना चाहते हैं तो दूसरे नल आपको बन्द करने पड़ेंगे। सभापति महोदय, किसी एक नल को बन्द करके दूसरी जगह नल लगायें यह कैसे सम्भव हो सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां भी नलों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की संख्या निर्धारित कर रखी है उसको रिवाइज किया जाये। पाली की जन संख्या निर्धारित कर रखी है उसको रिवाइज किया जाये। पाली की जनसंख्या आज कल 30·35 हजार नहीं है बल्कि 50 हजार से अधिक हो गयी है इसलिए उसकी आवश्यकता को देखते हुए पाली के अन्दर पानी के ज्यादा से ज्यादा नल लगायें, इसके ऊपर भी आप विचार करें।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, आपकी बार बार घन्टी से जितने कटौती प्रस्ताव हैं उसमें भी मैं कटौती करना पसन्द करूंगा।

श्री सभापति : बहुत धन्यवाद।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लगता यह है कि सदन में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर हम जो इस तरफ बैठे हैं 100 रुपया और 1 रुपया कटाकर कटौती प्रस्ताव देते हैं और जब मतदान का समय आता है तो 100) रुपया को भी भूल जाते हैं।

श्री शंकरलाल : यह तो टोकन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टोकन तो है। यह टोकन हमने ब्रिटिश गवर्नमैन्ट से पाया है तो उस झूठ को हम कब तक चलाते रहेंगे ? हमें सोचकर कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। इस सदन में बैठ कर विचार करना चाहिए विकास कार्यों पर प्रगति और मितव्ययता के सम्बन्ध में। मितव्ययता के सम्बन्ध में तो मुझे याद नहीं भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी असेम्बली या पार्लियामैन्ट में यहां 184 सदस्य बैठे हैं किसी ने प्रस्ताव किया हो कि यह गलत खर्च हो रहा है इसलिए इसको दूर किया जाए। अपने मन के आवेश को निकालने का तरीका हो गया है। विकास कार्यों के लिए हम अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं को पेश करें लेकिन मितव्ययता के ऊपर कैसे बोलें। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकार अधिक से अधिक खर्च करे और बहुत सी मितव्ययता एक भूली विस्मृति बन कर रह जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि शायद उनका सही उपयोग हो तो मितव्ययता की तारीफ में नहीं आए और उनका सही रूप आ जायेगा।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मितव्ययता का नाम लें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेन्ट हैं उनका एक आर्टिकल आया है, उनके आंकड़े इतने भयावह थे कि 6 शताब्दी बाद इस सदन का एरिया

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

500 स्क्वायर फीट है तो यहां 500 आदमी खड़े होंगे, बैठने का तो सवाल ही नहीं है। पृथ्वी पर एक फुट में एक आदमी होगा। ऐसे भयावह आंकड़े हैं। तो परिवार नियोजन के ऊपर खर्चा बन्द कर दिया जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न होगा लेकिन एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि जो डाक्टरों का दुरुपयोग हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार और मन्त्री महोदय इसके ऊपर विचार करें तो बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं और डाक्टरों के ज्ञान को जो अज्ञान में परिवर्तित किया जा रहा है उसे समाप्त किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग में जिस डाक्टर की नियुक्ति होती है आपके मेटरनिटी को और चाइल्ड वैलफेयर सेन्टर को छोड़ दो कि जहां महिला डाक्टर का कैसे कैसे उपयोग होता है उनका पांच छः वर्ष कॉलेज में मैडिकल विज्ञान को पढ़ने का उपयोग होता है बाकी इस परिवार नियोजन के डाक्टर पुरुष हों या महिला हों, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य पुरुष के भेष में कोई महिला डाक्टर होगी वह तो मालूम नहीं लेकिन लूप लगाने के अन्दर कोई ज्ञान का उपयोग नहीं होता है और आपकी नस बन्दी का यह भी एक बहुत छोटा ऑपरेशन है तो इस छोटे ऑपरेशन के सिवाय सारा ज्ञान उनका बिलकुल विस्मृत हो जाता है। मैंने पहले उर्दू और फारसी का ज्ञान लिया था और आज उर्दू की किताब भी नहीं पढ़ सकता हूं और पांच वर्ष के बाद फमिली प्लानिंग के डाक्टर जिनको सब कामों से महरूम रखा है कि कहीं वह प्राईवेट प्रेक्टिस न कर ले, स्टेथेस्कोप लगा कर किसी के हार्ट को टच नहीं कर लें और किसी को दवा नहीं दे दे इन सब बातों से जिस डाक्टर को महरूम कर रखा है, नतीजा यह है कि वह भूले भटके दवाई के काम को करता रहे देश के इतने बड़े टैक्निकल और एक साइन्टिस्ट का दुरुपयोग मेरी समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पसन्द करेंगे कि डाक्टर का इतना बड़ा विज्ञान हम केवल इसलिए लें कि नसबन्दी में वह बैठा रहे, क्या इससे बड़ी कोई और योजना नहीं बनाई जा सकती है? क्या दोनों का कोई समन्वय नहीं किया जा सकता है? गत वर्ष भी मैंने इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी कि डाक्टरों के ऊपर भरोसा कीजिए। आप 100) रुपये दे कर उसकी जिन्दगी के सारे विश्वास को डिगा देना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग का डाक्टर किसी को दवाई न दे दे, किसी को इन्जेक्शन न लगा दे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े वैज्ञानिक का दुरुपयोग आप कब तक करते रहेंगे? इसलिए समय रहते हम चेतें। जो कार्यक्रम में कमी है उसको दूर करें। भूले भटके हैल्थ सैन्टर में, कहीं एक डाक्टर चला जाता है, फैमिली प्लानिंग की गाड़ी लेकर चला जाता है तो मैं तो एक ही बात देखता हूं कि ज्ञान का कहीं प्रश्न नहीं है। लूप बन्दी और नसबन्दी में सारा समय बर्बाद हो रहा है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक ऐसी कन्सोलीडेटेड योजना बनाई जाये जिसके द्वारा यह काम हो।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एक बात और बता दूं जो आपका परिवार नियोजन का कार्यक्रम है वह तो बन्द हो गए हैं कैम्पों में। तूफान से कैम्प होते हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि बहुत खर्चा होता है, गाडियां दौड़ती हैं और उनको बहुत पैसा दिया जाता है। लोगों को लाने के लिए इन्सेन्टिव दिया जाता है, बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसकी सीमा है और सीमा के अन्दर ही दिया जा रहा है। जबरदस्ती तो नहीं दिया जा सकता है। कानून बनाया है, लेजिस्लेशन ने पास किया है और उसके बाद ही पैसा दिया जाता है। लेकिन फिर भी लाखों लाखों बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और आज जो हालत होने वाली है, जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे देश को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है। बहुत अच्छी बात है। बधाई है आपको इसके लिए। लेकिन जो आपका कैम्प चलता है वह महीने डेढ़ महीने ही चलता है उसके बाद डाक्टरों की क्या हालत है। इसलिए अच्छा यह है कि उसके बाद डाक्टर अस्पतालों में काम करें और अपने ज्ञान का मानव शरीर की रक्षा के लिए उपयोग करें और उनको बीमारी से राहत पहुँचाने का काम करें। नहीं तो क्या हो रहा है ? आपके आयुर्वेदिक अस्पताल हैं लेकिन इसमें कोई समन्वय नहीं है। यह गरीब देश है, पैसे की कमी है, सब जगह अस्पताल नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि कहीं पर सब कुछ है, अस्पताल है तो आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, डिस्पेन्सरी है और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर भी हैं। चार चार चीजें एक ही जगह पर हैं और मीलों तक कहीं पर एक भी अस्पताल नहीं मिलेगा।

एक बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि आपका हाथ न उठ जाय मुझे भय रहता है। घण्टी बजने से पहले ही मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। दो चार इन्स्टान्सेज मेरे सामने आए हैं, उनमें से कुछ आपको कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपने आयुर्वेदिक अस्पताल के वैद्यों को इन्जेक्शन लगाने का अधिकार दिया है। मुझे मालूम है उनको अधिकार है, वह पैनेसिलिन का इन्जेक्शन लगाते हैं। एक इन्जेक्शन आता है दस आने का। गांव में मुझे मालूम है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि पहले इन्जेक्शन के नाम से डरते थे और लोग चार चार दिन तक पेड़ों पर जाकर बैठ जाते थे लेकिन पैनेसिलिन का इन्जेक्शन लगाने से डरते थे लेकिन आज इससे उल्टा हो रहा है। कोई भी बीमारी हो दस आने का पैनेसिलिन का इन्जेक्शन लगा देंगे। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं, सदन के सामने कोई बात कहूंगा तो गलत बात नहीं कहूंगा लेकिन जो चीज हो रही है उसको रुकना चाहिए ताकि उसको रोका जाय। एक रुपया लेकर पैनेसिलिन का वह इन्जेक्शन लगाया जाता है वैद्य के द्वारा। साधारण पानी मिला कर इन्जेक्शन लगा देते हैं। मुझे एक जगह बैठने जाने का मौका मिला। उसका लड़का कह रहा था। आप कहते हैं कि इन्जेक्शन से लाभ होता है लेकिन हुआ क्या यह मैं आपको बताता हूं। लड़कों ने कहा कि जब बाप बीमार हुआ तो

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

तो पेंनेसिलिन को इन्जेक्शन लगायो और लगातां ही मारो बाप मर गयो और इन्जेक्शन लगायो कुण कि वैधराज को कम्पाउण्डर। दुर्भाग्य है हमारा। इतने लोग बैठते हैं फैमिली प्लानिंग सैन्टरों पर और वैद्यराज का कम्पाउण्डर इन्जेक्शन लगाए और दस आने के इन्जेक्शन को एक की जगह बीस खुराक बना कर लगाए और लोग मर जायं तो यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसको रोकना चाहिए।

श्री गुलाबपुरा एक ऐसी जगह है जहां पर एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर है। इसके अस्पताल को अप ग्रेड करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसे अप ग्रेड किया जा सके तो किया जाय।

श्री सभापति : श्री हाजी जान मोहम्मद !

श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा): सदरे मोअत्तिरम, मैं बड़ा हैरान हूं कि हिन्दुस्तान में कई तरह के इलाज हैं, एक ऐलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक यूनानी। अफसोस है कि हमारे मुल्क में यूनानी इलाज की तरफ सरकार का कोई गौर नहीं है। यह कितने दुःख की बात है। यूनानी इलाज का महत्व आज किसी से कम नहीं है। हिन्दुस्तान में दिल्ली के हकीम हाजी अजमलखां जैसे यूनानी चिकित्सक हो गए हैं लेकिन आज इस इलाज की पद्धति की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जबकि हमारे मिनिस्टर साहबान भी इसका इलाज कराते हैं।

एक बात और अर्ज करूंगा। हर साहबान अपने केस को अच्छी तरह से रखते हैं तो इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं भी अपने इलाके के बारे में अर्ज करूं। ज्यादातर साहबान अपने शहरों की बात करते हैं। मैं जिस इलाके से आया हूं उसको कालापानी कहा जाता है। पिड़ावा झालावाड़ जिले का परगना है जो काले पानी के नाम से मशहूर था। पिड़ावा झालावाड़ से चालीस मील दूर है तो क्या हाल होगा वहां की जनता का। हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाया है, एक बिल्डिंग वहां पर खड़ी है। लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर दरवाजे और खिडकियां नहीं लगी हैं। मैंने कोशिश की है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मिसाल है कि दर्जी ने कुर्ता एक घण्टे में बनाया लेकिन बटन एक हफ्ते में लगाया, वही मिसाल हमारे प्राईमरी हैल्थ सैंटर की हो रही है। मैं निहात अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या वजह है कि एक बिल्डिंग बनाई लेकिन उसके दरवाजे और खिडकियां नहीं लगा सके। काफी अफसोसनाक बात है।

एक बात और डाक्टरों के मुतल्लिक कहूंना चाहूंगा। डाक्टरों का रवैय्या बहुत खराब है। कतल हमारे यहां अक्सर होते रहते हैं। कतल होने पर पुलिस डाक्टर के पास ले जाती है मुआयना कराने के लिए। डाक्टर को हजार दो हजार मिल जाते हैं तो वह कतल के केस में भी लिख देते हैं कि हार्ट फेल हो गया। इसका हार्टफेल हो गया। इस तरह का सर्टीफिकेट दे देते हैं। हमारे चार चार गवाह मौजूद हैं जो कहते हैं कि कतल हुआ है लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती और डाक्टर ने लिख दिया

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

तो वह खुदा ने लिख दिया। उसके लिए कोई भी, कुछ भी नहीं कर सकता एम. एल. ए. कह दे और भी कोई कह दे लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। झालावाड़ जिले में रात दिन ऐसे केसेज होते रहते हैं, चार चार गवाह मौजूद हैं लेकिन डाक्टर लिख देता है कि इसका हार्टफेल हो गया, हार्टफेल से मर गया है। कितनी नाइन्साफी है।

इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बहुत से ऐसे केसेज हैं, वहां के शफाखाने एक्से-रे मशीन नहीं है। झालावाड़ हमारे यहां से चालीस मील दूर पड़ता है और वहां ले जाते जाते मरीज रास्ते में ही मर जाता है। इसलिए मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वजह क्या है, आखिर आप करते क्या हैं? थोड़ी सी कड़वी बात बुरी मालूम होती है। शायद कड़वी बात कहने से आप नाराज हो जावें और हमारे काम बन्द हो जाय, लेकिन सच्ची बात कहने के लिए जनता ने हमें यहां भेजा है। जनता की नौकरी करने के लिए यहां आए हैं। तो इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा, सदरे मोतरिम आपकी मार्फत कि जनता ने आखिर हमें किसलिए भेजा है? इसलिए कहना पड़ता है। इसके अलावा और बातें भी हैं। हमारे प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में दो डाक्टर की जगह है लेकिन एक डाक्टर ही है। हमारे इलाके में लेडी डाक्टर नहीं है। चालीस मील झालावाड़ पड़ता है। रास्ते में ले जाते हुए भी मरीज मर जाता है। एक डाक्टर के बजाय आप लेडी डाक्टर का इन्तजाम कीजिए।

इसलिए मेहरबानी करके हमारे इलाके पर रहम फरमाइये। न वहां पर डाक्टर है न नर्स एक डाक्टर छुट्टी पर जाता है तो दूसरा डाक्टर वहां पर नहीं होता है। उसकी जगह लीव रिर्जव डाक्टर लगाना चाहिये इतना बड़ा कस्बा है। सेंकड़ों गांव आस पास लगते हैं। वे लोग भी यहां पर आते हैं। इसलिए डाक्टर को उस वक्त छुट्टी दी जाए जब तक कि दूसरा डाक्टर और नर्स वहां पर नहीं होते हैं यह गलत बात नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके डाक्टर का इन्तजाम कर दीजिए। क्योंकि कस्बा बड़ा है दस हजार की आबादी है और 50-60 गांव आस पास लगे हुए हैं। इसलिए मैं पुरजोर अलफाज में अर्ज करना चाहता हूं।

अब मैं यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यूनानी के जो हकीम लोग हैं वे भटक रहे हैं। डाक्टर तो बहुत हैं। मेहरबानी करके यूनानी हकीमों की तरफ भी देखिए ताकि हकीम मारे-मारे न फिरें। यूनानी और आयुर्वेद का इलाज सस्ता होता है। एलोपैथी का इलाज मंहगा है। अमीर लोग तो यह इलाज करवा सकते हैं। यह गरीब आदमियों के बश की बात नहीं है। पहले तो डाक्टर 25-30 रुपया फीस के लेते हैं। वैद्य, हकीम हमारे यहां पर बड़े अच्छे हैं और ये अच्छा इलाज भी करते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस ओर भी देखिए और इन वैद्य और हकीमों को भी सहायता दी जावे ताकि गरीबों का इलाज हो सके।

दूसरी एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। दवाइयां बेचने वाले बिल नहीं

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

देते हैं और जनता से एक-एक इन्जेक्शन पांच-पांच या छः-छः रुपया ले लेते हैं। इसलिए इन दवाइयों के दुकानदारों को कानूनी पाबन्दी लगाई जावे कि वे हर दवाइयों के बिल जनता को दे। मैं निहायत अदब के साथ आपको यह निवेदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। डाक्टर लोग झूठे सर्टीफिकेट दे देते हैं। कहीं इन्जेक्शन लगाकर मार देते हैं। हमारे झालावाड़ जिले में ऐसे केस हुए हैं। डाक्टर लोग गलत तरीके से पैसा लेकर सर्टीफिकेट देते हैं। पुलिस भी पैसा खा जाती है। बेचारा फरियादी जाए तो कहां जाये। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। डाक्टर के सर्टीफिकेट को हो सही माना जाता है। वह गलत बात भी लिख देता है तो सब मानते हैं जैसे खुदा ने लिख दिया हो। मेहरबानी करके डाक्टरों को ताकीद कीजिए की वे ईमानदारी के साथ रिपोर्ट लिखें। ये केसेज हमारे यहां पर रात दिन देखने में आते हैं। इसके लिए एक कमेटी बना दी जावे। डाक्टर लोग दो-दो हजार रुपया रिश्वत लेकर मर्डर के सर्टीफिकेट लिख देते हैं। इसकी मेरे पास शिकायतें आई हैं ? इसी तरह से हमारे क्षेत्र में इन्जेक्शन से मर जाने की भी शिकायतें आई हैं। एक डॉक्टर की भी शिकायत है परन्तु उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि वह डिप्टी मिनिस्टर कन्हैयालाल पटेल का आदमी था। उसकी पुलिस ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। इन्जेक्शन लगने पर वह मरा है। यह साबित नहीं हो सकता है लेकिन आम जनता इस बात को जानती है।

जल योजना की भी बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर दो कस्बे ऐसे हैं परन्तु इनकी स्कीम्स पूरी नहीं हो पाई हैं। इसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। लाखों रुपया सरकार का लग गया होगा परन्तु उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। मिनिस्टर साहबान दौरा करते हैं परन्तु झालावाड़ तक ही आते हैं। आगे का दौरा नहीं करते। आपके पास साधन हैं। आप जाकर के देखिए। दो लाख रुपया खर्च हो गया योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। यह काबिले अफसोस की बात है हमारे राजस्थान में अकाल पड़ गया—यह कह कर टाल देते हैं और पैसा इस तरह बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस योजना को जल्दी पूरा कराया जावे।

ये चंद बातें मैंने यहां अर्ज की हैं। मेरी समझ में आप नाराज न होंगे, नाराज होने जैसी कोई बात नहीं कही है। हमारे यहां पर डॉक्टर को जल्दी भेजिए, नर्स का इन्तजाम करा दीजिए और जो अस्पताल है उसको दरवाजे, खिड़कियों का शीघ्र इन्तजाम करवा दीजिए। यही हमारे यहां की दिक्कत की बाते हैं। आशा है मिनिस्टर साहबान इनको जल्दी मंजूरी देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
पिड़ावा से आने वाले ने झालावाड़ जिले के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया है। मैं भी इन कटौती के प्रस्तावों के जरिए चिकित्सा के बारे में, पीने के पानी की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

झालावाड़ जिले के चिकित्सालय के बारे में कई शिकायतें वहां की अनैतिकता की, अव्यवस्था की और अनियमितताओं की मंत्री महोदय के पास पहुँच चुकी हैं और उन्होंने कई डॉक्टरों के ट्रान्सफर गत वर्ष किए हैं। कई डॉक्टरों को जिनकी शिकायतें ज्यादा थीं उनके ट्रान्सफर वापिस कैंसिल कर दिए हैं। इससे जनता में बड़ा भारी असन्तोष है। वहां के जो हालात हैं वे अभी हाजी साहब ने फर्माये ही हैं। ऐसी हालत वहां की है। वहां के डॉक्टरों का क्या हाल है? वहां जाने वाली महिलाओं के साथ, वहां की नर्सों के साथ क्या हाल वे करते हैं, ऐसे ऐसे काण्ड हुए हैं जिनकी शिकायतें चिकित्सा मंत्री जी के पास पहुँची थीं परन्तु उनकी जांच नहीं हो सकी। इससे लोगों में असन्तोष है।

सभापति महोदय, अव्यवस्था के बारे में यह हाल है कि लोग जाते हैं वे बिना इलाज वापिस आते हैं। बिना सिफारिश के गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है या उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। वहां पर केवल सलाह दी जाती है। सलाह के लिए भी वहां पर अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है परन्तु वह व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। झालरापाटन में लेडी डॉक्टर के न होने के कारण आस-पास के 100 गांव वाले लाभ नहीं उठा पाते हैं। शहर की आबादी भी करीब बीस हजार है। इसके बारे में मैं बार बार जोशी साहब से निवेदन करता आ रहा हूं। अभी दो चार दिन पहिले ही मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि वहां पर तत्काल ही किसी लेडी डॉक्टर की नियुक्ति फर्मा दी जावे तो बड़ी कृपा होगी। वहां पर डिलीवरी के केस आते हैं, कई महिलाएं मर जाती हैं। झालावाड़ पहुंचने तक उनकी हालत खस्ता हो जाती है। डॉक्टरों में भी ग्रुप बाजी होने के कारण केस सक्सेस नहीं हो पाते हैं और मरीज को राहत नहीं मिल पाती है। इसलिए झालरापाटन में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति शीघ्र फरमावेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

इसी प्रकार से प्राईमरी हैल्थ सैन्टर जो असनावर में बन रहा है वह अभी तक अधूरा है, और उसका काम इस गति से चल रहा है कि वहां पर ऐसे ठेकेदार को वह दिया गया है कि बहुत कम काम होता है। बजट की रकम जो पहले स्वीकृत हुई थी वह आज तक पूरी नहीं हुई।

इसी प्रकार से बकानी में काम शुरू किया गया था उसमें 3 हजार खर्च किया गया और काम बन्द हो गया। कुछ आदमियों ने शिकायत की थी कि रास्ते के अन्दर आता है। जो मौजूदा शफाखाना है उसी में उसका एक्सटेन्शन करके यह बनाया जाय क्योंकि रकम कम है, और यह वाजिब बात थी। उसके बनाने से वहां की बिल्डिंग पूरी हो जाती। उसके लिए कुछ लोगों ने शिकायत की कि जो निकलने का रास्ता है उसको बन्द कर

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
रखा है। इसकी जांच करके इसको शुरू करवाया जाय।

झालावाड़ के अन्दर असनावर, बकानी में जो हैल्थ सेन्टर है और पाटन में जो है तो परिवार नियोजन के डॉक्टर आज वहां 12 महीने से नहीं है और उससे काफी दिक्कत है। असनावर में जो डाक्टर हैं वे बुजुर्ग हैं और अनुभवी भी हैं लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वहां के लोग यह कहते हैं कि जब तक वे मोरफिया का इन्जेक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक काम नहीं कर सकते हैं। क्या दवा देते हैं ? ऐसी हालत है। इससे असन्तोष लोगों में हो रहा है। बंगाली हैं और पुराने आदमी हैं। वे रोगी भी रहते हैं। तो वहां से उनको कम से कम बदलने की कृपा करेंगे।

इसी प्रकार से पीने के पानी के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि झालरापाटन में जो नल योजना काली सिन्ध से आई हुई है उसमें काफी पानी है और इतना पानी है कि कभी खत्म नहीं हो पाता है, फिर भी शहर में एक घन्टा भी पानी नहीं आता है। एक घन्टे की कहते हैं वह 15 मिनिट ही चलता है और दूसरी मंजिल पर तो पानी गर्मियों में चढ़ता ही नहीं है। इससे लोगों को कष्ट होता है। काफी शिकायतें इस बारे में वहां के सहायक अभियन्ता को की गई हैं मगर वे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके बारे में कोई टैक्निकल मामला ठीक नहीं बतलाया गया है। वे कहते हैं कि मोटरें पूरे तौर पर काम नहीं करती हैं, और मोटरों की कैपेसिटी कमजोर होने से पानी पर्याप्त रूप से नहीं दे पाती हैं। इसकी व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से झालावाड़ के 9 और 10 नम्बर के वार्ड के लोगों ने करीब 2 साल से कनेक्शन लेने की दरख्वास्तें दे रखी हैं, परन्तु वे काम पूरा नहीं करते हैं, और आज तक नलों का काम पूरा नहीं हुआ। दो साल से यह प्रश्न लटका हुआ है। वहां के सहायक अभियन्ता को शिकायतें की गई। इस काम को पूरा कर दिया जाय ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा कराया जाय।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो आज चार डिमाण्ड्स हैं, उनके बारे में कुल मिला कर 18 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं इनको सबको एक साथ ही पेश किया हुआ मान लिया जाय, क्योंकि फिर आपकी घंटी पड़ जाय और वह रह जायं।

सभापति महोदय, चिकित्सा की डिमाण्ड नं. 16 है उसके बारे में मैंने चार कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। सांचोर का प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, चीतलवाना डिस्पेन्सरी, पंचायत समिति सांचोर के दो शफाखाने, इनमें आज जो दवाओं की व्यवस्था है, बैन्डेज वगैरह हैं, छोटी-मोटी दवाइयां हैं, इन्जेक्शन लगाने के सामान होते हैं वह प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में उपलब्ध नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं जबकि वहां पर एकमात्र स्वास्थ्य केन्द्र है और

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पौने दो लाख की जन संख्या है उनका पूरा इलाज नहीं होता है। पुराना जो आधार है उसके मुताबिक बजट अलॉटेड है तो बजट बहुत पहले ही एक्जास्ट हो जाता है तो माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि चिकित्सा की सुविधा, जो ग्रामीण लोगों को देना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हॉस्पिटल में आते हैं इनको कोई दवा नहीं मिलती है। सारे इन्जेक्शन्स वगैरह उनको बाजार से लाने पड़ते हैं, बैन्डेज भी लाओ, केरोसीन भी लाओ। वह भी उनके जरिये से मंगाया जाता है। कोई बजट ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं हम क्या करें। इस बारे में माननीय मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा कि रूरल क्षेत्र में जो हॉस्पिटल आपके पास हैं उनके अन्दर दवाओं की समुचित व्यवस्था करें। खाली डॉक्टर भेज दें और दवाओं की व्यवस्था न रखें उससे कोई फायदा नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना है, क्योंकि शहरों के अन्दर जितने हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राईवेट ट्रीटमेंट भी है, सब तरह के इन्तजाम हैं, मगर गांवों के अन्दर एक मात्र साधन या तो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर है या कोई डिस्पेन्सरी है तो उसके अन्दर कम से कम यह जो बजट है उसमें एक्स्ट्रा के रूप में ही प्रावधान करिये। पिछले साल भी कुछ किया था। इस साल भी किया जाय। रूरल क्षेत्रों के अस्पतालों में और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स में वहां के पेशेन्ट्स को मद्दे नजर रखते हुए। पुराने समय का जो आपका बजट था उससे आज पेशेन्ट्स की संख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है। तो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स में और डिस्पेन्सरीज में बजट रखना चाहिए, और जो स्टाक है मैडिसिन्स वगैरह का वह एडजस्ट होने के बाद बराबर सप्लाई किया जाना चाहिए। इस बारे में व्यवस्था समुचित करने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, यह जो सांचौर का एरिया है वह क्रानिकल मलेरिया इफेक्टेड एरिया है और सारे साल में जो मलेरिया से डेथ्स होती हैं तो जालोर में सबसे ज्यादा होती हैं। इस समय वह फैमीन इफेक्टेड एरिया भी है। वहां पर फैमीन इफेक्टेड एरिया के लिए जो सप्लाई आपने भेजी है वह काफी इनसफिशियेन्ट है। बराबर तीन साल से वह फेमीन इफेक्टेड एरिया है। वहां पर मलेरिया के अलावा गेस्ट्रोइन्टेस्टाइन के भी केसेज हुए थे। एक दम कोई डिसीज फैलती है और दवाइयों की व्यवस्था नहीं होती है और दूर से दवा मंगाते हैं तो देरी हो जाती है तो इस बारे में पहले से ही सप्लाई का इन्तजाम किया जाय, ताकि इमर्जेन्सी में डिसीज फैलने पर उसकी व्यवस्था करने में कठिनाई उपस्थित न हो।

तो, सभापतिजी, इस प्रकार से रूरल क्षेत्र हैं वहां पर अच्छे डॉक्टर तो कोई जाते नहीं हैं, और कोई जाते हैं तो शिकायतों पर भेजे जाते हैं, तो वे चाह करके शिकायतें करवाते हैं ताकि शिकायतें हों तो जल्दी से उनका तबादला हो तो इससे बुरी जगह तो क्या जायेंगे। तो उस रूप में वहां पर डाक्टर आते हैं। फिर दवाइयों की सप्लाई की ऐसी हालत है कि ग्रामीण लोगों के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपचार की वह समुचित नहीं है। इसके बारे में मेरा आग्रह है कि जो भी आपने व्यवस्था कर रखी है उसमें व्यवस्था दवाइयों की पूर्ण रूप से रखें। फैमीन इफेक्टेड एरिया के लिए सप्लाई आप शीघ्र भिजवायें।

दूसरे, हमारे सांचोर डिस्पेन्सरी के अन्दर एक फैमिली प्लानिंग डाक्टर है और एक मैडिकल डाक्टर है। मैडिकल डाक्टर 6 महीने से जो दूसरा फैमिली प्लानिंग का डाक्टर है उसको चार्ज देकर चला गया। उसके एवज में जो अभी मैडिकल का डाक्टर लगाया है वह बाहर है उसको अन्दर घुसने नहीं दिया है। मैडिकल डाक्टर के क्वार्टर का कब्जा दूसरे के पास में है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैडिकल इन्चार्ज, जो इमर्जेन्सी और हर केस के लिए जिम्मेवार है और वह फैमिली प्लानिंग का डाक्टर कहता है कि आई एम नॉट रेस्पान्सिबल फार मैडिकल केसेज और रहता है अन्दर। इस तरह का डिस्प्यूट है तो इसको जल्दी से मिटायें। आपका सक्यूलर है कि जो सीनियर डाक्टर हो उसको इन्चार्ज बनाया जाय। इस तरह का सक्यूलर है तो यह कोई रूल तो नहीं है। क्वार्टर मैडिकल डाक्टर के लिए है और फैमिली प्लानिंग के डाक्टर के लिए अलग क्वार्टर का प्रावधान है, उसका अलग ब्लाक है। पहले एक डोनेशन में अस्पताल बनाया गया था। उसके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए आप पैसा एलॉट क्यों नहीं करते हैं। वहां पर क्वॉर्टर के लिए पैसा अलॉटेड नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसके लिए शीघ्र ही बजट एलाट करें उसका प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए शीघ्र क्वार्टर बनाया जाय ताकि यहां का झगड़ा मिटे, और यहां पर फैमिली प्लानिंग के डाक्टर्स का जो हाल है कि नये नये लड़के या लड़कियां लगाई जाती हैं। यह जो नेशनल स्कीम है उसके बारे में मजाक उड़ाया जाता है। इन लड़कों की बिल्कुल डिपार्टमेन्ट को तरफ सिम्पेथी नहीं है। वह कहते हैं कि हम अभी पढ़ कर आये हैं। हमें यहां पर लगा दिया है। जिन एरियाज में इन लोगों को लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाये गये हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में पुराने-पुराने डाक्टरों को लगायें। क्योंकि वहां पर आपरेशन भी होते हैं। ऐसे केसेज हुये भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके कन्सीक्वेन्सेज क्या होंगे? ऐसा भी होता है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री अमृत लाल गहलोत कह रहे थे कि वहां पर ऐसे लोग भी डाक्टर्स जैसे उन्होंने जोधपुर में रहने का पट्टा लिखा लिया हो। तो आप इस प्रकार के नियम बनायें जिससे कि डाक्टर लोग देहातों में जायें। ऐसे भी स्थान हैं जहां पर पानी नहीं है। इस प्रकार की डाक्टरों को सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं जिससे कि वहां जाने के लिए उनको रुचि हो। जैसे कि देहातों में जाने वाले डाक्टरों के लिए प्रमोशन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिएं। इसी प्रकार से नियमों में जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ट्रांसफर होता है तो सभी तरफ झगड़े होते हैं। जिसका प्रेशर होता है, वह जैसा चाहता है, वैसा अपने लिये करा लेता है। इसलिए कोई न कोई ऐसा आधार बनाना चाहिए ताकि गवर्नमेन्ट जब पोस्टिंग करे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो उसमें प्रेशर की बात न हो। उनके लिए यह कर दिया जाये कि इतने दिनों के लिए डाक्टर को देहात में रहना ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मरीजों का बहुत नुकसान होता है। उनको एडमीशन नहीं मिलता है। बाहर जाकर वह दवा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव वालों को प्रिफ्रेन्स देना चाहिए। गांव वाले दवा भी तभी कराते हैं, जब बिल्कुल क्रानिकल, आखरी स्टेज में होता है। तभी जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए अच्छी एडवाइज और व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमको यह देखने के लिए मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना ही बीमार हो, उनको एडमीशन नहीं मिलता है। नीचे सुलाने को कुछ नहीं होता है। 80% जो पापुलेशन गांवों में रहती है। उसके साथ में ऐसा क्यों होता है। अगर गांव वाले तैयार हो गये, इधर भी थोड़ी-थोड़ी हवा फैली है, अगर आन्दोलन हो गया तो मुश्किल हो जायेगी। तो मेरा निवेदन है कि गांवों में जो डाक्टर जाते हैं तो उनको देखना चाहिए। रूरल क्षेत्र में डाक्टरों को अधिक सुविधायें देनी चाहिएं। ऐसे डाक्टरों को आप अलाउन्स भी दे सकते हैं। ताकि उनको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो। इस बारे में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सांचौर हास्पिटल के बारे में निवेदन करूंगा कि वह डोनेशन से बन गया है। उसको देखना चाहिए। वहां पर लेडी डाक्टर फेमिली प्लानिंग में नहीं है। ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। तो इस बारे में आप को सोचने की आवश्यकता है।

(3.23 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

हमारे जालौर जिले में 7 पी. एच. सीज. हैं। वहां एक भी डाक्टर ऐसा नहीं है जो कि वासक्टोमी का आपरेशन कर सके। केवल एक ही डाक्टर है जो कि जिला अस्पताल में कर सकता है। वहां पर इसके कुछ आपरेशन हुये हैं। लेकिन उनकी बाद में स्थिति खराब हो गई है फालोअप कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपरेशन करवा कर के आ जाते हैं। पूरी देख भाल होती नहीं है। कौन आदमी आपरेशन ठीक तरह से कर सकता है। यह आपको देखना है। ऐसे ही आदमी को ऐसी जगह भेजना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। जालौर जिले में 200 गांव ऐसे हैं जिनके आस पास खारा पानी होता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो स्कीम बनाई है, उसमें उन्होंने काफी पैसा दिया है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैसा दिया है, वह लैप्स नहीं होना चाहिए।

कोई माननीय सदस्य (ट्रेजरी बेंचेज): नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां खारा पानी हो, वहां पर एक टांका की व्यवस्था कम से कम कर दी जावे। या टंकी हो तो उसकी व्यवस्था कर दें। अगर कुआ है तो हौद बनाकर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

व्यवस्था कर दें। ताकि अगले आने वाले 5 सालों के लिए पूर्ण व्यवस्था सब ऐसे गांवों में कर सकें। दूसरे जो स्कीम बनाई है, उसके बारे में बहुत कुछ शिकायतें भी आई हैं। उनका कहना है कि कुछ गांव छूट गये हैं। इसके लिए मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया है। दो चार इधर उधर गांव हो सकते हैं तो उस पर विचार कर लें और दो चार टंकियां और बना दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वाटर टेंक बनाये हैं, पुरानी स्कीम हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ताकि जो स्कीम बनायें, उसके मेन्टेनेन्स के लिए भी पैसे का प्रावधान होना चाहिए। ताकि राज्य सरकार को किसी प्रकार का लोस आगे नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस ओर भी अपना ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी ! (अनुपस्थित)

श्री भरतलाल !

(अनुपस्थित)

श्री फारूक हसन !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सबसे पहले मैं जन स्वास्थ्य विभाग के बारे में निवेदन कराना चाहूँगा। जयपुर शहर की जल वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं सब से पहले तो माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पिछले वर्ष, जब भयंकर स्थिति थी, जयपुर शहर में, उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि जिस जयपुर शहर के बारे में यह कल्पना की जाती थी कि पानी की बहुत परेशानी होगी, वह परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यदि इस समस्या का कोई स्थाई हल नहीं निकाला गया तो कभी न कभी राजस्थान की इस राजधानी को बहुत भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। बीसलपुरा की जो योजना थी, बनास पर बांध बांध कर जयपुर, अजमेर, टौंक आदि को पानी पहुंचाने की, उसके बारे में तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आपके पास साधन हों तो इस योजना को पूरा करें और देखें कि किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है। और जब तक यह व्यवस्था न हो, तब तक मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर के आसपास चारों तरफ नदियां हैं जैसे कलवाड़-चौमू के पास बांडी और कनौता के पास भी एक नदी है, उन नदियों के लिये आप अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से जांच करवायें, वहां पानी का बहुत बड़ा भंडार है। अगर आपकी योजना 24 करोड़ की है या 32 करोड़ की है और आप उसे क्रियान्वित नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इन नदियों को जांच करवा कर देखें कि वहां

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
से जयपुर शहर के लिये पानी की व्यवस्था हो सकती है या नहीं। आज वहां पर साढ़े सात लाख की आबादी है और हमारा जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से चार पांच साल में यह आबादी बारह तेरह लाख तक पहुंच जायेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐन मौके पर संकेत आये और आपको परेशानी का सामना करना पड़े, उससे अच्छा तो यह है कि जो भी जल के स्रोत हमको मिल सकें उससे पूरी व्यवस्था करें ताकि राजधानी के लोगों को पानी उपलब्ध करा सकें। अभी जो काम हुआ है और जिस प्रकार से उनका विभाग काम कर रहा है उसके लिये मैं माननीय मंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन इससे हम अपने आपको संतुष्ट मान लें, यह नावाजिब है।

जल उपलब्ध कराने के साथ जल निस्सरण का काम भी आपके विभाग का है। स्युर सिस्टम का काम भी आपके विभाग का ही है। पिछले साल तीस लाख रुपये का प्रावधान यहां पर नाले को कवर कराने और अजमेर वाले वर्क के लिये रखा गया था। लेकिन मुझे खेद है, उस बारे में एक पैसे का भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां तक कि आज सारे शहर की सड़कों, राष्ट्रीय सड़कों की हालत गटर लाइन की वजह से खराब हो रही है। 1964 में तीन करोड़ की योजना थी इसके बारे में, आज महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वह योजना छः-सात करोड़ की योजना बैठती है। पहले वित्त मंत्री जी ने, स्वयं ने बड़ी दिलचस्पी ली थी और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से इस बारे में बात की थी। मैं समझता हूं, उनकी यह दिलचस्पी कायम रहेगी। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, आज को कुछ भी हमारे यहां पर हो रहा है उसके लिए मैंने पहले भी मुबारकबाद दिया था और आज भी मुबारकबाद देता हूं। पिछले पच्चीस वर्ष से जिस भयंकर उपेक्षा का शिकार जयपुर शहर हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान इसकी ओर दिया जाने लगा है और बीस लाख रुपया खर्च किया गया है रोड्स पर और दूसरे कामों पर। इस पर दूसरे क्षेत्रों के माननीय सदस्यों को दुःख होता है और वे इसकी आलोचना करते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यहां जो व्यय होता है उसकी आलोचना करते हैं, उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि जयपुर शहर से आय कितनी होती है। उस आय के हिसाब से कितना व्यय जयपुर शहर पर हो रहा है इसको महरबानी करके देखें तो उन्हें जमीन आसमान का अन्तर आज भी दिखाई देगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर बना तो केन्द्रीय सरकार ने लाखों रुपये उसके लिए दिये, पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ बना तो उसके लिए अलग से रुपये दिये, मध्य प्रदेश की राजधानी है उसके लिए अलग से रुपये दिये गये। अगर जयपुर के लिए पचास लाख रुपये लिये गये तो कौनसी बड़ी बात कर दी गई, जिससे दूसरे सम्माननीय सदस्यों को इतनी नाराजी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर के ओरिजोनल आदमी तीस पर्सेन्ट हैं और बाकी के सत्तर पर्सेन्ट लोग बाहर से आये हुए हैं, जयपुर की जो आबादी है उसमें

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
सारे राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान की राजधानी होने के नाते यदि जयपुर का विकास होता है तो मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान का विकास होता है। इसलिए यहां की जो समस्यायें हैं, जो पीने के पानी की समस्या है, इसके अलावा और जो समस्यायें हैं–उनके बारे में मैंने आपको यह निवेदन किया है।

अब मैं गटर लाइन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत बड़ा सवाल है। जयपुर से लाखों करोड़ों रुपये की आय सरकार को होती है। अब यह जो प्रापर्टी के ऊपर टैक्स लगाया है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पूरे राजस्थान में से जो वसूली होगी उसकी एक तिहाई जयपुर से होगी। यह एक तिहाई आय और इसके अलावा जो सारी इन्कम होती है, उसको जयपुर में ही लगाने की बात कर लें। तो मैं निवेदन करता हूं कि जयपुर शहर की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा, माननीय वित्त मन्त्री जी, आपने स्वयं दिलचस्पी लेकर पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में कदम उठाया है–उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इस आशा के साथ धन्यवाद देता हूं कि इसके नजदीक की योजना है, आपने जो भू-गर्भ जल का सर्वे कराया है– इन योजनाओं को ढंग से देख कर सारी बस्तियों के अन्दर, जो अधिकांश में कच्ची बस्तियां हैं, गन्दी बस्तियां हैं, जिनमें अधिकांश में पाइप लाइन डलवाई है, अच्छी व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को सुन्दरता के साथ संचालित करने की व्यवस्था करेंगे।

मैं आयुर्वेद की बात कहना चाहता हूं। आयुर्वेद की बात शुरू करते हुए आयुर्वेद मन्त्री को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि अठारह वैद्य, जो फर्जी बिल बनाया करते थे, उनको बिल बनाने से रोकने का आदेश जारी किया है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें शुरूआत इस बात से होती है, इस विभाग के अनेकों वैद्यों/हकीमों द्वारा प्रमाणित किये गये व्यवस्था पत्रों, चिकित्सा पुनर्भरण व्यय बिलों की विस्तृत जांच के उपरान्त अनियमितताओं सम्बन्धी तथ्यों को सही पाया गया है। विभाग की प्रतिष्ठा को बनाये रखने एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में...... आगे काफी लम्बा है, इसमें कहा है, जो उन्होंने कार्यवाही की है उसमें उन्होंने काफी गड़बड़ियां की हैं, राजस्थान सरकार के लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया है, लेकिन उस पर कार्यवाही क्या की गई है, केवल आगे फर्जी बिल बनाने के अधिकार से उनको रोका गया है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं, जो उन्होंने कदम उठाया है उसके लिए तो मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यह अधूरा कदम है। इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो जोरदार चोट होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। आपने स्वयं ने माना है, सरकार ने स्वयं ने माना है, इन लोगों ने लाखों रुपये के फर्जी बिल बना कर सरकार को धोखा दिया है, लाखों रुपये की राशि थी, जिसके बिल बनाने का अधिकार उनको नहीं था, उनके द्वारा बनाये गये बिलों को पास किया गया है और उसका रिएम्बर्समेंट हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने यह फर्जी काम किया है,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिनको इस फर्जी काम से लाभ हुआ है उनको सजा मिलनी चाहिए। आज माननीय मंत्री यह नहीं कह सकते कि किस प्रकार से क्या कार्यवाही करें, लेकिन उन्हें शो-कॉज देना हो या जो कुछ कार्यवाही करनी हो, जो फार्मेलिटी पूरी करनी हो मेहरबानी करके उन फार्मेलिटीज को पूरा कीजिये और इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। आप स्वयं मानते हैं कि यह अपराध है और अपराधी मान कर अधिकार छीन रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें।

जो सबसे बड़ी समस्या है, चिकित्सा व्यवस्था, उस चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यह राजस्थान के सबसे बड़े अस्पतालों में एक नहीं बल्कि सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के अन्दर जब एक कामन आदमी जाता है, तो उस आदमी की हालत यह होती है कि अगर उसके पेट में दर्द है और वह मेडीकल विभाग में जाता है तो मेडीकल विभाग वाले कहते हैं, सर्जिकल में जाओ। वह सर्जिकल में जाता है और कह देता है, मेरे सिर में दर्द है या नाक, कान में दर्द है तो वे उसे ई. एन. टी. आउटडोर में भेज देते हैं। ई. एन. टी. आउटडोर में पहुंचता है और अगर कह देता है, मेरे सिर में दर्द है तो वह उसे एस्प्रो की गोली लिख देते हैं या और गोली लिख देते हैं। वहां गोली नहीं मिलती है और उसके लिए उसको आना पड़ता है तीन चार मील। चिकित्सा के सम्बन्ध में बड़ी घोषणायें की गई और कहा गया है कि जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायेंगे क्योंकि सवाई मानसिंह अस्पताल मेडीकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल है। जयपुर शहर की आबादी साढ़े सात लाख के करीब पहुँच गई है, उसको देखते हुए एक एक चौकड़ी में पचास हजार, साठ हजार की आबादी है, वहां जो डिस्पेंसरी चल रही है, उनमें एक डॉक्टर बैठता है। उन डिस्पेंसरी में इतनी भीड़ पड़ती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसका परिणाम यह है कि प्राईवेट डॉक्टरों के यहां बहुत भीड़ पड़ती है और वह लोगों को लूट रहे हैं। जनता हमारी मालिक है और जिस आदमी के पीछे हम यहां राज्य करने के लिए बैठे हैं, जिनका कल्याण करने का हमने संकल्प ले रखा है, उस आदमी के लिए आज तीन नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दवा पर खर्च करते हैं। आज अस्पतालों में बैंडेज नहीं मिलती है, दवा नहीं मिलती है। सारे पैसे का उपयोग इन बड़े बड़े लोगों के लिए यहां करते हैं, उनको दवा का पैसा रीएम्बर्स होता है, रीएम्बर्समेंट से उनको पैसा मिल सकता है और इस मद में से उनको पैसा दिलवाने की व्यवस्था कर दी जाती है। परिणाम यह होता है कि कॉमन आदमी दवा के बिना परेशान रहता है और उसे दवा नहीं मिलती है, वहां बड़े बड़े डाक्टर, जिनके बारे में पिछले सेशन में बड़े जोर से आवाज उठाई थी और कहा था कि मेहरबानी करके इनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करिये। जो मरीज घर पर जाकर फीस पकड़ा देते हैं उनके लिए घर से चिट लिख देते हैं, प्लीज एडमिट इन द वार्ड, प्लीज एडमिट इन द

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

वार्ड। जिन मरीजों की घर चिट लिख कर आ जाती है उनका ही टर्न आता है। यह डाक्टर दस पन्द्रह वर्ष से यहां जमे हुए हैं। सारे अस्पताल में एडमिशन उन्हीं को मिलता है, अधिकार रूप से, मैं शत प्रतिशत तो नहीं कहूंगा, सत्तर प्रतिशत एडमिशन उन्हीं को मिलता है, जो बड़े डाक्टर के घर पर फीस देकर आते हैं और चिट लिखवा कर लाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल्याणकारी राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है तो उसको आपको पूरा करना चाहिये। लाखों लोगों के लिए आपको कल्याणकारी व्यवस्था कायम करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, आपने चौदह करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। हम केवल मात्र दो पर्सेंट कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। यहां के सम्माननीय सदस्य हैं, जो विरोधी दल के सम्माननीय सदस्य हैं, वह कर्मचारियों के बारे में सारे आंकड़े ला कर रख देते हैं, यह नहीं मिला, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सत्तर, बहत्तर पर्सेन्ट जो लोग हैं बाहर के, उन्हें यह सारी सुविधायें नहीं मिलती है और वह बीमारी के कारण, भयंकर बीमारी के कारण परेशान हैं। उन्हें ऊंचा उठाने की ओर इसके लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कहां है वह तड़प, कहां हैं वह योजना, जिन योजनाओं के द्वारा आम आदमी के स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं,हमारा लक्ष्य है, वह बहुत बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। उस प्रयत्न केलिए हमें हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) अगर हम आगे नहीं आये, तो मैं मान कर चलता हूं कि कल्याणकारी राज्य बनाने की हमारी कल्पना है वह कल्पना अधूरी रहेगी। बड़े लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रहे और प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द नहीं की और कॉमन आदमी, गरीब आदमी तक चिकित्सा सुविधा नहीं दी और आम आदमी के लाभ के लिए; भलाई के लिए बड़े अस्पतालों का उपयोग नहीं करा, तो मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ संकल्प अपना है वह सारी बातें गलत हो जायेंगी। इसलिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम रोज रोज किसी काम के लिए यह कहकर चलें कि इस बात के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां काम इस अभाव के कारण पूरा नहीं कर सकते। जब पड़ौसी राज्यों ने प्राईवेट प्रैक्टिस के लिए प्रतिबंध लगा दिया तब हम क्यों नहीं ऐसा करते? थोड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है कुछ और कर लगाने पड़ें लेकिन गरीब आदमियों पर रहम कीजिये क्योंकि वह 25) फीस देकर उनके घर पर जाकर अस्पताल में एडमिशन लें और फिर दवाइयों के लिए छटपटाता रहे, वह कॉमन मैन के बलबूते की बात नहीं है। सवाई मानसिंह की व्यवस्था के बारे में मुझे बहुत कहना था पर इतना ही निवेदन करता हूं कि और इसके साथ ही जिस जनाना अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने की बात थी और राजस्थान के एक बड़े उद्योगपति ने 15 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, वहां शिलान्यास समारोह सम्पन्न हुआ, मुझे मालूम नहीं, क्यों यह योजना स्थगित हुई।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
क्या वह 15 लाख देने को तैयार नहीं ? हमारे यहां के जो अस्पताल हैं, जो स्थितियां हैं उनको बदलने के लिए हम प्रयत्न करें, यहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की स्थापना जल्दी से जल्दी करें, उसके लिये जो साधन जुटाने पड़ें, उनको जुटाया जाए और कॉमन मैन के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम राहत देने की कोशिश करें।

जैसे 18 वैद्यों के खिलाफ मन्त्री महोदय ने कदम उठाया ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सवाई मानसिंह अस्पताल के अलावा एलोपैथिक चिकित्सकों के बारे में भी मुझे निवेदन करना है। यहां कुछ मैडिकल स्टोर्स हैं जो आज अधिकांश रूप में फर्जी बिलों के आधार पर चल रहे हैं, उनके बारे में मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इस बात की जांच कराए। अगर वह चाहेंगे तो मैं उनको लिस्ट भी दूंगा। कम से कम 10 मैडिकल स्टोर्स, जिनका धन्धा ही है केवल मात्र इस बात पर चलता है कि वे फर्जी बिल बनाते हैं। लोग दवाइयां नहीं लेते हैं और उन बिलों पर परसेन्टेज बन्धा हुआ है। उसके आधार पर सारे सौदे होते हैं और राज्य के लाखों रुपए का कुछ भ्रष्ट लोग बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और जिनको सारी व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए वे इससे वंचित रह रहे हैं। तो मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के कदम आयुर्वेद विभाग ने वैद्यों के खिलाफ उठाए हैं वैसे वह भी उठायें। मैं आयुर्वेद मन्त्री से भी मांग करता हूं कि जो लोग साबित हो चुके हैं उनके खिलाफ आप और कदम उठायें। केवल मात्र आपने उनसे एक पट्टा छीना और दूसरा पट्टा फिर कायम है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में कदम उठायें और जांच करायें कि कौन कौन से डाक्टर्स कब कब से यहां बैठे हैं और किस किस प्रकार उनका धन्धा है, मैं पूरी लिस्ट दूंगा डाक्टरों की भी और मैडिकल स्टोर्स की भी और इस बात के लिए मांग करूंगा कि वह देखें और उस कामन मैन के प्रति जिसको हम केवल मात्र तीन पैसे दवाइयों के प्रति दिन के हिसाब से दे पा रहे हैं, उनको ठीक दवाइयां दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, घन्टी बार बार बज रही है इसलिए मैं अधिक न कहकर पुनः मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए वह कदम उठायें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जालौर जिले में क्रूड आयल का अभाव

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला जालौर में जो क्रूड आइल की दो महीने से समस्या उपस्थित हुई है, उस बारे में हमने ध्यानाकर्षण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ दिन पूर्व मैंने मुख्य मन्त्री को इस बारे में पत्र लिखा था और उन्होंने राज्य मन्त्री से निवेदन किया था कि वह इस बारे में उचित व्यवस्था करें। मुझे आज ही इस बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या व्यवस्था की गई है। जालौर जिला एक दुर्भाग्यपूर्ण जिला है कि इसमें पिछले 4-5 साल से अकाल के समय कुएं खोद कर, लोगों ने मेहनत करके और बैंकों से या प्राइवेट लोगों से ऋण लेकर पंम्पिग सेट्स से उत्पादन को बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया है। परन्तु दुर्भाग्य है कि आज हमको मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है और इस बारे में पहले भी समय समय पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि काश्तकारों को क्रूड आयल नहीं मिलता है। जिस वर्ष अकाल होता है ज्यादातर लोग पम्पिंग सेट्स के द्वारा काश्त करते हैं। जोशी जी भीनमाल पधारे थे, वहां की हालत उन्होंने देखी थी। एक भीनमाल तहसील है वहां पम्पिग सेट्स के जरिए काश्त होती है दूसरी तहसील सांचौर है, तीसरी आहोर है वहां कुछ बिजली भी है, फिर जालौर है। आपको जान कर अचम्भा होगा कि देश की जितनी खपत क्रूड की है, सबसे अधिक खपत जालौर जिले में होती है और कम्पनी व ऐजेन्ट्स को लाखों रुपए की आमदनी इसी एक जिले से होती है परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि या तो शुरूआत में या फसल के आखिरी समय ब्लैक के जरिए लोगों को, काश्तकारों को लूटा जाता है। आज भी मुझे तार प्राप्त हुआ है, 110) रु. प्रति ड्रम 00 लिटर्स का सप्लाई किया जा रहा है, जबकि एक ड्रम की कीमत जो कि निर्धारित है; कम्पनी ने नियन्त्रित कर रखी है वह 110) रु. के आसपास है, सेल्स टैक्स वगैरह मिलाकर कीमत होनी चाहिए। चूंकि क्रूड का डिपो जोधपुर में है, उधर से आकर वापस हमें सप्लाई होता है, इसलिए मंहगा पड़ जाता है। पहले भी हमने दिल्ली से कोरसपोन्डेंस की थी और इन्डियन आयल कम्पनी के चेयरमैन से बात की थी और उनसे कहा था कि आपका डिपो, इन्डियन आयल कम्पनी का डिपो जालौर में काम करे। जब तक यह नहीं होगा डिपो जालौर में नहीं खुलेगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्रूड गांधीधाम और कंडला से आता है, पहले जोधपुर आता है फिर वापस हमें सप्लाई होता है जब कि रास्ते में से टैक्स जा रही है, हम देखते हैं और जोधपुर जाकर स्टोर होकर फिर वापस हमारे पास आता है और मंहगा पड़ता है। पहली दिक्कत तो हमारी यह है। तो इस बारे में हमारी सरकार को प्रेस करके उत्पादन की दृष्टि से, लोगों के हित की दृष्टि से समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया जाए। क्रूड वाले अपनी दिक्कत बता रहे थे कि जालौर में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है ऐजेन्ट्स के पास। आप ऐजेन्ट्स के साथ एग्रीमेंट में ही ऐसी व्यवस्था करायें स्टोरेज क्यों नहीं है? जब उनको इतनी कमाई होती है तो स्टोरेज के लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? दूसरी बात वह कहते हैं क्योंकि अकाल में ग्रेन्स और दूसरी आवश्यक चीजों के ट्रान्सपोर्ट के लिए वैगन्स की प्रायोरिटी मिलती है इसलिए क्रूड प्रायोरिटी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में नहीं आता और वैगन्स नहीं मिलते हैं। टैंकर्स के जरिए क्रूड आयल वे लाते हैं और क्रूड के काफी स्टाक्स अभी हैं लेकिन बिल थोड़े पैसों का काटते हैं और पैसे लेते हैं 160) रु. 170) रु. और बीच में 180) रु. लेते थे। ब्लैक कर रहे है और काश्तकारों को लूट रहे हैं। जबकि इतना गम्भीर मामला है और सबसे ज्यादा खपत क्रूड की हमारे यहां है तो हमने पहले भी सुझाव दिया था कि रबी की फसल के लिए लास्ट थ्री मन्थ्स के लिए क्रूड रिजर्व रखना चाहिए और जैसे चुनाव के समय या युद्ध के समय होता है हम ऐजेन्सी को बाध्य करें कि इतना क्रूड तो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि इमरजेन्सी के समय स्थानीय राज्य अधिकारी उसका नियन्त्रित रूप से वितरण कर सकें। पहले यह कहा गया है कि हम नियन्त्रण नहीं कर सकते लेकिन वह बात नहीं है। आप कम्पनी से पूछिए, वह कहते हैं कि नियन्त्रित रेट है, ब्लैक नहीं कर सकते। वास्तव में ऐसा ही है। तो हम आपसे मांग करेंगे कि आप कलेक्टर को आदेश दें कि तहसीलदार या विकास अधिकारी के जरिए आधा ड्रम या एक ड्रम कन्ट्रोल रेट से, जिस रेट का बिल काटते हैं, उस रेट से दिलाने की व्यवस्था करें, नहीं तो वे बिल काटते हैं 120) रु. और 118) रु. का और 160) रु. चार्ज करते हैं। वह कहते हैं कि बिल में तो इतना ही लिखेंगे नहीं तो क्रूड ही नहीं देते हैं, उधर फसल जल रही है तो मजबूरी से उनको अधिक पैसे देने पड़ते हैं। मैंने कलेक्टर से भी बात की है, सरकारी अधिकारी लाइटली ले रहे हैं भीनमाल में एक एक माइल को गाडी वालों की लाइन लगी हुई है। पैसे वाले हैं तो ज्यादा पैसा देते हैं, तो उनको ज्यादा क्रूड मिलता है, गरीब आदमियों को नहीं मिलता है। तो आप नियन्त्रण का आदेश देकर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

कम्पनी वाले सहयोग देने के लिए पाबन्द हैं। यह दिक्कत क्यों आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको भी देखना चाहिए। गुजरात में पास पास में डिपोज हैं वहां 95) रु. में ड्रम मिलता है, हमारे यहां इतना मंहगा है, 30 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैक्स है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद ब्लैक इस क्रूड आइल का होता है। हमने इसके बारे में कोशिश की और जो इन्डियन आइल कम्पनी है उसको लिखा कि यह जो आर्टिफिशियल स्केअरसिटी बनायी हुई है उसे तुरन्त रोकी जानी चाहिये। इसके लिये सदन में माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखे गये थे। तो इसके बारे में इन्डियन आइल कम्पनी ने यह कहा कि हमारी तरफ से कोई इन्टर स्टेट रेस्ट्रिक्शन नहीं है और वास्तव में यह उपाध्यक्ष महोदय, उस ऐरिया के गुजरात के जो मैनेजर और इसके एजेन्ट्स है उन्होंने यह आर्टिफिशियल स्केअरसिटी बना कर काश्तकारों के लिये बड़ी भारी परेशानी बना रखी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे तुरन्त खतम किया जाना चाहिये ताकि काश्तकारों को राहत मिले और इसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है उस स्थिति

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
का स्पष्टीकरण इस सदन के सदस्यों को दे।

श्री उपाध्यक्ष : पूनमचन्द विश्नोई !

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे ख्याल से इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का महत्व तो बहुत कम हो गया है। क्योंकि जिन लोगों की क्रूड आइल की कमी की वजह से फसल जलनी थी वह जल गयी। क्योंकि पानी नहीं मिल सका इसलिये कई काश्तकारों की फसल जल गयी। कइ काश्तकारों की फसल जिन्हें पानी मिल गया उनकी फसल पक चुकी है। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राज्य सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित सदन के अन्दर प्रश्नों द्वारा, कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देकर किया। पर फिर भी राज्य सरकार ने इस मसले पर ध्यान नहीं दिया और इस और राज्य सरकार का दृष्टिकोण हमेशा सरसरा ही रहा। आज आपने नाम को तो गांवों में ग्राम सेवक, ग्रामों में कृषि विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी वगैरह कई बैठा रखे हैं और एक संगठन भी काश्तकारों के लिये बैठा दिया है। एक बहुत बड़ी फौज आपने सरकारी अधिकारियों की बैठा दी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज काश्तकारों को फायदा नहीं हो रहा है। आज काश्तकार 15 हजार रुपये लगा कर पंम्पिग सेंट लगाता है और 10 हजार रुपये की मशीने उस अनाज को पकाने के लिये लगाता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फसल के पकने के लिये जब पानी की जरूरत होती है तो वह नहीं मिलता है, जब क्रूड आइल की जरूरत होती है तो वह नहीं मिलता और अन्त उसका यह होता है कि काश्तकार की फसल नष्ट हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह काश्तकारों से दूर रहे हुए है। आज जो प्रशासन के लोग हैं वह कन्ट्रोल की दुकानों को देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर अनाज काश्तकारों के पास नहीं हुआ तो कोई फिकर नहीं क्योंकि अनाज आपको अर्जेन्टाइना से मिल सकता है, अमेरिका से मिल सकता है और कहीं से भी अनाज आ सकता है, कैनेड़ा से आ सकता है। इसलिए वे जानते हैं कि हम भूखे तो मरेंगे नहीं। इसलिये ट्रेजैडी जो आज है वह काश्तकारों के साथ है। आज प्रशासन काश्तकारों से दूर होता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक गांव में एक औरत थी उसका एक ही बच्चा था और 100 ऊँट थे। वहां पर जोर से बरसात आई जिससे उस बरसात में उसका इकलोता बच्चा भी वह गया और साथ में जो उसके 100 ऊँट थे वह भी बह गये उससे उसका लड़का मर गया। इस घटना से गांव के लोग उसके पास पहुंचे और कहा बहुत बुरा हुआ तेरा इकलौता बेटा भी मर गया और तेरे 100 ऊँट भी नहीं रहे तेरा तो सब समाप्त हो गया। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे इसका कोई दुःख नहीं है। मुझे मेरी धन सम्पत्ति और मेरा बेटा मर गया उसका दुःख नही है क्योंकि बारिस जो हुई है उससे अनाज पकेगा। मैं तो यह कहूंगी की बारिस हुई जो अच्छी हुई इस प्रकार मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बारिस के लिये पहले राजा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

महाराजाओं में कितनी खुशी होती थी। पहले जोधपुर में जब कोई नदी आने की खबर राजा जी को देता तो जोधपुर का राजा उसे 101 रुपया इनाम देता। वे बारिस की कद्र जानते थे क्योंकि वे जानते कि बारिस होगी तो फसल होगी और अनाज लोगों को मिलेगा। उन्हें यह थोड़े ही विश्वास था उनके नोट, नासिक की प्रेस से छप कर आ जायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजा लोगों को भी यह जरूरत थी कि बारिस नहीं हुई तो अनाज लोगों को मिलने वाला नहीं है अतः वे इस बात की ओर ज्यादा ध्यान रखते थे। उपाध्यक्ष महोदय हमारा इतिहास बताता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहां खेती का बहुत ज्यादा महत्व है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई बीमार हो जाता है तो 50 डाक्टर मिल सकते हैं लेकिन किसान को खेती के लिये जिन चीजों की जरूरत है वह नहीं मिलती। मैं मेरे इलाके की बात कहना चाहता हूं आज जालौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में जो क्रूड आयल जितना चाहिये उसका 60 पर्सेन्ट जालौर डिस्ट्रिक्ट में खपत होता है और उस 60 पर्सेन्ट का 60 परसेन्ट जो है वह मेरे अकेले भीनमाल तहसील में कन्ज्यूम होता है। आज लोग दस दस हजार रुपये लगाकर पम्पिंग सेट लगाते हैं लेकिन उन्हें क्रूड आइल नहीं मिलता जिससे फसल तैयार नहीं हो सकती और वह बेकार हो जाता है। उन काश्तकारों के लिये इसके अलावा 80 रुपये तक में यूरिया की बोरी तक नहीं मिलती है। और उपाध्यक्ष महोदय, न ही 200 रुपये में क्रूड आयल ही प्राप्त होता है बहुत ही दयनीय पोजीशन है गरीब काश्तकारों की यह तो वह हालत हो गयी कि एक इन्सान अगर मर जाता है उसे जब ग्रेव तक ले जाते हैं और उसमें अगर बहुत बड़े लोग हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हों तो लोग यह कहेंगे कि अच्छा जनाजा निकला। उसी प्रकार आपने आज कृषि के लिये किया है। सब प्रकार की मशीनें लग गई हैं लेकिन उन मशीनों के चलने की जो व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से लें। आज हम लोग राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को दो दो हजार रुपये तनख्वाह देते हैं और भी कई प्रकार के अधिकारी इसके लिए रख रहे हैं लेकिन आज अनाज की फसल अच्छी नहीं हो रही है। अगर हम अनाज की फसल के बारे में नहीं सोचेंगे तो सब कुछ बेकार हो जायेगा। इसलिये यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा कि जिससे कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि काश्तकार को राहत पहुंचे। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मन्त्री श्रीमती कमला बेनीवाल।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री; उद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई जी एवं माननीय सदस्य श्री पूनमचन्द विश्नोई द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है उसके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:—

दिसम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में एल.डी.ओ. लाईट डीजल आइल की कमी के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ शिका-

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
यतें प्राप्त हुई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि रेल्वे मन्त्रालय ने राज्य के विभिन्न मार्गों में पेट्रोलियम पदार्थों को रेल द्वारा सप्लाई करना बन्द कर दिया था। पूर्व में राज्य के विभिन्न मार्गों भीनमाल, बाली, जालौर, बाड़मेर, पोकरण, चूरू, सरदारशहर में रेल्वे वेगन भेज दिये जाते थे। परन्तु बंगला देश की समस्या तथा कुछ अन्य कारणों से रेल्वे वेगन की कमी हो गई और राज्य के समस्त मार्गों में वेगनों का भेजना रेल्वे मन्त्रालय के लिए कठिन हो गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की अब एक नई प्रणाली अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत केवल जयपुर, उदयपुर व जोधपुर के डिपो में विशेष रेल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करना प्रारम्भ किया गया। यहां पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यह प्रणाली सामान्य तौर पर रेल्वे मन्त्रालय द्वारा लागू की गई है और केवल राजस्थान के लिये ही ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ जयपुर, जोधपुर व उदयपुर तक ही पहुंचाये जाने थे अन्य स्थानों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई का प्रबन्ध ट्रकों द्वारा किया गया।

उक्त स्थिति का ध्यान होते ही तत्काल विभाग द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि कृषि उत्पादन सचिव, गृह विभाग एवं यातायात विभाग के प्रतिनिधि, तथा तमाम तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि थे। इस बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:—

1. केन्द्रीय सरकार को एल. डी. ओ. को अधिक आवण्टन के लिए अनुरोध किया जावे।

2. ट्रकों की कमी सेना के ट्रकों को प्राप्त कर दूर किया जावे।

3. पेट्रोलियम डीलरों के लिये ट्रक निर्माताओं से सीधा सम्पर्क कर अविलम्ब कुछ ट्रक प्राप्त किये जावें।

तत्पश्चात् मुख्य मन्त्री महोदय पेट्रोलियम एवं रसायन मन्त्री भारत सरकार को तार तथा पत्र भेजकर राजस्थान के लिये वांछित एल. डी. ओ. का आवन्टन करवाया गया। अभी एक हफ्ते पहले इसके अतिरिक्त मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कम्पनी, बम्बई को लिख कर 15 ट्रकों को प्रायोरिटी बेसिस पर आवन्टन प्राप्त किया गया है। इससे राजस्थान के विभिन्न स्थानों में एल.डी.ओ. की सप्लाई का प्रबन्ध सन्तोषजनक रूप से किया जा सकेगा। सेना के ट्रकों को प्राप्त करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार को लिखा गया एवं इस सम्पर्क के फलस्वरूप रक्षा मन्त्रालय द्वारा सेना के ट्रक उपलब्ध करने के लिए स्वीकृति दी गई।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि एल. डी. ओ. की समस्या राज्य के सक्षम व्यापक थी एवं सरकार द्वारा वे सभी कदम उठाए गए जो कि इस समस्या के हल के लिए आवश्यक थे। जालौर जिले के लिए अधिकाधिक एल. डी. ओ. सप्लाई करने के प्रयत्न किए गए। यह निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होगा:—

माह, फरवरी 1973

इन्डियन आइल कार्पोरेशन द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लिए प्राप्त क्रूड आइल:

7,300 किलो लीटर।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इन्डियन आइल कार्पोरेशन द्वारा तहसील भीनमाल के लिए आवंटित क्रूड आइल: 8,36 किलो लीटर।

तहसील सांचौर के लिए आवंटित : 294 किलो लीटर।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि माह फरवरी में समस्त राज्य के आवंटित क्रूड आइल का लगभग 7 वां भाग जालौर जिले की केवल भीनमाल एवं सांचौर तहसीलों को आवंटित किया गया। इसकी पूर्ति के लिए पूर्णतया प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इन्डियन आइल कार्पोरेशन को पुनः निर्देश दे दिए गए हैं कि जालौर जिले की विभिन्न तहसीलों को विशेष रूप से भीनमाल एवं सांचौर में क्रूड आइल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि के लिए समुचित व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगी कि क्रूड आइल के भावों के बारे में यहां पर बात उठायी गयी उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भारत सरकार से यह चाहा था कि जिस प्रकार से केरोसीन आयल के भाव निश्चित करने के अधिकार राज्य सरकार को दे रखें हैं उसी प्रकार इस क्रूड आयल के भावों के भी राज्य सरकार को अधिकार दे दिए जायें जिससे इसके भावों को भी राज्य सरकार निश्चित कर सके। भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग को लिखा गया है जिससे कि ब्लैक मार्केट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इस समय राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, कम्पनी के जो भाव हैं वे निश्चित किए हुए हैं लेकिन दिक्कत यह है कि पैसा तो ज्यादा लेते हैं और बिल कम पैसों का देते हैं। जब उनसे कहते हैं कि बिल कम पैसे का क्यों देते हैं तो वे कहते हैं कि चले जाओ। आप ही इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जिससे बिल सही पैसों का लोगों को मिल सके, जितने पैसों का बिल है उतना ही पैसा उनसे लिया जाना चाहिए। यह तो आपके करने की व्यवस्था है। इसमें भारत सरकार का कहां सवाल है?

मांग संख्या 16, 17, 18 व 38 पर अग्रेतर विचार एवं उनका पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ...

श्री हरिदेव जोशी : तीन मिनिस्टर रिप्लाई देने को हैं। आधा आधा घन्टा भी लेंगे तब भी 1½ घन्टे का समय चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, दौसा में हॉस्पिटल है उससे दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मील तक के लोग

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लाभान्वित होते हैं। एक्स-रे मशीन वहां पर होना आवश्यक है। वरना लोगों को जयपुर में आकर एक्स-रे कराना पड़ता है और मरीजों को आकर इस प्रकार का इलाज कराना कितना कॉस्टली होता है इसके लिए दौसा में ही एक्स-रे मशीन की व्यवस्था की मांग करूं तो माननीय मन्त्रीजी को स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा निवेदन है कि दौसा की आबादी और आस पास के क्षेत्र को देखते हुए दौसा हॉस्पिटल में जो बेड्स की संख्या है वह कम है इसलिए इसको बढ़ाने की मांग करूं तो उसको भी माननीय मन्त्री महोदय को स्वीकार करना चाहिए।

दौसा में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है वहां की खिड़कियां वगैरह टूटी हुई हैं इसलिए वहां पर जानवर आकर कूड़े करकट का ढ़ेर लगा देते हैं। मातायें पधारती हैं तो उनको अपनी मजबूरन चारपाइयों का इन्तजाम करना पड़ता है। दवाई नाम की तो वहां कोई चीज उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए मेटरनिटी होम में कुछ सीट्स बढाई जाएं और वहां की जो खिड़कियां टूटी हुई हैं उनको ठीक कराया जाय ताकि एक लाख की जनसंख्या में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों को इससे लाभ मिल सके।

जयपुर में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल हों, ज्यादा से ज्यादा सुविधायें हों, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन यदि दवाओं का डिसेन्ट्रलाइजेशन करें तो बहुत अच्छा है। तीन साल के बच्चे को यदि गांवों में पागल कुत्ते ने काट खाया तो उसको लेकर उसकी मां को जयपुर में आकर 14 दिन रह कर उस बच्चे का इलाज कराना कितना कॉस्टली पड़ता है। इसलिए ये दवाइयां देहात में मुहैया कराई जायें। दौसा को डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल घोषित करें जिससे अनावश्यक रूप से जयपुर में दबाव बढ़ता है वह न बढ़े और मरीजों को भी तवालत न उठानी पड़े और खर्चा न करना पड़े फिजूल का। जिन लोगों के पास दवाई के लिए भी पैसा न हो उनको यहां पर आकर किराए भाड़े में कितना खर्च करना पड़ता है यह आप सोच सकते हैं। उससे गरीबों को बचाया जा सकता है। यह मेरा सुझाव भी आप स्वीकार करें।

दौसा जल योजना को स्वीकृत हुए काफी दिन हो गए। जब भी इसके लिए सवाल पूछा गया तो ठोस तरीके से आश्वासन दिया गया। डूंगाराम जी ने भी पूर्व में स्थगन प्रस्ताव उठाए थे और भीखाभाई जी ने आश्वासन दिया था कि 72 की गर्मियों में दौसा को पानी दे दिया जावेगा। जल संकट निवारण समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका भी पत्र है। कापी मेरे पास है। अवलोकनार्थ सदन की मेज पर रख सकता हूं। दौसा के आस पास जितने कुए हैं वे खारे पानी के हैं। पेय जल की बड़ी समस्या है। सरकारी नल से पानी लेने में एक व्यक्ति का चार दिन में नम्बर आता है और एक मटका पानी हाथ आता है जो पूरा नहीं पड़ता। सरकार को खर्चा करना पड़ेगा वरना ला-एण्ड आॅर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, उससे आप बचें पहले

(श्री मूलचन्द सामरिया)
भी आन्दोलन हुए थे और सरकार ने एश्योरेन्स दिए थे।

आंधी ग्राम है। 61 में वहां पर चिकित्सालय था। धर्मशाला बनाई। रामधन नामके सेठ ने इमारत दी थी। 15×11 फीट जमीन पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया। 61 में उसकी रजिस्ट्री करा दी। उस समय कहा गया कि इसको (बी) ग्रेड का बना देंगे। सेठ ने ऑन दी रोड़ पूरी की पूरी इमारत धर्मशाला व औषधालय के लिए दे दी। उसने यह नोटिस दिया है कि अकॉर्डिंग टू कन्डीशन्स पूरी नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन कैंसल करना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आयुर्वेदिक है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आयुर्वेदिक है। उसको बी ग्रेड में फरमायें।

दौसा के हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसके बारे में निवेदन करूं कि वहां पर बड़े लोगों के लिए दवाई का इन्तजाम हो सकता है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति को मुफ्त में मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए। जो दवा खरीद न सके। समाजवाद की जहां हम बात करते हैं इलाज को उसमें मैं प्राथमिक बात मानता हूँ। सरकार का यह मुख्य काम होना चाहिए। कल्पना करिए कि गरीब आदमी ऐसा मरीज हो कि जो टी. बी. का हो या और किसी भयंकर बीमारी का मरीज हो, जिस इलाज में हजारों रुपया खर्च होता है. इस प्रकार के रोगियों के लिए क्या सरकार इस प्रकार की घोषणा करेगी या मन्त्री महोदय घोषणा करेंगे कि ऐसे लोगों को जिनके पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है उनकी ओर से सरकार मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करेगी और उनके रहने के लिए वार्ड में अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी। जिनको इलाज की आवश्यकता हो, उनका फ्री इलाज हो तो जो समाजवाद का यह सरकार ढोल पीटती वह सही मायने में होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

कई माननीय सदस्य : हमको समय दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपको सोचना चाहिए। 4 घन्टे से हम बैठे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुननी पड़ेगी। आपका ऑर्डर हम मानेंगे, पर हमारी बात भी तो सुननी होगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़) : हमें भी समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : तीन विभाग हैं। इसमें काफी समय लगेगा उत्तर देने में। प्रस्ताव को को काफी समय अपने विचार रखने

Page No 130

(130)

(श्री उपाध्यक्ष)
के लिए दिया गया है । अब सभी बोलें तो इसके लिए क्या आप समय बढ़ाने के पक्ष में हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा किया जा सकता है कि जो नहीं बोल सके हैं उनके कटमोशन्स का रिटर्न रिप्लाई उनको भेज दिया जावे ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : रिटर्न रिप्लाई किसको भेजेंगे जब तक हम अपने विचार यहां प्रस्तुत नहीं कर दें ।

श्री हरिदेव जोशी : इससे मैं इन्कार नहीं करता । पर समय का प्रश्न है। तीन विभाग हैं। मेडिकल डिपार्टमेन्ट है, आयुर्वेद है और पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग विभाग है । अगर आप लोग 42 घन्टे बोलते हैं और उनका जवाब एक एक का दो दो मिनिट भी हम दें और दूसरा पॉलिसी डिसीजन भी है उसे भी सरकार प्रस्तुत करना चाहती है तो माननीय सदस्यों को वह करना चाहिए आधा आधा घन्टा भी लें तो तीन घन्टा चाहिए ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमें तो पांच पांच मिनिट ही दे दीजिए ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसी स्थिति है तो हमें समय तो अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव : बोलना तो हम भी चाहेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : साढ़े चार बजे तक बोल लें तो फिर हम रिप्लाई दे देंगे ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सवा चार तो बज ही चुके हैं ।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव : कितना समय हमें चाहिए, यह आप ही सोचें ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पांच बजे तक तो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे दिया जावे और इसके बाद रिप्लाई शुरू कर दिया जावे ।

इसलिए समय तब तक बढ़ा दिया जावे जब तक रिप्लाई खतम न हो जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री मोहनलाल छंगाणी ।

आप समय की पाबन्दी रखेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो सिर्फ पढ़ ही लूं । एक के साथ दूसरा जुड़ेगा भी नहीं ।

मेडिकल की बहस हो रही है । मेरा खयाल है कि हम इतना समय क्यों लगाते हैं असेम्बली में वह सिर्फ इसलिए मेडिकल आज हमारी सारी आबादी के 15 बीस प्रतिशत हिस्से को लाभ दे रही है । इसके लिए हम इतने करोड़ रुपया व्यय करते हैं, तो इसके मूल में जाकर हमें सोचना चाहिए कि आज हम जो मेडिकल और हैल्थ की व्यवस्था पर इतना खर्च कर रहे हैं वह आगे जाकर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुँच पावेगी या नहीं । यह मूल में प्रश्न है ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

इस पर पहले यहां मोर कमेटी की रिपोर्ट आई। इसके बाद मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट आई। खास तौर पर इसने एजूकेशन पर जोर दिया। समय का अभाव है, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं।

इण्डियन मेडिकल कौंसिल का सन् 70 में प्रस्ताव आया मेडिकल कालेजों के बारे में कि इसमें कैसे यूनिट होने चाहियें। कैसे कितने प्रोफेसर होने चाहियें, कितने असिस्टेन्ट होने चाहियें। दूसरी रिपोर्ट थी वह पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कालेजों के लिये थी। 3-4-71 की वह रिपोर्ट थी।

मेरा पूछना यह है कि जयपुर-बीकानेर या जहां-जहां कालेज हैं मेडिकल के वहां उनके स्टाफ एवं यूनिटों के बारे में कब तक और कहां-कहां तक क्रियान्वयन इस रिपोर्ट का किया गया है ?

जयपुर कालेज में देखिये काफी विरोधाभास है। रिकमण्ड किया गया सौ के लिये जब कि एडमिशन दिये गये 150 विद्यार्थियों को। डिपार्टमेन्ट आफ मेडिसिन में पांच यूनिटें हैं जब कि रिकमण्ड की हैं तीन ही। अब ये पांच केवल इसलिये रखे गये हैं कि कुछ हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं खास तौर से वे सभी जयपुर में रहना चाहते हैं और मन्त्री महोदय तो क्या राजनेता भी उनको हटा नहीं नहीं सकते इसलिये यह सारी तोड़-मरोड़ उनके लिये की जाती है। और लगातार पोस्टें क्रिएट की जाती हैं ताकि वे सभी यहीं बने रहें। यही होता है एनाटोमी में फोरेन्सिक मेडीसिन में। इसी तरह से आठ आदमी एक्सेस हैं एनाटोमी में। 16 आदमी एक्सेस हैं फिजिओलोजी, बाई कैमिस्ट्री में। फार्मेकोलोजी में चार हैं, पैथोलोजी में सात हैं। आई. एस. एम. ए. में दो हैं। लगातार हर डिपार्टमेन्ट में चाहे मेडिसिन है, सर्जरी हो, फिजोलोजी हो इसी तरह से सब जगह आदमी भरे हुए हैं। वे सभी यही चाहते हैं कि किसी तरह से जयपुर से और बड़े बड़े शहरों से नहीं हटें।

उपाध्यक्ष महोदय, पहला तो प्रश्न यह है कि जब तक आप इस जाल को नहीं तोड़ेंगे तब तक मेडिकल एजूकेशन में किसी तरह का सुधार नहीं हो पावेगा। ये जमघट जमाकर यहां बैठे हैं, राजनैतिक असर उनका होता है दूसरे प्राइवेट प्रेक्टिस से वे बहुत कमाते हैं और उसके जोर से यहां से हिलने का नाम नहीं लेते।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में मैं आपके इस आश्वासन की आपको याद दिलाता हूं जो साल भर पहले आप दे चुके हैं कि इसे समाप्ति करने के लिये गम्भीरता से आप विचार कर रहे हैं। पता नहीं आपका यह गम्भीर विचार कब तक चलता रहेगा। साल भर होने आया अभी तक आपने प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द नहीं की है। यह सबमें बड़ा भ्रष्ट आचार है। जब तक आप इसको बन्द नहीं करेंगे मेडिकल एजूकेशन और हैल्थ सर्विसेज में बुनियादी रद्दो बदल नहीं कर पावेंगे। इसे जनता तक नहीं ले जा सकेंगे। मन्त्री महोदय इस बारे में

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

आश्वासन दें पुनः कि कब तक आप विचार समाप्त कर लेंगे और इस प्राइवेट प्रेक्टिस को कब तक बन्द कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैडिकल पद्धति यहां आई तो लोगों की धारणा थी कि यह बाबू लोगों के काम आने वाली पद्धति है। एक पर्सेन्ट लोगों के लिये ये मैडिकल कालेज और डाक्टर लोग काम आते हैं, अब वह पर्सेन्ट 15 और बीस तक पहुंच गया है। और बड़े राजनेता, मन्त्री लोग, बड़े व्यापारी इन्फ्लूएन्शल आदमी और ऊंचे अधिकारी और सरकारी नौकरों के लिये आज यह काम आ रहो है। इसके अलावा आज भी यह मैडिसिन साइन्स इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ नहीं सका है।

आज भी यह एक सबसे अहम मसला हमारे सामने है कि यह एलोपैथी मैडिसिन आज भी सोशल और प्रिवेन्टिव मैडिसिन के बारे में कुछ नहीं कर पाई है। राजस्थान में इसकी जो हालत है उसको देखते हुए इसकी निकट भविष्य में कर पाने की उम्मीद भो नहीं है।

आज इनकी तनखा कम है, ज्यादा है, दवाइयों का क्या होता है, सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, नर्सें कम हैं या ज्यादा हैं किसकी तरक्की कैसे हो रही है, कौन डाक्टर नोचे रह गया या ऊपर चढ़ गया आज आप कृपा करके यह बतावें कि इन सब मांगों का असर फलौदी में क्या पड़ेगा। मैडिकल जोग्राफी में आज फलौदी सरीखे कई गांव राजस्थान के आये भी नहीं होंगे। आज तो इन लोगों ने बड़े बड़े शहरों में कुछ अपने स्वार्थों के इस तरह के एन्क्लेव बना लिये हैं कि जिनका सामाजिक आर्थिक और अन्य स्तरों पर तोड़ना नितान्त जरूरी हो गया है। अभी तक आप इन एन्क्लेवों को तोड़ने में कामयाब भी नहीं हो पाये हैं।

यही हालत है कम बेश बीकानेर कॉलेज की। अभो अभी इण्डियन मैडिकल कौंसिल का वहां का इन्सेपेक्शन हुआ तो वहां जो स्टाफ था जोधपुर में वह यहां लाकर यहां का दिखा दिया गया। अभी तो वहां पर स्टाफ भी पूरा नहीं था।

श्री खेतसिंह : जोधपुर या बीकानेर में ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : हड़बड़ी में जान बूझकर मैनीपुलेट करके और जगह का स्टाफ वहां भिजवाया गया। मैडिकल कौंसिल को ऊपर से यह बता दिया गया कि हम शुद्ध हैं। तो मैं पूछता हूं यह नाटक आपका कब तक चलता रहेगा, जनता के पैसे से बेरहमी से यह खिलवाड़ आप कब तक करते रहेंगे।

सवाल सबसे बड़ा आज हमारे सामने यह है कि आया हम मैडिकल कॉलेज मैडिकल नोलेज, मैडिकल सर्विसेज और इन सबके काम को जनता तक जनता के हित में जनता के भले के लिये वहां तक ले जा पावेंगे या नहीं ? इस प्रश्न का जवाब आज जनता आपसे चाहती है। हम भी चाहते हैं और जब तक इसका जवाब ईमानदारी से और खरे तौर पर नहीं मिलेगा तबतक मेरा ख्याल है यह जो एक नकली गैर बराबरी की दीवार मैडिकल ट्रीटमेन्ट में बढ़ती जा रही है उसको घटा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

नहीं पायेंगे, उस दीवार को तोड़ नहीं पावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको तोड़ने के लिये मेरा खयाल है कि मन्त्री महोदय को काफी गहरा विचार इस पर करना पड़ेगा और बड़े साहस के साथ इसका जवाब देना पड़ेगा। खास तौर से निवेदन करूंगा मैडिकल कॉलेजों के बारे में, मैडिकल टीचिंग के बारे में, मैडिकल सर्विसेज के बारे में आप पूरी तरह से विचार विनिमय करना चाहें तो हॉफ एन ऑवर डिसकशन इस पर अलग से रखें ताकि जो भोर कमेटी और मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट आई है उस लाइट में इन सारी चीजों पर हम किसी निर्णय पर पहुँच सकें।

यहां पर एक गुट बना हुआ है और वह गुट अपनी ताकत आजमाता रहता है और केवल इसलिये बना है कि कौन जयपुर रहना चाहिये और कौन जयपुर से बाहर जाना चाहिये। इसका निर्णय भी वह करता है। वह गुट इसलिये है कि उनकी सांठगांठ रहती है। इसका कारण यह हुआ एक बहुत अच्छा आदमी जो सोशियल और प्रिवेन्टिव सर्विस का था, ट्रान्सफर कर दिया गया। जब मैडिकल स्टूडेन्ट्स की हड़ताल हुई थी तो उन्होंने साथ दिया था, उपाध्यक्ष महोदय हड़ताल में भाग लेने का नहीं, हड़ताल को किसी तरह निपटाने का प्रयत्न किया था। इस तरह की गुटबाजी हास्पिटल्स में हो, दवाओं के उपयोग में गुटबाजी हो, उपकरणों में गुटबाजी हो, एक्स-रे के उपयोग में गुटबाजी हो तो यह सब कब तक चलता रहेगा। मंत्री महोदय हमारी आंखों के सामने जो भ्रष्टाचार हो रहा है वे इतने सक्षम होने चाहिये कि ऐसे भ्रष्टाचार को शीघ्र समाप्त करें और मेडीकल विभाग को एक नया रूप दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़ासा पी. एच. डी. के बारे में भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमें पहली बार अनुभव हुआ कि रेगीस्तानी इलाके में पी. एच. डी. ने निश्चय पूर्वक और अच्छी तरह से जहां पानी की कमी है, उस इलाके में पानी पहुंचाने की कोशीश कर रहा है। पहली बार फालोदी में दो तीन योजनायें बनी हॉलांकि बहुत कम है वहां के इंजीनियर गये और आश्वासन दिया और सैकड़ों साल से जो पानी के प्यासे थे। 10-10, 20-20 मील दूर से पानी लाकर पीते थे, उनको अब पानी की सम्भावनायें हुई है। पी. एच. डी. ने काम किया है। यह एक स्वार्थ का मामला जरूर है फलोदी में बहुत बड़ा सेलाइन एरिया है। एक बाप पंचायत समिति है जहां पानी पीने को नहीं है। इसलिये जो प्रायरिटि फिक्स करें उस प्रायरिटि के अन्दर ऐसे गांव जहां पानी.............

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पीने को नहीं है। खारा पानी है, नमक का पानी है, उसको मंजूर किया जाय। ऐसा न हो कि दूसरी जगह प्रायरिटि दे दी जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा शेरगढ़ और फलौदी दोनों के लिये मसला एक सा है दोनों को क्रियान्वित करने की कोशीश की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री मोहन राज !

श्री मोहन राज (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थय को सेवाओं का अवलोकन करें तो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आती है। आज जहां एक ओर जनता की गाढ़ी कमाई से पढ़ाया हुआ डाक्टर बेकार बैठा है वहां दूसरी ओर हमारी जनता का बहुत बड़ा हिस्सा चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह रहा है। साथ ही उन डाक्टरों की स्थिति यह है कि वे गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। गांवों के लोग जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में देकर उन डाक्टरों की पढ़ाई में व्यय किया और मैं समझता हूं यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हमारे राजस्थान का एक आदमी औसतन सारी जिन्दगी में जो उसकी एन्युअल ऐवरेज इन्कम है पूरी जिन्दगी में जितना कमाता है, मेरे ख्याल से उससे अधिक एक मैडिकल के विद्यार्थी पर खर्च होती है। ऐसी स्थिति में हमारी ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा न दे सके तो यह एक अत्यन्त दुख की बात है और मैं समझता हूं राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और वे क्षेत्र जहां अभी सेवायें नहीं पहुंची है कोई न कोई योजनायें बनायें, इसके लिये धनराशि चाहिये लेकिन इसमें जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये होने के कारण विशेष प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं उसकी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में भी बढ़ोतरी करनी चाहिये। अगर राज्य सरकार इसमें प्रयत्न करेगी तो मैं समझता हूं सफलता मिलेगी और हमारी ग्रामीण जनता को जो मैडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है, वह उपलब्ध हो जायगी।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा कस्बा है सादड़ी। बहुत बड़ा अस्पताल है। अभी अभी जनता ने चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिये पांच लाख से अधिक व्यय किया है और वहां पर जो रोगियों की संख्या है वह इतनी अधिक है कि एक डाक्टर से सम्भाल पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि आस पास का बहुत बड़ा ऐरिया, आस पास के गांवों की ढाणियों के लोग वहां इलाज कराने आते हैं। लेबोरेट्रीज और इ. सी. जी. आदि की आधुनिक चिकित्सा सुविधायें, जो हो सकती हैं वहां सारे लोगों ने चन्दा दे कर जुटाई हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा सादड़ी में प्राथमिकता के तौर पर और बाली में भी एक एक डाक्टर और नियुक्त करें तो बहुत बड़ी जनता जो चिकित्सा सुविधा से वंचित रह रही है, वह नहीं रह पायेगी और अच्छी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध हो जायगी।

दूसरे, उदाड़ा और सेवाड़ी यहां पर सात सात हजार से अधिक की आबादी है और वहां पर जनता के बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुये हैं। अपने यहां अस्पताल भवन भी नहीं है, ऐसे उन लोगों के मकानात बने हुये हैं। जो कम्पाउन्डर वहां पर रहते हैं तो एक डॉक्टर की नियुक्ति भी वहां की जाय। डॉक्टर की नियुक्ति से

(श्री मोहनराज)

50 हजार जनता लाभान्वित होगी। दूसरी जगह किन्हीं प्रशासनिक कारणों से नये अस्पताल नहीं खोल सकते हैं और विशेष चिकित्सा सुविधा एलोपैथिक की नहीं दे सकते हैं तो आयुर्वेदिक औषधालय अधिक खोलकर ग्रामीण जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने की सुविधा देनी चाहिये। अभी हमारे यहां की ग्रामीण जनता में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बहुत विश्वास है और ग्रामीण जनता को खास तौर से जो बड़ी सस्ती है और असरकारक है, इस पद्धति से कारगर लाभ सिद्ध होगा।

मैं समझता हूं अधिक से अधिक आयुर्वेद अस्पताल खोलने का प्रावधान किया जाना चाहिये। नये बजट में प्रावधान था लेकिन बजट स्पीच में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं सोचता हूं ज्यों ज्यों मांगों पर डिसकशन करते जांय त्यों त्यों वित्त मंत्रीजी भी इस ओर अपना दिमाग बनायेंगे और नये बजट में प्रावधान करेंगे ताकि नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जा सके।

जहां तक जल प्रदाय योजनाओं का सवाल है, पाली जिले में जरूर कुछ योजनायें स्वीकृत हुई है लेकिन न जाने क्यों मेरा वाली क्षेत्र, जहां पिछले 6 वर्षों से कोई जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं हुई। मैंने इसके लिये वित्त मंत्री जी को गत वर्ष लिखा भी था। उन्होंने बताया बजट की हालत खराब है, आगामी बजट वर्ष में देखेंगे लेकिन मैं समझता हूं जो सुझाव दिये हैं, उन पर अवश्य कार्यवाही होगी और जिन गांवों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है उनको लाभ मिलेगा। अभी जो मौजूदा योजनायें चल रही है उसकी तरफ मैं अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सादड़ी बहुत बड़ा कस्बा है। गत वर्ष पानी की कमी थी तो अभी गत गर्मियों में एक कुआ खोदा गया, उसका बहुत अच्छा पानी हो गया। आज सादड़ी में कुछ ही मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर दो तीन मिनिट के लिये पानी आता है बाकी सारा कस्बा बिना पानी के रह रहा है लेकिन उस कुये को जो जनता को अच्छा पानी दे सकता है, उसको पाइप लाइन से नहीं जोड़ने के कारण उसका पूरा फायदा नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूं कि मैंने वहां के इन्जीनियर से बात की तो मालूम हुआ कि आधी लाइन बिछायें उतना पाइप तो रखा हुआ है और बाकी के पाइप पहुंचा दिये जायें तो इस समय जो बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है उससे उनका समाधान हो जायेगा और जल्दी से जल्दी यह कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही समस्या फालना स्टेशन पर भी है। औद्योगिक बस्ती है, बहुत बड़ी आबादी बढ़ रही है वहां भी पानी की बहुत कमी है। अभी फालना का शिष्टमण्डल जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता से मिला था और उनके सामने उन्होंने अपनी समस्यायें रखी थीं और मुख्य अभियन्ता साहब ने विश्वास भी दिलाया था कि हम फालना पर, औद्योगिक बस्ती पर और दूसरा कस्बा है उसको पानी बराबर दिया जाये इस तरह की व्यवस्था करेंगे। मेरा ख्याल है कि वहां भी नया बेरा खुदा है उसकी भी पाइप लाइन को शीघ्र जोड़ा जा सकता है और अगर जोड़ा जायेगा तो वहां की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। मैं समझता हूं कि अधिक समय नहीं लेकर मेरे क्षेत्र की

(श्री मोहनराज)
यही समस्यायें हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भेरूंलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में जो मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 275 छोटे बड़े गांव हैं तथा कुल मिलाकर 6 हजार वर्ग मील में यह सारे गांव फैले हुए हैं. रेगिस्तानी इलाका है और गांवों में हमेशा पानी की दिक्कत रहती है। करीब 200-225 ऐसे गांव हैं जिनमें कि पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है और उन्हें केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की वहां पर आये साल कमी रहती है, अकाल पड़ता है इसलिए वर्षा का पानी भी उन गांवों को नहीं मिलता। राज्य सरकार की यह नीति है कि वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रत्येक गांव में पीने के पानी का प्रबन्ध करना चाहती है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अभी जो लिफ्ट कैनाल का काम चल रहा है, मुख्य नहर का काम भी मेरे क्षेत्र में चल रहा है, इन दोनों नहरों से हमारे गांवों को पीने का पानी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाकर मुहैय्या किया जा सकता है इस सम्बन्ध में अभी तक विभाग सक्रिय नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस 1973-74 के वर्ष में केवल 5 जल प्रदाय योजनाओं को हाथ में ले लिया जाए। राजस्थान कैनाल की जो आर. डी. 400 है वहां पर राजस्थान नहर का पानी है और वहां से 15 गांवों को पीने का पानी देने की योजना बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से आर. डी. 510 मुख्य नहर से भी 20 गांवों को पानी देने की योजना बनाई जा सकती है। लूनकरणसर कस्बे के लिए बीकानेर से रेल्वे टैंकर्स के जरिये पानी पहुंचाते हैं और इस व्यवस्था पर 50 हजार रुपया राज्य सरकार को वार्षिक खर्च करना पड़ता है। लूणकरणसर के लिए भी लिफ्ट कैनाल से योजना बनाई जा सकती है। इससे 50 हजार का जो खर्चा होता है वह बच जायेगा और जनता को भी पानी लिफ्ट कैनाल से मिल जायेगा। तो मैं समझता हूं कि जैतपुर हमारे यहां बहुत बड़ा कस्बा है। वहां भी उस कस्बे को और रास्ते में पड़ने वाले कस्बों को पानी देने की योजना बनाई जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह पांचों योजनायें 1973-74 में स्वीकृत करके शुरू करादी जाएं तो उस इलाके के काफी गांवों को राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में जहां खारा पानी है उन गांवों को दोनों नहरों से योजना बनाई जाकर एक निश्चित समय में योजना पूरी की जाए जिससे सदियों से प्यासे लोग हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके।

(श्री भीमसेन)

इसके अलावा बीकानेर का मेडिकल कॉलेज है उसमें पैड्रीयाट्रिक, ऑर्थोपैड्रिक, रेडियोलाजी और अनेस्थेसिया में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें शुरू करने की आवश्यकता है। जो पैड्रीयाट्रिक विभाग है उसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्वीकृति दे रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए, इसके अलावा आल इन्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूशन के द्वारा भी स्वीकृति है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस शुरू करने में राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय अतिरिक्त भार भी नहीं आयेगा और पंचवर्षीय योजना में आप जैसी मेडिकल फेसेलिटीज गांवों के लिए मुहैय्या कर रहे हैं उसके लिए इन क्लासेस को बहुत आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार को अभी से सतर्कता बरतनी आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में इनकी क्लासेस शुरू की जायें।

(4-36 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन।

इसी प्रकार से बीकानेर में एक्स-रे विभाग है वहां कि जो मशीनें हैं वह प्रायः खराब रहती हैं। इसका कारण यह है कि वहां के जो डाक्टर हैं उन्होंने अपनी अलग अलग एक्स-रे मशीन लगा रखी हैं। इससे गरीब जनता का शोषण होता है। तो विभाग को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या कारण है हॉस्पीटल की मशीनें खराब रहती हैं और बाहर की मशीनें चालू रहती हैं। जो डॉक्टर इस तरह से मैल प्रेक्टिस करते हैं उनकी तरफ विभाग का ध्यान जाना चाहिए।

इसी तरह से बीकानेर में हाउस सर्जन्स हैं उनकी संख्या जयपुर में बहुत ज्यादा है। वहां पर जो बेड्स की संख्या है, इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए हाउस सर्जन की पोस्ट रखी जानी चाहिए और जो इसमें डिस्पेरिटी है उसको दूर किया जाना चाहिए।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां कोई मेडिकल फेसेलिटीज नहीं हैं। आज मेरे क्षेत्र की 1॥। लाख की आबादी है और 275 छोटे मोटे गांव हैं और 6 हजार वर्ग मील में जो फैला हुआ है। वहां केवल 8 डाक्टर है। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां सब-सेन्टर्स हैं सरकार की नीति है कि प्रत्येक प्राईमरी हैल्थ सेन्टर के साथ में सब-सेन्टर को व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी समस्या पेय जल की है उसके बारे में राज्य सरकार बड़ी सतर्कता से और गम्भीरता से विचार करे।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बड़े बड़े बयान एक साल पहले इस सदन में दिये उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बड़े दुःख के साथ

(श्री मोहरसिंह)

कहना पड़ता है कि चूरू जिले के 350 गांवों में जिनमें खारा पानी है उसमें एक भी गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है और जन स्वास्थ्य मन्त्री के जितने भी दावे थे वे एकदम झूठे साबित हो गये हैं। मेरे नादान दोस्तों ने बड़े जोर शोर से कहा कि मन्त्री जी ने अपने क्षेत्र में बड़े लम्बे चौड़े काम किये हैं। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि यह शब्दों का वाक्जाल और आंकड़े हैं। एक भी गांव में पीने का पानी नहीं दिया है और वह इलाका अब खाली करना पड़ेगा। वहां पीने का पानी नहीं है और पांच, पांच और दस, दस मील से पानी लाना पड़ता है और यहां सदन को गुमराह करते हैं उन गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं जो यह कहते हैं कि वहां पीने का पानी पहुंचाया है। मुझे पता नहीं 15 करोड़ मन्जूर हुए होंगे, 50 करोड़ मन्जूर हुए होंगे लेकिन किसी भी गांव में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है और उस क्षेत्र में अगर सरकार सस्ता पानी भी दे दे, 4 आने गैलन पर भी दे दे तो मैं मानूंगा कि सरकार ने काम किया है वर्ना लम्बे चौड़े दावे हम दिन भर सुनते हैं, इनमें सार नहीं है। कोई कहे कि मैं झूठ बोलता हूं, मेरे कथन को कोई झूठा साबित कर दे तो जो सजा दें वह भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। जो अकाल पीड़ित और भूखे लोग हैं उनकी आवाज इस सदन में मैं उठाना चाहता हूं और जन स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहूंगा क्योंकि इन्होंने वर्षों से दौरा नहीं किया है, शायद ज्ञान नहीं है और भूल गये हों तो फिर याद दिला दूं और वह नोट कर लें कि इन्होंने अपने कितने वायदों को पूरा किया है। जो इन्होंने वहां पर मैदान देखे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मिलीभगत है।

श्री मोहरसिंह : अब आप ही मिलीभगत का हिसाब लगा लें।

श्री शंकरलाल : जोशी जी ने खूब पहचाना।

श्री मोहरसिंह : एक्स-रे मशीनें काम नहीं करती हैं और पता डाक्टर मिलकर ऐसा करते हैं या आपका जो विभाग है उसकी विशेषता है कि एक भी एक्स-रे मशीन जिले में काम नहीं करती अस्पताल में पट्टी नहीं, दवाई नहीं, अकाल पड़ता है तो कोई इन्तजाम नहीं, और कोई देना चाहता है, दान देता है, पैसा देना चाहता है तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने भवन बना दिया तो उसकी मरम्मत नहीं। रतनगढ़ का अस्पताल कैसा है। सरकार ने इस शर्त पर बाड बना कर जनता से लिया था कि उससे जो आमदनी होगी वह उस पर ही खर्च होगी। बीस साल हो गए, दस साल पहले भी यह बात मैंने कही थी और आज फिर याद दिलाना चाहता हूं कि उस 70 हजार रुपयों की राशि जो गरीबों के काम में आने वाली थी उसका पता नहीं। स्कूल बनाने के लिए पैसा आपकी सरकार के पास जमा करवाया था, साठ हजार, तो वह भी चार साल से वापस मिलता नहीं। आपको दानदाता दान देता है तो उसका पता नहीं लग सकता कि

(श्री मोहरसिंह) सरकार में कहां जमा हो गया; यह पता नहीं कोई चन्दा देते हैं अपनी शर्त पर तो उन शर्तों का पालन विभाग नहीं कर सकता और 25 तरह के अडंगे, शिकायतें होती रहती हैं। कोई पार्क लगा कर भेंट करते हैं उस पार्क की मेंटीनेंस नहीं कर सकते हैं। उसमें सामान चोरी हो जाय तो आपका विभाग उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करता। कहां तक आपकी तारीफ करें, समझ में नहीं आता। हमारे सरदारशहर में एक लाख रुपये का भवन बना कर दें, उसको चलाने का सरकार को खर्चा दें, इस्टमेंट दें उसके बाद भी सरकार उसको चला नहीं सकती, ऊपर से कहते हैं मिलीभगत है। मिलीभगत कहां है? आप इस तरह से गलत ढंग से चन्दा लेते हैं। फिर आप अस्पताल बनाते हैं और पैसा खर्च करते हैं और फिर इस प्रकार की बातें होती हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं है। मिलीभगत है कहां? मैं तो कहता हूं आप भारत सरकार से हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योजना बना कर पैसा मांग नहीं सकते और हमारा उत्थान नहीं होता। जिस प्रकार के पिछड़े इलाके राजस्थान में हैं वैसे ही पिछड़े इलाके देश के दूसरे प्रान्तों में हैं। आप वहां जाकर देखिए कि हालत क्या है। बिहार पिछड़ा हुआ इलाका होते हुए भी वहां अस्पतालों का क्या इन्तजाम है? बंगाल के पिछड़े इलाकों में क्या इन्तजाम है? पिछड़े इलाकों की व्यवस्था नहीं कर सकते, अस्पतालों का इन्तजाम नहीं कर सकते, योजनायें बनायें तो पैसे का उपयोग नहीं हो। ऊपर से जो बोलने को खड़ा होता है तो कहते हैं कि मिलीभगत है। मैंने पहले भी इस बात को कहा और फिर दोहराता हूं कि साढ़े तीन सौ गांवों में से किसी भी गांव में सरकार ने पीने के पानी का इन्तजाम किया हो तो बता दें। और मंत्रीजी आप सुन लीजिए कि तारानगर कस्बे में पीने के पानी की बहुत बुरी हालत है लेकिन आप वहां एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते हैं। आपने कोई योजना बनाई और कोई पैसा खर्च हुआ। या तो आप अपने वायदों को जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा कीजिए वरना तो जैसा होता आया है हजारों वर्षों से वसते रहे हैं। आपका क्या लेना देना है।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (कानपुर) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं उनमें सबसे से पहले मैं जयपुर के योग अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यह संस्था सारे हिन्दुस्तान में यूनिक है। योग अनुसंधान का कार्य राजस्थान सरकार ने खोला है। ऐसी कोई संस्था हिन्दुस्तान में किसी सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती और यह जितनी उपयोगी है मैं समझता हूं कि और कोई संस्था इतनी उपयोगी नहीं होगी। यह सन् 1961 में कायम की थी और भारत सरकार ने 20 बेड का फ्री हास्पिटल चालीस हजार रुपये सालाना का मंजूर किया था। सन् 61 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा बीस बेड की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

संस्था हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने कायम है। इसकी उपयोगिता के बारे में जो अभी तक मुझे आंकडे प्राप्त हुए हैं उसमें यह है कि यहां इनक्योरेबल डिजिज के बारे में अनुसंधान करते हैं। जो ऐसी भयंकर बीमारियां हैं जैसे डायबिटिज, अस्थमा गेस्ट्रिक ट्रबल जिसका कि और किसी भी सिस्टम में इलाज नहीं है, उन बीमारियों का इलाज यहां होता आया है। डायबिटीज के 328 केसेज में, जो रिपोर्ट इस संस्था की, यहां पर मिली है और इस संस्था में राजस्थान सरकार के दो डाक्टर अपोइन्टेड हैं जो कि हर अनुसंधान का काम करते हैं, वहां पर सारे अंग्रेजी तरीके से टेस्ट किए जाते हैं. टेस्ट हो जाने के बाद एक तो फुल टाईम डाक्टर है और एक सीनियर डाक्टर पार्ट टाईम है वह अनुसंधान का कार्य करते हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो डायबिटीज के 328 केसेज उनमें से 107 इम्प्रूव्ड हैं और 82 केसेज कण्ट्रोल्ड हैं। इस तरह से 189 केसेज करीब हैं और 2 क्योर्ड हैं।

अस्थमा जिसको कि इनक्योरेबल बताते हैं तो अस्थमा के 187 केसेज में से 29 क्योर्ड और 99 इम्प्रूव्ड हैं। इस प्रकार 128 केसेज का ट्रीटमेंट हुआ है।

इसी तरह से गैस्ट्रिक ट्रबल जो हमारे यहां होती है और जिसकी बड़ी शिकायत शहरों में रहती है, और मैं सभापति महोदय, निवेदन करूं कि हमारे यहां ज्यादातर हार्ट केसेज होते हैं वे गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से होते हैं। हार्ट केसेज में प्योर्ली हार्ट के केसेज तो 20. परसेन्ट ही होते हैं बाकी में ज्यादतर गैस का कारण होता है। इसमें भी 161 केसेज में से 31 कन्ट्रोल थे और 86 इम्प्रूव्ड, करीब 117 केसेज का इलाज हुआ है।

तो यह संस्था ऐसी है जहां जितनी इनक्योरेवल डिजीज हैं सबके बारे में ट्रीटमेंट होता है। और उनकी डेली अटेण्डेंस होती है। बहुत से आउट डोर केसेज भी आते हैं, इससे दुगुने केसेज आउटडोर में आते हैं।

इसके लिए दो प्रकार की आवश्यकता है। एक तो इसकी पब्लिसिटी बहुत कम है। बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग ट्रीटमेन्ट के बाद बाहर जाते हैं वे इसकी तारीफ करते हैं। बल्कि मैं तो कहूं कि राजस्थान से भी ज्यादा बाहर के लोग, बम्बई, दिल्ली और दूसरे 2 जगहों के लोग आते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इसकी पब्लिसिटी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस संस्था को योग साधना आश्रम के लिए 75 हजार रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था। लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही है। योग अनुसंधान केन्द्र के पास ही जमीन खाली भी है यू. आई. टी. को लिखा पढ़ी कर रखी है। अगर जमीन मिल जावे तो यह आश्रम वाले इस 75 हजार रुपये से बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं। इन दो बातों के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए इतना ही निवेदन करूंगा कि एक तो, इसको जमीन अगर मिल जावे तो 75 हजार की बिल्डिंग योग अनुसंधान के काम में आने वाली है, वह बन जाय। दूसरा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पब्लिसिटी हो जावे तो इससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। तो यह राजस्थान गवर्नमेन्ट की संस्था है लेकिन पब्लिसिटी नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसकी पब्लिसिटी हो तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसकी डेली क्लासेज भी होती हैं और दो ब्रांचेज भी खोल दी हैं। एक तो बाग में और दूसरी शहर में दूसरी जगह है जहां सुबह एक्सरसाइज होती है। यूनिवर्सिटी के सामने भी है। इससे बहुत लोग लाभ उठाते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आफिसर्स और यहां आफिसर्स ने भी इसकी बहुत तारीफ की है। योग के बारे में ऐसा है कि पं. जवाहरलालजी नेहरू रोज 14 मिनिट की एक्सरसाइज किया करते थे। सारा प्रोग्राम बिजी होने पर भी 14 मिनिट की एक्सरसाइज किया करते थे, जहां कहीं भी रहते थे वे एक्सरसाइज करते थे और इससे वह जब तक जिन्दा रहे तब तक उनकी तन्दुरस्ती अच्छी रही। एक बार वह कोटा में आए तो जब उनका प्रोग्राम हुआ तो वह तो झट से चढ़ गये लेकिन जो जवान लोग थे वे इन्तजार करते रहे। इसका तन्दुरस्ती ही मूल कारण था। स्वामी जी ने बताया कि 14 मिनिट तक वह कहीं पर भी जाते थे एक्सरसाइज किया करते थे। इसी तरह से बहुत से ऐसे मामले हैं कि योग की ट्रेनिंग जितनी यहां होनी चाहिये नहीं होती.......................

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसमें हर एक विद्यार्थी को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आम तौर पर ट्रेन्ड डाक्टर हैं, वे पुराने सिस्टम को, योग, आयुर्वेद सिस्टम को पसन्द नहीं करते हैं। माननीय मंत्री महोदय को इस सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरे दो कटमोशन पिछले साल से वैसे के वैसे ही हैं उनमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक तो अलवर के अस्पताल को (ए) ग्रेड बनाने का है और दूसरा बहरोड़ पंचायत समिति में प्राईमरी हैल्थ सेंटर के दो सब सेंटर खोलने का है। प्रश्नोत्तर काल में जो जवाब दिया गया है वह सही नहीं था वहां के.......................

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कागजात पड़े हुए हैं, छः महीने से रुपया जमा है लेकिन सब-सेन्टर नहीं खोले गये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति: श्री नारायणसिंह !

श्रीमती निर्मलासिंह शक्तावत: सभापति महोदय बार बार एक ही बात कहनी पड़ रही है। यह ठीक नहीं लगता है। एक ही महिला, शकुन्तलाजी श्रीवास्तव का कटमोशन था, परन्तु उनका समय अभी तक नहीं आ पाया है। वे सुबह से इसका इन्तजार कर रही है। इसके लिए बार बार कहना शिष्टता भी नहीं है परन्तु कहना पड़ता है।

Page No 142

142

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो-तीन साल के अन्दर मेरे जिले के अन्दर कोई आयुर्वेद का औषधालय नहीं खोला गया है। वहां के निवासियों ने 50-60 हजार की बिल्डिंग बना कर 8-10 साल पहले दी है उनके अन्दर कोई औषधालय नहीं खोला गया है। वे भवन खाली पड़े हैं। दूर दूर तक चिकित्सा की सुविधा न होने के कारण लोग परेशान हैं। इसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था मंत्री महोदय ने समय समय पर की है। वहां पर कम्पाउन्डर को भेजा गया था किन्तु उसको भी हटा दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था भी इसलिए करनी पड़ी कि दस मील की दूरी तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस साल हम यह उम्मीद करके चल रहे थे कि इस साल औषधालय वहां पर खोल दिया जाएगा लेकिन इस बजट के अन्दर भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और नये औषधालय खोलने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, जहां पर औषधालय है वहां की हालत बहुत खराब है। वहां पर दवाइयां बिलकुल नहीं मिलती हैं। कई जगह तो ऐसी हालत है कि सबसे साधारण चीज चूर्ण भी इन औषधालय में नहीं मिलता है। इन आयुर्वेद औषधालयों के अन्दर वैद्य एलोपैथी की दवाइयां काम में लेते हैं। पर्ची लिख कर दे देते हैं और मैडिकल स्टोर से दवाइयां ली जाती हैं। कोई गरीब आदमी पट्टी बंधवाने जाता है तो पट्टी बांधने का साधन वहां पर नहीं है। कोई चीज वहां पर नहीं मिलेगी। आज ऐसी हालत है मेरे जिले के अन्दर, मैं अर्ज करूंगा, कहीं पर भी चले जाइये, किसी भी दवाखाने में कोई दवा नहीं है। न पट्टी बांधने का कपड़ा और न चूर्ण ही मिलेगा। सिवाय इसके कि पर्ची लिख कर दे देते हैं। कुछ वैद्य इन्जेक्शन लिख देते हैं। उनका रिएक्शन होता है। क्यों होता है उसकी जानकारी वैद्य को नहीं होती है। उसको इसका ज्ञान नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है, उसको सुधारना चाहिए और दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीकर जिले के मुख्यालय पर राजेन्द्र बाबू के नाम पर सीकर जिले के निवासियों की ओर से तीन लाख रुपये की लागत का एक भवन का निर्माण किया गया था। सीकर जिले के सभी निवासियों की ओर से यह भवन बना कर राजस्थान सरकार को दिया गया लेकिन आज इसकी कितनी दुर्व्यवस्था है। कमेटी प्रस्ताव पारित करके भेजती है परन्तु कुछ नहीं होता है। सीकर जिले की पापूलेशन को देखते हुए, सीकर शहर की जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है। इसमें योग्य वैद्य, अच्छी दवाइयों के साथ भेजे जाने चाहिएं। अभी तक इसमें कोई वैद्य नहीं भेजा गया है। तीन, साढ़े तीन लाख का खर्चा किया गया, इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला। उनको तकलीफ हो रही है। राजस्थान सरकार को इतनी बड़ी सहायता भवन के रूप में देने के बावजूद इसमें व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

Page No 143

(143)

(श्री नारायण सिंह)

कई जगह तो औषधालय खोले जाते हैं वहां पर जहां कि पहले ही एलोपैथी की डिस्पेन्सरी चल रही है। यूनानी का औषधालय है वहां पर आयुर्वेद का औषधालय और खोल दिया जाता है। कई स्थान ऐसे हैं जहां कि पांच पांच क्या पन्द्रह पन्द्रह मील की दूरी तक कोई चिकित्सा के साधन नहीं हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और कोई सिद्धान्त तय करके इनको खोला जाना चाहिए। एक फलासिया गांव है। दस मील दूर तक कोई औषधालय नहीं है। गांव वालों ने इस उम्मीद से 50 हजार लगा कर एक भवन बना दिया ताकि राजस्थान सरकार पर भी दबाव रहेगा और औषधालय खोल दिया जाएगा। जिला परिषद्, पंचायत समिति ने भी कई दफा प्रस्ताव पारित करके भेजे उन प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए कोई क्राइटेरिया, सिद्धान्त सरकार को बनाना चाहिए कि जो प्रस्ताव जिला परिषद् पारित करके भेजे तो उसको अवश्य ही सरकार प्राथमिकता देगी।

मैं सभापति जी आपके माध्यम से इन्हीं बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उन्हें पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि नये औषधालय खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए यह मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृति)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री करनीसिंह!

श्री करनीसिंह (डीग) : सभापति महोदय, सिर्फ एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं पहले अक्सर वैद्य लोग नब्ज को देखकर डाइगनोसिस करते थे अब एक्सरे, ई. सी. जी. और दूसरी मशीनों के जरिए यह किया जाता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत सी एक्सरे की मशीन ई. सी. जी. की मशीनें खराब पड़ी है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां जहां भी मशीन खराब है शीघ्र ही उनको दुरुस्त करवाया जाए एक तरफ सवाई मानसिंह अस्पताल में तीन लाख की एक्सरे मशीन खराब पड़ी है दूसरी तरफ हम इसकी कमी बताते हैं। छोटे गांवों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं डीग अस्पताल के बारे में करना चाहता हूं। लेडी डाक्टर नहीं होने की वजह से वहां पर महिलाओं की मौत हो जाती है। इस संबंध में मंत्री महोदय से मिला था और उस समय मंत्री महोदय ने अपने पी. ए. को बुलाकर यह आदेश दिया था कि शीघ्र ही वहां पर लेडी डाक्टर का प्रबंध करवाया जाए। परन्तु सभापति महोदय, आज तक वहां पर लेडी डाक्टर नहीं पहुंची है। इसका एक ही कारण है। वह मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बंद की जानी चाहिए। इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है यह ठीक भी है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हैल्थ की प्राइवेट

(श्री करनीसिंह)

प्रेक्टिस नही करनी चाहिए। इसकी ग्रोर मंत्री महोदय ग्राशा है, ध्यान देगें। मैं यह इस वजह से नही कर रहा हूं कि उनको ग्रार्थिक नुकसान हो। परन्तु उन्हें समय नहीं मिलता है। तीन बजे वे ग्रफिस पहुचते हैं। इस प्रकार उनकों पूरा समय नही मिल पाता है। जयपुर की डिस्पेन्सरीज में डाक्टर ग्राठ ग्राठ साल से बैठे हुए हैं। इस लिए इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्रब एक मिनिट में भरतपुर को जल समस्या के बारे में निवेदन करया चाहूँगा धोलपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सारा पैसा भरतपुर वाले खा जाते हैं लेकिन मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामीए पेय जल योजना के तीन गांव धौलपुर में हो है। शायद मंत्री महोदय रिश्तेदारी निभा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। भरतपुर में बंद बोरठा की स्कीम है। कई सालों से पड़ी है। इसको भयंकर गति से चलाया जा रहा है। इस पर जो कार्य हुग्रा था वह पानी से, बाढ़ से बह गया। इसलिए इसकी ग्रोर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊगा कि बोरठा स्कीम को शीघ्र पूरा कर के भरतपुर को जनता को कम से कम पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध करावे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मत्री जी।

श्री फूलचन्द जैन : सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि सदन का समय बढ़ गया है ग्रौर 3-4 कटमोशन्स ग्रौर बाकी रहे हैं उनको ग्रौर पेश करने का मोका दिया जाय उसके बाद में माननोय मत्री जी बोलें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तीन बजे ही रहे हैं।

श्री सभापति : समय की ग्रवधि निर्धारित है। ग्रार्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 15 मिनिट का समय ग्रौर बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : स्वास्थय मंत्री जी।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : सभापति महोदय, महिलाग्रों में से सिर्फ मेरा ग्रकेलो का ही कटमोशन है। उस पर भी मुझे समय नहीं दिया जा रहा है यह बड़े खेद की बात है।

(5.01 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उससे नुकसान नहीं हो रहा है। इतनी देर बैठे हैं तो सारे कट मोशन पूरे हो जायं।

सुश्री शकुन्तला श्री वास्तव : संख्या के ग्रनुपात में लेडीज की पहले ही संख्या कम है। लेडीज की वायस को दबाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: ग्रार्डर प्लीज।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : शासक दल को एक लेडी सचेतक मुकरर करवाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : की हुई है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही ग्रपनी बातें कहना चाहुंगी, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कम है।

ग्रामीए क्षेत्र में चल रहो चिकित्सा-व्यवस्था के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं पहले ग्राज ग्रामीए क्षेत्रों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सब जगह करीब बना रखे हैं ग्रौर

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

वहां पर डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की पोस्टिंग भी कर रखी है। उदाहरण के तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहे सिरसी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बारे में चर्चा करना चाहती हूं जहां पर एक लम्बा चौड़ा स्टाफ है। उसके लिए तो मैं मंत्री महोदय और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वहां पर एक लम्बी चौड़ी लिस्ट प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के कर्मचारियों की है, लेकिन देखना यह है कि वास्तव में वहां पर डॉक्टर या वे लोग पहुंचते भी हैं क्या ? सिर्फ दिन यानी पहली तारीख को अपनी तनख्वाह लेने से पहुंचते हैं। वे फर्जी टी. ए. बिल बनाते हैं और टूर प्रोग्राम बना बनाकर दिखाते रहते हैं कि फलां फलां गांव में गये, जब कि वास्तविकता यह है कि किसी जगह पर भी वे लोग नहीं जाते हैं। कोई डॉक्टर दुर्भाग्य से ऐसा आ जाता है कि वह अपनी फैमिली को लाकर वहां पर रहता है तो निश्चित रूप से वह कड़ाई करेगा स्टाफ के साथ में और उनको भी वहां पर रहना पड़ेगा। तो उस डॉक्टर के खिलाफ षड़यन्त्र करके उस डॉक्टर को परेशान किया जाता है, हर तरह से गुण्डागर्दी की जाती है और सब तरह से उसको परेशान किया जाता है। तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही इस अव्यवस्था को समाप्त किया जाय।

उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूतिगृह किसी भी जगह पर नहीं खोले गये हैं, जब कि ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं प्रसूति के लिए आती हैं कहीं किसी अस्पताल में जयपुर में तो उसके रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, और कभी कभी उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से कुछ व्यवस्था की जाय।

इसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहती हूं उसी सिरसी, परिवार नियोजन केन्द्र का। वहां पर एक जीप रहती है 4-5 दिन पहले वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जाने का कार्यक्रम था। दो दिन पहले जीप से रात को एक व्यक्ति जो कि ड्राईवर नहीं था वह डॉक्टर की कनाइवेन्स से जीप को लेकर उसके परिवार को लेकर जयपुर आया। इस बात की आप जांच कर लें। अगर यह मिथ्या बात हो तो मैं उसके लिए कोई भी सजा आप दें उसको लेने को तैयार हूं। इस तरह से षडयन्त्र करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

परिवार नियोजन विभाग के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। इतना बड़ा बजट केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिलता है। इसको हम ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से बात करके इस बजट को मेडिकल में परिवर्तित कराया जाकर इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की व्यवस्था की जाय।

आयुर्वेद विभाग में चल रही धांधली के संबंध में दो शब्द कहना चाहती हूं। आज यह हो रहा है कि आयुर्वेद विभाग में मनमानी जगह पर, जयपुर के नजदीक या जयपुर में पोस्टिंग करवाने के लिए एक महिने की तनख्वाह किसी को दो दो तो उस जगह पर पोस्टिंग कर दी जाती है। इसकी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

जानकारी की जानी चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए।

यहां औषधालयों में दवायें नहीं होती हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उनके वहीं तो प्रेक्टिस है : मेडिकल डॉक्टरों के तो प्रेक्टिस है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उसी प्रकार की प्रेक्टिस चल रही है। आप ठीक कह रहे हैं। वैद्यों का जो शंटिंग चल रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। वैद्य गांवों में रहना पसन्द करते हैं····

श्री शंकरलाल (पाली) : प्रेक्टिस नहीं मेल प्रेक्टिस है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : जो वैद्य गांवों में रहना पसन्द करते हैं परिवार को लेकर उनको नहीं रहने दिया जाता है। पक्षपातपूर्ण ढंग से उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह की जाती है कि वह वहां पर रहना पसन्द नहीं करता है। सारे जयपुर के चक्कर लगाते रहते हैं।

इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन की बात कहना चाहती हूं कि गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन होता है वैद्यों का। उसकी जांच कराना चाहिए।

जयपुर में बनास योजना से पानी लाने के बारे में इसी सदन में बहुत पहले घोषणा हो चुकी थी। जयपुर शहर में काफी पेय जल का संकट हर गर्मी में हमको उठाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि पहले की हुई घोषणा का पालन किया जाय। इसके सम्बन्ध में विचार करें।

जल प्रदाय योजनाओं के संबन्ध में बड़ी लम्बी चौड़ी सूची मैंने सामने रखी है। 72-73 के बजट में जयपुर जिला ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जिला है जिस के लिए कोई जल प्रदाय योजना इसमें कहीं देखने को नहीं मिली। तो मैं आशा करूं कि 73-74 के बजट में जयपुर जिले के साथ में यही व्यवहार किया जायेगा या जयपुर जिले को कुछ मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप को धन्यवाद देती हूं कि आपने समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन !

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के अन्दर भूख से मरने वालों के बारे में बहुत चर्चा हुई और जब जब भी हमारे अकाल राहत मंत्री जी ने जवाब दिया तो उनके जवाब से ऐसा प्रतीत हुआ कि भूख से नहीं बल्कि वे लोग जो मरे हैं वे बीमारी से या दूसरे कारणों से मरे हैं। रतनगढ़ में कनवाडा ऐसा गांव है जहां पर दिसम्बर के महीने के अन्दर काफी मौतें हुई और जब स्वास्थ्य विभाग को यह सूचना दी गई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और दिसम्बर से जनवरी के तृतीय सप्ताह तक करीब 34 आदमी वहां पर बीमारी से मर गये। जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को और दूसरे संबन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया तो मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने बजाय इस तरफ तवज्जह देने के कुछ दिनों के बाद में एक ऐसी विज्ञप्ति जनसम्पर्क विभाग से निकलवाई कि यहां पर जो मौतें हुई हैं वे बिमारी से नहीं हुई तो हमने पूछा कि अगर बीमारी से नहीं हुई तो भूख से हुई, तो जिला प्रशासन बड़ी दुविधा में पड गया। वह यह सोचने लगा कि बीमारी से मरे कहें तो जिला स्वास्थ्य विभाग पर ब्लेम आता है और बीमारी से नहीं भूख से मरे कहें तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। मैं यह समझ नहीं पाया कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर बिना

(श्री फूलचन्द जैन)

जाये किस तरह से कह दिया कि वहां पर मौतें हुई हैं वह बीमारी से नहीं। तहसीलदार, रतनगढ़ जब मौके पर गया तो उसने स्वयं ने यह लिख कर दिया है कि मैं जब वहां पर गया तो वहां पर गांव वालों ने सरपंच और उपसरपंच ने यह बताया कि जिस समय वह गया उस समय तक 24 व्यक्ति मर चुके हैं और 53-54 व्यक्ति सर्दी और बुखार से पीड़ित हैं। मैं समझ नहीं पाया कि एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, एक या डेढ़ महीने के अर्से में 39 आदमी मर गये, और उसके बाद जनवरी के तृतीय सप्ताह से आज तक कुल 4 आदमी मरे हैं। तो क्या वजह है कि एक साथ इतनी मौतें हुई हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में जानकारी करके जवाब देंगे। हालांकि मैं यह कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर साहब जो माथुर साहब है और सेक्रेटरी साहब वे बराया सहाब वे स्वय वहां पर 22 तारीख को गये और जाने के बाद जोकुछ नतीजा निकलावह वे ही जानते हैं। परन्तु उसके बाद में यह जरूर कहा जा सकताथा कि वहां पर दवाई की समुचित व्यवस्था की। परन्तु जो पीछे के अर्से में नहीं की गई और लापरवाही बरती गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में जांच पड़ताल कराये।

जल प्रदाय योजना के बारे में भू-जल मण्डल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 44 नलकूप लगाने हैं। 4 लगाये गये हैं। चूरू जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत। दूसरी में यह कहा गया है कि 22 लगाये जा चुके हैं। आगे जाकर लिखा गया है कि 25 नलकूप 72-73 तक लग चुके हैं। तो एक में कहा गया है, 22 लग गये हैं। एक में कहा गया है 25 लग गये हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये कहां कहां लगे हैं। इन आंकड़ों का आपस में मेल नहीं बैठता है। तो जो वहां पर नलकूप लगे हैं, वे शहरी योजना के अन्तर्गत लगाये गये हैं, क्या उन्हीं को मान लिया गया है। या ये अलग से देने के सम्बन्ध में कहा गया है, वह लगाये गये हैं। ये कहां पर लगाये गये हैं और उनका उपयोग कहां कहां पर हो रहा है। यह माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य के अन्दर जो अभी अभी रिपोर्ट मिली है, चूरू जिले के बारे में, मुझे इस बात के लिए खुशी है, चाहे काम हो या न हो। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं कि चूरू जलप्रदाय योजना को अहमियत देकर उसके नाम से इतना रुपया रखा है। परन्तु चूरू जिले में यह कहां पर और किस प्रकार से होगा। इसको विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन 72-73 के बारे में, चूरू जिले के बारे में मैंने पहले भी सदन में बताया है और मुझे अभी यह देख कर खुद ही अफसोस होता है कि मेरी जानकारी में जो गांव हैं, वह कई ऐसे गांवों के नाम हैं, जहां मीठा पानी पहले से उपलब्ध है। हमारी समस्या उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जहां पर पीने को पानी नहीं मिलता है, जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वहां पर जन स्वास्थ्य

(श्री फूलचन्द जैन)

विभाग जलप्रदाय योजना बनाता है तो वहां पर बनिस्पत इसके कि जहां पर मीठा पानी उपलब्ध है, उनको वहां पर कुएं के बजाय घर में टूटी से पानी मिलने लग जायेगा। परन्तु जो मूलभूत समस्या रेगिस्तानी इलाके की है, उसका कोई समाधान नहीं है। इससे उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। इससे मैं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता कि वहां के रेगिस्तानी क्षेत्र के सम्बन्ध में पीने के पानी की समस्या की ओर उनका सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। तो उसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कौन से गांव लिये गये हैं। जहां पर खारा पानी था वहां पर मीठा पानी कैसे दिलाया जा सके, इसके बारे में कुछ सोच विचार किया होगा। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गान्धी नगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटमोशन्स पर विचार रखना चाहूंगा। पिछली बार जैसी वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी, जयपुर में पानी की सुव्यवस्था की है। तो पूरा साल पानी की अच्छी व्यवस्था रही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो 200 ट्यूबवैल लगाने की बात कही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह बहुत बड़ी संख्या में लगाये गये हैं। लेकिन अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में 2 लाख लगाये जायेंगे। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या इन ट्यूबवैल से सही माने में व्यवस्था हो सकेगी। दिसम्बर 71-72 में सरकारी घोषणा हुई थी। वह घोषणा बनास योजना के बारे में थी। पिछले साल बजट में यह कहा गया था कि अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण वह कर नहीं सकेंगे। मैं निवेदन करूं कि 24 करोड़ की योजना के बजाय ये ट्यूबवैल क्या समस्या का समाधान कर सकेंगे ? अगर बनास योजना सरकार एक्सेप्ट कर ले तो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ सारा कवर हो सकता है। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर में जो पानी की समस्या है वह भी इससे ठीक हो जायेगी। मैं समझता हूं कि ब्यावर में जो डेम बन रहा है जिस पर 6 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे है. और वैसे ही जोधपुर में एक करोड़ रुपये की ट्यूबवैल योजना से पानी लेने की कोशिश की गई लेकिन वह फेल हो गई। इसी प्रकार अजमेर में गनेड़ा की स्कीम करीब करीब फेल हो रही है। इससे साफ नजर आ रहा है कि अजमेर में भी पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हैं और वहां पर केवल 15 गैलन पानी प्रति व्यक्ति मिल रहा है। जयपुर के अन्दर आज 27 गैलन पानी प्रति व्यक्ति मिल रहा है। तो आखिर यह समस्या कब तक हल होने वाली है ? मैं समझता हूं कि जब तक राज्य सरकार इस योजना को हाथ में नहीं लेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ट्यूबवेल्स से

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जो पानी जयपुर में नलों में आ रहा है, उसमें पानी के साथ मिट्टी भी आ रही है। आज ही मेरे पास कुछ लोग एक बोतल पानी की ले आये जिसमें बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी। वह पानी उन्होंने नल से लिया था. मैं वह बोतल लाना भूल गया. नहीं तो यहां आपको दिखाता। अब मैं इसमें राज्य सरकार की गलती भी नहीं मानता क्यों कि पैसे की कमी है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्यूब वेल्स से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। इसलिये मैं जन स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गौर करें। आज जयपुर शहर की जो समस्या है वह यह भी है कि पानी और गटर की लाइनें मिली हुई हैं, जिसके कारण पानी में गटर का पानी मिल जाता है। जब तक हमारे यहां दिल्ली की तरह एक डेवलपमेंट अथोरिटी नहीं बनेगी तब तक यह समस्या हल नहीं होने वाली है। हमारे यहां अलग अलग अथोरिटीज बनी हुई हैं, म्यूनिसिपेलिटी अलग है, यू. आई. टी. अलग है, वाटर वर्क्स अलग है. जिससे कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। यह सब तब ही ठीक हो सकता है जब यहां पर भी दिल्ली की तरह एक ही डेवलपमेंट अथोरिटी हो जाये। मैं सोचता हूं कि माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जयपुर को बनास योजना से लाभ देने पर विचार करेंगे।

अब मैं कुछ स्वास्थ्य मन्त्री जी से जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहां कई बाहर के लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं। यहां की जनाना हास्पिटल को किसी और जगह ले जाने की बात कही जाती है। यदि यह सही है, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। इस अस्पताल के पीछे बड़े बड़े मकान अंग्रेजों के टाइम के बने हुए पड़े हैं। अगर उन पर बुलडोजर घुमा कर इस जनाना अस्पताल को बढ़ाया जाये तो सही कदम होगा। एक तरफ तो संतोखबा दुर्लभजी ट्रस्ट अपने अस्पताल को ऊंची ऊंची मन्जिलें ले जाकर बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ आप इस जनाना अस्पताल को हटाने का सोच रहे हैं। जनाना अस्पताल के लिए आपने एक एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, लेकिन उसके सदस्य जो सुझाव आपको भेजते हैं उनको आप जवाब तक नहीं देते। राज्य सरकार को चाहिये कि एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स द्वारा भेज गये सुझावों को इम्प्लीमेंट करें और उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

आज हमारे यहां जो नागरिक हैं, वह भी अपना पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। अभी सत्तर हजार का डोनेशन एक दिया गया और दूसरा पांच हजार का डोनेशन दिया गया। यदि और भी आवश्यकता होगी तो जयपुर में डोनेशन की कोई कमी नहीं है। यहां जनाना अस्पताल में स्टाफ की भी कमी है। बाहर से आने वाले पेशेंटस की हालत, जब वह डिलीवरी कराने के लिए आते हैं, बहुत खराब होती है। औरत तो अन्दर भरती हो जाती है लेकिन बाहर बैठे हुए उनके रिश्तेदारों को इतला देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

समय का अभाव है, लेकिन एक बात मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बारे में जरूर कहूंगा। जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने की आवश्यकता के बारे में कई बार जिक्र हुआ है। जब तक जयपुर में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं बनेगी तब तक यहां पर समस्या बनी रहेगी। अगर आज हम पापूलेशन को भी देखें तो केवल सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिये काफी नहीं है। और उसी का नतीजा यह है कि वहां पर मरीजों की हालत गम्भीर है, दयनीय स्थिति में वहां पड़े रहते हैं। जो रोगी डॉक्टर के घर पर 25 रुपये फीस के नाम पर रिश्वत के देकर आ जाता है, उसकी पर्ची को डॉक्टर देखते हैं, तब उसकी व्यवस्था होती है। उन मरीजों की हालत बड़ी दयनीय है जो बाहर पड़े रहते हैं, न उनको बेड दिया जाता है, न दवा की व्यवस्था की जाती है, न उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। जो डिपार्टमेंट के हैड डॉक्टर है, उनके घर पर जाकर मरीज पच्चीस रुपये देकर आ गया तो उस मरीज की देखभाल होती है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में मरीज परेशान है, उनकी स्थिति दयनीय हैं। हमारे पास कई लोगों के फोन आते है, हम यहां अपनी बात रखते हैं और जब ज्यादा दवा देने की बात होती है, हॉस्पिटल खोलने की बात होती है तो आपके अधिकारी, जो चेम्बर में बैठे रहते है, क्या इन हालात को देखने का प्रयत्न करते हैं। मन्त्री महोदय, आपके पास कोई बात पहुंचा दी गई या यह निवेदन किया कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है तो उस स्थिति में आप अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हैं और राज्य सरकार के जो बड़े अधिकारी है, मैं छोटे अधिकारियों की बात नहीं कहना चाहता, वह मेनीपुलेशन करके जो जवाब दे देते हैं, जो अधिकारी कह देते हैं वह आपकी दृष्टि में सही है और जो सार्वजनिक व्यक्ति, जो आपके साथ विधान सभा में बैठा है, जो बात कहता है, वह बात गलत हो जाती है। यह परम्परा गलत है कि एक आई. ए. एस. अधिकारी जो बात कहे, जो कागज चलाये, वह तो सही है और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो कहता है, वह झूंठ है। मेरा निवेदन है कि इस सदन की भावना को आप गम्भीरता से लेगें और सेक्रेटरी लेवल पर बैठ कर हमारी बातों पर गम्भीरता से चर्चा करें। मेडिकल सेक्रेटरी जो हैं मैं उनके लिए कहता हूं कि जो बात वह नहीं करना चाहें, वह नहीं करने देगें, जब तक कि उनकी मन्शा पूरी नहीं हो। और कोई सही बात हो तो उसको भी वह घुमा फिरा कर ऐसे प्रस्तुत कर देंगे जिससे मालूम हो कि दूसरा व्यक्ति झूंठा हैं। इस कारण आज लाखों मरीज परेशान हैं। आज आप सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल और मेन्टल हॉस्पिटल की स्थिति को देखें और फिर सन्तोखबा हॉस्पिटल की हालत देखें, जमीन आसमान का फर्क है। आप इन हॉस्पिटल की हालत जाकर देखिये कि क्या हालत हो रही है, किस तरह की दयनीय स्थिति है, वहां पर रोगियों की दयनीय स्थिति है।

मैं निवेदन करूंगा, अस्पतालों में बिना पैसे के जो फूड मिलता है उसके अन्दर

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इन्क्रीज करने का बजट में प्रावधान रखें ताकि पहले जो फूड मिलता था उस पर आज मंहगाई बढ़ गई है, इसलिए बजट में उसके पैसा ज्यादा नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूं कि रोगियों को फायदा नहीं होने वाला है। इस अवसर पर मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

आयुर्वेद मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो चिकित्सा विभाग में हालत हो रही है उसमें डॉक्टरों की बात बहुत सुनने में आयी है, वैद्यों की तरफ ध्यान कम जाता है। एन्टी करप्शन और सी. आई. डी. इन्क्वायरी में भी इनके बारे में सही जानकारी नहीं आती हैं और इस सदन में भी जानकारी कम आती है। मैं सही कह रहा हूं, मेडिकल डिपार्टमेंट सेज्यादा भ्रष्टाचार फैला है तो आयुर्वेद में फैला है। आयुर्वेद विभाग के डाईरेक्टर साहब ने अपने वैद्यों की लिस्ट बना रखी है कि कितना रुपया किस के ट्रान्सफर पर मिल सकता हैं। मैं सदन में साफ कहता हूं, जयपुर में मोहनलाल दाधीच इनके एजेन्ट के रूप में काम देखता है कि किस वैद्य का ट्रान्सफर करने से कितना पैसा मिल सकता है। मैं इसको दावे के साथ और प्रूफ के साथ रखसकता हूं अगर आप इजाजतदेंऔर मंत्री महोदय जांच करायें सी. आई. डी. द्वारा। मैं कहता हूं कि आप जांच करायें तो आयुर्वेद के डाईरेक्टर निश्चित रूप से जेल के सींकचों में होंगे।

मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करूंगा कि निश्चित रूप से लोग हमारा घेराव करते हैं और दयनीय और सही बात बताते हैं तो हमसे रुका नहीं जाता है। जनता की बात कहने का हमारा अधिकार है, सरकार हमारी बातों पर विचार करके, चिन्तन करके कार्यवाही करे तो हम सहयोग कर सकते हैं और प्रूफ दे सकते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : डाइरेक्टर मिनिस्टर की बात मानते हैं? उनकी भी नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी!

श्रीमती निर्मलाकुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम समय लूंगी क्योंकि मुझे मालूम है, इस समय, समय नहीं है।

तीन बातों पर मैं बोलना चाहती हूं, परिवार नियोजन जन स्वस्थ्य और चिकित्सा। वास्तव में आज बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है वह राजस्थान की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की है। यदि इसी रफ्तार से जनसंख्या को बढ़ने दिया जाय तो इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या सौ करोड़ हो जायगी। ऐसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं, आगे गरीबी और भुखमरी की स्थिति क्या होगी? यह कल्पना में स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में जो पैसा परिवार नियोजन पर खर्च किया जा रहा है, वह वास्तव में, मैं समझती हूं, मंत्री महोदय का कदम सराहनीय है। परन्तु केवल पैसा बहा देने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जायगा। परिवार नियोजन को कामयाब करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके हैं एक चिकित्सा सम्बन्धी, दूसरे सामाजिक। चिकित्सा सम्बन्धी उपायों पर हमने बहुत ध्यान दिया है, स्थान स्थान पर केम्प लगाये गये हैं, स्टेरीलाइजेशन कराये

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

गये हैं, लेकिन सामाजिक उपायों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया है अब मैं सामाजिक उपायों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सबसे पहला साक उपाय माजि यह है कि आज हमारे यहां पर विवाह की औसत आयु पन्द्रह वर्ष है, इस आयु को बीस या बाइस कर दिया जाय। यद्यपि इसके बारे में हिन्दू विवाह कानून, 1955 बना हुआ है, परन्तु कानून केवल मात्र कानून की पुस्तिका का पृष्ठ मात्र है, अतएव यह नान काग्नीजेबल ऑफेन्स है। इसको काग्नीजेबल ऑफेन्स में परिवर्तित कर दिया जाय तो सम्भव है इस जनसंख्या के ऊपर रोक लगा सकेंगे। इसके साथ परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाने के लिए लोगों को आकर्षित करना होगा, उनको कुछ सुविधायें भी देनी होंगी। मैं इस क्षेत्र में कुछ संक्षेप में सुविधायें देने की बात बताना चाहती हूं। जो राजकीय कर्मचारी हैं वे परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाते हैं तो उनको एडवान्स इन्क्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ एक सुझाव मैंने पिछली बार भी सदन में दिया था, वह यह है कि इंग्लैंड में नेशनल हैल्थ स्कीम है जिसके अन्तर्गत जो व्यक्ति बीमार होता है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम नेशनल हैल्थ स्कीम लागू नहीं कर सकें तो हम पार्टली नेशनल हैल्थ स्कीम लागू कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाता है कम से कम उसकी बिमारी की सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले ले, उसका सारा का सारा खर्चा अपने ऊपर ले ले तो यह काम सराहनीय होगा। सामाजिक उपायों में दूसरा सुझाव मैं देना चाहती हूं शिक्षा का, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, परिवार नियोजन स्वतः होता चला जायेगा। यूरोप का उदाहरण लीजिये, वहां कितनी कम जनसंख्या बढ़ती है, कुछ कन्ट्री तो ऐसे हैं जहां पापूलेशन ग्रोथ जीरो है। ऐसी स्थिति में जो पैसा परिवार नियोजन पर खर्च किया जाता है, उसका कुछ प्रतिशत ऐसे पाठ्यक्रम, कालेजों और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए रखा जाय और शिक्षा में परिवार नियोजन की दिशा दें तो सम्भव है यह कार्य स्वतः हो जाय।

जन स्वास्थ्य के बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार जल प्रदाय योजना पर धन व्यय कर रही है वह सराहनीय कदम है। परन्तु यह सुझाव मैं इस क्षेत्र में देना चाहती हूं, आज जो स्वास्थ्य का स्तर हम लोगों का गिरा हुआ है उसका कारण व्यय, ऋण और अभाव ही नहीं है। इसके और भी कारण है, जिनकी वजह से जन स्वास्थ्य गिरा हुआ है। सबसे पहला तो यह है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत अधिक है। यद्यपि 1954 में कानून बन गया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को सजा मिलेगी फिर भी देखते हैं, रोज देखते हैं कि शुद्ध घी और शुद्ध दूध मिलता नहीं है। शहर के व्यक्ति तो इनका स्वाद ही भूल गये हैं इसलिए यह कानून कड़ाई के साथ में लागू होना चाहिए। साथ ही साथ संतुलित आहार के बारे में ग्रामीण लोगों को यह मालूम नहीं है कि संतुलित आहार क्या है। अतएव जन स्वास्थ्य का कुछ पैसा प्रचार कार्यों में व्यय होना चाहिये जिससे स्थान स्थान पर प्रदर्शनियां लगानी चाहिये, जिनसे कुछ बातें मालूम होनी चाहिये जिससे आने वाली पीढी अपना स्वभाव खान-पान के बारे में बदल सकें।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि पोलियों वेक्सीन, ट्रिपल वेक्सीन जो शहर के बच्चे हैं, उनको लग जाता है परन्तु गांवों के बच्चे इससे अछूते हैं। गांवों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गांवों के बच्चों को पोलियो वेक्सीन, ट्रिपल वेक्सीन दिये जा सकें। अतः इस क्षेत्र में माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहती हूं ऐसी भ्रमणशील इकाइयां कायम की जायें, जो समय समय पर गांव गांव में जाकर इस प्रकार के वेक्सीन, पोलियों वेक्सीन ट्रिपल वेक्सीन गांवों के बच्चों को दे सकें। यह भ्रमणशील इकाइयां जायें, उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा में यह प्रचार हो जाना चाहिये कि इकाई फलां समय में आने वाली है जिससे बच्चे उनका लाभ उठा सकें।

चिकित्सा के सम्बन्ध में संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी, देश की आबादी के अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, और गांवों में चिकित्सा की सुविधायें अधिक नहीं हैं अतः पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम हमें एक डिस्पेंसरी खोलने का लक्ष्य अपनाना होगा। यदि हम लक्ष्य को नहीं अपनायेंगे तो गरीब व्यक्तियों को कभी फायदा नहीं हो सकेगा। आज डाक्टर्स जिनको हम बेकारी भत्ता देते हैं, उनको भी इसी शर्त पर भत्ता दिया जाना चाहिए कि निकट भविष्य में वे गांवों में जायेंगे और गांव के लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें पहुंचायेंगे। पी. एच. सी. संटर्स खोले गए हैं लेकिन उनकी व्यवस्था देख कर बड़ा दुःख होता

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सावा में पी.एच.सी. का डाक्टर कभी भी सब सेन्टर्स को नहीं देखता। इस प्रकार के सेंटर्स तो कायम करें किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं चलें तो पैसा बेकार होगा।

मेरा एक और महत्वपूर्ण सुझाव है कि जिला हैडक्वार्टर्स पर गाइनाकोलोजी की स्पेशलिस्ट लेडी डाक्टर होना जरूरी है। अगर लेडी डाक्टर नहीं होती है तो छोटे मोटे डी. एन. सी. ऑपरेशन्स में भी महिलाओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलेंगे जिनमें छोटे से ऑपरेशन के पीछे कई महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी हालत में महिलाओं की चिकित्सा के लिए जो गाइनाकालोजी एम. एस. या विशेष प्रकार की डिग्री प्राप्त की हुई महिला चिकित्सक है, उसे जिला हैडक्वार्टर पर नियुक्त करना चाहिए।

दूसरी बात कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बंद होनी चाहिए। मैं भी निवेदन करना चाहती हूं कि वह अवश्य बंद होनी चाहिए क्योंकि ऐसी हालत में डाक्टर्स अस्पताल में, जिनके लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उनको सेवा के लिए नहीं आते हैं कि बल्कि अपने व्यवसाय, पैसा कमाने के लिए आते हैं। मेरे पास उदाहरण हैं, अस्पताल प्रिमिसेज में ही डाक्टर मरीजों से पैसा मांगते हैं। अतः कई मरीज रोते हुए हमारे पास आते हैं और हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है। केवल जांच करायेंगे, जांच कराने में काफी समय बीत जाता है। जब तक प्राइवेट

154

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

प्रैक्टिस के ईविल को खतम नहीं किया जाएगा तब तक सुधार लाना संभव नहीं है। इतना ही संक्षेप में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं किशनगढ़ में जो जल अभाव से समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए निवेदन करूंगा। आज तो अकाल की स्थिति खैर है ही। गत वर्ष से वहां जल का अभाव हो रहा है और इस वर्ष वर्षा के अभाव में जल की कमी हुई है। उसके कारण वहां के जन-जीवन को अधिक खतरा पहुंच रहा है। वहां की जनता आज जल के अभाव में कीचड़ पी रही है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां करीब 45 हजार की जनसंख्या है और वहां पर जो जलप्रदाय है पूर्णत: अव्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। कभी वहां पर पावर की कमी हो जाती है, पानी की कमी वहां रहती है। पानी की टंकी टेक्निकल पाइन्ट ऑफ व्यू से बहुत ही कम क्षमता की बनी हुई है, इसलिए मैं सबसे पहले वहां के जल समस्या के निराकरण के लिए जन स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां सर्वेक्षण के लिए गत वर्ष जो आपने पत्र लिख कर मुझे सूचित किया कि मैं वहां सर्वेक्षण के लिए संबंधित विभाग को आदेश दे रहा हूं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सर्वेक्षण आज तक नहीं हो पाया है और वहां की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है, बल्कि उससे भी विकट। इसलिए मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि जल समस्या के निराकरण के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके वहां की जनता को अनुगृहीत करें। साथ में स्थाई हल के लिए राज महल योजना को भी लागू किया जाए, उसमें स्थाई हल जो निकलता हो ताकि सारे अजमेर जिले को फायदा हो और पेय जल की समस्या जो विभिन्न स्थानों पर है उसका हल हो जाएगा। आशा है, मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करके उचित कदम उठायेंगे।

वहां की अस्पताल की जो व्यवस्था है, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां के अस्पताल के सम्बन्ध में गत वर्ष से लगातार आपका ध्यान आकर्षित करता रहा हूं, वहां अस्पताल की जो व्यवस्था है, वह कतई सुचारू रूप से नहीं चल रही है और विशेष बात वहां यह है कि जो कुछ राशि का आवंटन होता है या औषधियां भेजी जाती हैं वह पूरी तरह से जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। अनेक माध्यमों से, अखबार के माध्यम से, प्रार्थना-पत्र के माध्यम से और जो वहां कांतिचन्द्र जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके द्वारा मुख्य मंत्री को निवेदन किया गया था कि वहां के अस्पताल में जो घपले हैं, उनकी तुरन्त जांच कराई जाए। मुख्य मन्त्री ने शायद उनको आश्वासन दिया था कि हम सम्बन्धित अधिकारी को जांच के लिए भेज रहे हैं लेकिन वह जांच आज तक किशनगढ़ के अन्दर तो नहीं हुई कहीं कागजों में हुई होगी तो मैं नहीं कह सकता। बाकी सबसे दु:ख की बात वहां यह है कि सरकार जो पैसा जिस जनता के उपयोग के लिए देती है, उसका सदुपयोग न होकर कई घपले और घोटाले होते

(श्री प्रतापसिंह)

है और उनके प्रति जब जनता शिकायत करे फिर भी कुछ न हो तो फिर स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उसमें जरूर मिलावट की बात अवश्य होगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि तुरन्त जांच कराई जाए जिससे जनता में संतोष हो सके।

किशनगढ़ में जो डॉक्टर है उसके लिए वहां की जनता में बहुत असंतोष है क्योंकि उनके जो भी कारनामे हैं, वे जनता से छिपे हुए नहीं हैं और वहां से बार बार जनता की मांग है कि ऐसे डॉक्टर के बजाय यदि वहां डॉक्टर रखा ही न जाए तो अच्छा है।

एक बात और निवेदन करूं कि उस अस्पताल का नेशनल हाई वे पर स्थित होने से उसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आए दिन किशनगढ़ के निकट काफी दुर्घटनायें होती हैं। फारिनर्स में से भी एक आध दुर्घटना हुई है और अधिकारियों की भी हुई है। उस समय वहां पर एम्बूलेन्स का इन्तजाम नहीं होता है। ऐसी गम्भीर स्थिति में जब मरीज हो जाता है उसके लिए जब एम्बूलेन्स नहीं होती है तो एक और समस्या सामने आ जाती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करके वहां की जनता को राहत पहुंचायें।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल का समय है और गत अकाल के अन्दर परिवार नियोजन के मरीजों को मेडिकल लीव दी गई थी, इन्सेंटिव मनी जैसी सुविधा दी गई थी वे इस अकाल में चालू नहीं किए गए हैं। यदि इस समय भी यह सुविधा दी जाए तो अकाल के समय में और अधिक लाभदायक बात होगी। और जनता को भी राहत पहुंच सकेगी तथा कार्यक्रम में भी कुछ प्रसार हो सकेगा।

आयुर्वेद मंत्री से केवल इतना ही निवेदन है कि आयुर्वेद के नए औषधालय खोलने का तो प्रावधान नहीं है किन्तु वहां जो मौजूदा आयुर्वेद औषधालय हैं उसमें सुचारू रूप से औषधियों की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टाफ में भी वृद्धि करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मेरी गुजारिश है कि डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद को रिटायर किया जाए, जनता इनसे परेशान है, एम. एल. एज. परेशान हैं, वह किसी की नहीं मानते इसलिए इनको जल्दी रिटायर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय आज राजस्थान में चिकित्सा का जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह सारा का सारा शहरों और कस्बों में खर्च हो रहा है। आज जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें बहुत ही कम पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय राज्य के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो सदा से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र की ओर ध्यान

(श्री नाथूराम)

देने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय यह ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है लोग अलग अलग रहते हैं वहां पर उन लोगों की आज स्थिति ऐसी है उपाध्यक्ष महोदय कुछ स्थानों पर कोई भी चिकित्सालय वहां पर न तो आयुर्वेद के हैं न ही वहां अन्य औषधालय ही हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप आदिवासियों की मदद करना चाहते हैं तो कम से कम वहां पर आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा औषधालय खोलने की कृपा करें। आज स्थिति ऐसी है कहीं पर अगर औषधालय है भी तो लोगों को वहां पर दवाईयां प्राप्त नहीं होती। मैं इसलिये राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दवाइयों की व्यवस्था की जाय। आज स्थिति ऐसी है कि वहां पर औषधालयों की फैसीलिटी नहीं होने से सैकड़ों की तादाद में आदिवासी मरते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय कई औरतें जिनके कि बच्चा होना होता है और चूंकि वहां पर नजदीक में कोई प्रसूति गृह औषधालय नहीं होने से लोगों को अस्पताल तक उन औरतों को ले जाने में ही कई औरतें रास्ते में ही अपने प्राण त्याग देती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में डिस्पेन्सरीज प्रसूतिगृह ज्यादा से ज्यादा खोली जाय। दूसरी बात मैं जो आपको निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपने जो यह पॉलिसी बनाई है कि दवाखाने के भवन निर्माण के लिये गांव के लोगों से पैसा लेकर अस्पताल का भवन बनाया जाय तो उपाध्यक्ष महोदय मैं राज्य सरकार के चिकित्सा मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि जिनके खाने पीने के लिए पैसा नहीं है वे गरीब लोग कैसे दवाखानों को भवन निर्माण का पैसा लगायेंगे तो इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जिस तरह आप शहरों में और बड़े कस्बों में सरकार की ओर से भवन बनाते हैं उसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में भी दवाखानों के भवन बनाने की कृपा करें। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है। कि राज्य सरकार ही आदिवासी क्षेत्र में अपने पैसों से भवन बनाने की व्यवस्था करें। और साथ में उन्हीं दवाखानों में जल्दी से जल्दी चिकित्सा की व्यवस्था भी होनी चाहिये। अभी कुछ समय पहले बांसवाड़ा जिले में लोगो ने चन्दा करके करीब चार लाख रुपया इकट्ठे किये उपाध्यक्ष महोदय उसमें वहां आदिवासी क्षेत्र के जो गरीब लोग थे उन्होंने भी एक बार नहीं बल्कि चार पांच बार चन्दे दिये इसके अलावा कुछ रुपये राज्य सरकार ने भी दिये इस के लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देता लेकिन इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारे यहां बांसवाड़ा में अस्पताल हैं वहां पर लोगों को भरती करने में बड़ी दिक्कत पैदा होती है। जब तक एक आदिवासी 25 रुपये पी. एम. एच. ओ. को या डाक्टर की फीस नहीं देता है तब तक उसे अस्पताल में भरती नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय उन डॉक्टरों के ऐजेन्टस लोग घूमते रहते हैं वे बीमारों को कहते है कि तुम पहले डॉक्टर साहब को प्राईवेटली दिखादो वहां के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बीमार को डाक्टर के घर पर उन्हें भेजते है ताकि पहले वह 25

(श्री नाथूराम)

रुपया फीस दे फिर ही उसको भरती किया जाता है अन्यथा नहीं । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार के चिकित्सा मन्त्री से कि यह भ्रष्टाचार को बन्द कराने की व्यवस्था की जाय । आज जो आदिवासी गरीब बीमार है और उसके पास अगर डॉक्टर को देने को कोई फीस नहीं है तो उसके लिए अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है । उसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आज आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भी बहुत ही भ्रष्टाचार है अभी इस सदन के अन्दर में माननीय सदस्यों ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है । आज वैद्यों के अपाईन्टमेंट में भी बहुत भ्रष्टाचार छाया हुआ है । जो वैद्य फर्स्ट डिवीजन पास है उसका अपोइन्टमेंट नहीं होता है और दूसरों का जो थर्ड क्लास हैं उनका अपाइन्टमेंट हो रहा है इसी प्रकार जो हमारे इलाके के या आदिवासी क्षेत्र के जो लोग पढ़े लिखे है आयुर्वेद में उन्हें जहां तक हो सके उसी ऐरिया में लगाया जाना चाहिये । क्योंकि आज वह स्थिति है कि जो व्यक्ति पैसा देता है उसे नजदीक और अच्छे जिलों में अपाइन्टमेंट किया जाता है और जो पैसा नहीं देते है उन्हें बासवांडा और डूंगरपुर वगैरहा जिले में भेजा जाता है आज कोई यू. पी. का है और उसने पैसे नहीं दिये तो उसको बांसवाड़ा लगाया जाता है । जो लोग हमारे क्षेत्र से बहुत दूर के है हमारे लोगों के रहन सहन और रीति रिवाज और बोल चाल नही समझते हैं उन्हें आप आदिवासी क्षेत्र में लगाते हैं जिससे उनको और मरीजों दोनों को तकलीफ होती है । मेरे गांव में, एक वैद्य है जो कि हरियाणा के निवासी हैं उन्हें लगा रखा है । हालांकि वह अच्छे वैद्य हैं लेकिन मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जहां तक हो सके हमारे यहां पर भी वैद्य तैयार हो गये हैं उन्हें वहां पर नौकरी दी जाय अन्यथा हमारे यहां पर जो निर्धन वैद्य हैं लेकिन आपने उन्हें अपाइन्टमेंट नहीं दिये है और वे बेकार बैठे हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इन लोगों को अपाइन्टमेंट दीजिये । इसके साथ साथ यह भी आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें जिस डिवीजन के वे है उन्हें उसी क्षेत्र में लगाने चाहिये यानि उन्हें उसी जिले में रखें । उपाध्यक्ष महोदय जैसा, कि मैंने निवेदन किया है कि फर्स्ट सैकिण्ड डिवीजन रजिस्टर्ड हुए बैठे है और आपने थर्ड डिवीजन लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन हुए डाईरेक्टली नियुक्त कर लिया है । आपने लगभग 60-80 वैद्यों की नियुक्ति की है आपको चाहिये इस भ्रष्टाचार को तुरन्त रोका जाना चाहिये और जो रजिस्टर्ड हैं फस्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन पहले के बैठे है उन्हें नौकरी में लिया जाना चाहिये । और जिनको आपने एपाइन्टमेंट दे दिये हैं उन्हें कैन्सल किये जाय । ऐसा मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो कि महत्वपूर्ण है वह है पेय-जल की समस्या के बारे में । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पीने के पानी की बहुत ही समस्या है वहां का जो पानी है वह ऐसा है कि उसमें नाहरू नाम की बीमारी बहुत निकलती है । पहले कुछ समय के लिये यह बन्द हो गयी थी लेकिन अभी कुछ पिछले समय बहुत ही ज्यादा नाहरू निकलते हैं । आज गरीब आदिवासी

(श्री नाथूराम)

लोगों के पीने के पानी की बहुत ही समस्या है। आज हर परिवार में लोगों के नाहरू निकलते हैं। कई परिवार तो उपाध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति है कि लोगों को एक जगह ही नहीं बल्कि शरीर के कई अंगों पर नाहरू निकले हुए हैं। ऐसे नाहरू लोगों के हर अंग में आपको मिलेगें जिससे कि वहां के लोग बहुत परेशान है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके हल के लिये राज्य सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि हमारे बांसवाड़ा जिले में कई बड़े कस्बे भी हैं जैसे परतापुर वहां पर काफी हजारों लोग रहते हैं इसके अलावा वहां से लोग फोरन से भी जाते है वहां पर पीने के पानी के लिये योजना बनाने के लिये वहां के लोगों ने मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन हैं कि राज्य सरकार इस आदिवासी क्षेत्र के लिये जो पीने के पानी की समस्या जो बनी हुई है उसके लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया देने की कार्यवाही करें। ताकि लोग जो सदा से ही पिछड़े हुए है उन्हे राहत मिले। और इसके साथ जो बड़े बड़े कस्बे है उनकी भी पेयजल की समस्या को दूर किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय तो हमें मिलना चाहिये मैंने भी कट मोशन दिया है। मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगा। आज आपने जो यह फेमिली प्लानिंग नाम रखा है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह फेमिली प्लानिंग नहीं है। जिस कार्यक्रम को लेकर आप चलते है वह फेमिली प्लानिंग को सफल नहीं बना सकता है। क्योंकि जिसे आप फेमिली प्लानिंग कहते उसे मैं फेमिली प्लानिंग नहीं मान कर उसे फेमिल रेस्ट्रिक्शन मानता हूं। क्योंकि उसमें फेमिली प्लानिंग आप नहीं कर रहे है बल्कि आप उसे बच्चे पैदा करने से रोक रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय प्राणी शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के लिये आने वाले कल की चिन्ता नहीं है उसकी समस्याओं की चिन्ता नहीं उसके बच्चे कम पैदा होंगे। और जिसको आने वाले कल की फिकर है चिन्ता है उसको चूंकि जीवन में अनिश्चितता है इसलिये वह उसी फिकर में रहता है जिससे वह दूसरी बातों में ध्यान न रख कर बच्चे ज्यादा पैदा करता है। वो अधिक सन्तान उत्पन्न करता है।

उस सिद्धान्त पर चाहिये तो यह था कि आने वाले जीवन की एक गारन्टी देते आप कि उनके आने वाले जीवन को खुशहाली से बिता सकेंगे इसकी गारन्टी सरकार देती है तो इससे सही मायने में फेमिली प्लानिंग हो जाता।

संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं, घंटी का भी अवसर नहीं दूंगा। मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो सेन्टर खोले हैं परिवार नियोजन के और जो उनमें ऑपरेशनों के आंकड़े दिये गये हैं वे कतई विश्वसनीय नहीं हैं एक आयोग बिठाकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। केवल फीस के प्रलोभन में कम आयु लिखाकर अधिक आयु वाले लोगों का आपरेशन कर दिया गया। इस तरह के पचास

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पर्सेन्ट केस हैं जिनमें कम आयु लिख कर अधिक आयु के वृद्ध पुरुषों के ऑपरेशन किये गये हैं। इससे तीन व्यक्ति लाभान्वित हो जाते हैं; एक लाने वाला, दूसरा, डाक्टर और तीसरा वह वृद्ध पुरुष जिसने अपनी कम आयु लिखाकर ऑपरेशन करवा लिया या रजिस्टर में नाम लिखवा लिया। इससे सही मायने में कार्यक्रम सफल नहीं होते। इस प्रकार के भ्रष्टाचार की व्यवस्था को सख्ती से रोका जावे नहीं तो लाखों रुपया योंही व्यर्थ चला जावेगा।

दूसरा मेरा कट मोशन है आयुर्वेद पर कहना बहुत कुछ चाहता था। समय कम है।

आयुर्वेद ऐसी व्यवस्था है जिसमें रोगों का निवारण ही नहीं होता, लेकिन आयु कैसे बढ़े इसका ज्ञान जिसमें निहित है ऐसा एक शास्त्र, विज्ञान हमारे पास है। यह सदियों से चला आ रहा है। यह व्यवस्थित रूप से चले तभी हमारा काम हो सकता है।

इस विभाग में पहले भिषगाचार्य की परीक्षा होती थी। अब आयुर्वेदाचार्य की परीक्षाएं चल रही हैं। आयुर्वेद के कॉलेज में भिषगाचार्य के पद पर बिठाकर आप उनसे आयुर्वेदाचार्य बनवाते हैं। अब जो शिष्य हैं वे आयुर्वेदाचार्य बनकर जब वैद्य बनते हैं तो उनका वेतन स्केल अधिक है और भिषगाचार्य होकर जो उनको पढ़ाते हैं, गुरु हैं उनके वेतन स्केल कम। अब चूंकि ये दोनों परीक्षाएं सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों डिग्रियों को एक समान एक स्तर पर मान लेना चाहिये। और दोनों के वेतन समान स्तर पर करने चाहिये।

इसमें औषधियों की एक निर्माणशाला का विभाग और है। इसमें बहुत घोटाले हैं। इसका शुद्धिकरण होना चाहिये। मेरा उदयपुर में इस विभाग का ज्ञान है। वहां औषधियों के नाम पर त्रिफला का चूर्ण भी नहीं मिलेगा। इसमें या तो प्रशासकीय अव्यवस्था है या वे पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। इस कारण से भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ गया है कि जिसकी सीमा नहीं है।

महंगी कीमत की औषधियों को खरीदने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी बना रखी है जिसमें स्वयं निदेशक महोदय हैं, रसायनशाला के महाप्रबन्धक हैं, सहायक लेखाधिकारी हैं और एक दो सरकारी उच्च अधिकारी हैं। यह सब व्यवस्था होते हुए भी रसायनशालाएं अपने आप स्वयं सारी खरीद कर लेती हैं। यह कमेटी एक कोने में बिठा दी गई है। और औषधियां खरीदने में अनियमितताएं ऐसी हो रही हैं कि जिसकी सीमा नहीं। जिसकी आवश्यकता नहीं है वह औषधि खरीद ली जाती हैं जिनकी आवश्यकता है वे नहीं खरीदी जातीं। जैसे एक नमूना मैं आपको बताऊं। केसर है। केसर खरीद लिया। उदयपुर के स्टोर द्वारा भी खरीद कर लिया गया और अजमेर और जयपुर द्वारा भी। उदयपुर में खरीदी गई 906 रुपया तोला में अधिक की कीमत में। सभी जगह एक दो दिन के अन्तर से यह खरीद की गई। पर फिर भी उसकी खरीद में 906 रुपया तोला

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

का अन्तर एक जगह की खरीद से दूसरी जगह की खरीद के भावों में। फिर तुर्रा यह कि उसका आज तक उपयोग नहीं हुआ।

ऐसे भी अवसर आपको देखने को मिलेंगे कि जो औषधि चलती नहीं जिसका ऑर्डर नहीं मिला पर वह औषधि जगह जगह भेज दी गई। मैं पूछता हूँ अगर ऑर्डर नहीं मिला तो भेज कैसे दी गई और वहां आ कैसे गई। रजिस्टर में दर्ज कैसे हो गई। रजिस्टर को चैक करें तो ऑर्डर का पता नहीं। पर इसमें छः सात विभाग लिप्त होते हैं बाद में ऑर्डर निकल जाते हैं और रेगुलेराइज कर दिया जाता है। फिर जो चीजें खरीदी जाती हैं उनके लिये व्यवस्था यह होनी चाहिये कि ओपन टेण्डर निकलें। जिसकी चीज और रेट दोनों वाजिब हों, कम हों उससे खरीद करनी चाहिये। इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलने के कारण लाखों रुपयों का घोटाला इस विभाग में हो रहा है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कहीं तो चार व्यापारियों ने तय करके एक तरह के टेण्डर दे दिये। इसके बाद जिनके टेण्डर लिये गये और माल लिया गया चारों को बुलाकर ले लिया। कहीं लिफाफों में कीमतों में सब में काटा फांसी ओवर राईटिंग सब कुछ भी मिल जावेगा। पर फिर भी वे स्वीकार कर लिये जाते हैं। इन गड़बड़ियों का तो साफ पता लगता है। फिर भी कोई देखने भालने वाला इस विभाग में नहीं है। ऑडिट विभाग ने इसको देखा है और ओब्जेक्शन [illegible] हैं।

जिस व्यवस्था के हिसाब से प्रभारी रसायनशाला को आठ हजार और दो हजार के सामान विशेष अवस्थाओं में खरीदने का अधिकार दिया गया वह अधिकार मिस यूज करते हुए उस अधिकारी ने लाखों रुपयों की औषधियां पांच पांच चार दिनों के अन्तर से मार्च 1 से 15 तक खरीद लीं। ऐसी औषधियां खरीद लीं जिनमें अधिकतर की आवश्यकता नहीं थी। यह सबसे बड़ी गम्भीर अनियमितता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इसकी जांच करेंगे।

दूसरी एक ऐसी ही गम्भीर अनियमितता की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि नानी पकाने वाली, दोहिती खाने वाली की कहावत यहां चरितार्थ होती है।

वहीं औषधियां एक फर्म से खरीदी जा रही हैं और उसी फर्म की तरफ से दस्तखत वाउचरों पर करके रसीद पर करके लगा देते हैं और वहीं स्वीकार कर लेते हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि वह खरीद करने वाला अधिकारी व्यापारी से मिला हुआ है और उसे व्यापारी के ऊपर चूंकि भरोसा नहीं है कि जो पैसा अतिरिक्त वह उसे दे रहा है, मिलेगा या नहीं इसलिये वही प्राप्ति रसीद कर लेता है और वही बिल स्वीकार कर लेता है। मुझे आश्चर्य है यह विभाग कैसे चल रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी अनियमितताओं की जांच की जाय और अधिकारी जो दोषी पाये जावें उनको दण्डित किया जाय।

अगर सही प्रकार की प्रमाणित औषधियां हम बनावें और उनके प्रति जन साधारण में विश्वास पैदा कर सकें

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
तो सस्ती औषधियां घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं और लाभ पहुंचा सकती हैं। पर इसके लिये आवश्यक है कि आप इस फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार को कड़े हाथों से रोकें। और इन अनियमितताओं को दूर करें।

श्री विजयसिंह (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से इन्तजार कर रहा था। आज मुझे अवसर देकर आपने बड़ी कृपा की इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। देर है मगर अंधेरे नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए इस परिवार नियोजन पर करोड़ों रुपया का प्रावधान रखा जाता है जो उचित है और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी यह नहीं सोचा गया कि जो रिजल्ट आना चाहिये था वह आया कि नहीं ?

करोड़ों रुपया इसका प्रचार और प्रसार करने में खर्च होते हैं इसके लिये गाड़ियों में पेट्रोल में प्रचार साहित्य में लोगों को देने करने में स्टाफ में खर्च किया जाता है पर होता क्या है कि हैडक्वार्टर पर आकर रिपोर्ट कर देते हैं कि लोग नहीं मिले आॅपरेशन कराने के लिए या एक ने कराया एक ने भी नहीं। तो कम से कम यह तो देख लिया जाना चाहिये कि जो पैसा खर्च हो रहा है वह वाजिब तौर पर हो रहा है या नहीं। अगर सारा पैसा उचित ढंग से खर्च किया होता तो इसका निश्चय ही अच्छा रिजल्ट निकलता। जितने मीन्स आॅफ सब्सिस्टेन्स हैं उतनी ही आबादी होनी चाहिये थी। आॅप्टीमम पापूलेशन हो जाती। पर अन्धाधुन्ध खर्च करने के कारण स्थिति यह पैदा होगी कि एक दिन कि लोगों की आस्था ही इस विभाग से उठ जावेगी।

अब मैं निवेदन करूं कि जिनको आॅपरेशन कराना है वे तो आॅर्डिनेरी डेज में जाकर स्वयं करवा लेते हैं। पर इसके लिये जो स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है खास तौर से एक हफ्ते का, पन्द्रह दिनों का और इस साल तो क्वार्टरली भी अभियान चलाया गया है इसमें इतने गैर वाजिब आपरेशन होते हैं कि जिसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल वे अपना पर्सेंटेज किसी तरह शो करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अभी हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 25 परसेन्ट गलत आदमियों के आॅपरेशन्स हुए हैं। इसको मैं बढ़ाकर यदि अतिशयोक्ति न हो तो 40 परसेन्ट कर देना चाहूंगा। मैं आपको यह सही बता रहा हूं कि 40 परसेन्ट लोगों को, जिनके गलत आॅपरेशन हुए हैं उनको मेरे एरिया से लाकर आपके सामने खड़ा कर सकता हूं कि जिनके आॅपरेशन किए गए हैं। जो या तो बूढ़े हैं या 20 वर्ष के जवान हैं कुंआरे हैं या निःसन्तान है। रेवेन्यू के पटवारी, कलेक्टर खुद दौड़ते हैं। पंचायत समितियों के स्टाफ के लोग दौड़ते हैं और गांवों के लोगों को फुसलाते हैं। पटवारी लोग जाकर कहते हैं किसानों से हर खाते पर से एक आदमी को चलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के जोर जोर से आपस में वार्तालाप करने पर) आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज !

(162)

श्री विजयसिंह : एक एक आदमी को बुलाया जाता है। खाते के जितने लोग होते हैं उनमें से दादा और परदादा व बुजुर्ग को ही भेजते हैं। लोग दादा को कह देते हैं कि अब थारे काई काम दादा थूं ही चल्यो जा। एक तो पटवारी का दबाव, दूसरा वसूली का डर दिखाया जाता है, वह उसको डर। आदमी इस डर के मारे आता है। अथवा लालच पैसे का, 60) रुपये का इस प्रकार से 40 परसेन्ट गलत लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं हमारे यहां। इस तरीके को बदला जाना चाहिए। फोर्स व कोअर्शन सूज नहीं होना चाहिए। दबाकर लोगों को गाड़ियों में बैठ कर कैंपों में लाते हैं जहां कि ओपरेशन थियेटर होता है। ओपरेशन के बाद उनको यों का यों ही वहां पर छोड़ दिया जाता है। उनको वापिस घर नहीं पहुंचाया जाता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। उनको बीस बीस मील दूर से वापिस पैदल जाना पड़ता है। उनको वापिस किसी प्रकार से जाना तो पड़ता ही है। दूसरी बात यह है कि लोगों के ऑपरेशन के बाद कोई फॉलोअप नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि लोग सड़ते हैं। वे लोग कहते हैं और कार्ड दे देते हैं कि आपको शिकायत हो तो यह डाक में डाल देना हम आकर सुनाई करेंगे। लेकिन लोगों को सेप्टिक हो गए सड़ गए। मैंने खुद ने कार्ड डाले लेकिन कोई आया नहीं। इस प्रकार खास तौर से शिकायत है उपाध्यक्ष महोदय। किसी भी माननीय सदस्य ने इस ओर जोर नहीं दिया। इस-लिए इस पर विशेष रूप से जोर देना कि फोलोअप एक्शन इतना कमजोर है कि लोगों को बड़ी भारी तकलीफ है और जो जिनाइन केसेज हैं वे ऑपरेशन कराने से कतराते हैं। और डरते हैं।

सैन्टर्स और सब-सैन्टर्स पर पूरे डाक्टर नहीं, नर्स नहीं और कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। कहीं एक आदमी ताला खोल कर बैठ जाता है। इससे किसी प्रकार की लोगों को राहत नहीं मिलती है। सामग्री जो बजट में प्रावधान करके रखी जाती है सेन्टर और सब सेन्टर पर पूरी रखनी चाहिये और जो जरूरी साधन हैं वे वहां पर बढ़ा देने चाहियें। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह स्थिति है कि वहां पर पूरे साधन नहीं हैं। टेबल है तो टूटी हुई है। ऑपरेशन टेबल है ही नहीं बाल्टी है तो टूटी हुई है एक तरफ तो हालत यह है दूसरी तरफ 72-73 में इसके लिये ड्राइव हुआ। उसमें 26 न्यू एम्बेसेडर कारें लेकर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर दे दीं। क्या एम्बेसेडर कारें देहातों में जाकर प्रचार और प्रसार करेंगी फैमिली प्लानिंग का ? या केवल उन लोगों की आशायश के लिए छोड़ना चाहते हैं ?

फैमिली प्लानिंग के साथ साथ चिकित्सा मंत्रीजी से आज अस्पतालों में जो गंदगी है उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं। एक दो दिन पहले मुझे सवाई मानसिंह हास्पिटल में जाने का मौका पड़ा। किसी कुटुम्बी को ले जाना था, मैंने देखा कि वहां खटमल चल रहा था डाक्टर के बुशर्ट पर। एक आदमी ने उसको उठा कर फेंका। मैंने डाक्टर से कहा कि डाक्टर

(श्री विजयसिंह)

साहब खटमल और मच्छर अस्पताल में हो सकते हैं तो वह कौन सी जगह है जहां यह न हों। डाक्टर साहब ने कहा कि मरीजों की देन हैं। आप लोगों की देन है। जो सफाई का इन्तजाम देखने वाले हैं, जो मेट्रोन है या और कोई है, कौन जिम्मेदार है मैं नहीं जानता, डाक्टर साहब को उनसे गुरेज नहीं। डाक्टर साहब को तो हमसे गुरेज है। मरीज हैं तो खटमल आवेंगे। इस प्रकार की गंदगी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हो, जो हमारी राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, वार्ड्स में इस प्रकार का सफाई इन्तजाम है खास तौर से सर्जिकल वार्ड्स में, आई वार्ड में, जहां बेइन्तहा खटमल हैं वे मरीजों को परेशान करते हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है दूसरी जगहों का तो। डाक्टर्स के अन्दर भी जितनी मरीजों के प्रति बे-परवाही है उतनी कहीं नहीं। मरीज आउट डोर में दिखाने के लिए जावेगा, छोटे से लेकर बड़े डाक्टर का यही हाल है एक हाथ में नब्ज पकड़ लेंगे और कहेंगे मरीज को जीभ निकालो, वह जीभ निकाले रहेगा उतने में उसको प्रेस्क्रिप्शन पकड़ा देंगे। वह मुंह खोले हुए खड़ा ही रह जाता है। और बाट देखता है कि डाक्टर साहब उसकी तरफ देखें।

एक माननीय सदस्य : जीभ या जेब।

श्री विजयसिंह : जीभ। जेब तो आयुर्वेद विभाग में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर मुफ्त चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिये। फेमीन कोड में मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान है। भीलवाड़ा जिले में चलने वाले राहत कार्यों के ऊपर किसी को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। एक प्रश्न आया था तो माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि अस्पताल होता और चिकित्सा हुई होती तो भूख से मरने की बात भी होती। जवाब भी मंत्री महोदय ने दिया और कहा कि देशी इलाज कराता था। अकाल राहत मंत्री महोदय ने कहा था। चिकित्सालय में इलाज कराता होता तो रिकार्ड भी होता कहने का मतलब यह है कि वहां पर लोगों को चिकित्सा नहीं दी जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जन स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहता हूं। 72-73 में जल प्रदाय योजनाओं पर जो बजट था वह एक एक जिले को सेचूरेट करने की दृष्टि से खर्च किया गया और यह सेचूरेशन प्रोग्राम चूरू जिले से शुरू किया गया जहां पर 19 योजनाएं रखी हैं। इस तरह तो हमारे जिले का कभी तो नम्बर आयेगा।

आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां जो काष्टादि औषधियां हैं उनका बदलाव करना चाहिये। आयुर्वेद के अन्दर से लोगों की आस्था उठती जा रही है। वही की वही पांच साल पुरानी औषधियां पुड़ियाओं में दे दी जाती हैं। उनसे मरीजों को फायदा नहीं होता इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। विशेष निवेदन नहीं करना है। [illegible] जन स्वास्थ्य मंत्री जी से कि यदि उनकी महर की

(श्री विजयसिंह)

हो जाय तो पीने के पानी का जो संकट हमें उठाना पड़ रहा है वह न उठाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री जी !

एक माननीय सदस्य : इनको तो जैसा कहा गया है वैसा ही बोलेंगे।

श्री नारायणसिंह (आयुर्वेद मंत्री) : कहना तो वैसा ही पड़ेगा।

श्री मोहनलाल : आपके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी प्रातःकाल से सुन रहे हैं, अब आप भी उनकी सुन लीजिये।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेडीकल की आज मांग चली है और उसमें आयुर्वेद, मैं कहूंगा एक भग्नावशेष की तरह है जो एक पिछड़ा हुआ तबका है। आज हमारे देश में ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि आयुर्वेद को भी प्रमुख स्थान मिले फिर भी जितना प्रयत्न हो रहा है और जिस प्रगति से एलोपैथी चल रही है उसको देखते हुये आयुर्वेद कहां जम जाय, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं न ही यह कहना चाहता हूं आयुर्वेद मंत्री के नाते और आयुर्वेद का मंत्री राजस्थान में वक्तन-फवक्तन अलग बनाये हैं और उसमें मेरी भी एक बारी आ गई। मैं यह कहूंगा आयुर्वेद एलोपैथिक के मुकाबेले कहां ठहरती है और आयुर्वेद होम्योपैथिक के मुकाबले कहां ठहरती है मैं तो रोगी की तरह यही कह सकता हूं किसी पैथी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये जैसा अभी माननीय बद्रीप्रसाद जी ने योगाश्रम की बात कही और फिर भी मैं यह कहूंगा आयुर्वेद का एक स्थान कम से कम इस दृष्टि से तो है ही कि जहां एलोपैथिक को नहीं पहुंचा सकें तो हम सस्ती दवा का सिस्टम पहुंचा सकें और यह कहां तक कारगर होगी, यह तो रिसर्च का विषय है और रिसर्च होंगे वे कितने उपयोगी होंगे, यह अलग बात है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा जहां एलोपैथिक का प्रचार नहीं हो सके वहां आयुर्वेद पहुंचाने की आवश्यकता है।

यहां राजस्थान में आयुर्वेद का इतिहास भी बड़ा गौरव का रहा है। लच्छीराम जी वैद्य, जयपुर में और गोरेसर वैद्य उदयपुर में हुये उन्होंने कई प्रयोग किये। रसायनशालाओं के बारे में जिक्र आया। मैं समझता हूं बहुत ही अपर्याप्त उसके मुकाबले में आज कार्यवाही है। जिस प्रकार से, जिन गुणों से और दूसरी चीजों से भस्म बनाते थे वह सराहनीय था। जितना अवकाश उनको मिलता था, उतना अवकाश उनको आज मिलता है या नहीं, यह व्यवस्था है या नहीं यह देखने की बात है। सहस्त्रकुटि अभ्रक वर्षों में बनती थी आज तो सहस्त्र कुटि अभ्रक के नाम से कोई भी चीज दी जा सकती है। उसी प्रकार से और कई चीजें हैं, जो पंसारियों के यहां मिलती है। अपने ढंग से च्यवनप्राश बनता है, उसमें से आंवला गायब हो जाता है और दूसरी चीज हो जाती है तो यह न केवल राजस्थान की रसायनशालाओं का दोष है बल्कि मैं समझता हूं भारतवर्ष में सभी जगह इन दवाओं में गड़बड़ी जरूर हो रही है। मैं इस भूमिका में निवेदन करूंगा एलोपैथिक में भी शिकायतें आई हैं कि इन्जेक्शन गलत आये हैं। इन्जेक्शन में कीड़े

(श्री नारायणसिंह)

"मक्खी आई है और उसकी वजह से जो बीमार था वह मर भी गया। इन मैडीसन्स को बनाने में भी कई त्रुटियों का जिक्र आया है। कमीशन बैठे हैं और जांच पड़ताल हुई है। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता और छिपाना भी नहीं चाहिये आयुर्वेद रसायनशाला में जो कार्य हो रहा है वह सन्तोषजनक है, जिस स्तर से हो रहा है उसको जांचने की आवश्यकता है। यह मैं खुद स्वीकार करता हूं····

(एक माननीय सदस्य के बीच में व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

मैं एक एक विषय पर आ रहा हूं। मैं इसके पहले यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान का जहां तक प्रश्न है यहां आयुर्वेद की प्रगति काफी हो रही है और कम्परेटिव स्टेडी से भी देखें तो जहां पंजाब में 13.71 है, यू. पी. में 31.72, बिहार में 17.35 मध्यप्रदेश में 30.14, गुजरात में 22.60 है वहां राजस्थान में 32.50 लाख रुपया इस पर खर्च हो रहा है और इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति व्यय 91 पैसे हमारे यहां आयुर्वेद में हो रहा है। अब इस दृष्टि से तो आयुर्वेद काफी प्रसार पा रहा है तुलानात्मक दृष्टि से।

"औषधालयों का हिसाब देखा जाय तो राजस्थान जब बना उस समय 615 औषधालय थे और पांच लाख का बजट था आज 1846 औषधालय हैं और मैं निवेदन कर सकता हूं पंचवर्षीय योजना तक यह लक्ष्य और आगे बढ़ेगा। जो 1846 औषधालय हैं वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक हैं। 2546 औषधालय पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हो सकेंगे और इसके हिसाब से····

श्री श्रीराम गोटेवाला : 200 ही बढ़े हैं।

श्री नारायणसिंह : नहीं काफी बढ़ गये हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह जयपुर के आस पास ही रहेंगे क्या? वितरण का कोई क्राईटेरिया रहेगा क्या?

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार प्रति 14 हजार के ऊपर है वह प्रति 10 हजार के ऊपर हो जायगा।

इसी प्रकार जो शैय्यायें है 345 हैं वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होगी 800। जो अभी एक प्रति 74 हजार का जो अनुपात है वह एक प्रति 29 हजार का अनुपात हो जायगा। और औषधियां 40 लाख की वितरित हो रही हैं। औषधियों के बारे में निवेदन करूं, मैं स्वीकार करते हुये कह रहा हूं जहां गये साल में 22.52 लाख की औषधियों का निर्माण हुआ था इस समय 40 लाख का निर्माण हुआ है और आगे पंचम पंचवर्षीय योजना में 75 लाख का लक्ष्य है। एक का 15 पैसे का उसका अनुपात आता है वहां एक का 29 का अनुपात आयेगा। इसी प्रकार औषधियों का निर्माण भी काफी तादाद में हो रहा है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है दो महाविद्यालय उदयपुर में और एक महाविद्यालय जयपुर में चल रहा है। इसके साथ चार रसायनशाला चल रही हैं। दो

(श्री नारायणसिंह)
रिसर्च सेन्टर है एक में संग्रहिणी और विविचिका का अनुसन्धान हो रहा है । मैं चाहूंगा रिसर्च की और आवश्यकता है और रिसर्च में आगे काम बढ़े । रिसर्च जिन जिन क्षेत्रों मे नहीं हो पा रहा है उन क्षेत्रों में आयुर्वेद को जाने की आवश्यकता है । कई जड़ी बूटियां जो आयुर्वेद द्वारा इस विज्ञान से ले ली जाती हैं और उसकी दवायें बन जाती हैं--इसोफिना और सरफिना इस प्रकार की उन्होंने बना भी ली है । आज हम प्रयत्न करें तो और भी औषधियों का निर्माण हो सकता है । यह पंचम पंच-वर्षीय योजना में जितना रिसर्च चाहिये और बढ़ोतरी हो सके उसको कोशिश की जायगी ।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वेतनमान के विषय में जो वैद्यों के वेतनमान का सवाल है वह दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमने काफी बढ़ाया है । सन् 1950 में वैद्यों की ग्रेड प्रथम श्रेणी 150-250 और वैद्य द्वितीय ग्रेड की 100-150, तृतीय ग्रेड 60 से 100 थी वह आज 1972 में प्रथम श्रेणी के वैद्य की 300-800 की, द्वितीय की 225 से 525 और तृतीय ग्रेड है वह 150 से 330 की है । यह विवाद भी इसमें केवल दो ग्रेड रखी जाय तीसरी ग्रेड न रखी जाय लेकिन यह इसलिये रखी हुई है कि पुराने वैद्य जो क्वालिफाइड भी नहीं हैं और जो आज की स्थिति में चल रहे हैं उनको भी स्थान मिल सके । पहले भिषागाचार्य लिये जाते थे, किन्तु आज आयुर्वेदाचार्य लिये जाते हैं । यह विवाद भी उठा कि आयुर्वेदाचार्य और भिषागाचार्य को बराबर मान्यता दी जानी चाहिये । इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के बाद कुछ निर्णय लिये गये ...

अब भिषागाचार्य का दूसरा प्रदर्शन हो उसी के बराबर....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कल प्रातः हो रहा है ।

श्री नारायणसिंह : यह इन्तजाम हो तो बात अलग है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदाचार्य और भिषागाचार्य दोनों को आपस में यह समझने की बात है कि वह जिस प्रकार से अपने आपको संतुलित करके उसमें बिठाना चाहते हैं । वह जिस प्रकार से आन्दोलन करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बड़ा भारी विवाद खड़ा होता है । आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि हमारा 5 वर्ष का कोर्स है, भिषागाचार्य कहते हैं कि हमारा भी करीब करीब 5 वर्ष जैसा ही हो जाता है--4 वर्ष और एक वर्ष का करके । लेकिन वह कहते हैं कि हमारा निखालिश 5 वर्ष का कोर्स है इसलिए हमारी योग्यता भिषागाचार्य के मुकाबले में ज्यादा है । इस विवाद के अन्दर बड़ी मुश्किलात आई हुई हैं लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस समय आयुर्वेदाचार्य 40 अपाइन्टमैंट के लिए हैं और भिषागाचार्य 110 हैं । नियुक्ति के अन्दर इस समय यह किया गया है कि मेरिट्स से प्रथम 5 आयुर्वेदाचार्य 300-800 को ग्रेड में लिये जायेंगे । 6 से 13 तक की मेरिट्स में आयुर्वेदाचार्य को वैद्य सैकिण्ड ग्रेड में जो कि 225-525 है, इसमें दो ग्रेड का प्रमोशन देकर याने 270 से उनको प्रारम्भ

(श्री नारायणसिंह)
कर दिया जायेगा और शेष जो रहेंगे उनको थर्ड ग्रेड के अन्दर जज्ब किया जायेगा जो कि फिफ्टी फिफ्टी आपस में होगा। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं दिखता है और इस विषय में मैं स्वयं भी आयुर्वेदाचार्य और भिषगाचार्य दोनों के साथ बैठ कर एक कान्फ्रेन्स करके निर्णय करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से स्थिति आये। जब जब भी आयुर्वेद में कोई बड़े फंक्शन्स हुए हैं मैंने ज्वलंतस्वरूप देखा कि एक तरफ आयुर्वेदाचार्य आकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ भिषगाचार्य आकर खड़ा हो गया और दोनों ने ही अपनी अपनी बात तेजी से रखी, न उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी। तो इनके बीच में कम्पीटीशन सा हो गया है। पहले भिषगाचार्य ही थे भिषगाचार्य होने के नाते भिषगाचार्य को ही पहले स्थान दिये जाते थे। अब युनीवर्सिटी का आयुर्वेदाचार्य का कोर्स बना और वह अपना क्लेम रखने लगे। मैं निवेदन करूं कि इनको जज्ब (एब्जॉर्ब) करने के लिए रूरल मैडिकल प्रेक्टिशनर्स स्कीम आगे चलने वाली है। उसके अन्दर कुछ वैद्य जो अनएम्पलायड होंगे उनको ऐसे दूरस्थ स्थानों पर लगाया जायेगा–जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के स्थानों पर उनको लगाया जाये–इस प्रकार के स्थानों पर भी उनको लगाने का प्रयत्न किया जायेगा अगर वह वहां जाकर काम कर सकेंगे तो और उनको 150 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 2,000 की पापूलेशन के ऊपर एक आर. एम. पी. हो सकेगा और यह आशा की जाती है कि इस विषय का मामला इस तरह से हल हो जायेगा।

हमारे यहां एक इण्डियन मैडिसन्स बोर्ड भी कायम है जो कि अभी वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन करता है। लगभग 9,559 वैद्य इस बोर्डने रजिस्टर किये हैं और 638 हकीम रजिस्टर किये हैं। उनको अनुदान 20 हजार रुपये का मिलता है। वह अनक्वालीफाइड वैद्यों का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन अब जो थिंकिंग चल रहा है ऑल इण्डिया लेवल पर उसके मुताबिक जो अन-क्वालीफाइड वैद्य होंगे उनको रजिस्टर करने की तो मनाई है और इस दृष्टि से उनको भी इस तरफ से हाथ खींचना पड़ेगा।

दवाइयों की कमी के बारे में मैं एक बात निवेदन करूंगा। दवाइयों के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया कि कितने कितने की दवाइयों का प्रावधान किया गया उसके साथ ही साथ मैं यह भी आपको निवेदन कर दूं कि प्रत्येक ग्रेड के औषधालय में कितनी कितनी दवाइयां इस समय में दी गयी हैं। 'अ' श्रेणी के औषधालय में 3,000 से 15,000 रुपये तक की जहां दवाइयां दी जाती थीं इस वर्ष 1971-72 में 6,000 से 30,000 रुपये तक की दवाइयां दी जाने लग रही हैं। 'ब' श्रेणी के औषधालय में जहां 900 रुपये की दवाइयां दी जाती थीं वहां अब 3,000 की दवाइयां दी जाती हैं और 'स' श्रेणी के औषधालयों में जहां 600 रुपये की औषधियां दी जाती थीं अब 1,500 रुपये की औषधियां दी जाने लगी हैं। तो इस प्रकार से प्रावधान बढ़ा है। कहां त्रुटि है और क्यों दवाइयां ठीक जगह पर नहीं पहुंचती हैं और इसमें क्या कारण हैं इसके विषय में भी कुछ

(श्री नारायणसिंह)

जांच करनी पड़ेगी। मैं दवाइयों की कमी के दो कारण जरूर रखूंगा और वह आर्टीफिशियल कारण हैं एक तो वैद्यों द्वारा री-इम्बर्समेंट को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के अन्दर वह यह चाहते हैं कि दवाइयां कहीं और जगह से लायें और वह री-इम्बर्समेंट करें। दूसरा कारण यह है कि खराब वैद्य हुआ तो उसके समय में पेशेन्ट्स कम आने लगे और उसकी जगह अच्छा वैद्य आया तो ज्यादा पेशेन्ट्स आने लग गए और दवाइयों की कमी हो गयी। तो यह भी स्थानीय दवाईयों की कमी के कारण बन जाते हैं।

इसके साथ ही साथ जो रसायनशाला के बारे में बातें आई उनके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक स्पेशल कमेटी का निर्माण कर देंगे जो इस बात की पूरी जांच करेगी कि रसायनशालाओं के अन्दर जो दवाइयां बिकती है उसके अन्दर कहां लेकुना है और किस प्रकार से उनमें शुद्धि की जा सकती है। इस समय तक रसायनशालाओं में नमूने प्रिन्सिपल उदयपुर और जयपुर और गजेटेड ऑफिसर्स तय कर लेते हैं और उन नमूनों के तय करने के बाद में जनरल टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं, स्टोर्स परचेज कमेटी के सामने वह खुलते हैं। अभी स्टोर्स परचेज कमेटी का नाम तो श्री भगवानदास जी शास्त्री ने बताया। उसके बाद कम्पेरेटिव स्टेटमैंट बनता है और कम्पेरेटिव रेट्स उसके अन्दर लिखी जाती है, फिर गवर्नमैंट फाइनेन्शल रूल्स के मुताबिक जो अधिकृत अधिकारी हैं वह उनके मुताबिक खरीदते हैं। जो दवाइयां सप्लाई हुई उनकी जांच के लिए हर रसायनशाला में निर्धारित नमूने से वह कमेटी मिलाती है....

श्री खेतसिंह : सन्तोष है।

श्री शंकरलाल : सन्तोष तो है। आपने आयुर्वेदाचार्य और भिषगाचार्य के लिए तो बता दिया लेकिन भ्रष्टाचार के विषय में क्या है यह भी बता दें।

श्री नारायणसिंह : और स्वीकृत और अस्वीकृत माल के नमूने भी रखे जाते हैं इस और प्रकार से पूरी जांच पड़ताल की जाती है लेकिन फिर भी जहां लेकुना होगा उसको देखने की कोशिश की जायेगी कि किस प्रकार से उस लेकुना को दूर किया जाये।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद के साथ में होम्योपैथ बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी इसी समय होम्योपैथ का जो कार्य चल रहा था, होम्योपैथ बोर्ड एक एक्ट के नीचे काम कर रहा था लेकिन दो ग्रुप्स उसके अन्दर बने और उन दोनों ग्रुपों के अन्दर बड़ा भारी विवाद खड़ा हुआ। होम्योपैथ बोर्ड की कई अनियमिततायें उन्होंने बताई और उसको देखते हुये होम्योपैथ बोर्ड को भंग करना पड़ा और उसकी जगह पर प्रशासक नियुक्त करना पड़ा।

मैं कुछ और यूनानी उपचार का सिस्टम चल रहा है उसके विषय में आपके सामने प्रकाश डालूंगा। अभी इस बारे में यहां काफी बातें चली थीं। तबिया कॉलेज चल रहा है उसको बन्द कर दिया इस बारे में भी कहा गया। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि वर्ष 61-62 में इसको 6277) रुपये

(श्री नारायणसिंह)

की एड दी गई थी। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 68-69 में यह 8 हजार हो गई। बाकी जो एड मिली थी उसके बाद कुछ खास खामियां पाई गई इन्स्पेक्शन के बाद वह मैं आपको निवेदन करता हूं। विश्व-विद्यालय अथवा किसी दूसरे परीक्षा बोर्ड....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है, डॉक्टरों से सम्बन्धित है।

श्री नारायणसिंह : जो खामियां थीं वे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री शंकरलाल (पाली) : अब पूर्ण संतोष हो गया है।

श्री नारायणसिंह : (1) प्रचलित शब्दों की कापी नहीं की गई। (2) पाठ्य-क्रम मान्यता प्राप्त नहीं था। (3) किसी भी विद्यार्थी को किताबें, नोट बुक आदि नहीं मिलीं। (4) पुस्तकालय की व्यवस्था ठीक नहीं मिली। कुल 93 पुस्तकें थीं। (5) प्रयोगशाला नगण्य मिली। (6) संस्था विधिवत् शिक्षा उपलब्ध नहीं करा रही थी। प्राधानाचार्य सहित कोई भी निर्धारित योग्यता नहीं रखता जो राज्य सेवा में लिए जाने वाला शिक्षण दे सके। (7) संस्था की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परीक्षा प्रणाली को विधिवत् मान्यता नहीं थी। ये सब कमियां पाई जाने के कारण उस तिबिया कॉलेज को हमने मान्यता बन्द कर दी लेकिन अब इस विषय में विचार कर रहा हूं। किस प्रकार से यूनानी मान्यताओं को जो बाहर व्यवस्था चल रही है उनके आधार पर किस प्रकार से इनको सुझाव दिया जावे और इनके अन्दर कुछ थोड़ी सी शुद्धियां लाई जावे।

अब यूनानी चिकित्सा के लिए भी निवेदन करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब असल मुद्दे पर आ जाइए ना।

श्री खेतसिंह : अभी तो भूमिका बंधी है।

श्री नारायणसिंह : यूनानी चिकित्सालय 67-68 में दो थे, 72-73 में 3 हैं। यूनानी औषधालय 34 थे वे अब 39 हैं। बजट इनका 2.32 लाख था आज 4.14 लाख है। हकीमों की संख्या 40 थी वह 46 है। इस प्रकार से यूनानी को बिल्कुल ही अलग नहीं रखा जा रहा है। उसको भी जितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह दिए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको तिबिया कॉलेज का अवश्य में आपसे निवेदन कर सकता हूं कि इस विषय में और भी विचार किया जाएगा। इस तिबिया कॉलेज के पीछे जो प्राचीन समय से सेंटीमेंट लगा हुआ है, उसको ध्यान में रख कर वह आगे चलाई जा सके। मैं समझता हूं कि.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्रान्ट इन एड की घोषणा करवा दें।

श्री नारायणसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया है कि किन किन त्रुटियों के आधार पर और इन त्रुटियों का संशोधन करके....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब तो काफी देर हो गई है। 68-69 से बन्द है चार साल हो गए हैं।

श्री जान मोहम्मद खां : एक ही है सारे राजस्थान में।

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार से आज एक यह भी समय है कि आयुर्वेद में सारे इण्डिया की परीक्षा में जहां विभिन्न परीक्षाएं हैं और विभिन्न परीक्षाओं के विभिन्न मापदण्ड हैं। हमारे यहां आयुर्वेदिक परीक्षा को एक स्थान दिया गया है और उसी हिसाब से जो आयुर्वेदाचार्य हों उसके अन्दर अब आगे जो लेने का क्रम है उनको रखा गया है इस दृष्टि से यह भी काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद विभाग पर मैं काफी प्रकाश डाल चुका हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : असली प्रकाश तो डालो। सारे लोग उसको सुनना चाहते हैं। डाइरेक्टर साहब पर तो प्रकाश डालो।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री नारायणसिंह : रसायनशाला के बारे में कहा। दूसरा निवेदन यह है कि अभी कुछ लोग यह भी कह रहे थे ट्रान्सफर के अन्दर कुछ घोटाले होते हैं, कुछ दूसरी बातें होती हैं। इन बातों को फेक्चुअली और सामने लाई जाय तो उस पर कुछ कार्यवाही हो सकती है। यह बैग चार्जेज पर कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। जहां तक मैं समझता हूं डाइरेक्टर ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर डाईरेक्टर की ईमानदारी में कमी है तो यह चीज सामने लाई जावे। सामने आने पर, वह चीज लाने पर इसकी जांच की जावे और तभी कुछ हो सकता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी ईमानदारी का आधार क्या है यह बता लीजिए।

श्री नारायणसिंह : ट्रान्सफर्स के मामले में केवल डाईरेक्टर के ऊपर ही ट्रान्सफर करने की नीति नहीं है। अभी अभी मैंने यह आॅर्डर भी जारी किया है कि जोइन्ट डाईरेक्टर भी कुछ श्रेणी के ट्रान्सफर करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक लोटा उनके नाम पर भी चल जाएगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी पालना आपके डाइरेक्टर कितना करते हैं यह आप भी स्वयं जानते हैं।

श्री नारायणसिंह : डाईरेक्टर आयुर्वेदिक विभाग मेरी आज्ञा का पालन तो करते ही हैं लेकिन उनके लिए कुछ आज्ञाओं का पालन करने के अन्दर में स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं कि इतने माननीय सदस्य ट्रान्सफर लेकर आते हैं कि मेरे पास रोज का दो का औसतन आता है। अब रोज के दो के औसतन में क्रियान्वित करने में मेरे लिए भी दिक्कत होती है और वहां डाइरेक्टर के लिए भी केवल उनके ट्रान्सफर का ....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(व्यवधान—अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह : एक आदमी के पास नहीं रहने से उससे आपको कुछ राहत मिलेगी।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय……

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने यह कहा था कि 18 वैद्यों के बारे में आपने यह निर्णय दिया है कि उन्होंने री-एम्बर्समेंट के मामले में गड़बड़ की है। यह आपके जो आदेश हैं, उसके अन्दर खुद आपने स्वीकार किया है और उनको केवल आपने यह सजा दी है कि वह आयन्दा बिल नहीं बना सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में सेल्फ प्रूव्ड हो जाता है आपने यह मान लिया है कि उन्होंने करप्ट तरीके अपनाए हैं और नाजायज तरीके से पैसा लिया है जो ड्यू नहीं था। तो फिर आप उनको पनिश नहीं करके केवल बिल नहीं बनायेंगे तो यह तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली बात है। अगर पहला हिस्सा सही है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड फ्रोम दी सर्विस।

श्री नारायणसिंह : मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सोचा है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में अपने कई बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो यह महसूस होता है कि मेडिकल सर्विसेज की जितनी आवश्यकता है, आज शायद हम उसका एक इंच को भी छू नहीं पाए हैं। यह हालत तो तब है, उपाध्यक्ष महोदय जबकि राज्य सरकार ने मेडिकल सर्विसेज के ऊपर अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। हम सड़कों में ऑल इंडिया के एवरेज में पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पीछे है और दूसरे क्षेत्रों में हम पीछे हैं किन्तु जहां तक मेडिकल सर्विसेज का प्रश्न पैदा होता है राजस्थान सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है और हम इसमें इतने तेज हो गए जितने कि दूसरे क्षेत्र में पीछे हैं। उपाध्यक्ष महोदय सन् 50-51 के अन्दर 1 करोड़ 6 लाख 86 हजार 867 रुपयों का बजट था, सन् 1961-62 में 3 करोड़ 93 लाख 39 हजार रुपया था और वह 1972-73 में

(श्री हरिदेव जोशी)

16 करोड़ 12 लाख 70 हजार का प्रावोजन इस बजट के अन्दर किया गया है। यह बतलाता है कि राजस्थान सरकार राज्य की जनता के स्वास्थ्य, चिकित्सा के ऊपर अपनी हैसियत के अनुसार अधिक से अधिक ध्यान देना चाहतो है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने हमारे यहां पर दवाइयों की कमी और उसके बारे में बातें कीं। माननीय सदस्यों को मैं बतलाऊं कि आल इंडिया पर थाउजन्ड बैड रेशो 0.49 है जबकि राजस्थान में बैड रेशो 0.58 है। माने प्रति हजार हमारे यहां जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे ज्यादा बेड्स हैं। मैं यह फीगर्स इसलिए यहां पर रख रहा हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि हमने इस दिशा में प्रयत्न करने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों में एक निर्णय लिया था अमुक अस्पतालों को अप-ग्रेड करने के बारे में। उनमें में कुछ अप-ग्रेड किये जा चुके हैं, कुछ अप-ग्रेड करने बाकी है। मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस दिशा में राज्य सरकार को सहयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने पाली अस्पताल को अप-ग्रेड करने की बात कही। राज्य सरकार पाली के अस्पताल को अप-ग्रेड करने का फैसला कर चुकी है किन्तु जो पीपुल पार्टीसिपेशन पाली से आना चाहिए, वहां जो बिल्डिंग बननी चाहिए, वह बिल्डिंग नहीं बनी है। मैं माननीय सदस्यों को·······

श्री शंकरलाल : वे देने को तैयार हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पैटर्न के अनुसार वे बिल्डिंग बना दें तो मैं उनको यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि उनके अस्पताल को अप-ग्रेड कर दिया जाएगा। किन्तु पिछले वर्षों में हमने गांव के लोगों को भी अधिक दवाइयां मुहैय्या करने के लिए प्रयत्न किया है। वित्त मंत्रीजी ने हमारी बात को स्वीकार किया और पिछले वर्षों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक दवाइयां देने के लिए 20 लाख रुपया ओवर एण्ड अबाउ बजट उन्होंने स्वीकार किया था। इस बार वह 20 लाख रिपीट किया ही है 15 लाख और भी दिया है और 45 लाख फैमिन के कारण एक्स्ट्रा ग्रांट मैडिकल साइड में और दी गई है उससे जैसा कि मैंने निवेदन किया है हम यह महसूस करते हैं कि जो सहायता, राहत हम लोगों को देना चाहते हैं, नहीं मिल पाती है, मैं ऐसा समझता हूं कि एडोशनल फंड से राहत मिलेगी।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जो सलाहकार समितियां बनाई गई हैं उनका काम केवल चंदा इकट्ठा करना है। यह बात नहीं है। इन सलाहकार समितियों को इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि वे अस्पतालों में पेशेन्ट केअर, फालो अप प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उसको देखें और उसके बारे में अपने सुझाव उनको दें। उसमें एक आइटम यह भी है कि अगर कोई लोकल एजेन्सी किसी अस्पताल के लिए फंडस् रेज करती है तो इस कमेटी को भी इसके अन्दर इन्वोल्व किया जाना चाहिए, राय ली जानी चाहिए। यह कुल मिला कर सारी चीजें हैं। कुल मिला कर सबसे बड़ो

(श्री हरिदेव जोशी)

चीज है पेशेन्ट केयर कैसे होती है, काम किस प्रकार होता है, क्या होता है, इन चीजों की ओर देखना है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए पहले लिया कि हम यह चाहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य का मैडिकल डिपार्टमेन्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग लिया जाये। उनकी राय ली जावे। उनका सहयोग लेकर के और उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार करें। मैं सुधार करने में विश्वास रखता हूं। इसलिए जो भी सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं मैं उनको कहीं भी अनुचित नहीं मानता। आप अपने क्षेत्र में बैठे हैं, वहां की जनता आपको एक प्रकार की राय देती है। आप मुझसे आकर कहते हैं। मैंने अधिक से अधिक उस राय को मानने की कोशिश की है। उसको वकत दी है, उसको तवज्जोह दी है। मगर मैं यह चाहता हूं कि अस्पताल के बारे में जो शिकायतें आ रही है उनमें सख्ती बरतनी पड़ेगी, दुरस्ती करने के लिए यह देखना होगा। जो डिफॉल्टर्स हैं वे छूट न जावें जिन लोगों के अन्दर खराबियां हैं, उन लोगों का पक्ष नहीं लिया जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि किस श्रेणी के डाक्टर किस प्रकार के अस्पताल में रहें, कितने अर्से तक रहें, फिर कहां कहां जाए, कैसे जाए इसके बारे में भी कोई सिस्टम इवोल्व करूं। एक एप्रोच तो यह है कि एक गांव में एक डॉक्टर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उन्हें दस साल हो गए तो क्यों हटाया जाएं। लोग कहते हैं कि तुम बिजली नहीं दे पाते हो, तुम सड़क नहीं दे पाते हो, तुम दूसरी कुछ चीजें नहीं दे पाते हो, जब हमारे यहां एक अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ है तो उसको क्यों हटाते हो। मैं इस लॉजिक को समझता हूं। मेरे मन में ख्याल होता है बात अपने आप में सही है। मगर एक आदमी बहुत अर्से तक एक जगह बैठा रहता है तो उसके वेस्टेड इन्टरेस्ट डवलप हो जाते हैं। वह कोई दूसरी जगह नहीं देखना चाहता है। इसमें मैं तो एक प्रकार का रुख अख्तियार करूंगा और मैं यह आशा करता हूं कि सब जगह से मुझे मदद मिलेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नो !

श्री हरिदेव जोशी : आप नो कहें, या हां कहें आपकी मर्जी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जयपुर के अस्पताल के बारे में, सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में, जनाना अस्पताल के बारे में कई बातें कही हैं। मैं खुद भी यह महसूस करता हूं कि जयपुर शहर के लिहाज से सवाई मानसिंह अस्पताल अपने आप में इनएडीक्वेट है। आज की जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहली जो जरूरत है वह यह है कि जयपुर शहर में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कायम करने की है। आज क्या हालत है? जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल एक कॉलेज अस्पताल है। उसमें रेफर्ड केसेज जाने चाहिए। स्पेशल टाइप के केसेज जाने चाहिएं परन्तु होता क्या है कि साधारण सी बात है आंख में दवा डलवाने के लिए भी लोग वहां पर जाते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनके ऊपर

(श्री हरिदेव जोशी)
प्रेशर बढ़ गया और जितना अच्छा ट्रीटमैन्ट देना चाहिए वे नहीं दे पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय एक नया जनाना अस्पताल बनाने की बात भी तय की गई है। गांधीनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा अस्पताल दूसरी जगह नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे अगर एक्सपर्ट यह राय देंगे कि जनाना अस्पताल नये ढंग से, अच्छे ढंग से अलग बनाया जाना चाहिए और मैं यह आशा करके चलता हूं नये फाइनेन्सियल इयर में इस नये अस्पताल का शिलान्यास करवा सकूंगा और यह नया काम शुरू करवा सकूंगा। जब यह वर्तमान जो जनाना हास्पिटल है वह वर्तमान जनाना हास्पिटल डिस्ट्रीक्ट हास्पिटल का परपज सर्व कर सकेगा, और जयपुर के अन्दर एक एडीशनल फेसिलिटी दी जा सकेगी।

मैं यह भी सोचता हूं कि जयपुर और इस प्रकार के बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अन्दर जैसे सी. ए. एस. हैं वहां पर जूनियर स्पेशियेलिस्ट भी क्यों न लगाये जायं ताकि बड़े अस्पतालों का प्रेशर कम हो। इस प्रकार थोड़ी पोस्टें बढ़ानी पड़ेगी। फाइनेन्स मिनिस्टर से कुछ अर्ज मारूस करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि बड़े बड़े अस्पतालों के अन्दर जो प्रेशर है उसको किसी तरह से रिलीज करवाया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बजट बन रहा था उस समय मेरे मन में यह था कि जयपुर के जनाना अस्पताल को किसी न किसी तरह से ठीक किया जाना चाहिए और उसमें राहत दी जानी चाहिए। मैंने जो उसके सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं डा. जैकब उनसे चर्चा की है, अधिक डिटेल में तो डिसकस नहीं किया है, डिटेल्स अब वर्क आउट कर लिये जायेंगे, मगर मैं यह सोच करके चलता हूं कि इस वर्ष जो उसका बजट प्रोवीजन है उससे चार लाख और अधिक ओवर एण्ड अब बजट प्रोवीजन उन्हें दिया जाय ताकि उसकी व्यवस्था तो ठीक किया जा सके। इसी प्रकार से एस. एम. एस. हास्पिटल के लिए भी 5 लाख एडीशनल स्वीकार किये जायं जिससे कि वहां जो दवाओं की व और साधनों की कमी है, यह जो कहा जाता है कि वहां पर पट्टियां भी नहीं मिलती हैं, दवाइयां भी नहीं मिलती हैं सभी चीजें नहीं मिलती हैं........

श्री मीठालाल : यह हालत सब जगह की है।

श्री हरिदेव जोशी : और दूसरे स्थानों पर जैसा कि अभी कहा गया 20 लाख और 15 लाख यानी 35 लाख हम ओवर एण्ड अबाऊ जो बजट प्रोवीजन है देकर वहां पर जो कमी है उसको दूर करवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय एक सदस्य ने यह कहा कि आपको कई रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स का क्या किया। उन्होंने खास तौर से मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मुदालियर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कायम की है, उसने भी उस

(श्री हरिदेव जोशी)
कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना है, अस्वीकार कर दिया है और अभी तक हिन्दुस्तान की और किसी भी सरकार ने नहीं माना है.......

श्री मोहनलाल छंगाणी : इन्डियन मेडिकल कोन्सिल।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसकी बात नहीं कहता हूं। वह गवर्नमेंट नहीं है। टैक्निशियन कुछ भी कहते हों, मगर जिन्हें गवर्नमेंट चलानी पड़ती है उसको अपना पैटर्न देखना पड़ता है, और ग्रामीण क्षेत्रों को मेडिकल फेसिलिटी है, वह मेडिकल फेसिलिटी के पैटर्न को तय किया गया है। वह 80 हजार की आबादी के ऊपर एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर और उसके अन्दर 6 सब-सैन्टर्स हैं, 3 फैमिली प्लानिंग के और तीन मेडिकल के.......

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह लागू तो फलोदी में तो कम से कम नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : फलोदी राजस्थान का एक हिस्सा है। जैसे कि माननीय सदस्य उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं वैसे मै भी उसको इग्नोर करके नहीं चल सकता हूं। इसलिए अगर फलोदी में कोई कमी है तो उसको भी पूरा करेंगे, हम सांचौर में कोई कमी है उसको भी दूर करेंगे और डूंगरपुर और बांसवाड़े वगैरह में कोई कमी है उसको भी दूर करना पड़ता है। मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जो भी कमियां हैं जो उपलब्ध धनराशि है उस धनराशि से अच्छी तरह से काम में लेकर उन सारे कमियों को दूर किया जा सके.......

श्री मीठालाल : आप देख तो इधर रहे हैं और काम उधर बांट रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप भी उससे वंचित नहीं रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कई जगहों के अन्दर एक्स-रे वगैरह की मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मैं इस वर्ष में एक कैम्पेन की तरह पर यह व्यवस्था करूंगा कि जहां कहीं भी इस प्रकार की मशीनरी है उसको अधिक से अधिक कोशिश करके सबको दुरुस्त किया जाय और काम में लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जयपुर के एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज को रीजनल मेडिकल कालेज के रूप में लिया जा रहा था लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं दिया। आपकी कई सूचनाएं सही होती हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूचना आपकी सही नहीं है। जिस समय माननीय दीक्षित जी हैल्थ मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी यहां पर कि हमारे यहां 5 मेडिकल कॉलेज हैं महरबानी करके आप एक मेडिकल कालेज को ले लें। वह एक को ले लें तो उससे जो पैसा बचे उस पैसे से कोई डिस्पेन्सरीज खोलने पर खर्च करूंगा। मैंने उनसे जवानी कहा वह बहुत भले आदमी हैं और जो वाजिब होता है उसको करना चाहते हैं, मगर

(श्री हरिदेव जोशी)
उस समय भी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और जब गये तो तुरन्त ही मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने आपसे इस बारे में निवेदन किया था। आप इस विषय में कुछ कीजिये, लेकिन कोई आज तक रिप्लाई मुझे नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनके पास में कोई सूत्र हो जिससे वे भारत सरकार को एक मैडिकल कालेज दिलवा सकते हों तो मैं उनका आभार मानूंगा।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह सूत्र तो क्वेश्चन अवर में मिल गया है। क्वेश्चन अवर में चले गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरी सूचना सही है। जहां से मुझे सूचना मिली है उस सम्बन्ध में मैं अर्ज कर दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : एक माननीय सदस्य, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि धौलपुर के हास्पिटल को अपग्रेड किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि जब मिनिस्टर कहीं जाय तो वह उनसे उनके इलाके में कुछ न कुछ घोषणा करवाना चाहते हैं......

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप करें ही नहीं घोषणा।

श्री हरिदेव जोशी : पता नहीं कि पिछले मुख्य मन्त्री जी ने और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने कैसे आश्वासन दिया था। मेरी जानकारी में तो कुछ था नहीं। मैं धौलपुर गया तो माननीय सदस्य मेरे से पहले मीटिंग में बोलने के लिए खड़े हुए, मेरा स्वागत करने के लिए और अनायास ही वहां पर उन्होंने कहा कि इस हास्पिटल को बी. ग्रेड का कर दिया जाना चाहिए। मैंने वहां पर तो नहीं कहा मगर मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि न तो उन्होंने बराबर ग्रीटिंग किया और न पहले से ही उन्होंने पृष्ठभूमि ही बताई। अब उसको उस श्रेणी में कैसे रखना है उसकी घोषणा वहां पर कर आऊं और फिर बी. ग्रेड में नहीं कर सका तो इस भय से वहां पर मैंने घोषणा नहीं की.......

एक माननीय सदस्य : अब कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : परन्तु मैं एक ही चीज कह सकता हूँ और वह यह कि हम यह चाहते हैं कि जो उपयुक्त अस्पताल है उन्हें उपयुक्त दर्जा मिले और धौलपुर का प्रश्न विचाराधीन है.... ...

श्री बनवारीलाल : बरसों से विचाराधीन है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को एक विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि कोई पैटर्न चेन्ज्ड हो एडमिनिस्ट्रेशन का मगर जो एक्जीजस्टिंग सुविधाएं हैं उस स्थान पर उन सुविधाओं को कम नहीं किया जायगा। जैसा कि आपने कहा था कि चीफ मैडिकल आफिसर का आफिस धौलपुर में है उसे हटाया जाकर रेजीडेन्ट मैडिकल आफिसर किया जा रहा है तो जो सुविधा धौलपुर को प्राप्त है उन सुविधाओं में कमी नहीं की जाएगी।

श्री बनवारीलाल : उपयुक्त के बारे में नहीं बतलाया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं चाहता हूं कि कहीं पर सी. एम. ओ. का दफ्तर भी उठ जाय तो वहां पर वही सुविधाएं मिलती रहेंगी।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि झुन्झुनू में डिस्ट्रिक्ट लेवल का आर्गेनाइजेशन नहीं है और सीकर से झुन्झुनू को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बहुत अच्छा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कोशिश करूंगा कि एक आर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का झुन्झुनू में कायम कर दिया जाय और उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : धन्यवाद।

श्री मीठालाल : मैं याद दिला दूं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे याद है। सब के नाम लिख रखे हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बिल्डिंग प्राइमरी हैल्थ सेण्टर कम्प्लीट नहीं है। पी. एच. सी., मण्डावरी के अन्दर कम्प्लीट नहीं हो रही है। लगभग 23 प्राईमरी हैल्थ सेण्टर बिल्डिंग अनकम्प्लीट हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष का बजट पूरा होते होते ये 23 प्राईमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग पूरी हो जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के हॉस्पीटल के लिए कुछ नहीं बताया ?

श्री हरिदेव जोशी : जिस सीरियल आर्डर में बोले हैं, उसी प्रकार जवाब दे रहा हूं।

एक यह कहा गया है उपाध्यक्ष महोदय कि आजकल जो मेडिकल ग्रेज्युट्स है, उनको वासक्टोमी के ऑपरेशन नहीं आते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि यह कहां तक सही है। अगर यह सही है तो बेजा बात है। इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि फेमिली प्लानिंग का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। हमारे डॉक्टर वेल्ट्रेण्ड हों। वह खतरे से रहित हों। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार यह वाटर टाइट कम्पार्टमेण्ट, एक मेडिकल साइड का है तो वह फेमिली प्लानिंग में नहीं जा सकता और फेमिली प्लानिंग का है तो मेडिकल साइड में नहीं जा सकता, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, जो सीनियर होगा, वह रहेगा। उसके अण्डर में फेमिली प्लानिंग ऑफिसर है, वह होगा। जो सारी चीजों को को-ऑर्डिनेट करेगा। हैल्थ सेन्टर को कोआर्डिनेट करेगा। अभी जैसे फेमिली प्लानिंग वाला है, वह मेडिकल में नहीं जा सकता है और मेडिकल वाला इसलिए नहीं जा रहा है कि वह काम देख नहीं सकता है। वह दुविधा खत्म हो जायेगी। अगले दो तीन महीने में नया

(श्री हरिदेव जोशी)
सैटअप बन जायेगा तो यह काम करने लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, (अल्प विराम) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि डोनर्स जहां कहीं जो कुछ कर दें, उसको हम स्वीकार कर लें। एक गांव में एक प्राईमरी हैल्थ सैण्टर है। उसी में डिस्पेन्सरी भी है। उसी में रूरल फमिली प्लानिंग सेण्टर भी है। उसीमें अब कहते हैं कि चन्दा किया है इसलिए मैटर्निटी एण्ड चाइल्ड वैलफेयर सैण्टर भी बना दिया जाये इसलिए हमने यह फैसला किया है कि जहां डिस्पेन्सरी है वहां प्राईमरी हैल्थ सैण्टर नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेदशाला?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो आयुर्वेद मंत्री ही कह सकते हैं।

हमने यह तो फैसला किया है कि जहां प्राइमरी हैल्थ सैन्टर हों, वहां पर एम. सी. डब्ल्यू. सैन्टर और रूरल फैमिली प्लानिंग सेन्टर नहीं होगा, वह उससे दूर होगा ताकि दस पंद्रह मील के रेडियस के अन्दर एक न्युक्लीअस हो जो कुछ सर्विस दे सकें। और इसका मैं सख्ती के साथ पालन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के मैडीकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, जहां लेडी डॉक्टर नहीं है वहां लेडी डॉक्टर भेजने के बारे में, सिरसी के अस्पताल के डॉक्टर के बाबत शिकायत और वहां की जीप के दुरुपयोग के बारे में कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस जीप के मिसयूज के बारे में रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिल गई है और डिप्टी डाइरेक्टर (मैडीकल) उसकी एन्क्वायरी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ शब्द फैमिली प्लानिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने कुछ मुद्दे उठाये थे, खास तौर से युनिट्स के बारे में। उसके बारे में कृपया क्लेरीफो-केशन किया जाये। इन्डियन मैडीकल काउन्सिल के हिसाब से कितने युनिट्स होने चाहिये, कितनी पोस्ट्स होनी चाहिये, कितने प्रोफेसर्स होने चाहिये। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय बार बार घंटी बजा रहे थे, इसलिये मैं उस थीम को डेवलप नहीं कर पाया था।

श्री हरिदेव जोशी: हर प्रश्न का उत्तर देना तो मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। गई चीजें ऐसी होंगी जिनको एग्जामिन करना होगा मगर एक बात जरूर कह सकता हूं कि जो कुछ आपने कहा है, उसको मैंने क्लोजली सुना है। चेम्बर में बुला कर देखेंगे घर पर बुला कर बात कर लेंगे, आपके पास बैठकर बात कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर के अस्पताल के बारे में....

श्री हरिदेव जोशी : आपने तो केवल योग की ही बात कही। न केवल अलवर में, पर गंगानगर में और ऐसे कई स्थान हैं जहां अनआँथोराइज्ड बैड्स हैं। सैक्शन्ड

(श्री हरिदेव जोशी)

स्ट्रेन्थ से ज्यादा प्रेशर है और बेड्स ज्यादा हो रहे हैं। जिस प्रकार का बजट आपके सामने है, उसमें तो मेरे लिये कोई और सोर्स भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो भी इस प्रकार के बड़े अस्पताल हैं बड़ी जगहों पर, वहां पर इसको अधिकृत मान लिया जाये और रेग्यूलराइज कर दिया जावे, और डॉक्टर, स्टाफ और पैसा भी उसी हिसाब से दिया जावे। अभी भी मैं यह कोशिश करूंगा कि जितना भी ज्यादा कर सकते हैं वह करेंगे। लेकिन मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना ही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे एक निवेदन करना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा कट मोशन मौजूद है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे सुन लीजिये। आपने जो सीनियोरिटी फिक्स की है प्रोफेसर्स और रीडर्स के बारे में, क्या अगर युनिवर्सिटी आपको लिख कर भेजे उसके बारे में और शंका जाहिर करे या नामन्जूर करे तो आप कदम उठायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। सारे केसेज क्लोज कर दिये गये हैं। सीनियोरिटी के केसेज अगर रोज रोज उठाये जायेंगे तो दिस विल बी ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। और दूसरी चीज यह है कि मेडिकल डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, माननीय सदस्यों को इसको एप्रोसियेट करना चाहिए, जहां पर डी. पी. सी. हुई। मुझे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े लोग कहा करते थे, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट इस मेडिकल डिपार्टमेंट में डी. पी. सी. हो ही नहीं सकेगी। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कोपरेट किया, काम किया, मेडिकल डिपार्टमेंट में डी. पी. सी. हो गई और उसके बाद सारी चीजें डिटेल में हो सकीं.......

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बधाई स्वीकार करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लेकिन कुछ मेडिकल कौंसिल की सिफारिश के विरुद्ध हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा कट मोशन मौजूद है और मैंने इस सम्बन्ध में कहा था।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छी बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री मीठालाल : एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर पर दो सब सैन्टर खोलने का प्रावधान.......

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा, जो सारी बातें कहो, उन सब लोगों को मैं कहूं, अमुक जगह सब सैन्टर खोल दूंगा, अमुक जगह सब सेन्टर खोल दूंगा तो

(श्री हरिदेव जोशी)
इसमें कोई तुक नहीं है। आज 29 माननीय सदस्य बोले हैं.........

श्री मनोहर कोठारी : जो नहीं बोले हैं उनका क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : उनके कट मोशन हैं।

श्री मनोहर कोठारी : कट मोशन नहीं दिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कट मोशन नहीं दिये हैं तो मैं डिटेल में जा नहीं सकता, मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें देता हूं जो बोले हैं, दूसरी प्रायोरिटी उन्हें देता हूं जिन्होंने कट मोशन दिये हैं, और कुछ लिखा है। हो सकेगा तो उनसे बात करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि नाथद्वारा में कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वह जिम्मेदारी कठिनाई को दूर करने की मेरी है। लेकिन यह डिमाण्ड का प्रश्न है और इसी रूप में इसे लिया जाना चाहिए और इसी रूप से लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, फैमिली प्लानिंग के बारे में कहा गया कि यह बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है और इस उपयोगी कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। मैं बहुत विगत में माननीय सदस्यों के समक्ष नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य फैमिली प्लानिंग को उपयोगिता के बारे में दो राय रखते हों—ऐसा मान कर नहीं चलता, एप्रोच में थोड़ा फर्क हो सकता है, अथवा कुछ दूसरी तरह की चीज हो सकती है। किन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि हमने इस वर्ष के अन्दर फैमिली प्लानिंग का काम बहुत सीरियसली लिया है। इतने बड़े काम के अन्दर कहीं गलतियां रह सकती हैं। मेरे सामने शिकायतें आई हैं, एक छबड़ा के अन्दर एक कैम्प हुआ था। उस कैम्प में एक अधिक उम्र के सज्जन का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होकर, ऑपरेशन के बाद में घर जब वह सज्जन गये, उसके बाद डेथ भी हो गई उनकी। इस प्रकार कई दूसरे लोगों की भी शिकायतें आती हैं, किन्तु मुझे जो कहना है, वह यह है कि राजस्थान अपने आपमें एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट है। एक गांव से दूसरे गांव को सड़क से मिलाना हो तो हमें पैसा ज्यादा खर्च करना होता है। एक गांव को दूसरे गांव से बिजली से जोड़ना है तो हमें पैसा ज्यादा खर्च करना होता है। ठीक यही हालत फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में भी है। हिन्दुस्तान में हम उन राज्यों में से एक हैं, जहां पर ऑपरेशन पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। उस चीज को नीचे लाने के लिए हमने वर्षों में, पिछले दिनों में कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, 1966-67 के अन्दर 8,212 ऑपरेशन हुए थे' स्टेरीलाईजेशन ऑपरेशन, वहां पर 1972-73 के अन्दर 69000 ऑपरेशन हुए हैं, लास्ट ईअर केवल 33,000 और ईअर बिफोर लास्ट में 30,000 थे। इस वर्ष यह जो कैम्प का सिस्टम हमने शुरू किया है, और दूसरे इन्टेन्सिव क्लाईमेट बनाने की कोशिश की है, उससे पर आपरेशन खर्च भी काफी कम हुआ है।

(श्री हरिदेव जोशी)

1971-72 के अन्दर 528 पर ऑपरेशन खर्चा था, 1971-72 के अन्दर 573 था, अब यह 1972-73 के अन्दर 332 रुपये है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ऑफ्टर केअर ठीक नहीं होता। दरअसल में ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, दोनों ही समय, प्रापर केअर लेने की जरूरत है। यदि यह नहीं हुआ तो मैं यह कह सकता हूँ कि इस आन्दोलन का भविष्य अन्धकारपूर्ण हो जायगा। इसलिए डॉक्टरों से, और इस प्रोफेशन में लगे हुए सब लोगों से अधिक से अधिक सावधानी अधिक से अधिक केअर करने का निवेदन करूंगा और डिपार्टमेंट की ओर से यह प्रयत्न करूंगा कि इस प्रकार के कदम उठाये जांय और जिस इलाके के अन्दर कमियां रह जाती हैं उस क्षेत्र के अन्दर अधिक सख्ती बरतने के बाबत भी कोशिश करूंगा।

ऐसा भी कहा गया, उपाध्यक्ष महोदय, 26 एम्बेसेडर गाड़िया डिपार्टमेंट ने खरीद लीं। मुझे निवेदन यह करना है कि सेन्ट परसेन्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है। हम कुछ खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। यह एम्बेसेडर गाड़िया गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया जिस समय दे रही थी, उस समय कहा था कि यह गाड़ियां राजस्थान में काम नहीं देगी, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर काम दे ही नहीं सकती। उन्होंने इन्हें वापिस लेना स्वीकार कर लिया है....

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ तो रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जीप ले लें, बिल्कुल तो मत गवायें।

श्री रोशनलाल शर्मा : जीप ही ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगार डॉक्टरों के बारे में बहुत बात हुई, कुछ बातें बहुत बातें नहीं, कुछ बातें हुई। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक स्कीम बेरोजगार डॉक्टरों को स्टाइपेण्ड देने की जारी की थी। जो लोग इस स्कीम को स्वीकार करेंगे उन्हें पच्चीस हजार रुपया लोन दिया जायगा, गांव में बैठने के लिए पहले वर्ष में दो सौ रुपये, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष—दूसरे वर्ष ढ़ाई सौ रुपये – इस तरह देने की बात की थी। इतने बड़े आन्दोलन के बाद में 175 एप्लीकेशन आई हैं। मेरे पास में केवल दो एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और जो बजट प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ने किया था इसके लिए उसमें से रकम में बचती है, राजस्थान के पास 31 मार्च तक अगर कोई नहीं आया तो लेप्स होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ दफ्तर में पूरे टाइम नहीं बैठते यहां पर ऐसा भी कुछ कहा गया। प्रेजेन्ट डाइरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मैडीसन भी थे, तब कॉलेज में भी जाते थे और इधर भी आते थे। इसलिए आधा समय तो वे वहां रहते थे और आधा समय यहां आते थे। अब हमने उन्हें फुल टाइम डाईरेक्टर कर दिया है इसलिए वे पूरा समय यहां देते हैं।

गांधी नगर से आने आने माननीय सदस्य ने मेडीकल डाइरेक्टर के बारे में

(श्री हरिदेव जोशी)

यहां बात कही । उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं समझ सका कि उनका प्रहार मैडीकल डाईरेक्टर के ऊपर था अथवा मेरे ऊपर था। मेरे में एक दम्भ है, वह यह है कि कोई हैड ऑफ डिपार्टमैंट अथवा सेक्रेटरी मेरी अवज्ञा नहीं करता। अगर वह यह सोचते हैं कि मैडीकल सेक्रेटरी मेरी अवज्ञा करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं इन्कोम्पीटेन्ट हूं ··

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा आदमी नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं हैड ऑफ डिपार्टमैंट से, सेक्रेटरी से राय लेता हूं, उनकी राय से सहमत हो जायं, और मान लीजिये, मैं किसी की राय से सहमत नहीं हूं –यह मेरे विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस निवेदन के साथ में····

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय····

श्री हरिदेव जोशी : यह नहीं···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके आदेशों पर टिप्पणी न किया करें सेक्रेटेरियट में बैठ कर····

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय·

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरा न आप पर आरोप है और न····

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझ रहा हूं, आपका वो नहीं है, इल इन्टेन्शन नहीं है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि अगर आपको मेरे डिपार्टमैंट के बारे में शिकायत है तो मुझसे कहिये। उसको सुधारने की ओर उस पर नियन्त्रण रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपने आपको इसके लिए सक्षम समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ····

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राइवेट प्रेक्टिस।

श्री रोशनलाल शर्मा : प्राइवेट प्रेक्टिस जो डॉक्टर करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके बारे में आप फर्मा दें।

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार ने जो उसके सम्बन्ध में घोषणा की है उससे आगे नहीं बढ़ी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आगे बढ़ने की डिमाण्ड कर रहे हैं सब लोग, सबने कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : धन्यवाद। यह गवर्नमैंट के एक्टिव कन्सीडरेशन में है और उसके बारे में जिस तरह का होगा फोर और अगेन्स्ट, मैं चाहूंगा, राज्य सरकार जल्दी से जल्दी फैसला कर ले····

मगर यह ऐसा विषय नहीं है कि इस पर मैं कुछ ऑफ हैंड कह दूं। आप राज्य सरकार पर इस विषय को छोड़ दें तो मैं उचित समझूंगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सब का स्वागत करता

(श्री हरिदेव जोशी)
हूं। जो सुधार करने के लिए राय दी है, ऐसी राय देने के लिए आज ही नहीं जब कभी भी माननीय सदस्य मुझसे मिलेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो भी राय देंगे, हमेशा मैं उनका स्वागत् करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के अस्पताल के बारे में आपने कहा कि वहां कुछ बेड्स ज्यादा हैं अन ऑथोराइज्ड रूप से, उनको रेग्यूलराइज करने के बारे में सोचेंगे लेकिन जितने बेड्स हैं उनके अनुसार स्टाफ और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसी बात वहां के डॉक्टर्स ने बताई है। जब आपने उन बेड्स को अलाऊ किया है तो उसके अनुसार स्टाफ, दवाइयां, पट्टी वगैरह भी मिलनी चाहिए, यह व्यवहारिक और उचित होगा। राजस्थान में अलवर ही एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर है और जहां ए क्लास अस्पताल नहीं है। आप इसको (ए) क्लास जल्दी से करें। लेकिन कम से कम जब बेड्स दे रहे हैं तो मरीजों के लिए दवाइयां भी मिलनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी मांग को मैं अनुचित नहीं कह सकता लेकिन मेरी बात को आपने सुना होगा कि इस वर्ष बजट प्रावधान में कतई एक्सपेन्शन शो नहीं किया गया है। इसलिए मेरे सामने केवल आपका ही सवाल नहीं, बल्कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं वरना वह भी यही बात कहते। एक नहीं अनेक अस्पताल ऐसे हैं जहां संक्शन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा बेड्स हैं। स्वयं सवाई मानसिंह अस्पताल, जोधपुर अस्पताल, अजमेर, बीकानेर अस्पताल, सभी जगह यही पोजीशन है और मैं समझता हूं इसमें रिलीफ पांचवी पंच-वर्षीय योजना में ही मिलेगा। (श्री चतुर-भुज के खड़े होने पर) आप मुझसे बाद में मिल लें।

श्री चन्दनमल बैद(जन स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने जन स्वास्थ्य के बारे में अपने अमुल्य सुझाव ही नहीं दिये बल्कि पिछले साल जो कार्य हुए उनकी प्रशंसा भी की। जिन लोगों ने आलोचना की उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और जन स्वास्थ्य के बारे में आज ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है, जिन समस्याओं की तरफ ध्यान खींचा गया है, उनके बारे में जितना संक्षेप में मुझ से हो सकेगा, मैं आपको निवेदन करने की कोशिश करूंगा।

एक बार प्रश्न उठाया गया था कि आखिर जन स्वास्थ्य विभाग की जल प्रदाय योजनायें जो स्वीकार की जाती हैं, उनका आधार क्या है ? एक बार प्रश्न के उत्तर मे मैं आधार निवेदन कर चुका हूं, फिर भी मैं उचित समझता हूं कि इन आधारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं। हमारे राज्य के 8 जिलों को रेगिस्तानी जिले माने गये है और उनके लिए हमने भारत सरकार से स्पेशल प्रोवीजन, डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत तथा एक्सीलरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत, मिलते हैं। इसलिए इन आठ जिलों में और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन जिलों के लिए जो हमें विशेष प्रावधान

(श्री चन्दनमल बैद)

मिलता है और विशेष कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं तो कुछ माननीय सदस्यों को शायद इस बात की मन में नाराजगी होती है कि चूंकि मैं एक रेगिस्तानी जिले का रहने वाला हूं और इस कारण से रेगिस्तान की तरफ मेरा कुछ ज्यादा झुकाव हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं। ऐसा सोचना उनका वाजिब नहीं है····

श्री विजयसिंह : आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं समझता हूं, आपको मेरे विभाग के साथ नाराजगी हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब सदन का समय समाप्त होगा तो आपकी नाराजगी भी समाप्त हो जाएगी।

श्री मीठालाल : यह तो रहस्य की बात हो गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं सही बात कह कर रहा हूं और उस सिलसिले में 1972-73 को जो भी स्कीम्स मंजूर की गई हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज के जो जिले हैं, जो आदिवासी जिले हैं या जिन जगहों पर पानी की विशेष समस्यायें हैं, जहां पानी में फ्लोराइट की मात्रा ज्यादा होती है ओर लोगों की हड्डियों पर असर पड़ता है या पानी खारा है या नीचे है, नीचे नहीं है या दूर से लाना पड़ता है या 50-100 फीट से गहरा है, ऐसे क्षेत्रों को हमें पहले लेना पड़ता है, तो इस कारण से सारे राजस्थान के जो एलॉकेशन्स होते हैं तो इन सारी बातों को देखना पड़ता है। इन 8 जिलों और आदिवासी इलाकों को छोड़कर बाकी सारे जिलों में जब हम स्कीम सेंक्शन करते हैं तो ढाई पर्सेन्ट जन सहयोग की शर्त लगाते हैं। बाकी इन 8 जिलों और आदिवासिओं में यह शर्त नहीं लगाई जाती है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन स्पेशल प्रोग्राम्स के तहत ही हम अपनी स्कीम्स को सेंक्शन करते हैं। अब स्पेशल स्कीम्स के साथ साथ यह बात भी सोचने की है कि जो दो हजार से कम की आबादी के गांव हैं वहां पर अभी पब्लिक हैल्थ इन्जनीयरिंग विभाग, जब तक कहीं पानी की कोई विशेष समस्या न हो, अपने हाथ में नहीं लेता और इसलिए यह काम पंचायत समितियों के हाथ में सौंपा हुआ है। हर साल पंचायत समितियों को जल प्रदाय विभाग को तरफ से कुछ न कुछ राशि आवंटन की जाती है जिसका आवंटन विकास मंत्री खुद करते हैं। पिछले साल शायद 50 लाख था, इस साल उसको बढ़ा कर हमने खुद ने 95 लाख कर दिया है और हमारी मन्शा यह हैं कि अगर संभव हो सका, थोड़ा पैसा निकाल सके तो 5 लाख मिलाकर एक करोड़ कर दें। इससे पंचायत समितियों में दो हजार से नीचे की आबादी के जो गांव हैं उनको एक करोड़ रूपये हम दें जिससे उन गांवों में कूप निर्माण के कार्य में और पानी के जो साधन हैं, उनको सुधारने में खर्च कर सकें। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले गांवों में हैंड पम्पस की स्कीम लेते हैं, 5 हजार की आबादी वाले कस्बों में पाइप की स्कीम लेते हैं। जब एक्सीलरेटेड प्रोग्राम के सिलसिले में हमें कुछ राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई, तो उसमें से 8 रेगिस्तानी जिलों में तो काम किया है साथ में 80 लाख रूपये डूंगरपुर, बांसवाड़ा व

(श्री चन्दनमल बैद)

उन इलाकों के लिए आवंटित किया जहां नाहरू का रोग है। अभी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारी तरफ धन दिया जाय। धन दिया हैं, 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं और उसमें से मशीनें खरीदने के लिए, हैंड पम्पस् खरीदने के लिए. 40 लाख रूपया इस साल खर्च किया जा चुका है और 40 लाख रुपए अगले साल होजिज बढ़ाने के लिए व हैंड पम्पस लगाने के लिए खर्च किए जायेंगे और उनकी जो संख्या होगी वह दो हजार के करीब होगी।

उपाध्यक्ष महोदय डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में राज्य सरकार ने करीब दो हजार हैण्ड पम्प लगा दिये हैं। इन दो हजार हैण्ड पम्प्स से करीब दो हजार गांव बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के ऐसे हो जायेंगे कि जहां का पानी पीने से नाहरू रोग नहीं होगा। इन ग्रामों से नाहरू रोग का नाम हमेशा के लिये मिट जायेगा। इसी प्रकार के हैण्ड पम्प्स राज्य सरकार उदयपुर और चित्तौड़ तथा कोटा में जहां जहां पर नाहरू रोग होने का भय है वहां पर आईडियेन्टीफाइ करके लगाने का राज्य सरकार का विचार है और राज्य सरकार की यह इच्छा है कि पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसा प्रोग्राम कार्यान्वित किया जाय जिससे कि राजस्थान के अन्दर नाहरू रोग का नाम हमेशा के लिये उठ जाय। यहां पर इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों को यह शंका हैं कि मैं रेगिस्तानी इलाके से आता हूं इसलिए मैंने चूरू जिले में ज्यादा पैसा आवंटन किया है। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप ऐसा सोचें वह बात नहीं है क्योंकि अगर आप बजट में धनराशि का प्रावधान देखेंगे तो ऐसा मालूम आपको होगा कि चूरू से भी ज्यादा धनराशि बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई है। इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिये। हमने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ज्यादा धनराशि रेगिस्तानी इलाके में पानी की समस्या के हल के लिए रखा है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है क्योंकि जो चीज जहां पर होनी चाहिये वह वहीं पर होगी। जैसे कि मेजा डेम है वह चूरू में नहीं बन सकता, सीकर में नहीं बन सकता वह तो भीलवाड़ा में ही बनेगा। चम्बल पर अगर डेम बनना है तो कोटा में ही बनेगा दूसरी जगह नहीं बन सकता। चूंकि रेगिस्तानी इलाके में पानी की ज्यादा समस्या है इसलिये राज्य सरकार ने उन इलाकों में ज्यादा धनराशि आवंटन की है।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह शिकायत हो सकती है कि किसी माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा पैसा सेंक्शन हुआ है और किसी माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में कम पैसा सेंक्शन हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की बदनियती मेरी नहीं है। यह कुछ भी हुआ है तो मेरी गलती से हुआ है। और भूल से हुआ है। एक जिले के अन्दर किसी में 8, किसी में 10 और 15-15 एम. एल. ए. होते हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं उसमें हो सकता है मुझे ध्यान नहीं रहा हो और गलती से किसी माननीय

Page No 186

(186)

(श्री चन्दनमल बैद)

सदस्य के क्षेत्र में पैसा सेंक्शन नहीं हुआ हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार अगर गलती से ऐसा हो गया है तो अगली बार अगले साल के बजट में इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि इस तरह से जो भी पीड़ित क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाय। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको इस बात की अगले साल कोई शिकायत नहीं रह जायेगी कि किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में ज्यादा पैसा सेंक्शन हुआ है और दूसरे माननीय सदस्य के क्षेत्र में कम। यह बात सही है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पानी की समस्या अधिक है। इसलिये बाड़मेर में तो पैसा ज्यादा स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को खुशी ज्यादा हो सकती है क्योंकि उनके क्षेत्र में ज्यादा पैसा सेंक्शन हुआ है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ज्यादा पैसा कहां सेंक्शन हुआ है साहब।

श्री चन्दनमल बैद : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों को इस बारे में शिकायत हो सकती है। पर मैंने पहले से ही अर्ज कर दिया है कि इसमें किसी प्रकार की बद-नियती से नहीं हुआ है सिर्फ मेरी ही गल्ती शायद रह गयी होगी उससे हुआ है, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी और इस भूल को सुधारने की कोशिश की जायेगी मैं माननीय सदस्यों को अर्ज करना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पिछले चार सालों में हमने ज्यादा से ज्यादा रकम रेगिस्तानी जो जिले हैं उनमें की है। मैं आपको आंकडे भी मेरे पास उपलब्ध है बता देना चाहता हूं ये इस प्रकार है :—

बाड़मेर	2 करोड़ 58 लाख और 83 हजार रु.
जैसलमेर	1 करोड़ 53 लाख और 52 हजार रु.
बीकानेर	1 करोड़ 44 लाख 48 हजार रु.
चूरू	1 करोड़ 88 लाख 7 हजार रु.
जालोर	1 करोड़ 84 लाख 72 हजार रु.
जोधपुर	2 करोड़ 40 लाख 78 हजार रु.
नागौर	2 करोड़ 68 लाख 61 हजार रु.
पाली	1 करोड़ 69 लाख 15 हजार रु.

(श्री चन्दनमल बैद)

इतने रुपये इन चार सालों में इन जिलों में खर्च किये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत आपने अजमेर को नहीं लिया।

श्री चन्दनमल बैद : यह अजमेर उसमें आता है। यह तो भारत सरकार ने जिन इलाके को रेगिस्तानी माना है उनके अनुसार अजमेर उसमें नहीं आता है और जयपुर भी नहीं आता है यह तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने जो बताये हैं उनके अनुसार ही खर्च किये गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू जिले का इलाका नहीं आता है क्या वह भी आता है।

श्री चन्दनमल बैद : झुंझुनू इसमें नहीं आता है वह ढाई परसेन्ट वाले एरिया में आता है मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि झुंझुनू के लिये राज्य सरकार ने 63 लाख 62 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। सीकर के लिये 33 लाख और 50 हजार रुपये सैंक्शन किये हैं। आप जो ड्रौट प्रोन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ये दोनों उसमें नहीं आते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह अजमेर और ब्यावर भी नहीं आते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे पास जो लिस्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने भेजी है उसके अनुसार राजस्थान के आठ जिले हैं उसमें 6 जिले जोधपुर डिविजन के हैं और दो जिले बीकानेर डिविजन के हैं। इस प्रकार कुल आठ जिले हैं। मेरी जानकारी में तो यही है और इससे ज्यादा जानकारी माननीय सदस्य के पास है तो वह मेरे पास नहीं है मैं समझता हूं मेरे पास जो जानकार है वही सही है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमारे यहां इस सदन में पहले हमेशा यही चर्चा रहती थी कि राज्य सरकार गांवों की अपेक्षा शहरों में ही पैसा ज्यादा खर्च करती है उसके लिये अब उन्हें अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले साल गांवों में शहरों से दुगुनी धनराशि पेय जल के लिये रखी थी और इस बार राज्य सरकार ने करीब 15 करोड़ और 75 लाख रुपये में से 13 लाख रुपये गांवों के लिये आवंटन किये हैं और शहर के लिये सिर्फ दो करोड़ और कुछ लाख रुपये। यह अब सोच सकते है कि 15 करोड़ रुपये में दो करोड़ रुपये का क्या अनुपात होता है। हमें सबसे ज्यादा अब समस्या जो है वह है इस बात की डी. पी. ए. पी. के हिसाब से आईडियेन्टीफाइ करने की। झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या अभी यहां पर मौजूद नहीं है मैं उनसे निवेदन करना चाहता था कि राज्य सरकार उस एरिया के प्रति उदासीन नहीं है बल्कि जो ज्यादा समय हमें लगा था वह पानी कहां है उसको आईडियेन्टीफाइ करने में लगा। अब हमने आईडियेन्टीफाई कर लिया है। अब उनमें भी 76 गांव ऐसे हैं जिसमें कि फ्लोराइड वगैरह है ऐसे गांवों के लिए एक स्कीम बनायी जा चुकी है जिसमें

(श्री चन्दनमल बैद)
करीब 32 गांव आते है मैं आपको नाम भी बता देना चाहता हूं कि ग्राम अलसीसर के आसपास वाले एरिया में है दूसरी अभी स्कीम बन नहीं पायी है। और दूसरे ग्रामों का नाम जो मैं बताना चाहता हूं जो कि इस स्कीम में आयेंगे मेरे पास नहीं हैं....

एक माननीय सदस्य : कोई जरूरत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : वो मैं बाद में बता दूंगा। अब इस इलाके में करीब 44 गांव हैं जहां फ्लोराइड पानी में है उसको भी आईडियेन्टीफाई कर लिया है अब स्कीम बन रही है।

श्री मोहनराज : बाली में बैलपुरा गांव है वहां पर भी पानी में यह प्राबलम है।

श्री चन्दनमल बैद : आप बताइये कि कहां है अगर वहां का पानी ब्रेचीस है या वहां पर पानी में फ्लोराइड है तो हमें बताये हम उसके लिये व्यवस्था करेंगे। उसमें पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को साफ साफ निवेदन कर देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पानी का सवाल है चाहे वे राजस्थान के गांव हो या शहर राज्य सरकार के मन में कोई फर्क नहीं है। पानी की प्राबलम के लिये हम सब राजस्थान वाले एक हैं। इसके लिये हमारे मन में न तो फर्क है न फर्क रखने की इच्छा ही राज्य सरकार की है।

श्री मीठालाल : आदिवासियों के लिये ?

श्री चन्दनमल बैद : आदिवासी इलाकों के लिये, मैंने बताया कि 80 लाख रुपया इस साल आवंटित किया है। 40 लाख रुपया इस साल खर्च कर दिया गया। और 40 लाख रुपया अगले साल खर्च किया जावेगा। नाहरू निकलते हैं वहां उन आदिवासी इलाकों में इसको खर्च किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : इस लिस्ट में नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : इस लिस्ट में इस वास्ते नहीं है कि 80 लाख की जो रकम है वह अन्डरग्राउन्ड वाटर वर्क्स के पास है और वह उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसको किताब में जरूर मेन्शन किया हुआ है। पी. एच. डी. की तरफ नहीं हो रहे हैं। राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर वोर्ड के पास है और जब उस डिपार्टमेंट की बात आयगी तो हम आपको लिस्ट देंगे और वहां इसको बतायेंगे। आज आप यह मानिये कि इस किताब में लिखा हुआ है वह 80 लाख रुपया आवंटित किया गया है।

एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमने केवल इतना ही नहीं किया है। पिछले साल विधान सभा में कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो भी एरिया है, जहां जल प्रदाय योजनायें हैं वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लोकेलीटीज में पी. एस. जी. लग जानी चाहिये। वहां आवंटन किया है। उसके बाद 50 लाख रुपया तो जल प्रदाय विभाग से किया है, पांच लाख से ज्यादा रुपया सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट से

(श्री चन्दनमल बैद),

किया। इस प्रकार 55 लाख रुपये का आवंटन किया है। 50 लाख का जल प्रदाय विभाग का हुआ वह 318 जगह के लिये हुआ है। लिस्ट मौजूद है। पढ़ कर सुना सकता हूं। चार जिलों में किया। समाज कल्याण विभाग ने किया तीन में किया। इस तरह से 350 जगहों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्रों में जहां जल प्रदाय योजनायें मालूम हैं उनमें सार्वजनिक नल लगाने का पैसा मंजूर किया है। पाइप की कमी के कारण यह काम पूरा नहीं होगा। इसलिये यह रुपया लेप्स नहीं होगा और अगले साल भी जारी रहेगा। (करतलध्वनी) इसमें और कमी रह गयी हो तो 10 लाख रुपया और इनमें से पैसा बच गया वह, वह सब मिलाकर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के क्षेत्रों में जहां जल प्रदाय योजनायें चल रही हैं वहां नल लगा दिये जावेंगे। इतना ही नहीं सार्वजनिक नल लगाने के लिये शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज में जहां जल प्रदाय योजना है वहां जितने धन की जरूरत होगी उसको कहीं न कहीं से प्राप्त किया जावेगा और यह व्यवस्था वहां की जावेगी।

अगर हम समाज के सबसे गरीब और नीचे के तबके के जो लोग हैं उनको पेय जल नहीं दे सकते तो क्या करते हैं? इसलिये हमारी मंशा है कि उनके लिये यह जरूर व्यवस्था करें। यह हमदर्दी नहीं है। हमने उन पर अत्याचार किये हैं उनका हम बदला चुकाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ी सी बातें मेरे विभाग के लिये कही गयी है उनके लिये मैं नहीं कहूंगा। तो माननीय सदस्य जो हवा महल से आये हैं वे यह कहेंगे उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। वे हर साल 12 महीने में एक दफा एक कीड़े की बोतल जरूर लेकर आते हैं बारह महिने में एक कीड़ा निकलता है और वह भी उनके घर ही में निकलता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शहर में कहीं भी निकलता है तो वहां से लेकर आता हूं। आप के घर में भी निकल सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : इस शहर में मैं भी रहता हूं। 183 माननीय सदस्य भी रहते हैं। हमारे घर में तो कीड़े पानी में नहीं निकलते और आपके घर में निकलता है और वह भी साल भर में एक दफा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शहर में कई जगह पाइप टूटे हुए हैं और उनमें गन्दा पानी आता है और कीड़े आते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप पूरी सूचना दीजिये। आपने कोका कोला की, गोल्ड स्पोट की एक बोतल पेश की थी। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप दुकानदार का नाम बतलाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नाम बतलाया था। जलेबी चौक में म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर है.......

श्री चन्दनमल बैद : खरीद कर लाये हैं मैंने आपको जिसके यहां से खरीदी उसका नाम पूछा था और आपने नाम नहीं बताया। नाम बताते तो पकड़ा जाता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आपको नाम बताया।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं बताया। नहीं तो पकड़ा जाता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नाम बताया। जयपुर शहर के सम्बन्ध में मेरे पर जिम्मेदारी है और मैं यहां उसको रखूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : आज भी एक माननीय सदस्य एक छोटी सी बोतल लाये और उसमें बताया कि एक इंच कीड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस ले गये।

श्री मोहनराज : अगले साल के लिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे उम्मीद है अगले साल के लिये रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय। यहां स्टेटमेन्ट हो गये। जहां पानी की कमी है वहां तो है ही और इस साल विशेष करके है। शायद माननीय सदस्यों ने मेरे विभाग की तारीफ की हो और तारीफ की है वह वहां के कर्मचारियों और इन्जीनियरों की तारीफ है। चाहे तारीफ की हो मैं सदन को चेतावनी देना चाहता हूं कि वर्षा की कमी के कारण आगे आने वाले मुश्किल के महीने हो सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सैन्ट्रल की रिपोर्ट आयी है।

श्री चन्दनमल बैद : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से बात करूंगा। 21 तारीख को उस पर कहूंगा जब उसकी डिमान्ड होगी।

अब हो क्या रहा है। कहीं पानी की कमी है। जहां एक गैलन पानी नहीं मिलता वह तो ठीक कहते हैं कि पानी नहीं मिलता। जयपुर शहर में 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी दे रहे हैं, सात लाख की आबादी कहिये, फिर भी वे कहते हैं कि पानी की कमी है। मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर विधान सभा में बैठे हैं। सब राजस्थान के रहने वाले हैं। सारे राजस्थान का दुख हमारा दुख होना चाहिये। जयपुर में 20। 25 गैलन पानी खर्च करें और दूसरे लोगों को एक दो गैलन पानी न मिले क्या हम इसको महसूस नहीं करें ? आप यह कहें कि जयपुर में पानी का इन्तजाम नहीं हो रहा है और पानी नहीं आ रहा है। मैं भी जयपुर में ही रहता हूं। महीने में 25 दिन यहीं रहता हूं। पांच दिन बाहर जाता होऊंगा। मैं भी जानता हूं कि कितना पानी आता है. सिविल लाइन्स में कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं। मैं तो सी स्कीम में ही रहता हूं। मेरे दोस्त जौहरी बाजार में रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धाबाई जी की हवेली में देखिये। विधायक लोग रहते हैं, वहां पानी नहीं आता है। ब्रह्मपुरी में देखिये, तिलक नगर में देखिये. मेरे साथ चलिये।

श्री मोहनराज : दूसरी जगह पानी की कमी है.......

श्री चन्दनमल बैद : मैं सुबह 8 बजे नहीं 6 बजे माननीय सदस्यों के साथ जयपुर शहर में घूमा हूं। और मैंने एक एक जगह को देखा हैं। मैं वहां गया हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं चैलेन्ज करके कहता हूं। मैं आपसे निवेदन करके कहता हूं कि आप 8 बजे तक मेरे साथ जयपुर शहर में चलें। मैं आपको धन्यवाद देने वाला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पानी की किल्लत है वह आपकी बद इन्तजामी से है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहल पानी की कमी नहीं थी। इस समय कमी है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य धन्यवाद नहीं देंगे.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन्यवाद देना मेरा काम नहीं है

श्री चन्दनमल बैद : यह कहिये

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भेदभाव पूर्ण काम करेंगे और वास्तविक बातों से भी मुकरेंगे तो मैं आलोचना करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 71-72 में 16.50 हजार रुपया खर्च किया। 72.73 में 50 लाख खर्च किया जा रहा है। और एल.आई.सी. का लोन जो हमें मिलने की उम्मीद है यह मिल गया तो 34 लाख रुपया और खर्च करेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, 80 हजार मोटर लाइन बदली है हमने और 35 नये ट्यूबवैल खोदे हैं दो सालों में। इसके बावजूद भी यह कहें कि जयपुर की हम अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं यह उचित नहीं है। हम तो जयपुर को राजधानी मानकर इसके साथ विशेष बर्ताव कर रहे हैं कि यह हमारी राजस्थान की राजधानी है, यहां पर्यटक आते हैं दूसरी तरह के लोग आते हैं, सैलानी आते हैं तो उनकी नजरों में राजस्थान अच्छा लगे इस वास्ते विशेष ध्यान रखते हैं और खास कर इस कारण विशेष ध्यान देते हैं कि यहां माननीय सदस्य विराजते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके बाद भी यहां की गरीब जनता तो अभाव के कारण पानी के अभाव के कारण दुखी है। इस अभाव को उनकी दृष्टि से दूर किया जाना जरूरी है। अगर आपको पानी का अभाव देखना है तो छोटी छोटी चौकड़ियों में पुरानी बस्ती में, घाटगेट बस्ती में आप मेरे साथ चलें और देखें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसके लिये तैयार हूं। माननीय सदस्य की टांग में चोट है इसलिये अधिक तो अर्ज नहीं कर सकता मेरे यहां पर आप चलिये मैं आपको बताऊं कितना पानी आता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इसकी चिन्ता न करिये, मैं अब बिलकुल ठीक हूं। आप इस काम के लिये कहीं पर भी ले चलें, मैं तैयार हूं। आज तो अधिक दूर क्यों जाते हैं आप जौहरी बाजार में ही

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
देख लें चौथी मंजिल पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। तीसरी मंजिल पर पानी नहीं चढ़ता।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता नहीं है कि कहां किस तरह से पानी मिल रहा है। और कितना पैसा यहां खर्च कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने यह कभी नहीं कहा कि आप इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं मैं तो वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहा हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह सही है कि इस समय पानी की बड़ी पाइप लाइन पर काम हो रहा है इसलिये अस्थायी तौर पर कठिनाई है पानी की। पर यह शीघ्र ही ठीक हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को देरी होने के कारण नींद आने लग गई थी, इसलिये इस थोड़ी सी गरमागरमी से उनकी नींद खुल गई है। इसलिये यह गरमा गरमी नींद उड़ाने के लिये हुई है।

ब्यावर, अजमेर के बारे में कहा गया अगर इन दोनों का उल्लेख नहीं करूंगा तो इनके साथ अन्याय करूंगा। मैं मानता हूं इस बात को कि ब्यावर में पानी की समस्या सचमुच में विकट है और सचमुच मुझे इसका दुख है। इस समस्या को हल करने के लिये सारी कोशिशें हम कर रहे हैं। इन कोशिशों में एक कोशिश यह भी है कि फिलहाल फेमिन विभाग की तरफ से चार लाख रुपया हमने उनको दिया है और वायदा भी किया है कि टैंकरों से और ट्रकों से पानी लाने में वहां ब्यावर की नगर पालिका को जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वह रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनको देंगे।

इसके अलावा ब्यावर में हमने हैंड पम्प भी खोदे हैं। इनमें से कुछ असफल रहे हैं, कुछ सफल रहे हैं और जो कुए हैं उनमें भी करीब 165 हजार रुपया खर्च करके गहरा कराया है और उनके पानी की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश की है। ये तो हुए शार्ट टर्म्स मेजर्स जो हमने अपनाए हैं।

लोंग टर्म्स मेजर्स के लिए पहले भी समय समय पर बताता रहा हूं। अभी भी बताया था जब ब्यावर वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न इस बारे में सदन में पूछा था। जो छः जगहें हमें बताई गई थी अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से हमने कहा कि इनको टैस्ट करो। उनका कहना यह था कि ब्यावर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इन छः कुओं से पानी पूरा नहीं मिल सकता। और इनके आधार पर कोई स्थायी योजना नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद आसीन्द, बोरून्दा और राजमहल से पानी लाने को योजनाओं पर भी विचार किया है। इन पर टैंक आप बनाकर या अन्य तरह से कुछ करके जल्दी से इस शहर की पानी की समस्या को हम हल कर सकें। इस तरह की तीन चार योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं। इन पर विचार करके अपना माइण्ड बनाकर

(श्री चन्दनमल बैद)
केबिनेट के सामने प्रस्ताव रखे हैं। इन सारे प्रस्तावों में जो हमें अब तक सबसे अधिक मौजूं जो लगा है वह यह है कि राजमहल के आसपास पिकअप वेअर बना दिया जावे ताकि ट्यूब वेलों में पानी ऊंचा आ जावे और इससे अजमेर को ब्यावर को, किशनगढ़ और नसीराबाद को भी पानी पहुंचाया जा सके और इनके बीच में दूसरे कोई गांव भी पड़ते हैं तो उनकी समस्या भी हल हो सके। इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या इस योजना की शेप होगी, कितने साल इसमें लगेंगे यह आज के दिन कहना मुश्किल है। सारी स्कीम का सर्वे हो रहा है और अच्छी तरह से इन सब स्कीमों पर सोचा जा रहा है। मुख्य मन्त्रीजी के समक्ष भी ये सारी स्कीमें पेश करदी गई है। जब अन्तिम निर्णय लेंगे तब मालूम हो जावेगा।

अब मैं अजमेर के बारे में थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। अजमेर को आज भी हम बीस लाख गैलन पानी सप्लाई कर रहे हैं। अजमेर की जो जल प्रदाय योजना है वह वहां की नगरपालिका की है। बीस लाख गैलन पानी उसे हम रोजाना दे रहे हैं। इसका पैसा हमारा उस पर चढ़ते चढ़ते एक करोड़ और 10 लाख तक पहुंच गया है। अब अजमेर वाले क्या करते हैं कि हमसे तो पानी बीस लाख गैलन ले लेते हैं, वहां की जनता से उस पानी का पैसा वे वसूल कर लेते हैं पर हमें नहीं देते एक पैसा भी। और ऊपर से प्रचार यह और करते हैं कि देखिये साहब, यह मोटर जल गई है, यह पाइप नहीं बदला गया है यह कुआ गहरा नहीं किया गया है इस कारण तकलीफ हो रही है। मैंने ये सारी बातें वहां के नगरपालिका अध्यक्ष को बताई और यह भी कहा कि आप अपनी सारी स्कीम सरकार को सौंप दीजिए। इसके बाद हम इस सबको ठीक कर लेंगे। हम इसे सुधार लेंगे। पर वे अपनी स्कीम भी हमें सौंपना नहीं चाहते और जो हम पानी दे रहे हैं उसका पैसा भी नहीं देना चाहते। जनता से जरूर बराबर वे वसूल कर रहे हैं। फिर भी चाहते हैं कि अजमेर की पानी की समस्या सुधरे तो यह मुश्किल है।

श्री किशन मोटवानी : इस दिवालिया दुकानदार से यह दुकानदारी आप छीन क्यों नहीं लेते। आपके हाथ लम्बे हैं। और फिर मैंने ही ये सारी सूचनाएं आपको दी थीं और निवेदन किया था कि आप इसे अपने हाथों में तुरन्त ले लीजिए। पर आप ही देरी कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कानून कायदे के अनुसार सरकार काम करती है। अब किस कानून और नियम के तहत हम इसको ले सकते हैं यह हम देख रहे हैं। इसमें थोड़ समय लगेगा। हम एग्जामिन कर रहे हैं सारे मैटर को। राजस्व मन्त्रीजी ने भी यही कहा था आपको।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने कहा कि वह तो दिवालिया हो गई है।

श्री चन्दनमल बैद : नियम और कानून के आधार पर चलने वाली सरकार हैं और इसी के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। इन नियमों के तहत हमें कुछ फार्म-लिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, इसके बगैर

(श्री चन्दमल-बैद)

एक दम हम इस वाटर वर्क्स को नहीं ले सकते। इसमें समय लगेगा। तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं-ले सकते हैं ये सारी समस्याएं हमारे सामने है। हम इनको एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : एक साल तो हो गया इस बात को।

श्री चन्दनमल बैद : तो मैंने निवेदन किया कि इसके बिना अजमेर की पानी की समस्या हल होना कठिन है। वैसे यह समस्या उतनी विकट नहीं है जितनी ब्यावर की है मैं तो यह भी कह सकता हूं। 20 लाख गैलन प्रति दिन हम दे रहे हैं, 15 लाख गैलन पानी वहां की जल प्रदाय योजना दे रही है अपने कुओं से तो कुल मिलाकर 35 लाख गैलन पानी प्रति दिन आज भी उनको मिल रहा है। रेल्वे को छोड़ कर। रेल्वे को हम तीन लाख अलग से दे रहे हैं। 35 लाख गैलन पानी उस हिसाब से मैं भले ही कम मान लूं कि जिस हिसाब से जयपुर को 1 करोड़ और 16 लाख गैलन प्रति दिन दिया जा रहा है। इस हिसाब से कम है यह मैं निश्चित रूप से मानता हूं। सुधार हम करना चाहते हैं इसमें शक नहीं। पर सारी स्कीम हमारे पास आवे तभी ठीक तरह से सुधार कर सकते हैं। 1 करोड़ दस लाख रुपया हमने अब तक दे भी दिया है। और भी पानी बढा दें उसका भी पैसा न दें और वह पैसा जनता से वसूल भी कर लें। जनता से अगर वसूल न करें तो हमारे मन में यह संतोष तो रहे कि जनता को पानी फ्री मिल रहा है। पर वे जनता से वसूल कर रहे हैं पर हमें नही दे रहे हैं। उस पैसे से वे मार्केट बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं यह तो नहीं बता सकता पर कम से कम यह निश्चित है कि वह पैसा जनता से वसूल कर रहे हैं और हमें नहो दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर जनता से पैसा वे न लें तो क्या आप माफ कर देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मन को केवल सन्तोष हो जावेगा। पर यह नहीं हो सकता कि जयपुर से वसूल करें और अजमेर को मुफ्त पिलावें।

श्री प्रतापसिंह : किशनगढ़ के लिए शार्ट टर्म मेजर्स लिए हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : नादौती के लिए ?

श्री चन्दनमल बैद : नादौती के लिए वाटर सोर्स अभी तक नहीं मिल रहा है। थोड़ा चन्दलाई में वाटर सोर्स के मिलने की सम्भावना है, वह मिलने के बाद अगले साल तक नादौती को पानी हम दे देंगे ऐसी आशा करनी चाहिए।

धौलपुर के लिए हमारी वाटर सप्लाई स्कीम अगले साल तक पूरी हो जावेगी। अभी नगरपालिका की चल रही है जैसी भी टूटी फूटी चल रही है वह चल रही है। हमने नगरपालिका को लिखा है कि वे इस टूटी फूटी स्कीम को भी हमें दे दें। इसको हम अपनी स्कीम में मिलाकर ठीक कर लेंगे और हमारी स्कीम जब पूरी हो

195

(श्री चन्दमल बैद)

जावेगी तो धौलपुर को अच्छी तरह पानी सप्लाई कर सकेंगे। मुझे आशा है कि अजमेर नगरपालिका की तरह धौलपुर नगरपालिका भी अच्छी साबित होगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लिख कर दे दिया है, इसको टेक-ओवर कर लीजिये।

श्री खेतसिंह : आप कृपया संक्षिप्त में....

श्री चन्दनमल बैद : अब मुझे बार बार यह कहा जा रहा है कि संक्षेप में कहूं, समाप्त करूं। दौसा के बारे में....

श्री मीठालाल लालसोठ दोनों के बारे में ही बता दीजिये।

श्री चन्दनलाल बैद : उपाध्यक्ष महोदय जितने कट मोशन्स आये है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं सारे कट मोशन्स को मैं ब्यौरेवार लिखवा कर भिजवा दूंगा....

एक माननीय सदस्य और जिन्होंने कट मोशन्स नहीं दिये है।

श्री चन्दनमल बैद : जिन्होंने नहीं दिये है, उन सारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि जल प्रदाय योजनाओं के बारे में जो माननीय सदस्य पत्र लिखते है उनको मैं बराबर पत्र लिखता हूं........

एक माननीय सदस्य : एक भी मंत्री महोदय जवाब नहीं देते।

श्री चन्दनमल बैद : तो इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ धन्यवाद आप दे रहे हैं वह धन्यवाद इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों और इंजीनियरों को है। जो कुछ कमियां है वह मेरी है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अगली साल इन कमियों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों में जो मुद्दे मैंने पेश किये है उसके अनुसार मांगे पारित कर दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगो पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14, 34,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 70,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के सम्बन्ध

Page No 196

(196)

(श्री उपाध्यक्ष)
में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 29, 75,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,48,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिन के 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-04 बजे मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 73 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

१९७

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 415 की सूची)

बाड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि:, बाड़ी के ऑडिट रिपोर्टों में पाये गये गबनों की सूची।

वर्ष	नाम गबन कर्ता	गबन की राशि
60-61	श्री बाबूलाल कैशियर	782.22
61-62	कोई गबन नहीं	—
62-63	श्री रामनाथ गुप्ता भूतपूर्व मैनेजर	1069.56
63-64	श्री भगवत प्रसाद, अध्यक्ष	900.00
	श्री उम्मेदसिंह कैशियर	140.60
64-65	श्री उम्मेदसिंह, भूतपूर्व मैनेजर	791.00
65-66	श्री उम्मेदसिंह	200.00
	श्री बाबूलाल कैशियर	156.00
	श्री केवलराम मुनीम	57-34
66-67	श्री उम्मेदसिंह	1340.00
	श्री बाबूलाल	1480.43
	श्री केवलराम	20.00
67-68	कोई गबन नहीं	—
68-69	श्री बाबूलाल	4153-54
	श्री बाबूलाल एवं नवलसिंह व्यवस्थापक	3709.60
	श्री केवलराम, बाबूलाल एवं नवलसिंह व्यवस्थापक	25379.70
	श्री बाबूलाल एवं श्री केवलराम	19031.00
	श्री केवलराम	33608.60
69-70	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, भूतपूर्व व्यवस्थापक एवं श्री प्रभुलाल	20.40
	श्री केवलराम	3929.60
	श्री नवलसिंह, भूतपूर्व व्यवस्थापक	5.00
	श्री केवलराम एवं श्री बाबूलाल	4800.00
	श्री केवलराम, बाबूलाल एवं नवलसिंह	1,00,00.00
70-71	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	7934.03
	योग	1,19,240.62

परिशिष्ट 2

(स्थगित प्रश्न संख्या 6 की सूची)

पंचायत समिति, छोटी सादड़ी

क्र.सं.	नाम पंचायत	कार्य	राशि जो दी गई		कार्य पूर्ण का विवरण
1	2	3	4		5
1.	कारूण्डा	एनिकट कारूण्डा	22-7-63	1887.50	कार्य पूर्ण हो गया।
			18-11-63	1487.50	30-9-71 को कार्य पूर्ण का प्रमाण-पत्र दिया।
2.	अम्बाली	,, जाखमिया	7-4-65	1875.00	कुल कार्य 7698.37
			14-6-66	1500.00	का पूर्ण हुआ।
3.	किरतपुरा	,, कटा महादेव	28-12-65	1275.00	साइड पर कार्य करवाया गया मगर हिसाब प्राप्त नहीं हुआ।
	शौचालय				
1.	समरथली	शौचालय	11-9-63	562.50	कार्य पूर्ण जून 66 में।
			6-2-64	449.50	,,
2.	अम्बावली	,,	17-3-64	425.00	31-12-72 को कार्य पूर्ण का प्रमाण-पत्र दिया।
3.	किरतपुरा	,,	18-3-64	300.00	कार्य पूर्ण हो गया।
4.	अम्बावली	,,	18-3-64	300.00	इस राशि का उपयोग किरतपुरा के लिये किया।
5.	सांटोला	,,	18-3-64	300.00	कार्य पूर्ण हो गया।
			30-3-66	240.00	,,
6.	पारसोली	,,	30-3-64	300.00	,,
7.	जालोदा जागीर	,,	17-9-65	465.00	,,
8.	करजू	,,	10-1-66	465.00	,,
9.	कारूण्डा	,,	11-9-63	300.00	,,

Page No 199

1	2	3		4	5
10.	गोमाना	शौचालय	18-3-64	900.00	श्रमदान के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हुआ।
11.	पीपलवंडी	,,	24-12-64	300.00	कार्य आरम्भ नहीं हुआ। 200रु. पंचायत समिति में फरवरी, 1972 में जमा हुए।
12.	बानसी	,,	10-3-62	—	इस पंचायत का शोचालय के निर्माण हेतु अनुदान व ऋण की राशि नहीं दी गई। 3400) रु. जो ऋण के रूप में 10-3-62 को खाद तैयार करने हेतु दिये गये उसमें से 1516.42 शौचालय के निर्माण पर खर्च किये शेष 1883.58 पंचायत की रोकड़ में है जो पंचायत समिति के ऋण पेटे जमा किये जावेंगे।

परिशिष्ट 3

(स्थगित प्रश्न संख्या 63 की सूची) 'सूची' 'अ'

तहसील झालरापाटन के विद्युतिकृत हरिजन मोहल्लों की सूची

वर्ष 1972-73

क्रमांक	बस्ती का नाम	पोल संख्या	विद्युतिकरण की तिथि
1.	हरिजन बस्ती, असनावर	5	12-8-72
2.	हरिजन बस्ती, अक्ताता	5	12-8-72
3.	हरिजन बस्ती, कनवाड़ा	4	14-8-72
4.	हरिजन बस्ती, दुर्गापुरा	3	10-8-72
	कुल	17	

सूची (ब)

झालरापाटन के विद्युतिकृत हरिजन मोहल्लों की सूची

वर्ष 1971-72

क्रमांक	वार्ड नम्बर	मोहल्ले का नाम	पोल संख्या	रिपोर्ट पूर्ण होने की तारीख
1.	1	पब्लिक पार्क के पास पिछड़ी जाति झालरापाटन	1	कार्य 31-3-72 को समाप्त कर दिया है।
2.	1	मोटर स्टैण्ड के पास, चमार मोह. पाटन	1	
3.	1	बलाई मोहल्ला बस स्टैण्ड के पास	2	कुल 23 पोल झालरापाटन हरिजन बस्ती में लगाये गये है।
4.	1	जाठव मोहल्ला बस स्टैण्ड के पास	2	
5.	1	मोटर स्टैण्ड के पास पिछडी जाति मो.	1	
6.	1	हरिजन बस्ती लक्ष्मण धर्मशाला के पास पाटन	1	
7.	1	जुलाहा मोहल्ला झालरापाटन	1	
8.	1	जुलाहा मोहल्ला निहारगंज पाटन	1	
9.	1	सूरजपोल चमार बस्ती मोहल्ला	1	
10.	1	कोली मोहल्ला झालरापाटन	1	
11.	1	सूरजपोल हरिजन बस्ती मोहल्ला पाटन	1	
12.	5	काछी बस्ती देवनारायण की गली पाटन	3	
13.	5	चमार बस्ती मोंहल्ला लंकागेट	2	
14.	5	पिछड़ी जाती मोहल्ला चन्दभागा नदी के पास पाटन	2	
15.	8	भील मोहल्ला भेरूजी के चबूतरे के पास	2	
16.	9	भिस्ती मोहल्ला बड़वाला कुआ के पास पाटन	1	
		कुल :	23	

सूची (ब)

झालावाड़ के विद्युतिकृत हरिजन मोहल्लों की सूची
वर्ष 1972-73

क्र. सं.	वार्ड नम्बर	नाम मोहल्ला	नम्बर पोल	रिपोर्ट पूर्ण होने की तारीख
1.	1	जालमसिंह जी की हवेली के पास झालावाड़	1	10 जनवरी 73, को
2.	2	डोलर वालों का मोहल्ला	5	प्रारम्भ किया व 15
3.	2	बोलान कारीगर मोहल्ला	2	फरवरी को कार्य समाप्त
4.	2	बसड़ो मोहल्ला झालावाड़	1	कर दिया कुल 53 पोल
5.	2	हरिजन मोहल्ला झालावाड़	1	झालावाड़ शहर जीवन
6.	2	काले बाबू के पास कहार मोहल्ला	1	बस्ती में लगाये गये हैं।
7.	2	कहार मोहल्ला झालावाड़	1	स्वीकृत राशि
8.	4	काजीवाड़ा हरिजन मोहल्ला	2	22411 के अन्तर्गत
9.	4	धूरपाड़ा कारीगर जाट, हरीजन इत्यादि मोहल्ला झालावाड़	11	
10.	4	रामद्वारे की गली के पास	1	
11.	6	भिश्ती मोहल्ला झालावाड़	1	
12.	6	कुम्हार मोहल्ला झालावाड़	2	
13.	7	भील मोहल्ला गांव धरे	8	
14.	7	भील मोहल्ला गोदाम की तलाई के पीछे	5	
15.	8	चाकर मोहल्ला झालावाड़ कायस्त मोहल्ला के पास झालावाड़	2	
16.	9	नया मोहल्ला, भोई मोहल्ला	2	
17.	9	भोई मोहल्ला झालावाड़	2	
18.	10	खटीक मोहल्ला तबेला के पास	2	
19.	10	भिश्ती मोहल्ला उमरदराज के पास	2	
20.	10	खटीक मोहल्ला झालावाड़	1	
		कुल योग	53	

Page No 202

(२०२)

परिशिष्ट 4

(स्थगित प्रश्न संख्या 243 की सूची)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	कार्य पर खर्च की गई राशि
1.	बस्सी	1,25,298.97
2.	सांगानेर	1,37,732.35
3.	चाक्सू	1,09,029.70
4.	दूदू	2,29,926.68
5.	सिकराय	47,209.55
6.	गोविन्दगढ़	1,56,509.33
7.	फागी	1,36,069.78
8.	सांभर	1,16,821.69
9.	शाहपुरा	41,775.99
10.	दौसा	57,386.90
11.	कोटपुतली	1,08,649.86
12.	आमेर	89,068.74
13.	बांदीकुई	40,630.15
14.	लालसोट	37,336.15
15.	जमवारामगढ़	76,567.17
16.	झोटवाड़ा	44,137.66
17.	बैराठ	33,633.75

————

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की भूमि का भूमिहीनों में वितरण

431. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग में परिवर्तित करने के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी गठित की गई है?

(2) यदि हां, तो अब तक कितने प्रार्थना पत्र आए और कमेटी की मिटिंग कितनी बार बुलाई गई और कितनी भूमि वन विभाग से निकाल कर कितने भूमिहीनों को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कमेटी का गठन राज्यादेश दिनांक 23 मई, 1971 द्वारा किया गया था।

(2) उक्त कमेटी की मीटिंग 3 बार बुलाई गई। 2,792.77 एकड़ भूमि वन विभाग से निकाल कर राजस्व विभाग को स्थानान्तरित की गई एवं 458.54 एकड़ भूमि 186 व्यक्तियों को आवंटन की गई। इसके अतिरिक्त 9540 एकड़ भूमि कडाना बांध के विस्थापितों को आवंटन हेतु रिजर्व की गई।

बांसवाड़ा जिले के मार्गों पर चलने वाली बसें

432. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में किस किस मार्ग पर कितनी कितनी बसें चल रही हैं तथा उनका परमिट किस किस के नाम है? सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इन बस मालिकों द्वारा सरकार को देय टैक्स आदि नियमित रूप से जमा नहीं कराए जाते हैं? यदि हां, तो वसूली के लिए कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक बस पर कितना कितना रोड़ टैक्स, आर. पी. जी. टी. टैक्स एसेस किया और उसकी कितनी कितनी वसूली कब हुई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि इन मार्गों पर दिये जाने वाले परमिटों में व्यक्ति-विशेष को संरक्षण दिया जा रहा है और नये उत्साही चालकों की उपेक्षा की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो विगत 5 वर्षों में किस किस मार्ग पर किस किसने आवेदन-पत्र दिये और किस किसको परमिट मिले? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले में श्री मणीलाल स्वर्णकार के परि-

(श्री नाथूराम)
वार के सदस्यों के नाम सर्वाधिक बसें हैं और इन बसों में से रूट पर चलाने के बजाय कुछ बसें लम्बी यात्राओं में चलाई गई हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो विगत दो वर्षों में यात्राओं के लिये इन्हें कितनी कितनी बसों के परमिट कब कब दिये गये और कितनी कितनी अवधि के?

(5) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा, बांसवाड़ा-गलियाकोट एवं कुशलगढ़-बांसवाड़ा आदि रूट पर चलने वाली श्री मणीलाल स्वर्णकार एवं इसके परिवार के सदस्यों की बसों के कर्मचारियों का आम यात्रियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं होने की आम शिकायतें पेश हुई हैं, चालान भी हुए हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई तथा उसके परिणाम क्या रहे?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम मांगलियावास के अग्नि पीड़ित को दी जाने वाली सहायता

433. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर)। क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने दिनांक 3 मई, 1972 को विधान सभा में पूछे गये प्रश्न क्रमांक 244 के उत्तर में यह बताया था कि ग्राम मांगलियावास में दिनांक 4-3-72 को भंयकर अग्निकाण्ड के कारण किसानों को हुए नुकसान के कारण सहायता के रूप में 10,000 रुपये अतिरिक्त आवंटित किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त 10,000 रुपये की रकम अग्नि पीड़ितों को अब तक नहीं मिल सकी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उपरोक्त रकम अग्नि पीड़ितों को कब तक प्राप्त हो जायगी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में हुए किसान सम्मेलन में मुख्य मन्त्री महोदय ने उक्त राशि शीघ्र आवन्टित करने का आश्वासन भी दिया था?

उत्तर

(1) राजस्व मन्त्री महोदय ने दिनांक 3 मई, 1972 को विधान सभा में ग्राम मांगलियावास के अग्नि पीड़ितों को दी गई सहायता का ब्यौरा देने के बाद यह बताया था कि इसके अतिरिक्त अग्नि पीड़ितों को नियमानुसार राहत देने हेतु 10,000/- आवंटित किये गये हैं।

(2) 10,000/- की कथित राशि जिला अजमेर को जनरल रूप से आवंटित की गई थी जिसमें से अन्य ग्रामों में हुये अग्नि कांडों से पीड़ितों को भी सहायता देना जरूरी था।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

कोटपूतली में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

434. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खोलने के बारे में क्या नियम बना रखे हैं?

(श्री सुरेश चन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि वर्क आर्डर के आधार पर अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोला जाता है ? यदि हां, तो जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 पर कोटपूतली खण्ड के वर्क आर्डर को देखते हुए उपरोक्त कार्यालय खोला जाना चाहिये ?

उत्तर

(1) कार्यभार एवं स्थिति के आधार पर डिविजन कार्यालय का सृजन किया जाता है। जिसके नोर्म तय किए हुए हैं।

(2) जी, हां। कोटपूतली में अलग से खण्ड आवश्यक नहीं है।

राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत जैसलमेर तक कच्ची नहर बनाने की योजना

435. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अब तक राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर कितने जल की क्षमता की बन चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि पेयजल के उपयोग एवं निर्माण के लिये जैसलमेर तक के इलाके के लिये कोई कच्ची नहर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को कब चालू कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो योजना को चालू करने में क्या अड़चन है ?

(3) क्या सरकार अपने भाग के जल का उपयोग नहीं करना चाहती ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत अब तक बन चुकी नहरों की क्षमता करीब 5,500 क्यूसेक की है।

(2) केवल राजस्थान नहर के कार्य के लिए राजस्थान नहर के साथ 124 मील के नीचे एक कच्ची नहर के निर्माण की योजना है जिस पर कार्य शुरु किया जा चुका है।

(3) ऐसी कोई धारणा नहीं है सरकार तो अपने भाग के जल का पूरा उपयोग करना चाहती है और चाहती रहेगी।

सवाई माधोपुर केन्द्रीय बैंक

436. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर केन्द्रीय बैंक की आर्थिक स्थिति कैसी है ?

(2) इस समय उनकी लायबिलटी और एसेट्स की क्या स्थिति है ?

(3) क्या सरकार इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रशासक नियुक्त करने की सोचती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थिति सामान्य है।

(2) दिनांक 31-12-72 की ऐसेट्स एन्ड लायबिलिटीज की स्थिति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। प्रशासक नियुक्ति के समुचित कारण नहीं हैं।

सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की 31-12-72 को वित्तीय स्थिति की सूची

हिस्सा पूंजी	19.84	रोकड़ हाथ में एवं अन्य बैंकों में	8.17
कोष	3.23	विनियोग	8.55
अमानत	20.02	ऋण	68.96
शीर्ष बैंक से प्राप्त ऋण	39.80	वसूल होने योग्य ब्याज	5.68
अन्य देनदारियां	6.33	अन्य लेनदारियां	1.66
लाभ:			
गत वर्षों से सम्बन्धित	3.79		
इस वर्ष 31-12-72 तक	0.01		
	93.02		93.02

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कताई का कार्य

437. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कताई का कार्य किन किन तहसीलों में, कब से प्रारम्भ कर रहा है ? इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के क्या आधार हैं ?

(2) क्या कताई कार्यक्रम में सूत व ऊन दोनों प्रकार का काम लिया जाता है ? इस पर प्रति व्यक्ति क्या मजदूरी मिलती है ?

(3) चर्खे की कीमत क्या दी जाती है और किस प्रकार वसूल की जाती है।

(4) इस कार्यक्रम से राजस्थान में कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नया कोई कताई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

(2) जी हां। सूती खादी के अन्तर्गत निर्धारित लागत पत्रक के अनुसार कतवारी को संलग्न विवरण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। ऊनी खादी में कतवारी को विभिन्न अंकों के सूत पर प्रचलित दर से पारिश्रमिक दिया जाता है।

(3) सूती खादी के अन्तर्गत न्यू माडल चर्खा कतवारी को हायर परचेज प्रणाली पर दिया जाता है जिसकी किस्म व दर का विवरण संलग्न है।

ऊनी खादी का परम्परागत चर्खा लगभग 22) रु. का होता है। कतवारी से चर्खे के कीमत को वसूली, कताई पारिश्रमिक में से आंशिक राशि जमा करते हुए पूर्ण की जाती है।

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष 56 हजार कतवारी (महिला) को आंशिक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

राजस्थान में सूती खादी उत्पादन के लागत पत्रक के अनुसार निर्धारित कताई मजदूरी तालिका

अम्बर चर्खा (न्यू माडल)

	पारिश्रमिक	8 घन्टा काम करने पर औसत	
	प्रति गुन्डी	गुन्डी संख्या	पारिश्रमिक
2 तकुवा	25 पैसा	5	1.25 रु.
6 तकुवा	17 पैसा	15	2.55 रु.

परम्परागत चर्खा

अंक	रूई की किस्म (दर प्रति किलो)		
	देशी	वर्धा	सूती
8	1.60	—	—
16	—	5.30	—
24	—	8.65	8.90
37		—	14.05

उपरोक्त प्रकार से विभिन्न प्रकार की किस्मों की रूई, अंक की कताई पर निर्धारित दर से कताई चुकाई जाती है।

ऊन कताई

अंक	दर
8 अंक तक	40 पैसे प्रति अंक
9 से 14 अंक तक	45 पैसा प्रति अंक
16 अंक से	50 पैसा प्रति अंक

उपरोक्त दर सामान्यत: कतवारियों को दी जाती है। खादी कताई कतवारियों को अपने घरों में सुविधानुसार फुरसत के समय कार्य दिया जाता है और जितना वे प्रतिदिन कातती है उसी के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होता है।

चर्खों कि निर्धारित कीमत

2 तकुवा न्यू माडल चर्खा	140) रु.
6 तकुवा न्यू माडल चर्खा	460) रु.
परम्परागत चर्खा	14) रु. से 20) रु. तक स्थानीय लागत के आधार पर।
ऊनी परम्परागत चर्खा	18) रु. से 25) रु. तक स्थानीय लागत के आधार पर।

खादी के अन्तर्गत 71-72 में दिये गये रोजगार का विवरण:—

विवरण	दिया गया रोजगार		
	पूर्ण	आंशिक	कुल योग
सूती खादी	10,225	56,265	66,490

टोडाभीम एवं नादोती तहसीलों में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

438. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले की टोडाभीम एवं नादोती तहसीलों के अन्दर क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत क्या क्या कार्य चल रहे हैं यदि कोई कार्य नहीं चल रहा है तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले की क्रेश प्रोग्राम समिति ने जिन कार्यों को मन्जूर किया है उन्हें जिला प्रशासन ने मनमाने ढंग से बदल दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) तहसील नादोती में क्रेश योजना के अन्तर्गत शहर से सोप तक सड़क बनाने का एक कार्य चल रहा है। तहसील टोडाभीम में क्रेश योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं चल रहा है।

(2) जी नहीं। वे ही कार्य क्रेश योजना में लिये गये हैं जो क्रेश प्रोग्राम समिति ने स्वीकार किये हैं।

बूंदी रोड़ जिला बूंदी में पट्टे के आधार पर ली गई भूमि

439. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी रोड़ जिला बून्दी में स. करतार सिंह ने तारीख 14-3-68 को पट्टे के आधार पर भूमि ली थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि का राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने सरदार करतार सिंह के हक में फैसला किया था और राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी का फैसला भी सरदार करतार सिंह के हक में हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पर पुलिस की मदद से श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवीसिंह डी. वाई. एस. पी. ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सरदार करतार सिंह को वापस उनकी भूमि का कब्जा दिलवाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, यह सही नहीं है।

(2) पट्टे के आधार पर भूमि नहीं दी गई, अतः यह सही नहीं है।

(3) जी, यह सही नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील छबड़ा की ग्राम पंचायत जैपला में परिवार नियोजन शिविर

440. श्री जगमोहन सिंह (छाबड़ा) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1972 एवं जनवरी, 1973 में तहसील

(श्री जगमोहन सिंह)

छबड़ा जिला कोटा की जैपला ग्राम पंचायत में परिवार नियोजन का शिविर लगाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिविर में श्री हजरतसिंह अहीर, निवासी ग्राम भोजपुर की नस बन्दी की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री हजरतसिंह की नस बन्दी किये जाने के कुछ ही घन्टों बाद मृत्यु हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री राम नारायण सक्सेना जो कोटा जिले में परिवार नियोजन के इन्चार्ज हैं उस दिन ग्राम जैपला में मौजूद थे और सारी घटना उनकी जानकारी में थी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मृतक की समय पर सूचना मिलने के बाद भी दवाएं नहीं पहुंचाई गई और न मृत्यु के बाद उसकी लाश का पोस्ट मार्टम ही कराया गया ?

(6) क्या यह सही है कि मृतक श्री हजरतसिंह की आयु 60 वर्ष की थी और पिछले 15 वर्ष से विडोअर था लेकिन गलत सूचना दर्ज करवाकर उसका ऑपरेशन कराया गया ? यदि हां, तो उसका मोटिवेटर कौन था ?

(7) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है ? अगर हां, तो जांच में किस किस को दोषी पाया गया है और अगर जांच नही कराई गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ऑपरेशन के सात घन्टे बाद मृत्यु हुई।

(4) जी नहीं। डॉ. आर. सी. सक्सेना डी. एफ. पी. ओ., परिवार नियोजन के अधिकारी है न कि श्री रामनारायण सक्सेना। श्री रामनारायण सक्सेना ए. डी. एम, छाबड़ा में है।

(5) श्री हजरतसिंह की घर पर पहुंचते ही तत्काल मृत्यु हो चुकी थी अतः दवाईयें भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी हां। पोस्ट मार्टम नही किया गया।

(6) जी हां उसके गलत बयान देकर ऑपरेशन करवाया। उसका मोटीवेटर श्री दीवानसिंह, सरपंच ग्राम भोजपुरा था।

(7) जी हां। मृत्यु के लिये किसी को दोषी नहीं पाया गया।

ग्राम हरिपुरा, तहसील झुंझुनूं का विद्युतिकरण

441. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनूं जिले के ग्राम हरिपुरा तहसील झुन्झुनूं को बिजली देने का निर्णय राज्य विद्युत बोर्ड ने कौन में वर्ष में लिया था ? और क्या इस गांव का विद्युतिकरण पूरा हो चुका है ?

(2) जिला उत्पादन समिति ने कितनी दफा राज्य बिजली बोर्ड को उक्त गांव

(श्री रामनारायण चौधरी)
को बिजली देने के लिये लिखा और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) हरिपुरा ग्राम तहसील झुन्झुनूं के विद्युतिकरण की स्वीकृति वर्ष 1970-71 में दी गई थी। जी नहीं, इसका विद्युतिकरण अब तक नहीं हो सका है।

(2) जिला कृषि उत्पादन समिति ने इसके विद्युतिकरण हेतु दो बार लिखा था। मूल स्कीम में कुछ तकनीकी खामियों के कारण जब संशोधित स्कीम बनाई गई तो 11 के. वी. लाइन की लम्बाई बढ़ने के कारण स्कीम अलाभप्रद साबित हुई जिसके कारण कार्य चालू नहीं किया जा सका।

ओवरसियरों की सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति

442. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के सिंचाई विभाग में जनवरी, 1960 से जनवरी, 1973 तक कुल कितने ओवरसियरों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिंचाई विभाग में कुल कितने ओवरसियर कार्य कर रहे हैं ? सूची डेट ऑफ ज्वाईनिंग दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष के अन्त तक कितने ओवरसियरों को पदोन्नत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) 118 सूची संलग्न है।

(2) सिंचाई विभाग में लगभग 1700 ओवरसियर कार्य कर रहे हैं। चयनित ओवरसियरों की सूची संलग्न है।

(3) इस विषय में कुछ कहना, अभी सम्भव नहीं है क्योंकि यह सहायक अभियन्ता के पदों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

तहसील बैराठ के ग्राम राड़ावास में मैडिकल डिस्पेन्सरी

443. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार तहसील बैराठ के ग्राम राड़ावास में मैडिकल डिस्पेन्सरी खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम राड़ावास की जनता के प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास सन् 1956 से विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां तो उन पर किस किस वर्ष में क्या क्या कार्यवाही की गई तथा डिस्पेन्सरी खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी हां। उक्त ग्राम नवीन डिस्पेन्सरी खोलने के मापदण्ड में नहीं आता है। वर्तमान में योजना के सीमित आर्थिक साधनों के अन्तर्गत केवल उन स्थानों पर नवीन डिस्पेन्सरी खोलने का लक्ष्य रखा गया था जिनकी आबादी 5000 से ऊपर हो तथा जहां 5-10 मील के क्षेत्र में कोई अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र का राजस्थान नहर परियोजना द्वारा सिचन

444. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा नहर परियोजना का कितना क्षेत्र मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना द्वारा सिंचित किया जावेगा ?

(2) मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद भाखरा क्षेत्र के किस किस (चक और गांववार) कितने कितने क्षेत्र को राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित करने की योजना बनाई गई है ? इस सम्बन्ध में कौन कौन सी नहर, शाखा नहर एवं उपशाखा नहर माईनर और सबमाईनर कहां से कहां तक बनाने की योजना बनाई गई है ? क्या तहसील सूरतगढ़ की मोहिंद्रावाली ढाणी, सरदारपुरा बीका और ढाबा की लाखों बीघा असिंचित भूमि को सिंचित करने की कोई योजना बन गई थी या बनाई गई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

(3) भाखरा नहर परियोजना का कितना कितना और कौन से क्षेत्र आज तक राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित होता रहा है, तथा यह सिंचन कब कब प्रारम्भ किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि अब इस सिंचित क्षेत्र (भाखरा का) को पानी दिया जाना बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो सारे क्षेत्र का पानी बंद कर दिया गया है या कुछ क्षेत्र का बंद किया गया है और कुछ का नहीं ? यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ? क्या भाखरा क्षेत्र का सिंचन राजस्थान नहर से बन्द किया जाना मोतीराम कमेटी की सिफारिश के विपरीत नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकार से पानी बन्द किये जाने से हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है ? यदि हां, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई है ? इस हानि की जुम्मेवार कौन है और क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में वसूली स्थगित कर इस हानि का मुआवजा देगी ?

उत्तर

(1) मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भाखरा नहर परियोजना का करीब 60,000 एकड़ क्षेत्र राजस्थान नहर द्वारा सिंचित किया जावेगा।

Page No 212

(212)

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)

(2) मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भाखरा नहर परियोजना के प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र की चकवार सूची संलग्न है। मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्वीकार की है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को पोंग बांध के पूरा बन जाने व राजस्थान नहर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर ही लागू किया जाना है। तहसील सूरतगढ़ की भादुआं वाली ढाणी, सरदापुरा बीका और ढाबा की असिंचित भूमि को सिंचित करने की अभी कोई योजना नहीं है।

(3) सूची संलग्न है यह क्षेत्र पिछले चार वर्षों से सिंचित हैं।

(4) केवल कुछ क्षेत्र का पानी बंद किया गया है। जिस क्षेत्र को राज्य सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को हस्तांतरित करने को पानी की कमी के कारण स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे पानी का बन्द किये जाना मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के किसी प्रकार भी विपरित हीं है। मोतीराम कमेटी के अनुसार इन क्षेत्रों को राजस्थान नहर के बारह मासी होने पर ही ऐसा पानी मिलना था जिसमें एक वर्ष अभी बाकी है।

(5) जी नहीं। फसल की बुआई से पहले ही कास्तकारों को पानी बन्द करने के सम्बन्ध में विधिवत् नोटिस दे दिया गया था। अतः कोई हानि होने, हानि के लिये जुम्मेवार होने तथा वसूली स्थगित करने और मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बेरोजगार डॉक्टरों को रोजगार देने की व्यवस्था

445. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के सारे मैडिकल कॉलेजों में कितनी सीट्स है?

(2) आज कितने डॉक्टर बेरोजगार है तथा सरकार उन्हें रोजगार देने की क्या व्यवस्था बना रही है और कब तक उन्हें रोजगार दिया जा सकेगा?

(3) क्या यह सही है कि बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी? यदि हां, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार के पास क्या कोई योजना है?

उत्तर

(1) 512 हैं।

(2) 632 बेरोजगार डॉक्टर्स हैं। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार डॉक्टरों के लिए निजी क्लिनिक खोलने हेतु 7500 रुपये ऋण बिना ब्याज के प्रति डॉक्टर को देना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में निजी क्लिनिक खोलने वाले डॉक्टरों को 250 रुपये प्रति माह 2 वर्ष की अवधि तक एवं 2000 से कम की आबादी वाले ग्राम में इन्हीं डॉक्टरों को तीसरे वर्ष भी 200 रु. प्रति माह देने का प्रावधान है।

(3) जी हाँ। वर्तमान में प्रश्न के भाग 2 की योजना के अलावा पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अधिकाधिक डॉक्टर को रोजगार दिलाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

राज्य की काश्त योग भूमि

446. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल,जयपुर) **श्री मोहनलाल छंगाणी :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में काश्त योग्य कितनी भूमि है ? किन-किन श्रेणी के कुल कितने काश्तकार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त काश्त योग्य भूमि में कितनी भूमि अभी तक सरकार के पास है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सरकार विभिन्न किस्म की कितनी कितनी भूमि सीमा तक जोत की भूमि को अनार्थिक मानती है तथा राजस्थान में कुल कितनी अनार्थिक जोतें है ?

(4) नहरी क्षेत्र में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं ? गंगानगर एवं कोटा की नहरी एवं बारानी भूमि को सरकार कितनी सीमा तक जोत को अनार्थिक जोत मानती हैं।

(5) राजस्थान में कुल कितने भूमिहीन काश्तकार हैं ? उक्त भूमिहीन काश्तकारों कि संख्या किस प्रकार व किस पद्धति के आधार पर एकत्रित की जाती है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संख्या विभिन्न तहसील एवं जिला मुख्यालय पर प्राप्त भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्रों के आधार पर है ?

(7) क्या राज्य सरकार ने भूमिहीन काश्तकारों की संख्या जानने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले के आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल

447. श्री अब्दुल हादा (चौहटन) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) बाड़मेर जिले में कितने आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल हैं ? हर औषधालय का सालाना कितना बजट है ?

(2) क्या यह सही है कि बुरहान का तला में एक यूनानी दवाखाना है जिसको दो साल से दवाइयां नहीं दी गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में आयुर्वेद औषधालय 48 हैं। जिसमें 'अ' श्रेणी एक, ब श्रेणी चार तथा स श्रेणी 43 हैं। यूनानी औषधालय एक स श्रेणी है। अ श्रेणी औषधालय का वार्षिक औषध बजट 6,000 रु. ब श्रेणी 3,000 रु. तथा स श्रेणी 1,500 रु. प्रत्येक है।

(2) जी हां। जी नहीं।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं. 191 की सूची)

कुष्ठ रोग निवारण किये गये सन् 1970 का विवरण जिलेवार

जिला	बाह्य रोगी पुरुष	महिला	भरती किये गये पुरुष	महिला	मृत्यु हुई पुरुष	महिला
1. अजमेर	27	4	3	3	–	–
2. अलवर	37	11	2	1	–	–
3. बांसवाड़ा	1	1	–	–	–	–
4. बाड़मेर	2	–	–	–	–	–
5. भरतपुर	24	12	3	–	–	–
6. भीलवाड़ा	1	2	–	–	–	–
7. बीकानेर	35	7	9	1	–	–
8. चित्तौड़गढ़	13	5	–	1	–	–
9. चूरू	13	2	1	–	–	–
10. डूंगरपुर	2	1	–	1	–	–
11. गंगानगर	4	–	–	–	–	–
12. जयपुर	657	248	4	1	–	–
13. जैसलमेर	—	—	–	–	–	–
14. जालौर	3	1	–	–	–	–
15. झालावाड़	16	5	1	1	–	–
16. झुन्झुनूं	21	6	1	1	–	–
17. जोधपुर	9	4	9	4	1	1
18. कोटा	39	15	6	2	2	–
19. नागौर	32	11	–	–	–	–
20. पाली	5	1	–	–	–	–
21. सवाई माधोपुर	42	3	3	–	–	–
22. सीकर	1	–	–	–	–	–
23. सिरोही	—	—	–	–	–	–
24. टोंक	6	2	–	–	–	–
25. बूंदी	2	1	–	–	–	–
26. उदयपुर	5	—	–	–	–	–
योग	997	342	42	16	3	1

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न सं. 195 की सूची)

(ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा तारीख 1-1-72 से 31-12-72 तक दिये गये आबादी भूमि विक्रय का विवरण)।

क्र. सं.	खरीददार का नाम	भूमि का क्षेत्रफल	राशि
1	2	3	4
1.	श्री मगनलाल पुत्र चमना जी माली, कालन्द्री	2800 वर्ग फीट	200-00
2.	श्री रणछोड़ वल्द मीठालाल रावल, कालन्द्री	2800 ,,	200-00
3.	श्री देवशंकर पुत्र मीठालाल रावल, कालन्द्री	2800 ,,	200-00
4.	श्री शांतिलाल पुत्र बाबूलाल रावल, कालन्द्री	2100 ,,	180-00
5.	श्री रामेश्वर पुत्र बाबूलाल जी रावल, कालन्द्री	2100 ,,	180-00
6.	श्री किशोरीलाल पुत्र बाबूलाल जी रावल, कालन्द्री	2100 ,,	180-00
7.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र थानसिंह राजपूत, कालन्द्री	2250 ,,	51-00
8.	श्री नारायणलाल पुत्र बाबूलाल जी रावल, कालन्द्री	2100 ,,	180-00
9.	श्री प्रतापचन्द्र पुत्र जैसा जी रावल, कालन्द्री	2250 ,,	195-00
10.	श्री परिवार एवं बाल कल्याण समाज शिक्षा केन्द्र विकास योजना, सिरोही	2100 ,,	5-25
11.	श्री वरदी चन्द पुत्र चमना जी माली, कालन्द्री	3750 ,,	187-50
12.	श्री नवलसिंह पुत्र रामजी माली, कालन्द्री	3000 ,,	150-00
13.	श्री ताराचन्द पुत्र धरमा जी जैन, कालन्द्री	7200 ,,	1551-00

———

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 196 की सूची)

Statement showing the electrified villages in Nawa Tehsil and the position existing and pending connections in each locality.

S.No.	Name of the locality	Date of electrification.	Existing connections		Pending Applications		Remarks for Agriculture connections
			Agriculture	Others	Agriculture	Others	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Abas	28-1-66	5	—	—	—	
2.	Bhagwanpura	31-1-66	19	9	—	—	
3.	Bheejapura	31-1-66	—	—	—	—	
4.	Kuchaman	8-1-47	131	1258	8	56	3 cases under estimate. 5 demand notices issued
5.	Mithri	31-12-64	60	76	1	1	Under estimate
6.	Maharajpura	27-2-66	2	—	—	—	
7.	Maroth	27-2-66	13	109	—	—	
8.	Narainpura	31-12-64	14	16	—	1	
9.	Nawa	25-7-63	36	449	4	10	Under estimate
10.	Solayan	15-3-66	1	2	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Shyamgarh	14-3-66	27	22	—	—	
12.	Palra	31-12-66	24	19	—	—	
13.	Sawatgarh urf Fagla	19-1-67	2	—	—	—	
14.	Panchota	19-2-67	22	13	6	—	Under sanction XEN L/D
15.	Aspur	17-2-67	26	—	3	—	One case under estimate, 2 cases pending for want of 'L' form.
16.	Panchwa	23-3-67	49	64	20	1	4 cases under estimate other under sanction of XEN L/D.
17.	Ugarpura	31-3-70	19	1	3	1	'L' form not received
18.	Jeenwar	31-3-70	5	1	—	—	
19.	Bhanawta with Kerpura	30-9-71	13	—	3	17	Under estimate
20.	Heerani	30-9-71	9	—	21	—	Under sanction of XEN L/D
21.	Rajas	30-9-71	8	—	1	—	Under estimate

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Ghatwa	15-10-71	—	40	18	5	Under sanction of XEN L/D
23.	Manglodi	15-11-71	6	1	9	—	2 cases under estimate, 7 not recd. 'L' form
24.	Ajeetpura	31-3-67	1	—	—	—	
25.	Charanwas	31-12-72	—	—	1	—	Demand notice issued
26.	Loonwa	22-1-73	—	—	—	—	
27.	Khariya	31-3-71	25	5	19	—	For release connections 500 KVA 33/11 KVA Tran former is required at Kuchamancity,

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची)

सूची—अ

बूंदी जिले में बनी डामर रोड्स की सूची

1.	देवली-बूंदी-कोटा रोड	40 मील
2.	बूंदी-चित्तौड़ रोड	19 मील
3.	तालेड़ा-पाटन रोड	15 मील
4.	अन्य शहर बूंदी की सड़कें	10 मील
4.	बूंदी-नैनवा रोड	42 मील
6.	खटगढ़ से लाखेरी	25 मील
7.	लाखेरी से इन्द्रगढ़	7 मील
8.	लाखेरी से लवान	9 मील
9.	जैतपुर से तलवास	4 मील
		171 मील

सूची—ब

तालेड़ा से बूंदी रोड एवं लाखेरी-लवान-बूंदी रोड के आवंटित कार्य की सूची

क्रम संख्या	मील संख्या	संवेदक का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
		तालेड़ा से बूंदी रोड	
1.	19	श्री छज्जूराम	कार्य अन्दर मियाद पूरा हो चुका।
2.	20	श्री सुखलाल	कार्य अन्दर मियाद पूरा हो चुका।
3.	23	श्री सरदारीलाल	संवेदक ने कार्य आरम्भ नहीं किया इसलिए विभाग ने 2 प्रतिशत जुर्माना किया जाकर कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।
4.	24	श्री सरदारीलाल	संवेदक ने कार्य अधूरा छोड़ दिया, इसलिए संविन्द्र की धारा 2 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत जुर्माना किया जाकर कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है।
5.	25	श्री राम कल्याण	कार्य अन्दर मियाद पूरा हो चुका।
6.	26	श्री रोशन अली	कार्य अन्दर मियाद पूरा हो चुका।

Page No 220

(२२०)

लाखेरी-लबान-बूंदी रोड

1	2	3	4
(क) लबान-बूंदी रोड:—			
1.	1 से 4 तक	श्री मूल लाल	कार्य पूरा हो चुका। संवेदक द्वारा अन्दर मियाद कार्य न किये जाने पर मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा संविन्द्र की धारा 2 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत जुर्माना किया गया।
2.	4 से 7	श्री मदन मोहन गोयल	संवेदक द्वारा 29472/- का कार्य किया जा चुका है किन्तु बजट प्रावधान के अभाव में कार्य बन्द है।
3.	7 से 9/6	श्री सुखलाल	संवेदक द्वारा 45355/-का कार्य किया जा चुका है, किन्तु बजट प्रावधान के अभाव में कार्य बन्द है।
4.	10/6 से 13/3	श्री मदन मोहन गोयल	संवेदक द्वारा 1,42,356/- का कार्य किया जा चुका है। तथा लगभग कार्य पूरा हो चुका है।
5.	14 से 24	श्री केवल प्रकाश	संवेदक द्वारा 53,199/-का कार्य किया जा चुका है तथा बजट प्रावधान के अभाव में कार्य बन्द पड़ा था। अब मुख्य अभियन्ता, जयपुर से इस कार्य को संविन्द्र की धारा 32 के अनुसार विड्रा करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। जिसकी पालना की जा रही है

1	2	3	4
6.	25/4 से 28	श्री मदन मोहन गोयल	कार्य पूरा हो चुका है। संवेदक द्वारा कार्य अन्दर मियाद पूरा न किये जाने के कारण ऐसी प्राकृतिक बाधाएं थीं जो संवेदक की क्षमता से परे थी। अतः मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा संवेदक के इस कार्य के लिए कोई क्षति पूर्ति नहीं लगाई गई।
(ख) लालेरी-लवान:—			
7.	1 से 3	सरदारी लाल	कार्य लगभग 5 वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है।
8.	4 से 7	श्री अजीत सिंह	कार्य लगभग 3 वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है।

———

(२.१२)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं. 200 की सूची)

क्रम सं.	नाम पटवारी	नियुक्ति तिथि	जाति	विशेष विवरण
		वर्ष 1971-72		
1.	श्री बनवारी लाल नागर	3 9-71	धाकड़	
2.	,, गोपल लाल मेघवंशी	1-11-71	बलाई	अनु. जाति
3.	,, सिराजुरहमान	,,	मुसलमान	
4.	,, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव	,,	कायस्थ	
5.	,, राधेश्याम शर्मा	,,	ब्राह्मण	
6.	,, कैलाशचन्द्र वर्मा	,,	मीणा	अनु. जन जाति
7.	,, उमरावसिंह	4-1-72	राजपूत	
8.	,, धूलीलाल वर्मा	,,	तेली	
9.	,, रामप्रताप राठौर	,,	तेली	
10.	,, बृजमोहन शर्मा	,,	ब्राह्मण	
11.	,, मोहनलाल	,,	मीणा	अनु. जन जाति
12.	,, अब्दुल कय्यूम	,,	मुसलमान	
13.	,, रामकृष्ण मेहरा	,,	मेहर	अनु. जाति
14.	,, रामकरण शर्मा	,,	ब्राह्मण	
15.	,, सत्य नारायण व्यास	,,	ब्राह्मण	
		वर्ष 1972-73		
1.	श्री रामरतन शर्मा	18-8-72	ब्राह्मण	
2.	,, त्रिलोक चन्द्र	,,	जैन	
3.	,, दयालसिंह	,,	राजपूत	
4.	,, रमेशचन्द्र	,,	छींपा	
5.	,, जगन्नाथ	,,	मेहरा	अनु. जाति
6.	,, कालू लाल	,,	मीणा	अनु. जन जाति
7.	,, छोटेलाल चतुर्वेदी	7-2-73	ब्राह्मण	
8.	,, रामबाबू	,,	कायस्थ	
9.	,, सतीश कुमार	,,	ब्राह्मण	
10.	,, श्यामसिंह	,,	राजपूत	
11.	,, घनश्याम	,,	मीणा	अनु. जन जाति
12.	,, मोहनलाल	,,	मीणा	अनु. जन जाति

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं. 202 की सूची)

सूची 'अ'

प्रश्न संख्या 1 की सूची—'क'

जयपुर सिचाई खण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, सिंचाई, दौसा के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित तहसील हैः—

नाम तहसील	नाम ग्राम
1. दौसा	समस्त ग्राम
2. बसवा	"
3. सिकराय	"
4. लालसोट	कुछ भाग
5. रामगढ़	"
6. बस्सी	"

सूची 'ब'

दौसा क्षेत्र में सात सिचाई कार्य इस समय चल रहे हैं वे निम्न प्रकार हैः—

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम सिंचाई योजना (कार्य)	विशेष विवरण
1.	दौसा	मन्दराना	लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत
2.	बस्सी	सेपुरा	ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत
3.	बसवा	1. बाइयल 2. गुढामई 3. बपावन 4. उपरेवा	1972 अगस्त की बाढ़ से टूटे बांधों एवं क्षतिग्रस्त बान्धों का सुधार
4.	सिकराय	नाहर खोरा	

224

प्रश्न संख्या 3 की सूची 'ग'

क्र. सं	नाम बांध	औसत मजदूर	अवधि	कार्य का विवरण
	(1) कालाखों जोन:—			
1.	कालाखों बांध	20		1,31,925 सी. एफ. टी. और 246 सी. एफ. टी. पिचिंग का कार्य हुआ।
2.	माधो सागर	27		75,325 सी. एफ. टी. मिट्टी का कार्य और 3,637 क्वारी स्पाल और पिचिंग 3,847
3.	भण्डारी बांध	13		75,795 सी. एफ. टी. मिट्टी का कार्य
	(2) झिलमिली बांध:—			
1.	झिलमिली बांध	5	1-6-72 से 30-9-72	33,641 सी.एफ.टी. मिट्टी का कार्य
2.	चुरास बांध	6		36,370 ,, ,,
3.	पाटन बांध	7		24,802 ,, ,,
4.	पापडवदा	1		7,245 ,, ,,
5.	दक्षिण सागर	3		22,342 ,, ,,
6.	गेठोवाव बांध	2		6,178 ,, ,,
7.	लाबान नाला	2		17,719 ,, ,,
	(3) सैंथल जोन:—			
1.	हरिपुरा बांध	5		28,205 ,, ,,
2.	सिनोली बांध	4		18,968 ,, ,,
3.	रामपुरा बांध	3		14,873 ,, ,,
4.	सैंथल सागर	5		15,357 ,, ,,
5.	निमला बांध व राम्यावाला	1		1,590 ,, ,,
	(4) बसवा जोन:—			
1.	बड़ियाल बन्ध	4		1,100 ,, ,,
2.	धपावन	3		4,300 ,, ,,
3.	गुढ़ामुई बन्ध	4		1,500 ,, ,,
4.	उपरेदा बांध	5		2,200 ,, ,,
5.	विजय सागर	4		4,400 ,, ,,
	योग:—	124		कुल ई/डब्ल्यू 5,23,935 सी.एफ.टी.
				कुल क्वारी स्पाल 3,637 ,,
				कुल पिचिंग कार्य 4,093 ,,

प्रश्न संख्या 4 की सूची 'ध'

क्र. सं.	नाम बांध	कुल इस्तेमाल कट्टे	दर रुपये	कुल रकम रुपये
1.	पाटन बांध	100	71.70 प्रति सैकड़ा	71.70
2.	सैथल	80	71.70	57.36
3.	रामपुरा	30	71.70 ,,	21.51
4.	झीमला	65	71.70 ,,	46.61
5.	पापरडा	100	71.70 ,,	71.70
6.	कालाखो जोन कालो बांध माधोसागर बांध भण्डारी बांध	1200	71.70 ,,	860.40
7.	बसवा जोन बडियाल बांध	250	71.70 ,,	179.25
		1825		1308.53
	माधोसागर व भण्डारी बांध दर बोरी खरीद	530		838.00
			कुल रुपये	2146.53

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची)

राजस्थान नहर, भाखड़ा नहर एवं गंग नहर से सिंचित क्षेत्र, कर निर्धारण एवं वसूली के आंकड़े

क्रमांक	नाम नहर	सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)			माफी क्षेत्र (एकड़ों में)			पुख्ता क्षेत्र (एकड़ों में)		
		1970-71	1971-72	1972-73	1970-71	1971-72	1972-73	1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भाखड़ा नहर	582622	558060	290144	1954	1168	1198	580668	551892	288946
2.	गंग नहर	625105	597625	313546	3365	4993	1775	621740	592632	311771

आबयाना की रकम			चालू	पिछली बकाया	योग	चालू	पिछली बकाया	योग	चालू	पिछली बकाया	योग
1970-71	1971-72	1972-73	1970-71			1971-72			1972-73		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4482965	5440441	2484416	2983974	1799943	4783917	3487073	960916	4447989	1231623	401058	1632681
4938612	6347497	5136881	4647078	475479	5122557	5051780	255526	5307306	1259917	558142	1818059

नोटः—रबी फसल अभी चल रही है अतः सन् 1972-73 में केवल खरीफ फसल के आंकड़े अंकित किए गए हैं।

राजस्थान नहर से सिंचित क्षेत्र कर निर्धारण एवं वसूली के आंकड़े

साल	सिंचाई एकड़ों में	कर निर्धारण	वसूली
1	2	3	4
1970-71	4,15,000	30,65,797	29,96,671
1971-72	4,55,000	33,22,198	3,98,361
1972-73	4,80,000	63,00,000	64,96,000

(जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया)

228

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 1973)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
15	नीचे से 11	भामला	मामला
32	,, 10	लूणो	लूणी
38	,, 15	भीलयाड़ा	भीलवाड़ा
62	ऊपर से 12	क द	कदम
63	,, 3	कार्य	किये
80	,, 13	प्रस्ताय	प्रस्ताव
84	,, 8	व्ययस्था	व्यवस्था
112	,, 10	औष धालय	औषधालय
154	,, 14	प्रश्रव्य	प्रश्रय
184	नीचे से 2	पर वहां कि	कि वहां के
185	ऊपर से 10	आ टम्स	आइटम्स
186	नीचे से 6	जल्वो	जल्दी
187	ऊपर से 5	निमलने	निकलने
188	,, 16	जगह	जगह जगह
193	नीचे से 16	कर्म	कम
196	ऊपर से 4	फंशनेलिज्म	फंक्शनलिज्म
196	,, 16	सेक्शनेलिज्म	फंक्शनलिज्म
198	,, 2	संस्थाई	संस्थाएं
198	,, 3	गये	गई
209	नीचे से 8	उसमें	उनमें
213	ऊपर से 14	लेजिस्लेसन	लेजिस्लेचर
216	नीचे से 16	निहात	निहायत
216	,, 11	कहूना	कहना
225	ऊपर से 9	इनको	उनको
228	नीचे से 17	जैसे	हैं जैसे
230	,, 7	कोई	एक
231	ऊपर से 14	ताकि	—

229

1	2	3	4
232	ऊपर से 3	कराना	करना
233	,, 3	वहां	यहां
234	,, 3	को	जो
239	,, 2	घर	घर से
239	,, 6	अधिकार	अधिकांश
258	नीचे से 1	को को	को
259	ऊपर से 16	42	24
284	नीचे से 3	सहातया	सहायता
287	ऊपर से 6	आपिस	आफिस
287	,, 13	करया	करना
289	,, 14	लेने से	लेने
290	नीचे से 2	दो दो	दे दो
292	,, 6	दुविधा	दुविधा
304	,, 5	जिमसे	जिससे
314	,, 7	पोने ने	पीने के
337	,, 7	संस्या	संख्या
356	,, 12	गई	कई
419	ऊपर से 2	जानते	जानने
420	,, 2	निवारण	निवारण हेतु

—:0:—